अष्टम माला, खंड 46, अंक 7

Friday, 5th May, 1989

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. B 60
Date 5/3/90

(खंड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(शुक्रवार, 5 मई, 1989/15 वैशाख, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
6	2	प्रश्न संख्या "1862" के स्थान पर "862" पढ़िये।
20	नीचे से 4	प्रश्न संख्या 871 से पहले "*" चिन्ह लगायें।
27	नीचे से 12	"रामाबेन" के स्थान पर "रमाबेन" पढ़िये।
115	नीचे से 12 और 15	"हवड़ा" के स्थान पर "हावड़ा" पढ़िये।
126	16	"(ज)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
145	नीचे से 10	"(क)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
146	17	शीर्षक में "दुलाई" के स्थान पर "ढुलाई" पढ़िये।
171	नीचे से 2	"(क)" के स्थान पर "(ज)" पढ़िये।
182	13	"के राय मंत्री" के स्थान पर "में उप-मंत्री" पढ़िये।
199	12	"7949/89" के स्थान पर "7840/89" पढ़िये।
199	21	"7941/89" के स्थान पर "7841/89" पढ़िये।
202	9	"राम प्यारे सुन" के स्थान पर "राम प्यारे सुमन" पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 50, तेरहवां सत्र, 1989/1910-1911 (शक)

अंक 43, शुक्रवार, 5 मई, 1989/15 वैशाख, 1911 (शक)

विषय		पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		1—19
*तारांकित प्रश्न संख्या :	861 से 864, 866, 868 और 869	
प्रश्नों के लिखित उत्तर		19—197
तारांकित प्रश्न संख्या :	865, 867 और 870 से 881	19—27
अतारांकित प्रश्न संख्या :	8142 से 8151, 8153 से 8245, 8247 से 8282, 8284 से 8350 और 8352 से 8372	27—188
सभा पटल पर रखे गए पत्र		197—199
राज्य सभा से सन्देश		200
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति		200
कार्यवाही सारांश		
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति		200
23वां प्रतिवेदन		
सभा का कार्य		200—207
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण		207—217
अखबारी कागज तथा छपाई के कागज की कमी तथा उनके बढ़ते हुए मूल्य का समाचार		
श्री हरीश रावत		207
श्री एम० अरुणाचलम		207
श्री इन्द्रजीत गुप्त		210

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
श्रीमती गीता मुखर्जी	213
श्री जे० वेंगल राव	215
नियम 193 के अधीन चर्चा	217—230
देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक स्थिति	
श्री आरिफ मोहम्मद खां	217
श्री प्रताप भानु शर्मा	226
श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश	229
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	231
66वां प्रतिवेदन	
विधेयक पुरःस्थापित	231—233
(एक) वृद्धावस्था पेंशन विधेयक	
श्री एस० एम० गुरड्डी	231
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 340 का संशोधन)	
श्री सैयद शाहबुद्दीन	231
(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 51क का संशोधन)	
श्री शांताराम नायक	232
(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 347क का अन्तःस्थापन)	
प्रो० नारायण चन्द पराशर	232
(पांच) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 323 का संशोधन)	
श्री शांताराम नायक	233
उचित दर दुकान (विनियमन) विधेयक	233—267
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सैयद शाहबुद्दीन	233
श्री सोमनाथ रथ	237
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	240
श्री आनन्द पाठक	243
श्री विजय एन० पाटिल	244

विषय	पृष्ठ

डा० गौरी शंकर राजहंस	246
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	248
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	249
कुमारी ममता बनर्जी	252
श्री अजीज कुरेशी	254
श्री राम प्यारे पनिका	261
श्री हरीश रावत	263
श्री के० प्रधानी	265
प्रो० नारायण चन्द पराशर	267

लोक सभा

शुक्रवार, 5 मई, 1989/15 वैशाख, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अवधेश्वर प्रसाद सिंह के दुःखद निधन की सूचना सभा को देनी है जो अन्तरिम संसद तथा 1950-56 के दौरान प्रथम लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था, 1956 में वह राज्य सभा के लिए चुने गये और 1976 तक उस सभा के सदस्य रहे ।

श्री सिंह पेशे से किसान थे और उन्होंने कृषकों और मजदूरों की समस्याओं में गहरी रुचि ली ।

वह एक पुराने स्वतन्त्रता सेनानी थे और उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा जेल गए । उन्होंने 1932-33 में सविनय अवज्ञा, हरिजन उत्थान और मन्दिर प्रवेश आन्दोलनों में भी भाग लिया ।

वह एक प्रसिद्ध तथा समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता थे और कई संस्थाओं से विभिन्न रूपों से जुड़े थे ।

वह एक योग्य सांसद थे और उन्होंने सभा की कार्यवाही में गहरी रुचि ली तथा उसमें बहुमूल्य योगदान दिया ।

श्री अवधेश्वर प्रसाद सिंह 27 मार्च, 1989 को 82 वर्ष की आयु में स्वर्ग सिधार गए ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक सन्तप्त परिवार को संवेदना संदेश भेजने में सभा मेरे साथ है ।

मृतक के सम्मान में सभा थोड़ी देर के लिए मौन खड़ी रहेगी ।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नशीले पदार्थों के प्रयोग पर नियन्त्रण संबंधी संयुक्त राष्ट्र निधि की सहायता-प्राप्त परियोजनाएं

*861. **श्री श्रीहरि राव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नशीले पदार्थों के प्रयोग पर नियन्त्रण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र निधि की सहायता से देश में कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कौन-कौन से स्वयंसेवी संगठन/एजेन्सियां सम्मिलित हैं तथा इनका कितना योगदान है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) नशीले औषध-द्रव्यों के दुरुपयोग पर नियन्त्रण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र निधि (यू० एन० एफ० डी० ए० सी०) ने भारत सरकार के साथ 17 अगस्त, 1988 को हुए एक करार में नशीले औषध-द्रव्यों के दुरुपयोग के निवारण के कार्य के लिए 20 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता देने वचन दिया है। यह राशि 5 वर्षों की अवधि में खर्च की जाएगी। इस परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यकलापों के लिए आवंटन का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

	अमरीकी डालर (मिलियन में)
1. नशीले औषध-द्रव्यों के अवैध व्यापार के विरुद्ध किए जाने वाले उपायों को सुदृढ़ बनाए जाने के लिए	7.50
2. स्वापक औषध-द्रव्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण और उन्हें कारगर बनाने के लिए	0.30
3. अफीम के वैध उत्पादन पर नियन्त्रण को सुदृढ़ बनाने के लिए	3.50
4. नशीले औषध-द्रव्यों पर निर्भरता, उसके निवारण और उपचार संबन्धी उपायों के लिए	5.35
5. नशीले औषध-द्रव्यों के व्यसनियों के पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए	2.50
6. शिक्षा और सूचना के जरिए नशीले औषध-द्रव्यों के दुरुपयोग की रोक-थाम करने के लिए	0.35
	20.00

(ख) दो स्वयंसेवी संगठनों अर्थात 'दी ओपियम डीएडिक्शन ट्रीटमेंट ट्रेनिंग एण्ड रिसर्स यूनिट, जोधपुर तथा दिल्ली के 'जागरण' को वित्तीय सहायता के लिए चुना गया है। 'दी ओपियम डीएडिक्शन ट्रीटमेंट ट्रेनिंग एण्ड रिसर्स यूनिट', जोधपुर को नशीले औषध-द्रव्यों के दुरुपयोग के क्षेत्र में समाज में जागरूकता पैदा करने, व्यसनियों के उपचार और पुनर्वास सम्बन्धी कार्यकलापों के लिए पांच वर्षों की अवधि में 4,50,000 अमरीकी डालर मिलेंगे। दिल्ली के 'जागरण' को नशीले औषध-द्रव्यों के दुरुप-

योग के विरुद्ध समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए नशीले औषध द्रव्यों के दुरुपयोग पर नियन्त्रण के क्षेत्र में थिएटर और मूक-अभिनय करने वाले कलाकारों को प्रशिक्षण देने सम्बन्धी उसके कार्यकलापों के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए 80,000 अमरीकी डालर दिए जाएंगे।

श्री श्रीहरि राव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अपने जबाव में कहा है कि नशीले औषध-द्रव्यों के अवैध व्यापार के विरुद्ध किए जाने वाले उपायों को सुदृढ़ करने के लिए 7.5 मिलियन डालर आवंटित किए गए हैं। अक्सर यह बात समाचार पत्रों में आती रहती है कि नशीले औषध द्रव्यों का अवैध व्यापार पाकिस्तान से बहुत अधिक होता है। पाकिस्तान से भारत में नशीले पदार्थों विशेष तौर पर गांजा तथा अफीम की तस्करी को रोकने के लिए क्या विशेष कदम उठाये गए हैं ? कितनी धनराशि खर्च की गई है और इस उद्देश्य हेतु किन एजेंसियों को नियुक्त किया गया है ?

श्री ए० के० पांजा : महोदय, प्रश्न का पहला भाग इस प्रश्न से नहीं निकलता। परन्तु जहां तक भारत-पाक सीमा का सम्बन्ध है, हमने मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत-पाक सीमा पर सीमा सुरक्षा बल का नियन्त्रण है और स्वापक औषध निरोधक कर्मचारी तथा सीमा शुल्क कर्मचारियों सहित कुछ अन्य एजेंसियां भी हैं। प्रवेश के विशेष स्थानों पर चौकियां हैं जहां नियमित रूप से जांच होती है और सीमा क्षेत्र व्यापक होने के नाते स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु स्थानीय पुलिस की सहायता भी ली जाती है। भारत तथा पाकिस्तान से जानकारी के आदान-प्रदान हेतु हमने परस्पर गुप्तचर विभाग भी स्थापित किए हैं और वे भी हमें सहायता दे रहे हैं। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, पांच वर्ष की अवधि के लिए 20 मिलियन अमरीकी डालर दिए गए हैं जो 17 अगस्त, 1988 को भारतीय मुद्रा में 27 करोड़ रुपए के बराबर हैं। हमारा वर्ष कलैंडर वर्ष में शुरू होता है, वित्त वर्ष से नहीं। उस धनराशि में से इस वर्ष के लिए 6.90 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 'नारकॉटिक कंट्रोल ब्यूरो' के आधुनिकीकरण के लिए कुछ सहायता दी जा रही है—'नारकॉटिक कंट्रोल ब्यूरो' की स्थापना पहले ही की जा चुकी है। अतिरिक्त सहायता अपराध विज्ञान प्रयोगशालाओं, विज्ञान और प्रशिक्षण को दी जाएगी। 'नारकॉटिक कंट्रोल ब्यूरो' को 2.20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, न्यायिक प्रयोगशालाओं विज्ञान तथा प्रशिक्षण के लिए 26 लाख रुपये आबंटित किए गये हैं, 'नारकॉटिक कमीशन', जो स्थापित किया गया है, के लिए 58 लाख रुपए आबंटित किए किए हैं, विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के लिए 20 लाख रुपये दिए गए हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय हेतु, नशीली दवाओं के शिकार लोगों की देखभाल के लिए 2.27 करोड़ रुपए दिए गए हैं, कल्याण मंत्रालय के लिए, परामर्श तथा अन्य केन्द्र खोलने के लिए 1.37 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अतः कुल धनराशि 6.90 करोड़ रुपये आवंटित की गई है।

श्री श्रीहरि राव : विद्यार्थियों में नशीली दवाओं की आदत को रोकने के लिए क्या सरकार विश्वविद्यालय परिसर तथा छात्रावासों में छात्र सतर्कता प्रकोष्ठ गठित करने हेतु कदम उठायेगी ? हैदराबाद में उसमानिया विश्वविद्यालय की भांति कुछ विश्वविद्यालयों में ऐसे प्रकोष्ठ पहले ही स्थापित कर दिए गए हैं। क्या सरकार इन्हें प्रोत्साहन देगी ?

श्री ए० के० पांजा : जी हां, श्रीमान्। जहां कहीं विद्यार्थी हैं विशेष तौर पर स्वयंसेवी संगठनों में हम उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं। यदि कोई ऐसा प्रकोष्ठ है जो पहले से ही विश्वविद्यालस द्वारा मान्यता प्राप्त हो अथवा सम्बन्धित विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हो, हम उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि वे पहले से ही कार्यरत हैं; वे जलूस निकाल रहे हैं तथा अपने क्षेत्रों में गोष्ठियां आयोजित कर रहे हैं और हम उनकी सहायता कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, अफीम का उत्पादन हो रहा है। विशेष तौर से मध्य प्रदेश में और कोटा में अवैध उत्पादन होता है। किसान जो सीमा निर्धारित करते हैं, उससे अधिक उत्पादन करते हैं और फिर वह अफीम हमारे क्षेत्रों में, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर आदि, आती है। इसको रोकने के लिए कोई भी विशेष व्यवस्था नहीं है। क्या इस सम्बन्ध में आप विशेष व्यवस्था करेंगे, जिससे अफीम का अवैध उत्पादन रुके और जो किसान सीमा से अधिक उत्पादन करते हैं, उन पर कुछ प्रतिबन्ध हो सके ? इसके कारण स्थिति यह पैदा हो रही है कि अफीम हमारे क्षेत्रों में आ रहा है और उसका बहुत उपयोग हो रहा है, बहुत ज्यादा सेवन करते हैं। इसके उपचार के सम्बन्ध में गया वालन्ट्री आर्गेनिजेशन काम कर रही हैं और उनके क्या परिणाम आए हैं ?

[अनुवाद]

श्री ए० के० पांजा : महोदय, केवल माननीय सदस्य द्वारा उल्लेखित क्षेत्र में ही नहीं बल्कि केरल में भी हमने गांजे की अवैध खेती को नष्ट करने हेतु व्यापक कार्यक्रम शुरू किया था तथा हमने अपने उद्देश्य में कामयाब हुए थे। महोदय, इसके समस्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही समस्या का समाधान करना होगा। किसान आसान नकद फसलें उगाने को प्राथमिकता देते हैं। अतः समस्या को निचले स्तर पर ही हल करना होगा। जब तक हम किसानों को उगाने के लिए वैकल्पिक फसल का सुझाव नहीं देते तब तक हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। हमने कृषि मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित किया है ताकि किसानों को बीजों के रूप में कुछ सहायता दी जा सके।

प्रो० एन० जी० रंगा : कुछ मुआवजा दिया जा सके।

श्री ए० के० पांजा : जी नहीं, मुआवजा नहीं परन्तु उन क्षेत्रों में कोई वैकल्पिक फसल पैदा करनी होगी। अन्यथा भी हमने वैध खेती क्षेत्र को सीमित कर दिया है। हम धीरे-धीरे लाइसेंसशुदा क्षेत्र में भी इस खेती को कम कर रहे हैं क्योंकि अभी यदि हम लाइसेंस देना बिल्कुल बन्द कर देते हैं तो यह किसानों के लिए लाभकारी नहीं होगा और वे इसकी अवैध रूप से खेती करेंगे। अतः हम अफीम की वैध खेती को भी चिकित्सा उद्देश्यों तक ही सीमित कर रहे हैं। अवैध खेती को रोकने के लिए हमने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी शुरू कर दी है ताकि हमें सूचना मिल सके। हमने राज्य सरकारों की मदद ली है जैसाकि हमने मणिपुर में तथा केरल में किया है—और भारी मात्रा में गांजे की अवैध खेती को नष्ट किया है।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त वित्त मंत्री जी कहना चाहता हूं कि वे जब भी मध्य प्रदेश के संदर्भ में अफीम की बात करते हैं, तो मूलतः मंदसौर जिले पर उनका ध्यान जाता है। किसानों का पट्टा सरकार जितना छोटा कर सकती थी, वह इस साल उसने कर दिया और अब 10 आरी ने बड़ा पट्टा किसी के पास नहीं है और उससे कम ही है। मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के हिस्सों में, गये सेशन में हमने इसके बारे में कहा था, जहां अवैध अफीम की खेती होती थी, इस बार कई हेक्टेयर में उस अवैध खेती को नष्ट कर दिया है। मंदसौर जिले में अवैध खेती नहीं होती है और अवैध खेती जहां होती है, उसका सारे का सारे खमियाजा हमारे किसानों को भुगतना पड़ता है और जो वैध खेती करता है, उस पर आपका गुस्सा चलता रहता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार

के पास कोई ऐसी योजना है जिसके आधार पर इस खेती में काम करने वाले जितने मजदूर थे, जिनकी मजदूरी कम हो गई है, उनको कम्पेन्सेट किया जा सके । क्या कोई आपके पास ऐसी प्लान है, कोई योजना है, यह मैं जानना चाहता हूं । पट्टेदारों की तो आप हिमायत कर लेंगे लेकिन प पट्टे में काम करने वाले भूमिहीन मजदूरों के लिए आपके पास कोई योजना है । मंदसौर जिले में 33 लाख के करीब परिवार इस काम में लगे हुए हैं। उनके लिए कोई योजना आपके पास है ताकि हम उनसे बात कर सकें कि सरकार आपके हितों का ध्यान इस प्रकार रख रही है ।

[अनुवाद]

श्री ए० के० पांजा : महोदय, अवैध खेती के लिए मुआवजा देने की कोई योजना नहीं है ।

श्री बालकवि बैरागी : महोदय, यह मुआवजा देने का मामला नहीं है ।

[हिन्दी]

जो भूमिहीन मजदूर काम करते हैं, उन मजदूरों को आप क्या विकल्प दे सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री ए० के० पांजा : जैसाकि प्रथम प्रश्न के जबाव में मैंने कहा है कि हमें इस समस्या का समाधान निचले स्तर पर करना होगा । उन क्षेत्रों में कोई वैकल्पिक फसल उगानी होगी परन्तु यह काम एक दिन में तो नहीं हो सकता । यह देखने के लिए कि किस तरह की वैकल्पिक फसल की खेती वहां की जा सकती है, भूमि का ठीक प्रकार अध्ययन करना होगा । मन्दसौर, गाजीपुर तथा नीमच क्षेत्रों में यही कठिनाई है । हमने लाइसेंस देने की क्षमता कम कर दी है । सरकार किसानों की समस्या से पूर्णतया भिज्ञ है और एक मात्र समाधान वहां वैकल्पिक फसल पैदा करना है । हमने यह मामला कृषि विभाग के साथ उठाया है ।

श्री सी० पी० ठाकुर : महोदय, नशीली दवाओं के आदी लोगों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है, क्या सरकार इस तरह के लोगों के इलाज तथा पुनर्वास के लिए कम से कम एक केन्द्र खोलने का विचार रखती है क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति एक आम बात है, यदि सभी राज्यों में नहीं तो कम से कम ऐसे राज्यों में केन्द्र खोले जाएं जो इससे बहुत अधिक प्रभावित हैं ? बिहार राज्य में भी हम देखते हैं कि नशे के आदी लोगों की संख्या बढ़ रही है परन्तु वहां ऐसा कोई केन्द्र नहीं है ।

श्री ए० के० पांजा : महोदय, देश में पहले ही कई केन्द्र खोले जा चुके हैं और इनकी पूरी सूची मेरे पास है । यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं पूरी सूची दे सकता हूं । यह तिथिवार नहीं है। यह यूथ मोबिलाइजेशन फार नेशनल एडवांस में प्रमायन, बुद्ध कालोनी, पटना-I में है। यह पटना में परामर्श केन्द्र के रूप में स्थापित की गई थी ।

जहां तक स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकरण का सम्बन्ध है, बिहार में ऐसे तीन परामर्श केन्द्र हैं।

श्री सी० पी० ठाकुर : वे केवल कागजों पर ही हैं ।

श्री ए० के० पांजा : यदि वह कहते हैं कि ये केवल कागजों पर ही हैं तो उन्हें उस स्थानों पर जाकर देखना चाहिए—मैंने उस जगह का पता दे दिया है—और मुझे पत्र लिखना चाहिए, फिर वह जान पायेंगे कि यह केवल कागजों में ही नहीं है बल्कि वास्तव में कार्यरत है ।

शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों की स्थापना में उद्यमियों की समस्याएं

*1862. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों की स्थापना में उद्यमियों को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इन उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए उनसे सुझाव मांगे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की स्थापना को सुकर बनाने तथा उनको तुरन्त अनुमोदन प्रदान करने की सुव्यवस्थित कार्यविधि विद्यमान है। एक ही स्थान पर क्लियरेंस करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय में अन्तरमंत्रालयी अनुमोदन बोर्ड आवेदनपत्रों पर शीघ्रता से कार्यवाही करता है तथा उन पर विचार करता है। अनुमोदित एककों को ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है जो उन्हें अवस्थापनात्मक सुवधाएं तथा प्रचालन निविष्टियों प्राप्त करने में वरीयता प्रदान करता है। ये एकक खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत पूंजीगत माल और उत्पादन निविष्टियों का आयात कर सकते हैं।

2. अलग-अलग आवेदकों द्वारा समय-समय पर सरकार के ध्यान में विभिन्न मुद्दे लाए गए हैं जैसे निर्यात बाजारों में कड़ी स्पर्धा तथा निर्यात की अलाभकारी कीमतें, नकद मुआवजा सहायता के उच्चतर स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता, वित्तीय संस्थानों द्वारा परियोजना की अर्थक्षमता को स्वीकार नहीं करना, निश्चित मूल्य संवर्धन प्राप्त करने में कठिनाइयां, स्क्रैप और अपशिष्ट माल को बेचने की समस्याएं, बिजली की उपलब्धता में कठिनाई, अन्य अवस्थापनात्मक कठिनाइयां, कुछ कच्चे मालों के खनन पट्टे नहीं मिलना, आदि।

3. इन मुद्दों को केन्द्रीय और राज्य सरकारों की सम्बन्धित एजेंसियों के साथ उठाया जाता है। सरकार ने उद्योग से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखकर योजना को फिर मजबूत भी किया है ताकि उसकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाया जा सके। अलग-अलग एककों की समस्याओं का पता लगाने तथा उन्हें मौके पर हल करने के लिए, वाणिज्य मन्त्रालय केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों के सहयोग से दिल्ली में और क्षेत्रीय स्थानों के उद्यमियों के साथ समय-समय पर बैठकें करता है।

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, वक्तव्यों से पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति या लोग या कम्पनी जो शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों की स्थापना करना चाहते हैं उन्हें तत्काल ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और वे छः मास या एक वर्ष के अन्दर-अन्दर इकाइयां स्थापित कर सकते हैं। किन्तु हमने ऐसे मामले भी देखे हैं जिनमें दो या तीन वर्ष के पश्चात् ग्रीन कार्ड दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य औपचारिकताएं पूरी नहीं की जा रही हैं और उद्योग मन्त्रालय तथा वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा और निम्न स्तर पर अधिकारियों द्वारा भी बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं।

इसमें लिखा है कि ऐसे उद्योगों अथवा ऐसे उद्यमियों को प्राथमिकता देने के लिए एक ही स्थान पर सभी सेवाएं उपलब्ध की गयी हैं जो इस प्रकार के कारखाने अथवा उद्योग आरम्भ करना चाहते हैं। किंतु हम देख रहे हैं कि विभाग में भी कोई समन्वयन नहीं हैं, कम से कम विभिन्न विभागों के बीच समन्वय होना चाहिए . हो सकता है विभिन्न विभागों के मन्त्री आपस में समन्वय रखते हों किन्तु उनके अधिकारी ऐसी नहीं करते हैं। यह इन अधिकारियों को मर्जी पर निर्भर करता है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। अमेठी कपड़ा इकाई जो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र में स्थापित की जानी थी उसे डेढ़ वर्ष पूर्व लाइसेंस प्राप्त हुआ था। उन्होंने मशीनरी खरीदी किंतु यह इलाहाबाद के सीमा-शुल्क अधिकारी की अनुमति के लिए बम्बई की गोदी में पड़ी है। वह कहते हैं कि कारखाने के शेड शतप्रतिशत पूरे होने चाहिए और तभी केवल लदान या ढुलाई की अनुमति दी जाएगी जबकि इस प्रकार के अन्य मामलों में बम्बई गोदी से कार्यस्थल तक मशीनों के ले जाने के लिए कांटेदार तार काफी हैं।

अत: इस प्रकार के उदाहरण हैं। यह अधिकारियों की पसन्द पर निर्भर करता है। वे इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे ? बम्बई गोदी में पड़ी हुई मशीनरी का मूल्य 28 करोड़ रुपये है।

श्री दिनेश सिंह : यदि सदस्य महोदय मुझे इसका ब्योरा देंगे तो मैं निश्चय ही इनकी पूछताछ करवा दूंगा।

किंतु जहां तक उनके द्वारा उठाए गए व्यापक प्रश्न का सम्बन्ध है, मुझे शंका है कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे अत्यन्त मान्य हैं। अन्तर मन्त्रालयी परामर्शों के कारण बहुत विलम्ब होता है और बहुत सी कठिनाइयां भी होती हैं। यह योजनाएं उतने अच्छे ढंग से नहीं चलती हैं जैसे यह मेरे विचार से चलनी चाहिएं। किंतु हम सारे समय इन मामलों की जांच करते रहते हैं। यह योजना नई है। यह काम नया है। अत: इसकी व्यवस्था में और थोड़ा समय लग जाएगा।

श्री विजय एन० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह मुख्य मन्त्रियों और अपने मंत्रालय के बीच बैठक का प्रस्ताव करेंगे विशेषकर उन इकाइयों के लिए जो विभिन्न राज्यों में खुल रही हैं। विभिन्न राज्यों में प्राथमिकता की तुलना में औद्योगिक परिस्थिति में क्या मुख्य कठिनाइयां हैं जो इन निर्यातोन्मुख इकाइयों को दी जानी हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मैं माननीय सदस्य के सुझाव का स्वागत करता हूं। हम निश्चय ही मुख्य-मंत्रियों से मिलने का प्रयास करेंगे। हमारे पास पहले से ही मुख्यमंत्रियों के साथ विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव है जिसमें हम निर्यात के पूरे ढांचे और इसमें राज्य सरकारों द्वारा भाग लेने पर चर्चा करेंगे।

श्री सी० माधव रेड्डी : इन इकाइयों के लिए उच्च स्तर पर नगद प्रतिशत सहायता की निरन्तर मांग रही है। वर्तमान सहायता क्या है और क्या सरकार इसको बढ़ाने के लिए तैयार है ?

प्रो० मधु दण्डवते : नकद धनराशि उपलब्ध नहीं है !

श्री दिनेश सिंह : जहां तक मुझे याद है उन्हें देशी सीमा-शुल्क क्षेत्र में उपलब्ध नकद प्रतिपूर्ति सहायता का 50% मिलता है। उनमें से कुछ लोगों से निवेदन किया है। कुछ मामलों पर मामलेवार आधार पर तथा उनकी आवश्यकताओं और विशेषताओं के आधार पर विचार किया गया। किन्तु मैं समझता हूं कि हमने सामान्य प्रस्तावों को स्वीकार नही किया है।

गंगा कावेरी सम्पर्क नहर से बिहार को पानी की सप्लाई

[हिन्दी]

*863. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के नालन्दा जिले को पानी की सप्लाई के लिए कोई गंगा कावेरी सम्पर्क नहर परियोजना है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और इससे बिहार के कौन-कौन से क्षेत्र लाभान्वित होंगे; और

(ग) उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय,...

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, यह तो अद्भुत बात है कि गंगा और कावेरी पर कृष्णा मना कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : काम ऐसा है कि कुछ भी कर सकते हैं।

श्री विजय कुमार यादव : मंत्री जी हमारे पड़ौसी हैं।

श्री जगन्नाथ पटनायक : आपस में बात कर लेना।

श्री विजय कुमार यादव : उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है।...(**व्यवधान**) सवाल का उद्देश्य यह था कि केन्द्रीय सरकार की ओर से नालन्दा जिले में कोई सिंचाई की योजना है या नहीं और अगर है तो उसकी क्या स्थिति है। बहरहाल, नकारात्मक जवाब मिला है। मैं पहला सवाल यह करना चाहता हूं कि गंगा नदी से यू० पी० के अन्दर जिस तरह से नहर निकालकर दक्षिण के इलाके में सिंचाई की जाती है तो क्या ऐसी कोई योजना केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन है जिस गंगा नदी से नहर निकालकर और पानी राजगीर पहाड़ की तलहटी में ले जाकर और वाटर रिजरवायर बनाकर और उसके अगल-बगल के जो एरियाज हैं राजगीर, गिरीहट, इस्लामपुर, एकंगर, बिहारशरीफ, अस्थामा आदि उसमें नहर निकालकर सिंचाई की कोई योजना है क्योंकि वहां सिंचाई का कोई दूसरा साधन नहीं है और स्थिति बहुत नाजुक है। अगर योजना नहीं है तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी और अगर है क्योंकि सन 80 से जब से मैं यहां आया हूं, बराबर यह सवाल उठा रहा हूं इसलिए, मंत्री महोदया की इस पर क्या प्रतिक्रिया है।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अच्छा-खासा भाषण दिया है और इतने लम्बे भाषण में उनका प्रश्न सम्भवतः खो गया है। जहां तक मैंने समझा है, पहले इन्होंने यह पूछा कि नालन्दा जिले में क्या कोई सिंचाई की योजना है। इन्होंने यह भी कहा कि पड़ौसी हैं लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूं कि नालन्दा जिले में तीन मुख्य सिंचाई की परियोजनाएं हैं जो पंचाने, पैमार और उडेरा स्थान है। इन परियोजनाओं का जीर्णोद्धार स्पेशल फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन प्रोग्राम के अन्तर्गत हो रहा है और भारत सरकार इसके लिए राशि दे रही है।

पहला सवाल इनका हो गया है लेकिन दोनों प्रश्न इन्होंने एक ही बार कर दिए हैं। दूसरे सवाल को पिन-पाइन्ट करे तो मैं उत्तर दूंगी।

श्री विजय कुमार यादव : मेरा पहला सवाल वही है कि गंगा नदी से नहर निकालकर नालंदा जिले में सिंचाई की कोई योजना है या नहीं।

श्रीमती कृष्णा साही : ऐसा कोई योजना नहीं है। इनके तीन प्रश्न हो गए हैं।

श्री विजय कुमार यादव : अभी तो दो ही हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : अभी तो शुरूआत है।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार यादव : प्रधान मन्त्री जी ने पिछले कुछ महीनों में घोषणा की है कि जिला स्तर पर परियोजनाओं को बनाया जाएगा। आपने जिन योजनाओं की चर्चा की है, उसमें सिंचाई का कोई काम नहीं होता है और वे सारी योजनाएं ठप्प पड़ी हुई हैं। बहरहाल, जिला स्तर पर जो योजना बनोने की घोषणा सरकार ने की है तो नालन्दा जिले में इस तरह की कोई कौन-सी योजना बनायी जा रही है और अपर-सकरी योजना की क्या स्थिति है। अपर-सकरी का सम्बन्ध शायद आपके क्षेत्र से भी पड़ता है। इसकी हालत बहुत खराब है। यह योजना अभी पूरी नहीं हुई है। इसका जिक्र आपने अपने भाषण में नहीं किया है। इसके लिए आप क्या कर रही हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : मैंने पहले भी बताया है कि इनकी तीन योजनायें हैं। भारत सरकार के द्वारा राशि दी गई है और यह सिंचाई की योजना है जिसका रिनोवेशन हो रहा है। मैं पुनः बताना चाहती हूं कि 1975 में एक प्रस्तावित गंगा-दामोदर लिंक योजना थी। सिंचाई तथा जल परिवहन के लिए यह योजना थी जो नालन्दा, हजारीबाग, भोजपुर और पटना में सिंचाई की योजना थी। काफी मात्रा में पम्पिंग के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती इसलिए यह योजना अभी प्रि-फिजीबिलिटी स्तर पर राज्य सरकार के पास ही विचाराधीन है। जो अपर सक्री की बात कही है, वह इससे सम्बन्धित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : बोलिए कृष्ण जी, कृष्ण जी कृष्ण से सवाल करें।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : सोम नहर की स्थिति वही है जो बाण सागर योजना की स्थिति हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार से उसका उल्लंघन होने के कारण आज जो सबसे पुरानी महा योजना है वह बन्द होने की स्थिति में है। इधर सुनने में आया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की बैठक होने वाली है इस विषय पर विचार करने के लिए। मैं मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या आप इसमें हस्तक्षेप करेंगी कि जो पुरानी महा प्रणाली है सोन नहर, उसको बचाया जा सके और जमानिया गंगा से पानी लेकर शहर में डालने की योजना है जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है उसकी क्या प्रगति है?

श्रीमती कृष्णा साही : जो इन्होंने सोन नदी के बारे में प्रश्न उठाया है, यह इससे सम्बन्धित नहीं है। लेकिन मुख्य मन्त्रियों की बैठकें होती रही हैं। यह हमारा काम है और भारत सरकार हमेशा विश्वास करती है इस पर, हमारी नीति भी है कि जो विवाद उठते हैं वह आपस में तय किए जायें बैठकर और उन पर कार्यान्वयन किया जाए। अभी हाल ही में दो-तीन दिन पहले बैठक हो चुकी है, पुनः फिर 9 तारीख को इन तीनों राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की बैठक होगी और हमारे मन्त्री जी भी शामिल होंगे

और इस पर विचार होगा। दूसरी बात जो जमानिया के बारे में कही है, मैंने पहले माननीय सदस्य का उत्तर दिया है। गंगा-दामोदर लिंक के बारे में, इससे सम्बन्धित है और यह योजना प्रि-फिजीबिलिटी स्टेज पर है। जो दो सौ पचपन क्यूसेक प्रति सैकिंड गंगा वाटर को जमानिया कैनाल में ले जाएगी और विभिन्न जिलों से गुजरेगी। परन्तु इस योजना पर विचार हो रहा है इसलिए इस पर अभी कुछ नहीं जा सकता। (**व्यवधान**)

श्री सी० पी० ठाकुर : इस पर डिसकशन कराया जाए, क्योंकि यह बिहार से सम्बन्धित है और काफी बिहार इससे डूब में आता है हर साल।

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या यह सच है कि हमारे जल संसाधनों के 80 प्रतिशत का उपयोग नहीं होता है ? क्या राष्ट्रीय जल ग्रिड का विचार किया गया है ? क्या राष्ट्रीय ग्रिड बनाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है ताकि हम कम से कम 9वीं योजना के अन्त तक अपने जल संसाधनों का उचित उपयोग कर सकें ?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : हमारी जो राष्ट्रीय जल नीति है उसके अन्तर्गत इण्टर बेसिन ट्रांसफर के लिए प्रोवजिन है और इसी परिप्रेक्ष्य में नेशनल परस्पेक्टिव प्लान पर विचार हो रहा है।

श्री राम नगीना मिश्र : गंगा नहर जो नेपाल होकर उत्तर प्रदेश और बिहार को जाती है वहां नेपाल में एक बांध टूट गया है, इससे हमारे वहां पानी आना बन्द हो गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। क्या आपको इसकी जानकारी है कि नहर टूटी हुई है, यदि है तो उसकी मरम्मत के लिए क्या प्रबन्ध हो रहा है ?

श्रीमती कृष्णा साही : यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री कुंवर राम : माननीय अध्यक्ष जी, कुछ समय पहले स्व० श्री के० एल० राव केन्द्र में और माननीय मन्त्री महोदया के पिता जी बिहार के सिंचाई मन्त्री हुआ करते थे, उस वक्त मुकामा बढ़हिया टाल परियोजना के विकास के सम्बन्ध में एक फैसला लिया गया था, और उस विकास की योजना की वजह से अभी जो मूल प्रश्न है, वह इन्वोल्व होता है।

श्री विजय कुमार यादव : ऐसी कोई योजना नहीं है, बिहार सरकार ने कहा है कि अभी ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री कुंवर राम : मैं माननीय मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं जब एक बार फैसला ले लिया गया है तो उस योजना के विकास के लिए भारत सरकार या बिहार सरकार की ओर से क्या कार्यवाही अब तक की गयी या हो रही है।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मोकामा बढ़हिया टाल योजना का प्रश्न तो इससे सीधा सम्बन्ध नहीं है लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि जब श्री के० एल० राव यहां मन्त्री थे तो वे बिहार गए थे। उन्होंने मोकामा बढ़हिया टाल परियोजना का सर्वेक्षण किया और उसकी पोटैन्श्य-लिटी को स्वीकार किया कि यहां दाल उगाने की बड़ी सम्भावनाएं हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में सम्भवत: माननीय सदस्य यह प्रश्न सदन में उठा रहे हैं। उन्हें शायद इसकी भी जानकारी होगी कि अभी 15 तारीख को बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस विषय में एक टाल प्राधिकरण गठित किया

जाए। जब वह प्राधिकरण गठित हो जाएगा तो समेकित रूप से उस परियोजना के विकास की बातें की जा सकेंगी और योजना को कार्यान्वित किए जाने के सम्बन्ध में विचार होगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : आपके कहने पर ही किया था।

श्री मुरलीधर माने : मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि बहुत से राज्यों की सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृति के बाद यहां आती हैं, यहां से मंजूरी मिलने पर उनका काम भी शुरू हो जाता है लेकिन फोरैस्ट कन्जर्वेशन एक्ट के प्रावधानों की वजह से कई योजनाओं का काम बीच में ही बन्द कर देना पड़ता है। ऐसी योजनाओं का काम फिर से चालू करने के लिए आपके पास या केन्द्रीय फौरैस्ट डिपार्टमेंट या एन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के पास प्रोपोजल भेजे जाते हैं ताकि वहां से क्लियरैंस मिलने पर उन परियोजनाओं का काम पूरा किया जा सके। देखा यह गया है कि यहां से क्लियरैंस मिलने में काफी दिक्कत आती है। इसे देखते हुए क्या सिंचाई मंत्रालय, फौरैस्ट मन्त्रालय और राज्य सरकार तीनों के दरम्यान आप कोई कोआर्डिनेशन कमेटी गठित करने पर विचार करेंगी ताकि सिंचाई परियोजनाओं को आसानी से क्लियरैंस मिल जाए और वे परियोजनाएं जल्दी पूरी की जा सकें।

श्रीमती कृष्णा साही : यदि पानी से इनको कोई खतरा है, तो उससे बचाने का काम हमारा मंत्रालय कर सकता है, लेकिन वनों के कारण इनकी योजनाएं स्वीकृत नहीं हो रही हैं या उनमें कठिनाइयां पैदा हो रही हैं तो मैं उसमें क्या कह सकती हूं।

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है, आज बहुत-सी सिंचाई परियोजनाएं ऐसे ही पड़ी हैं, जो शुरू तो हो गयीं परन्तु फौरैस्ट विभाग की ओर से क्लियरैंस न मिलने से मुकम्मल नहीं हो पा रही हैं। आप इन्हें कहिए, धनराशि बर्बाद हो रही है सर। (**व्यवधान**)

श्रीमती कृष्णा साही : इसका सम्बन्ध जल संसाधन मन्त्रालय से नहीं है, वन विभाग से हो सकता है।

श्री राम प्यारे पनिका : बिल्कुल आपके विभाग से है।

श्रीमती कृष्णा साही : नहीं, नहीं।

जोगीघोपा में रेल एवं सड़क पुल

[अनुवाद]

*864. **श्री अब्दुल हमीद†** :
श्री भद्रेश्वर तांती :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल एवं सड़क पुल के निर्माण पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी; और

(ख) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

[हिन्दी]

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) अप्रैल, 1987 में स्वीकृत अनुमान के अनुसार जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल एवं सड़क पुल की लागत 120.05 करोड़ रुपए थी जिसमें

भूतल परिवहन मन्त्रालय के हिस्से की लागत भी शामिल थी, लेकिन पहुंचमार्गों की लागत शामिल नहीं थी।

(ख) परियोजना का पूरा होना, आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

श्री अब्दुल हमीद : मन्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि जोगीघोपा में रेल-तथा-सड़क पुल के निर्माण के लिए 120.05 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है। किन्तु वह पुल चालू होने की निर्धारित तिथि नहीं बता सकते हैं। किन्तु पुल के निर्माण से इस क्षेत्र का घोर पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता है। साथ ही साथ एक राष्ट्रीय रेल लाइन भी जरूरी है। हाल ही में पंचरतना से गुवाहाटी तक रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव है और मेरे विचार से सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस परियोजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है और काम कब तक आरम्भ होगा।

दूसरा मुद्दा यह है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ग्वालपाड़ा से मनिकचर, जो ग्वालपाड़ा जिले में एक सीमावर्ती कस्बा है और जो अत्यन्त पिछड़ा हुआ जिला है और वहां संचार के अन्य साधन नहीं हैं, तक कोई नई रेल लाइन बनाई जाएगी, और क्या सरकार के पास ग्वालपाड़ा से मानिकचर तक नई लाइन की योजनाएं हैं।

श्री महाबीर प्रसाद : महोदय, माननीय सदस्य ने जो भूल प्रश्न पूछा था उसका जबाव मैंने अपने मूल उत्तर में दिया था। श्रीमन् जो मूल प्रश्न है वह जोगीघोपा और गौहाटी का है, चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण सेतु है और इस सेतु में 3 बिंदुओं पर हम विचार कर रहे हैं। उस पर पुल, सम्पर्क मार्ग और जोगीघोपा से गौहाटी तक 143 कि० मी० रेलवे लाइन। इस पर 1986 से कार्य आरम्भ हो गया है और माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहूंगा कि इस योजना पर अभी तक यानी 31-3-89 तक 35.30 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और मार्च 89 तक सेतु की प्रगति 17.5% है। जो उन्होंने अब पूछा है, उस पर अभी कोई विचार नहीं किया गया है। यदि वे और जानना चाहते हैं, तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में हम सात नई लाइनों के लिए कार्य कर रहे हैं—धर्मनगर-कुमार घाट, इसका दिसम्बर 89 तक कार्य पूरा हो जाएगा और 22 कि० मी० यह खोली जा चुकी है और दूसरी···

श्री राव बीरेन्द्र सिंह : वे जानना ही नहीं चाह रहे हैं, जबर्दस्त बता रहे हैं···

श्री महाबीर प्रसाद : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं नई लाइनों के विषय में बता रहा हूं···

अध्यक्ष महोदय : जितना पूछें, उतना ही बता दो।

श्री महाबीर प्रसाद : महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में हम 1989-90 में 4 नई लाइनें खोल रहे हैं। जो आपने पूछा है, अभी तक उस पर कोई विचार नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

श्री अब्दुल हमीद : यह एक स्थायी परम्परा है कि अस्सी प्रतिशत नौकरियां स्थानीय लोगों को दी जाएंगी। परन्तु असम में, रेलवे पुल के निर्माण के बारे में जनता ने यह आरोप लगाए थे कि चालीस प्रतिशत से भी कम स्थानीय लोगों को काम दिया गया तथा चालीस प्रतिशत लोग जिले के बाहर से

भर्ती किए गए। जहां तक निर्माण कार्य का सम्बन्ध है, गोआलपाड़ा जिला सबसे पिछड़ा जिला है और वहां सैकड़ों भूमिहीन किसान हैं, जिस कम्पनी को निर्माण कार्य सौंपा गया है, वह जिले के बाहर से मजदूर भर्ती कर रही है। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार रेल विभाग और निर्माण कम्पनी को निर्माण कार्य एवं रेलवे से सम्बन्धित कार्यों के लिए स्थानीय लोगों को भर्ती करने के कड़े निदेश देगी ?

[हिन्दी]

श्री महाबीर प्रसाद : श्रीमन्, माननीय सदस्य ने वहां पर नौकरी के सन्दर्भ में जो प्रश्न पूछा है, इस प्रकार की मेरे पास कोई सूचना नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं, तो वे लिखकर भेज दें। मैं उन्हें लिखकर जबाव भेज दूंगा कि वहां पर स्थानीय लोग लगाए गए हैं या बाहर से लगाए गए हैं।

[अनुवाद]

श्री भद्रेश्वर तांती : महोदय, वर्तमान युग में संचार माध्यम अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। जहां तक मेरे राज्य असम का सम्बन्ध है, इस दिशा में यह अत्यन्त उपेक्षित राज्य है। जहां तक रेल सम्पर्क का सम्बन्ध है, हम सरकार से बार-बार इसमें सुधार का आग्रह करते रहे हैं। न केवल जोगीघोपा में बल्कि डिब्रूगढ़ बोगीबिल में भी नए पुलों के प्रस्ताव हैं। जहां तक बोगीबिल पुल का सम्बन्ध है, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। उत्तर के दूसरे भाग में, मंत्री जी ने बताया है कि कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। मैं कहूंगा कि यह गम्भीरता से दिया गया उत्तर नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पुल को बनाने में कितने वर्ष लगेंगे; क्या यह पुल इस शताब्दी में पूरा हो जाएगा या अगली शताब्दी में; निर्माण कार्य किसे सौंपा गया गया है; और क्या निर्माण कार्य का ठेका देते समय, कोई बिचौलिया भी रखा गया था ?

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : मान्यवर, आप कितने ही सवाल करें, जबाव एक ही आता है।

अध्यक्ष महोदय : वे कैटेलाग तो पता कर लें।

श्री महाबीर प्रसाद : माननीय सदस्य ने पूछा है कि इसमें कितने हैं, मैं बताना चाहता हूं कि इसमें तीन स्रोत से हम काम कर रहे हैं। पहला पूर्वोत्तर परिषद् के धन से, दूसरे भूतल मंत्रालय के जरिए और तीसरे रेलवे के द्वारा। अवधि के बारे में जो पूछा है कि कब तक, तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम संसाधनों पर निर्भर करते हैं लेकिन 1989-90 में रेलवे मंत्रालय ने इस पुल को निर्माण करने के लिए 13 करोड़ रुपया निर्धारित किया है और भूतल परिवहन से 10 करोड़ का आश्वासन है। साथ ही साथ···, (**व्यवधान**)

श्री महाबीर प्रसाद : आप तो बड़े विद्वान सदस्य हैं, गम्भीरतापूर्वक सुनिए।

पूर्वोत्तर परिषद् ने 20 करोड़ देने के लिए आश्वासन दिया है। इस वित्तीय वर्ष 1989-90 में 43 करोड़ का प्रावधान है और इस पर बड़े जोर से काम किया जा रहा है। इस पर अभी तक हमारा विचार केन्द्रित है केवल जोगीघोपा को पूर्ण करने के लिए। इसके बाद ही किसी दूसरे पुल पर विचार करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : मंत्री जी ने अभी बताया कि धर्मनगर कुमारघाट रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन···

अध्यक्ष महोदय : यह तो इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने स्वयं सूचना दी है, इसलिए पूछ रहे हैं।

1989 के दिसम्बर तक यह कमीशन हो जाएगा, लेकिन बहुत धीमी चाल से यह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 53 किलोमीटर के लिए 9 साल लगे। लेकिन त्रिपुरा की मांग खाली धर्मनगर से कुमारघाट तक ही नहीं बल्कि उनकी मांग है धर्मनगर से अगरतला तक। प्रधान मंत्री जी ने भी विधान सभा चुनाव के पहले आश्वासन दिया था कि यह कंस्ट्रक्शन धर्मनगर से अगरतला तक होगा। हम जानना चाहते हैं कि आठवीं पंचवर्षीय परिकल्पना में जो कुमारघाट से अगरतला तक रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, यह परिकल्पना है या नहीं ?

श्री महावीर प्रसाद : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि धर्मनगर से कुमारघाट तक 33 किलोमीटर निर्माण में है और इसे दिसम्बर, 1989 में खोल दिया जाएगा। उसके बाद अगरतला तक निर्माण के लिए अभी कोई निर्णय नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या आश्वासन था प्रधान मंत्री जी का ?

[अनुवाद]

श्री हरेन भूमिज : महोदय, देश में पवित्र गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियां बहती हैं। 800 कि० मी० में गंगा पर आठ पुल हैं। ब्रह्मपुत्र की लम्बाई भी 800 कि० मी० ही है परन्तु इस पर केवल दो पुल हैं। एक पुल रेल व सड़क पुल है और दूसरा सड़क पुल है। पुल बनाने की बात तो छोड़िए, ब्रह्मपुत्र में डिब्रुगढ़ के निकट बोगीबिल में चौथे पुल के निर्माण पर विचार करना भी खटाई में पड़ गया है। राज्य की जनता यह महसूस करती है कि जो राज्य कोयला, तेल, प्लाईवुड और इस देश में पैदा होने वाली कुल चाय का 50 प्रतिशत से भी अधिक भाग पैदा करता है, वह रेल सम्पर्क और सड़क परिवहन के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है; स्वतन्त्रता के 42 वर्ष बाद भी ब्रह्मपुत्र पर केवल दो पुल हैं। जनता की इस धारणा को देखते हुए कि राज्य के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, मैं आपके माध्यम से सरकार की इस बारे में प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं ?

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद : श्रीमन्, जो मूल प्रश्न है, उसका इससे कोई तारतम्य नहीं बैठता है।

पान की टोकरियों की ढुलाई

[अनुवाद]

*866. **श्री अनूप चन्द शाह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बसई रोड स्टेशन पर 19 डाउन गाड़ी द्वारा पान की टोकरियों की नियमित रूप से ढुलाई न किए जाने के कारण जिला थाणे (महाराष्ट्र) के बसई तालुक के व्यापारियों और पान उत्पादकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या रेल विभाग को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या जनवरी और फरवरी, 1989 में कई दिन वी० पी०/एल० आर० के अभाव में पान की टोकरियां बसई रोड पर पड़ी रही थीं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और इस समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

[हिन्दी]

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) बसई रोड से 19 डाउन गाड़ी द्वारा पान के पत्तों के पार्सल यातायात की निकासी में हुई कठिनाइयों के सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) परिचालनिक कठिनाइयों के कारण पश्चिम रेलवे पर पार्सल यानों की अस्थायी कमी। अन्य रेलों से स्थानान्तरित करके पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त पार्सल यानों की व्यवस्था की जा रही है।

श्री अनूप चन्द शाह : स्पीकर सर, हमारे मन्त्री महोदय ने जो रिप्लाई दिया है, मुझे लगता है कि रेलवे एथॉरिटी ने मन्त्री महोदय को कुछ गलत तो नहीं दिया लेकिन अलग तरीके से कुछ ब्रीफ किया गया है। आपने अपने उत्तर के "डी" भाग में बताया है कि "टेम्परेरी शॉर्टेज आफ पार्सल" वगैरह। लेकिन इसमें तो टेम्परेरी शॉर्टेज का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि 19 डाउन हर दिन छूटती है उसके अन्दर आपने यह व्यवस्था की थी कि बसई रोड स्टेशन पर जितने पान मर्चेंट हैं, वह उसमें अपनी पान की टोकरियों को भेज सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि बसई डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जितने पान ग्रोअर्स हैं वह दिल्ली देहरादून तक आते हैं। अगर एक दिन भी उसको लिफ्ट नहीं किया जाता है तो पान ग्रोअर्स को बहुत नुकसान होता है क्योंकि पान शीघ्र खराब होने वाला आइटम है। यह एक बहुत पुराना हमारा दर्द है। 1986-87 के अन्दर मैंने खुद डिविजनल रेलवे मैनेजर को बसई स्टेशन ले जाकर सारी बातें बतायी थीं और वहां उनके साथ चर्चा भी हुई थी। डिविजनल मैनेजर ने उसी समय ऐसा आश्वासन दिया था कि आज के बाद कभी भी इसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन रेलवे के अफसरों की मालप्रेक्टिस की वजह से बम्बई सेन्ट्रल से ही वी० पी०/एल० आर० को फुल कर लिया जाता है और जब बसई स्टेशन आता है तो उसको खोला नहीं जाता है। मुझे आपसे कोई आश्वासन नहीं चाहिए, क्या आप मुझे यह एश्योरेंस दे सकेंगे कि आज के बाद 19 दिन के अन्दर बसई स्टेशन से पान की मार्किट कभी छोड़ी नहीं जाएगी क्योंकि उससे वहां के पान ग्रोअर्स को बहुत नुकसान होता है।

श्री महावीर प्रसाद : श्रीमन्, माननीय सदस्य की भावनाओं से मैं सहमत हूं। यह बात सत्य है कि एक दिन में बसई रोड से 125 टोकरियां पान की चलती हैं और पश्चिमी रेलवे के पास 32 पार्सल-यान उपलब्ध हैं जबकि 34 की आवश्यकता होती है। यह मैंने पहले भी बताया है कि हमारे पास पार्सल-यानों की कमी है। हम यात्री बोगियों को बनाने की प्राथमिकता दे रहे हैं। कपूरथला में हमारी यात्री बोगियां बन रही हैं। यात्री बोगियों के बन जाने के बाद हम पार्सल-यानों को अधिक से अधिक बनाने का प्रयत्न करेंगे। माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि हम दूसरी रेलों से आदान-प्रदान करके इसकी पूर्ति करते हैं। हम अवश्य कोशिश करेंगे व प्रयत्न करेंगे कि किसी प्रकार की कठिनाई न हो और अधिक से अधिक को समायोजित करके उनको इस प्रकार से भेजा जाए।

श्री अनूप चन्द शाह : फिर से मैं वही बात दोहराना चाहता हूं कि जिस दिन वी० पी० और एल० आर० 19 डाउन से नहीं आएंगे, उसी दिन हम समझ सकते हैं कि आपके यहां पार्सल यान की शार्टेज है लेकिन जिस दिन 19 डाउन के अन्दर वी० पी० और एल० आर० आती है और बम्बई सैण्ट्रल से पैक होकर आती है तो उसके बारे में मैंने चीफ आपरेटिंग आफिसर को भी लिखा है, डेटवाइज लिखा है कि किस दिन कितने पार्सल वहां छोड़े गए तो आपसे मेरा नम्र निवेदन है, मैं आपसे पूछना

चाहता हूं कि जिस दिन वहां से पैक आया, बसई में नहीं खुला और बसई के ऊपर पान बास्केट को छोड़ा गया, उसी दिन, जो बम्बई सैण्ट्रल में आफिसर इन्चार्ज थे, उनके खिलाफ में इन्क्वायरी करके आप कोई कार्यवाही करेंगे क्या ?

श्री महावीर प्रसाद : श्रीमन्, माननीय सदस्य ने यदि इस प्रकार के कोई पत्र लिखे हैं तो मैं उनको आमन्त्रित करता हूं, वे आयें और मुझसे बात करें और इस प्रकार की कार्यवाही किसी अधिकारी ने उस स्थिति में की है तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्री माणिकराव होडल्य गावित : मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जैसा अभी मेरे साथी शाह साहब ने बताया कि बम्बई की किसी ट्रेन से पार्सल की जो व्यवस्था है, वह कम है, ऐसा मन्त्री जी ने बताया कि जो सड़ने वाली, खराब होने वाली चीजें हैं, वह नहीं लाई जातीं और दूसरी चीजें लाई जाती हैं तो सड़ने वाली चीजें जैसे मछली और पान हैं इनको पार्सल से भेजने की व्यवस्था की जाएगी और सड़ने वाली चीजों को तुरन्त छोड़ा जाएगा या नहीं, मैं यह मन्त्री जी से जानना चाहता हूं ?

श्री महावीर प्रसाद : मैं पहले ही बता चुका हूं कि किस प्रकार की चीजों को हम भेजेंगे।

डा० प्रभात कुमार मिश्र : पान ढुलाई की बात हो रही है तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि कुछ स्टेशनों पर जैसे बिलासपुर, भोपाल, झांसी में प्लेटफार्म पर पान का बिकना ही बन्द कर दिया गया है, अगर पान का बिकना ही बन्द कर दिया गया है तो पान की ढुलाई करने से कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि भगवान की पूजा होती है तो भी भगवान को पान खिलाया जाता है तो क्या रेलवे के मन्त्री महोदय ने पान का बिकना प्लेटफार्म पर बन्द कर दिया है, यह सच बात है क्या ?

श्री महावीर प्रसाद : इस प्रश्न से इसका कोई तारतम्य नहीं है ?

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष जी, इनको समझा दो, भगवान पान खाते हैं तो पान थूकते नहीं हैं।

निर्यात प्रसंस्करण जोन एककों और निर्यातोन्मुखी एककों का विनियमन

[अनुवाद]

*868. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात प्रसंस्करण जोन एकक और निर्यातोन्मुखी एकक अलग-अलग मन्त्रालयों के नियन्त्रणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निर्यात प्रोसेसिंग जोनों सम्बन्धी योजना और शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों सम्बन्धी योजना के लिए नोडीय मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय है। दोनों योजनाओं के अधीन आशय-पत्र

तथा औद्योगिक लाइसेन्स जारी करने सम्बन्धी मामले उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन नियन्त्रित होते हैं, यह अधिनियम उद्योग मन्त्रालय द्वारा शासित होता है। वित्तीय क्लीयरेंस वित्त मन्त्रालय के अनुमोदन के अध्यधीन है।

श्री चिन्तामणि जेना : महोदय, हम सभी जानते हैं कि निर्यातोन्मुखी एककों और निर्यात प्रोसैसिंग जोनों की स्थापना अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने और उच्च प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए की गई थी। परन्तु माननीय मन्त्री के उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि वाणिज्य मन्त्रालय नोडीय मन्त्रालय है परन्तु अन्य दो मन्त्रालय, अर्थात् उद्योग एवं वित्त मन्त्रालय, भी इससे सम्बद्ध हैं। उनके कामकाज से भी वाणिज्य मन्त्रालय अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। यह बात कुछ मिनट पहले श्री पाटिल के एक दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार की है। अत: क्या मैं माननीय मन्त्री जी से पूछ सकता हूं कि इन दोनों निर्यातोन्मुखी एककों और निर्यात प्रोसैसिंग जोनों को एक ही छत्रछाया में लाने के लिए या इन तीनों मन्त्रालयों के बीच अधिक समन्वय स्थापित करने के लिए सरकार का क्या विचार है? मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे कि हालांकि निर्यातोन्मुखी एकक अपना 25 प्रतिशत उत्पाद स्वदेशी बाजार में बेच रहे हैं, तथापि जब उन्हें साम्य पूंजी या विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है तब वे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आ जाते हैं। परन्तु निर्यात प्रोसैसिंग जोन में स्थित एककों पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम लागू नहीं होता है। यह भेदभाव है। क्या मैं माननीय मन्त्री जी से पूछ सकता हूं वाणिज्य मन्त्रात्रय का इस विषय में क्या विचार है ताकि इस भेदभाव को हटाया जा सके और हम अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें जिसके लिए यह एकक स्थापित किए गए हैं?

श्री दिनेश सिंह : महोदय, जैसाकि मैं पहले ही कह चुका हूं, हमारा प्रयास है कि बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए और प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए।

श्री चिन्तामणि जेना : क्या ऐसी कोई विदेशी कम्पनियां हैं जो हमारे निर्यात प्रोसैसिंग जोन का केवल 25 प्रतिशत उत्पादन स्वदेशी बाजार में बेचने के लिए शोषण करने का प्रयास कर रही हैं जिससे हमारे उद्यमियों को कठिनाई हो रही है? इस बारे में क्या मैं पूछ सकता हूं कि वाणिज्य मन्त्रालय ने इसका क्या समाधान निकाला है ताकि हमारे उद्यमियों को ऐसी कठिनाई न हो और विदेशी कम्पनियां भी उनका शोषण न करें?

श्री दिनेश सिंह : महोदय, हमें ऐसी कठिनाइयों की कोई जानकारी नहीं है।

महाराष्ट्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा धनराशि

*869. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा धनराशि कुल कितनी थी;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य में कितनी धनराशि के ऋण दिए गए;

(ग) राज्य में ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहां राशि अधिक जमा कराई गई और ऋण कम राशि के दिए गए या राशि कम जमा कराई गई और ऋण अधिक राशि के दिए गए; और

(घ) इस असन्तुलन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फ्लैरो) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों में महाराष्ट्र राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल जमा राशियां और बकाया ऋण राशियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(राशि : करोड़ रुपए)

	दिसम्बर, 1986	दिसम्बर, 1987	दिसम्बर, 1988
जमा राशियां	16,349.73	18,369.50	21,583.01
अग्रिम	13,043.73	13,966.66	15,296.47

भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1987 के अन्त में महाराष्ट्र के सभी जिलों में जमाराशियां अग्रिमों से अधिक थीं। बैंकों को अपनी निवल मांग और सावधि देयताओं के सम्बन्ध में कुछ सांविधिक प्रारक्षित अनुपात बनाए रखना होता है। अतः बैंकों द्वारा दी गई कुल ऋण राशि कुल जमाराशियों से कम ही होगी।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश वी० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी द्वारा दिए गए उत्तर से पता चलता है कि महाराष्ट्र सरकार ने 2: हजार करोड़ रुपए की राशि जमा करा दी है और आपने 15 हजार करोड़ रुपए एडवांस दिए हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एग्रीकल्चर लोन कम करने के लिए चार परसेंट रिजर्व बैंक को लिख कर भेजा हुआ है। इसमें दो परसेंट महाराष्ट्र सरकार देगी और दो परसेंट स्टेट को-आपरेटिव बैंक देगा, ऐसी व्यवस्था में रिजर्व बैंक को कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक को परमीशन देने में हिचकिचाहट क्यों है—यह मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं ?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फ्लैरो : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। परन्तु यह माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। यह सामान्यतः जमा राशि और ऋण सम्बन्धी प्रश्न है। सहकारी बैंकों द्वारा दी गई रियायतों और उनकी ब्याज दर से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। मुझे खेद है परन्तु यदि माननीय सदस्य एक पृथक सूचना दें तो मैं बाद में उसका उत्तर दे दूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश वी० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको स्टेट के बारे में बताना चाहता हूं कि असन्तुलन हो रहा है, स्टेट के अन्दर ही रीजनल इम्बैलेंस हो रहा है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अर्थ आयोग या डवलपमेंट बोर्ड बनाने के बारे में आपके पास कोई प्रपोजल आया है ? यदि आया है, तो क्या आप इस सम्बन्ध में करना चाहते हैं ?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हमें महाराष्ट्र सरकार से बैंकों से सम्बन्धित कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि महाराष्ट्र राज्य में क्षेत्रीय असन्तुलन है। उदाहरण के तौर पर, बम्बई, पुणे आदि क्षेत्रों में सी० बी० अनुपात बहुत अधिक है और देश के अन्य क्षेत्रों जैसे कोंकण, जहां का मैं निवासी हूं, में यह अनुपात बहुत कम है। हम बैंकों के कार्यकलापों और राज्य सरकार के सहयोग से इस क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करना चाहेंगे।

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण : महोदय, सरकारी विभागों का धन कतिपय जिलों में कतिपय बैंकों में जमा होता है। ऐसा नियम नहीं है बल्कि यह एक कार्य पद्धति है कि धनराशि किसी बैंक विशेष में जमा की जाती है। परन्तु मेरे जिले में, सरकारी पैसा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में जमा होता है तथा कुछ अन्य जिलों का पैसा भारतीय स्टेट बैंक में जमा होता है। यह पैसा स्वतः ही जमा हो जाता है। इसलिए उन्हें वहां जाकर पैसा जमा कराने के लिए कहना नहीं पड़ता। यदि आप कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करें तो आप देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण या धनराशि के अधिकांश मामलों में उनका कार्य निष्पादन बहुत ही खराब है और साथ-साथ बहुत अधिक राशि वहां जमा होती है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार इस विषय में विचार करके सुनिश्चित करेगी कि जिस बैंक, और विशेष तौर पर शहरी सहकारी बैंक, का कार्य निष्पादन अच्छा रहा है, उसमें सरकारी विभागों का धन जमा किया जाए। यदि इस योजना को लागू कर दिया जाता है तो उस बैंक में राशि जमा की जाएगी जिसका कार्य निष्पादन अच्छा होगा तथा ऐसा नहीं होगा कि धनराशि कतिपय बैंकों में ही जमा की जाएगी। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रश्न का उत्तर दें।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, मैं माननीय सदस्य के सुझाव की प्रशंसा करता हूं। राज्य सरकार के और केन्द्रीय सरकार के विभागों को इस अच्छे सुझाव को लागू करना चाहिए। जहां तक असन्तुलन का सम्बन्ध है, मैं अपनी बात यही कहकर समाप्त करूंगा कि जिस जिले के माननीय सदस्य निवासी हैं, वह एक विशेष सुविधा प्राप्त जिला है जहां का सी० डी० अनुपात 91 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय औसत 60 प्रतिशत है। अतः यहां स्थिति बहुत अच्छी है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तेलुगु-गंगा परियोजना

*865. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेलुगु-गंगा परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कोई प्रयास करने का है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) इसमें अन्तर्राज्यीय मुद्दे शामिल होने के कारण, परियोजना को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। इनको हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बम्बई में सोना पकड़ा जाना

*867. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**
श्री प्रकाश चन्द्र :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 अप्रैल, 1989 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बम्बई में 17 लाख रुपए का सोना पकड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए/कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) जी, हां। विशेष सूचना पर कार्यवाही करते हुए, राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने 5 अप्रैल, 1989 को वर्ली, बम्बई में डा० आर० जी० थडानी मार्ग पर सत्यनारायण भवन की तीसरी मंजिल पर फ्लैट नं० 305 में स्थित आवासीय परिसरों की तलाशी ली। इस तलाशी के परिणामस्वरूप, विदेशी मार्के के 45 सोने के बिस्कुट बरामद किए गए जिनका कुल मिलाकर वजन 450 तोले था और मूल्य लगभग 16.80 लाख रु० था। सोने के उक्त बिस्कुटों को जब्त कर लिया गया था।

(ग) एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ग्रस्त पाए गए व्यक्ति पर विभागीय न्याय निर्णयन कार्यवाहियों में अर्थदण्ड लगाया जा सकता है तथा न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है।

विदेशी पूंजी निवेश के मानदण्ड

*870. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय कम्पनियों के विदेशी पूंजी के निवेश को प्रोत्साहन देने अथवा निरुत्साहित करने के नए मानदण्ड निर्धारित करने के बारे में सोच रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने पर अधिक बल देने का विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो अन्य कौन से मानदण्डों पर विचार किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) हमारी निवेश नीति की आधारभूत व्यवस्था का निरूपण औद्योगिक नीति विषयक संकल्प सहित विभिन्न दस्तावेजों में उपलब्ध है, जिसके अन्तर्गत औद्योगिक गतिविधियों के एक विस्तृत क्षेत्र में तकनीकी और वित्तीय सहयोग सम्पन्न करने की अनुमति है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को बैंक ऋण

[हिन्दी]

871. **श्री हरीश रावत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए जाने वाले ऋणों का कुछ निश्चित प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को देने के लिए विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को कोई अनुदेश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न बैंकों ने इन अनुदेशों का पालन किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने इन अनुदेशों का पालन नहीं किया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) बीस सूत्री कार्यक्रम का मुख्य जोर गरीबी हटाने पर है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) गांवों की गरीबी पर वार करने का ऋण से जुड़ा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई है कि सहायता प्राप्त परिवारों में से कम से कम 30% परिवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के होने चाहिए।

2. वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से अखिल भारत स्तर पर जिला वार सूचना प्राप्त नहीं होती है। अलबत्ता, उत्तर प्रदेश राज्य में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त कुल परिवारों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के परिवारों का प्रतिशत 19: 7-88 में 47.91 और 1988-89 (जनवरी 1989 तक) 46.55 था।

रेलवे को बिजली की सप्लाई के लिए एक समान मूल्य दर

[अनुवाद]

*872. **डा० बी० एल० शैलेश** :
श्री जी० एस० बासवराजु :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों में कोयले के ढुलाई प्रभार के रूप में रेल विभाग को भारी राशि अदा करनी है, यदि हां, तो ऐसे राज्य बिजली बोर्डों के नाम क्या हैं और उन पर बकाया राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) वसूली के लिए रेल विभाग का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या ये राज्य बिजली बोर्ड रेलवे को सप्लाई की जाने वाली बिजली की दरों में बार-बार और तदर्थ रूप से वृद्धि करते रहते हैं;

(घ) क्या रेलवे द्वारा कोयले की सप्लाई रोकने की चेतावनी देने पर ये बोर्ड रेलवे को विद्युत की सप्लाई भी कम कर देते हैं जिसके परिणामस्वरूप रेल सेवाएं प्रभावित होती हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का रेलवे को सप्लाई की नई विद्युत की एक समान मूल्य दर निश्चित करने के लिए कोई सूत्र तैयार करने का विचार है जिससे कि बोर्ड निर्धारित दर से अधिक विद्युत दरें वसूल न कर सकें; और

(च) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां। एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) रेलें राज्य बिजली बोर्डों के पास बकाया राशि की शीघ्र वसूली के प्रश्न पर विभिन्न स्तरों पर निरन्तर लिखा-पढ़ी कर रही हैं। ये प्रयास जारी रहेंगे।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) रेलवे कर्षण के लिए लागत पर आधारित ऊर्जा टैरिफ तैयार करने के लिए एक अन्तर्मंत्रालय समिति का गठन किया गया था तथा उसकी रिपोर्ट पर सचिवों की एक समिति द्वारा विचार किया गया था लेकिन भारतीय विद्युत अधिनियम के उपबन्धों को देखते हुए रेलों के लिए वांछित राहत की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

विवरण

क्र०सं०	राज्य बिजली बोर्डों के नाम	28-2-1989 को भाड़ा प्रभार की देय राशि (अन्य प्रभारों को छोड़कर)
		(आंकड़े करोड़ रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	0.10 रुपए
2.	असम राज्य बिजली बोर्ड	0.68 रुपए
3.	बिहार राज्य बिजली बोर्ड	5.34 रुपए
4.	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	11.36 रुपए
5.	गुजरात बिजली बोर्ड	54.37 रुपए
6.	हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड	12.56 रुपए
7.	कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड	0.32 रुपए
8.	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	11.06 रुपए
9.	राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड	2.16 रुपए
10.	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड	5.89 रुपए
11.	तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड	3.88 रुपए
12.	उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	73.41 रुपए
13.	पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	6.14 रुपए
	जोड़ :	187.27 रुपए

हुंडियों पर ब्याज घटाने की मांग

***873. श्री पी० एम० सईद :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल महासंघ ने हुंडियों पर ब्याज घटाने के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं, जिससे कि हुंडियों द्वारा भुगतान की लागत कम की जा सके और सरकारी उपक्रम नकदी के स्थान पर हुंडियों को स्वीकार कर सकें और हुंडियों द्वारा भुगतान कर सकें;

(ख) क्या सरकार ने उद्योगों को अपने वाणिज्यिक लेन-देन में सहायता करने के लिए प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के प्रयोजनार्थ अन्य देशों में चल रही पद्धति का अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ ने हुंडियों द्वारा वित्त पोषण की लागत को कम करने के वास्ते कुछ सुझाव दिए थे। अन्य देशों में प्रचलित वाणिज्यिक व्यवहार प्रणाली का अध्ययन करने के बाद तथा अन्य सम्बद्ध बातों को दृष्टिगत रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में हुंडी संस्कृति (बिल कलचर) को प्रोत्साहन देने का निश्चय किया। अत: हुंडी भुनाई की ब्याज दरें, बड़े एककों की नकद ऋण/ओवर ड्राफ्ट सीमाओं के लिए निर्धारित न्यूनतम ऋण दरों से कम रखी गई है।

केरल को वित्तीय सहायता

*874. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार को वर्ष 1988-89 के दौरान योजना के अन्तर्गत स्कीमों के लिए आबंटित अनुदानों के अतिरिक्त कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) अनुदान किन प्रयोजनों के लिए दिए गए और प्रत्येक प्रयोजन के लिए कितनी धन-राशि दी गई;

(ग) क्या इस प्रकार दी गई वित्तीय सहायता का राज्य सरकार ने पूरा उपयोग किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वित्तीय अनुदानों का पूरा उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89 के दौरान केरल सरकार को राज्य की वार्षिक योजना तथा उस वर्ष की केन्द्रीय/केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त 498.66 करोड़ रुपए की कुल राशि दी गई थी जो नीचे दिए गए अनुसार थी :—

(करोड़ रुपयों में)

मद	धनराशि	प्रयोजन
1	2	3
(1) केन्द्रीय करों और शुल्कों में हिस्सा	371.16	आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्य को संसाधनों का अन्तरण।
(2) रेल यात्रा भाड़े के बदले अनुदान	3.02	—तदैव—

1	2	3
(3) प्रशासन के स्तर को ऊंचा उठाने हेतु अनुदान	2.52	आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर प्रशासन के स्तरों में सुधार लाने हेतु।
(4) लघु बचतों के निवल संग्रहणों के प्रति ऋण	111.28	लघु बचत संग्रहणों में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहन।
(5) बाढ़ राहत के लिए केन्द्रीय सहायता		बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राहत तथा पुनर्वास और बाढ़ों के कारण क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्ति के अनुरक्षण/पुनः बहाल करने हेतु।
(1) योजना-भिन्न अनुदान	5.74	
(2) सीमांत धन का केन्द्र का हिस्सा	2.50	
(6) 1987-88 के सूखे के कारण केन्द्रीय सहायता/1988-89 में आगे लाया गया व्यय इत्यादि	2.44	1987-88 के सूखे के कारण सूखे से प्रभावित व्यक्तियों के लिए सहायता उपलब्ध कराने के निमित्त।
जोड़ :	498.66	

(ग) और (घ) वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत राज्य को दिए गए केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में हिस्सा तथा रेल-यात्री भाड़े के बदले अनुदान सामान्य सहायता की किस्म के थे और इस तरह उनका दिया जाना किसी विशिष्ट प्रयोजन से सम्बन्ध नहीं रखता। इसी प्रकार, राज्य में निवल संग्रहण के आधार पर दिए गए लघु बचत ऋण भी किसी विशिष्ट प्रयोजन से सम्बद्ध नहीं थे।

प्रशासन के स्तरों के उन्नयन के लिए केन्द्रीय सहायता तथा प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत स्कीमों की प्रगति/उनके पूरा होने के आधार पर दी गई थी।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा महिला उद्यमियों को ऋण

[हिन्दी]

*875. **श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश की कितनी महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है;

(ख) आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद ऋण देने में औसतन कितना समय लगता है;

(ग) क्या महिला उद्यमियों को बैंक ऋण देने में अधिक समय लगा था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस दिशा में क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि उसने मध्य प्रदेश राज्य में 1986 में 3012, 1987 में 3816 और 1988 में 4824 महिला उद्यमियों को ऋण दिये।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्ग निर्देशों के अन्तर्गत 25,000 रुपए तक के ऋण आवेदन पत्रों की दो सप्ताह के अन्दर-अन्दर और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्य आवेदन पत्रों की आठ से नौ सप्ताह के अन्दर-अन्दर मंजूरी देनी होती है। स्टेट बैंक आफ इन्दौर से सूचित किया है कि महिला उद्यमियों सहित सभी ऋणकर्ताओं से प्राप्त आवेदन पत्रों को निपटाने में उसकी शाखाओं द्वारा सामान्यतया इस समय सीमा का पालन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जब भी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उपचारात्मक कारंवाई के लिए उनकी जांच की जाती है।

बिहार की बड़ी एवं मझोली सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना

[अनुवाद]

*876. **श्री कुंवर राम** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की उन तीन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति क्या है जिन्हें सातवीं योजना-अवधि के दौरान पूरा किया जाना था; और

(ख) मझोली सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) अपर कियुल, पश्चिमी कोसी नहर तथा उत्तरी कोइल नामक तीन बृहद सिंचाई परियोजनाओं में से पहली परियोजना के पूरा हो जाने की आशा है तथा अन्य दो आठवीं योजना में आगे लाई जाएंगी।

(ख) 27 निर्माणाधीन तथा 18 नई मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से पहली वाली में से 14 के सातवीं योजना में पूरी हो जाने की आशा है।

उड़ीसा की "लोअर इंदिरा परियोजना" का कार्यान्वयन

*877. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की लोअर इंदिरा परियोजना की मूल अनुमानित लागत क्या थी;

(ख) क्या इस परियोजना की लागत में भारी वृद्धि हुई है; यदि हां, तो बढ़ी हुई लागत क्या है;

(ग) इस परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) कार्यान्वयन में देरी के क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की विभिन्न टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए 56.55 करोड़ रुपए की मूल अनुमानित लागत की इस परियोजना को संशोधित करने के वास्ते राज्य सरकार को लौटा दिया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत रेल परियोजनाएं

*878. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित नई रेलवे-लाइन संबंधी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा निर्माण हेतु किन-किन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं का कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) पश्चिम रेलवे पर तीन चालू नयी रेलवे लाइन परियोजनाएं निर्माण के लिए अनुमोदित की गई हैं, वे हैं—(1) कपड़वंज-मोडासा; (2) कोटा-चित्तौड़गढ़-नीमच; और (3) गोधरा-दाहोद-इन्दौर और देवास-मक्सी।

कपड़वंज-मोडासा और कोटा-चित्तौड़गढ़-नीमच परियोजनाओं पर कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है। गोधरा-दाहोद-इन्दौर और देवास-मक्सी परियोजना को 1989-90 के रेलवे बजट में ही शामिल किया गया है। इस परियोजना पर कार्य शुरू करने के लिए प्रारम्भिक व्यवस्था 1989-90 में ही की जाएगी।

विदेशी पूंजी निवेश सूत्र को उदार बनाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सुझाव

*879. **श्री एस० एम० गुरड्डी** :
श्री शांतिलाल पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत वर्तमान विदेशी पूंजी निवेश सूत्र को उदार बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इस सुझाव से किस हद तक सहमत हुई है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

टेट्रापैक प्रस्ताव

*880. **डा० वी० विजय रामाराव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल टेट्रापैक प्रस्ताव इस शर्त पर स्वीकृत किया गया था कि लेमीनेशन के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री शत प्रतिशत स्वदेशी होगी;

(ख) क्या इस शर्त का पालन किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि निर्धारित शर्तों का पालन किया जाए जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हो सके; और

(घ) उल्लंघन करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

भारतीय नौवहन ऋण एवं निवेश कम्पनी से सहायता मांगने वाले मत्स्यन एककों को इक्विटी पूंजी में बढ़ोतरी

*881. **श्री दौलत सिंह जी जवेजा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे मत्स्यन एककों के लिए, जो अपने एकक पुनः चालू करने के लिए भारतीय नौवहन ऋण एवं निवेश कम्पनी से सहायता चाहते हैं, यह आवश्यक है कि वे भारतीय नौवहन ऋण एवं निवेश कम्पनी द्वारा पहले से निर्धारित प्रतिशत के आधार पर अपनी इक्विटी पूंजी में बढ़ोतरी करें;

(ख) यदि नहीं, तो भारतीय नौवहन ऋण एवं निवेश कम्पनी से जो मत्स्यन एकक अपने एकक पुनः चालू करने के लिए सहायता चाहते हैं, उनकी इक्विटी पूंजी में वृद्धि करने हेतु कम्पनी द्वारा क्या मानदण्ड अपनाया जा रहा है;

(ग) क्या मत्स्यन एकक को अतिरिक्त इक्विटी पूंजी जुटाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (घ) भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी लिमिटेड ने सूचित किया है कि मत्स्यन कम्पनियों के पुनरुद्धार प्रस्तावों पर विचार करते समय, उनकी इक्विटी पूंजी में वृद्धि करने की कोई निश्चित प्रतिशतता नहीं है । जुटाई जाने वाली अतिरिक्त इक्विटी की सीमा का निर्धारण करने के लिए मोटे तौर पर जो मापदण्ड अपनाए जाते हैं, उनका सम्बन्ध उस कम्पनी की शुद्ध मालियत, विगत वित्तीय कार्यनिष्पादन, भावी लाभप्रदत्ता के पूर्वानुमानों और सम्बन्धित एकक की समग्र भावी लाभप्रदत्ता पर अतिरिक्त इक्विटी के प्रभाव से होता है ।

सीमेंट का आयात

8142. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988 में सरकार ने राज्यों की विभिन्न नियुक्त एजेंसियों के माध्यम से खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत सीमेंट आयात करने की अनुमति दी थी;

(ख) क्या सीमेंट का आयात वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए ही किया गया था;

(ग) क्या इन नियुक्त एजेन्सियों में दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड एक एजेंसी थी;

(घ) क्या दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने सीमेंट के आयात और वितरण के के लिए एजेन्ट नियुक्त किए थे;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने आयात नीति का उल्लंघन कर सीमेंट की खुले बाजार में बिक्री की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) हां, आयात नीति, 1982-83 के अंतर्गत ।

(ख) और (ग) जी हां ।

(घ) से (छ) आयात नीति, 1982-83 के पैराग्राफ 119 (3) के अन्तर्गत आयातक एजेंसियों को केवल ऐसे ऐसे वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए सीमेंट का आयात करना अपेक्षित था जिन्होंने आयातक एजेंसी के पास अपनी निश्चित मांग दर्ज कराई हो। मै० बाइफोर्ड लि० को दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम लि० द्वारा सीमेंट के आयात तथा वितरण व्यवस्था के लिए अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था । डी० एस० सी० एस० सी० एजेंटों द्वारा आयात नीति का उल्लंघन करते हुए सीमेंट की बिक्री के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है ।

पश्चिम और मध्य रेलवे जोनों में श्रमिक सहकारी समितियां

8143. **श्री कैलाश यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम और मध्य रेलवे में श्रमिक सहकारी समितियां बनी हैं; और

(ख) यदि हां, तो दोनों जोनों के सम्बन्ध में पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) इस समय पश्चिम रेलवे पर छः श्रमिक सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं जिनमें से पांच समितियां माल तथा पार्सल की सम्हलाई के लिए हैं और एक समिति केवल पार्सल की सम्हलाई के लिए है । मध्य रेलवे के भुसावल मण्डल में अकोला में एक श्रमिक सहकारी समिति है जो मुर्तजापुर स्टेशन पर माल/पार्सल और यानान्तरण ठेके की सम्हलाई के लिए है ।

रेलवे द्वारा भूमि का अधिग्रहण

[हिन्दी]

8144. **श्री आर० एन० यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उन परिवारों के एक सदस्य को रोजगार देने का विचार है जिनकी भूमि रेलवे प्रशासन द्वारा अपने प्रयोग के लिए अधिग्रहित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे व्यक्तियों को आयु तथा शैक्षिक योग्यता में छूट दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) इस आशय के अनुदेश मौजूद हैं कि जब रेलों पर परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिगृहीत की जाए तो ऐसे अधिग्रहण के कारण विस्थापित हुए व्यक्ति या उसकी पत्नी/पुत्र या पुत्री की ग्रुप "सी" या ग्रुप "डी" या सम्बन्धित संगठन में नैमित्तिक श्रमिक के रूप में तैनाती करने के बारे में तरजीह के आधार पर विचार किया जा सकता है । यह इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट कुछ शर्तों पर निर्भर करता है । किसी भी हालत में ऐसे नियोजन को प्रति परिवार एक नौकरी तक सीमित रखा जाता है ।

(ग) और (घ) नियमानुसार ऐसे मामलों में सम्बन्धित कोटियों में भर्ती के लिए आयु और शैक्षिक अर्हताओं को शासित करने वाली विनिर्दिष्ट शर्तों में कोई छूट नहीं दी जाती है। बहरहाल, भूमि अधिग्रहण के वैयक्तिक मामले में, परिस्थितियों के अनुसार, यदि आवश्यक हुआ, तो विनिर्दिष्ट आयु सीमा में छूट देने के बारे में विचार किया जाता है।

रेलवे द्वारा तिरूपति (आन्ध्र प्रदेश) में भूमि का अधिग्रहण

8145. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे ने तिरूपति रेल मरम्मत कर्मशाला स्थापित करने के लिए 5 मई, 1984 को आन्ध्र प्रदेश के तिरूपति जिले में सेट्टीपल्ला गांव के लोगों की भूमि अधिगृहीत की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1984 में तिरूपति रेलवे डिवीजन द्वारा जिन व्यक्तियों की भूमि अधिगृहीत की गई थी, उनमें से कितने व्यक्तियों को रेलवे में रोजगार दिया गया है; और

(घ) कितने व्यक्तियों को अभी तक रोजगार नहीं दिया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिगृहीत की गयी थी तथा सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, तिरूपति के लिए दक्षिण मध्य रेलवे को सौंप दी गयी थी।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) नियोजन के लिए 238 व्यक्तियों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। 60 व्यक्ति पात्र पाए गए थे और उन्हें नियोजन की पेशकश की गयी थी। आयु, निर्धारित आयु से कम/अधिक होने, निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं से कम अर्हता होने, दावेदार का परिवार के सदस्यों से इतर होने आदि की वजह से पात्र न होने के कारण 178 व्यक्तियों को नियोजन की पेशकश नहीं की जा सकी थी।

विवरण

गांव सेट्टिपाल्ला

क्रम संख्या और सर्वे नं०	भूमि एकड़ में	पंजीकृतधारक या काबिज का नाम
1	2	3
20/1	12.16	एम० वेंकट सुब्बैया
20/2	1.50	सी० रमैया चेट्टि
20/3	0.09	पी० तुलसम्मा
20/4	0.01	पी० देवराजू
20/5	0.02	ओगिलप्पा

1	2	3
20/6	0.22	नरायना स्वामी
20/7	0.03	टी० वेंकट गुरुनाथन
20/8	0.03	के० गोविन्दस्वामी
20/9	6.18	एस० आर० वेंकटसुब्बैया
20/13	0.59	श्रीमती यासम्मा
20/14	5.09	सी० श्री निवासाचारिलू
20/15	1.51	के० सुब्रमण्यन
20/16	0.41	सुब्रमण्यन
20/17	0.41	एम० गोविन्दस्वामी
20/18	0.26	टी० मुनैया
20/19	0.59	कृष्णैया
20/20	0.57	आर० सुब्रमण्यन
20/21	0.21	ए० गुरवैया
20/23	0.17	के० चेंगैया
20/24	0.16	के० वेंकटामुनि
20/25	0·16	के० हरेबिल्दैया
20/26	0.23	गुरवैया
20/27	0.69	आर० गोपाल
20/28	0.57	के० पेद्दा बेचैया
20/30	0.10	के ब्रमण्यन
20/31	0.50	के० चेंगैया
20/32	0.54	के० गुरवैया
20/33	0.62	के० सुब्रमण्यन
20/34	0.10	के० गोविन्दस्वामी
20/35	0.21	टी० डिब्बैया
20/36	0.11	वाई० सुब्रमण्यन
20/37	0.72	के० कृष्णैया
20/38	0.26	टी० डिब्बैया
20/39	0.11	के० कृष्णैया

1	2	3
20/40	0.24	चेंचू वतैया
20/41	0.47	चेंगम्मा
20/42	0.37	पी० मुनैम्म
20/43	0.21	पेड्डा मुवैया
20/44	0.07	सी० गवैया
20/45	0.04	के० चेगैया
20/46	1.36	के० वेंकटरमैया
20/47	0.06	के० चेंदरैया
20/48	0.21	पेड्डा गोविन्दैया
20/49	0.03	के० चेंदरैया
20/50	0.69	के० श्रीनिवासुलू
20/51	0.25	के० सुब्रमण्यन
20/52	0.03	वेंकटसुब्बैया
20/53	0.10	पी० रमैया
20/54	0.05	पी० गोविन्दैया
20/55	0.22	पी० कृष्णैया
20/56	0.41	के० चेंगैया
20/57	0.05	के० मुनैया
20/58	0.05	डी० पेड्डामुनेम्मा
20/59	0.15	चिन्ना सिद्दैया
20/60	0.06	के० सुब्रमण्यन
20/61	0.10	के० गार्टम्मा
20/62	0.16	के० कृष्णम्मा
20/63	0.08	के० वगैया
20/64	0.21	जे० पेड्डामुनेम्मा
20/65	0.05	जे० कृष्णैया
20/66	0.04	पेड्डा चेंगैया
20/67	0.10	मुनैया
20/68	0.12	के० वेंकटरायुलू

1	2	3
20/69	0.10	के० सिदैया
20/70	0.22	एम० मुनैबा
20/71	0.27	थेला गगैया
20/72	0.12	टी० गुरुवैया
20/73	0.07	वाई० वेंकटरमैया
20/74	0.02	के० मुनैम्मा
20/75	0.07	के० सुब्रमण्यन
20/76	0.08	के० सुबैया
20/77	0.08	के० वेंकटरायुलू
20/78	0.15	के० सुब्रमण्यनम
20/79	0.36	के० गंगैया
20/80	0.07	के० सिद्दैया
20/81	0.31	के० सुब्रमण्यम
20/82	0.12	के० वेंकटमुनि
20/83	0.24	एस० गोविन्दैया
20/84	0.07	कृष्णैया
20/85	0.34	के० चेंगैया
20/86	0.26	के० मुनैया
20/87	0.25	के० कृष्णैया
20/88	0.21	के० वेंकटमुनि
20/89	1.04	के० सुब्रमण्यनम
20/90	0.31	जल्ली पेड्डमुनैया
20/91	0.62	जाल्ली पुलैया
20/92	0.34	जे० पेड्डामुनैम्मा
20/93	0.64	सिद्दा मुनैम्मा
20/94	0.30	डी० श्रीनिवासुलू
20/95	0.31	जे० चिन्नासिद्दैया
20/96	0.15	के० जयारमैया
20/97	0.25	पी० सिद्दामुनि

1	2	3
20/98	0.13	पुलैया
20/99	0.10	पुण्डला वेंकटैया
20/100	0.01	सिद्दामुनि
20/101	0.06	टी० वेंकटैया
20/102	0.99	चिन्ना इरगैया
20/103	0.20	पुलैया
20/106	0.62	रजैया
20/107	0.16	के० वेंकटरायुलू
20/108	0.13	के० सिद्दैया
20/109	0.01	टी० चेंगैया
20/110	0.03	टी० गुरवैया
20/111	0.08	शिवलिंगैया
20/112	0.15	मुनैया
20/113	0.17	के० सुब्रमण्यनम
20/114	0.46	टी० पेड्डा चेंगैया
20/115	0.96	चेंगलरायुलु
20/116	0.32	चेंगैया
20/117	0.89	के० चिन्ना सुब्बैया
20/118	0.35	जे० नदीपैया
20/119	0.84	टी० गंगैया
20/120	0.13	चिन्ना इरगैया
20/121	0.24	कृष्णैया
20/123	0.96	वी० वेंकटम्मा
20/124	0.54	चेंचैया
20/125	0.79	श्रीमती राजम्मा
20/126	0.26	पेड्डा सुबैया
20/127	0.38	वेंकट सुब्बैया
20/128	0.05	कृष्णैया

1	2	3
20/129	0.41	गोविन्दैया
20/130	0.15	पेद्दा सुब्बैया
20/131	0.38	कृष्णैया
20/133	0.55	चिन्ना इरगैया
20/134	0.75	चेंगैया
20/135	0.22	सुब्बारमैया
20/136	0.19	मुनैया
20/137	0.29	मुनि चेंगैया
20/138	0.25	चेंगैया
20/139	0.21	सुब्बैया
20/140	0.24	रमैया
20/141	0.18	सुब्बैया
20/142	0.30	चेंगैया
20/143	0.32	नगैया
20/144	0.30	सुब्बैया
20/145	0.57	श्रीमती लक्षम्मा
20/146	0.11	सुब्बैया
20/147	0.20	नजैया
20/148	0.17	सुब्बैया
20/149	0.15	चिन्ना इरगैया
20/150	0.17	रमैया
20/151	0.21	चेंगैया
20/152	0.24	कालहस्ती मुसलैया
20/153	0.35	के० सुब्बारमैया
20/154	0.65	के० चेंगैया
20/155	0.90	मूर्तिलैया
20/156	0.79	वेंकटसुब्बैया
20/157	0.37	नगैया
20/158	0.42	गोविन्दैया

1	2	3
20/159	0.10	नगैया
20/160	1.04	श्रीमती लक्षम्मा
20/161	0.54	श्रीमती नंगम्मा
20/162	0.37	रमैया
20/164	0.25	गोविन्दैया
20/165	0.20	के० कृष्णैया
20/166	0.20	के० चिन्ना सुब्बैया
20/167	0.30	पेद्दा सुब्बैया
20/168	0.36	चिन्ना सिद्दैया
20/169	0.44	श्रीमती सुन्दरम्मा
20/170	0.22	बचैया
20/171	0.21	श्रीमती कृष्णम्मा
20/172	0.25	श्रीमती गरतम्मा
20/174	0.45	के० बचैया
20/175	0.57	श्रीमती गरतम्मा
20/176	0.75	श्रीमती कृष्णतम्मा
20/177	0.31	
20/178	1.93	श्रीमती मुनेम्मा
20/179	0.99	चेंगैया
20/180	0.17	वेंकट चेंगैया
20/181	0.84	श्रीमती पेद्दा मुनम्मा
20/182	0.45	श्रीमती यलम्मा
20/183	2.42	चिन्ना कण्णैया
जोड़ :	82.67	

बीड़ी उद्योग से प्राप्त राजस्व

[अनुवाद]

8146. श्री आयनल अबेदिन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीड़ी उद्योग से वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान राजस्व के रूप में राज्यवार कितनी धनराशि वसूल की गई;

(ख) क्या यह राजस्व अथवा इसका कुछ भाग राज्यों में बांट दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें से विभिन्न राज्यों को वर्षवार कितनी धनराशि दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) बीड़ियों से प्राप्त केन्द्रीय उत्पादन शुल्क राजस्व के राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, बीड़ियों सहित सभी शुल्क्य जिन्सों से वसूल किए गए मूल तथा विशेष उत्पादन शुल्कों की निवल प्राप्तियों में से 45 प्रतिशत राशि राज्यों के बीच बांट दी जाती है । आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की निवल प्राप्तियों में से संघ शासित क्षेत्रों के लिए 2.391 प्रतिशत राशि निकालकर, शेष राशि राज्यों के बीच बांट दी जाती है । तथापि, केवल बीड़ियों से ही प्राप्त हुई केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वह राशि जो राज्यों को बांटी गई है, उसके सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं हैं ।

विवरण

बीड़ियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के राज्यवार तथा वर्षवार आंकड़े

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	राज्य	1985-86	1986-87	1987-88
1.	महाराष्ट्र	1242	1254	1362
2.	गुजरात (1)	36	35	37
3.	तमिलनाडु (2)	2031	2073	2404
4.	कर्नाटक	2119	1948	2335
5.	आंध्र प्रदेश (3)	2368	2307	2614
6.	केरल (4)	541	540	590
7.	पश्चिम बंगाल (5)	1161	320	1468
8.	उड़ीसा	141	157	178
9.	बिहार	736	752	809
10.	उत्तर प्रदेश	875	965	1120
11.	मध्य प्रदेश	3060	3162	3220
12.	राजस्थान	154	157	156
13.	असम (6)	16	16	17

(1) इसमें दादर और नागर हवेली, दमन और दीव भी शामिल हैं।

(2) इसमें पांडिचेरी तथा मालाकिपारा चाय फैक्ट्री रेंज, जो केरल के त्रिचूर जिले के मुकुन्दपुरम तलूक के पेरियारन गांव का एक भाग है, शामिल है, परन्तु इसमें गांव यनम का माहे कम्यून शामिल नहीं है।

(3) इसमें संघ शासित राज्य पांडिचेरी का गांव यनम भी शामिल है।

(4) इसमें लक्षद्वीप तथा संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी का माहे कम्यून शामिल है परन्तु इसमें केरल के त्रिचूर जिले के मुकुन्दपुरम तलूक के पेरियारन गांव के मलाकीपाड़ा चाय फैक्ट्री रेंज क्षेत्र शामिल नहीं है।

(5) इसमें सिक्किम, अण्डमान और निकोबार द्वीप भी शामिल हैं।

(6) इसमें मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश शामिल है।

एन० बी० : हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गोवा राज्यों से बीड़ियों से वसूल किए गए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

जापान के बैंकों में इण्डियन नेशनल आर्मी की धनराशि

8147. **श्री एन० डेनिस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा गठित इण्डियन नेशनल आर्मी की बहुत बड़ी धनराशि अब भी जापान के बैंकों में है;

(ख) क्या किसी अन्य देश के बैंकों में भी धनराशि जमा है; और

(ग) इस धनराशि को भारत लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) सरकार को इस सम्बन्ध में विदेशों में स्थित बैंकों में पड़े हुए धन के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

मैं० संचयी सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट के विरुद्ध शिकायतें

8148. **श्री रेणुपद दास** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को संचयी इन्वेस्टर्स एसोसिएशन, राजस्थान, मैं० संचयी सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) सरकार को संचयनी इन्वेस्टर्स एसोसिएशन खेतड़ी नगर, राजस्थान से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें एसोसिएशन ने मैसर्स संचयनी सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा दावों

का भुगतान न करने और कम्पनी द्वारा जारी किए गए चैकों के नकोर जाने की शिकायत की है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

मैसर्स संचयनी सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लिमिटेड एक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कम्पनी है। ऐसी कम्पनियों के कार्यकलापों को नियन्त्रित करने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कम्पनियां (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1987 के नाम से नए मार्गनिर्देश जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मैसर्स संचयनी सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लिमिटेड ने सितम्बर, 1988 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में अवशिष्ट गैर बैंकिंग कम्पनियां (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1987 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। अत: यह मामला न्यायाधीन है।

जहां तक चैकों के नकारे जाने का सम्बन्ध है, बैंककारी लोक वित्तीय संस्थान एवं परक्राम्य लिखत विधि (संशोधित) अधिनियम, 1988 के उपबन्धों के अनुसार, अप्रैल, 1989 से चैकों का नकारा जाना एक दण्डनीय अपराध माना गया है।

सिलीगुड़ी बाजार रेलवे क्रासिंग पर उपरि पुल

8149. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में क्रासिंग पर सड़क यातायात की भीड़ को समाप्त करने के लिए वहां एक उपरि पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक पूरा किया जाएगा;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस समस्या का हल निकालने के लिए कौन-सा अन्य वैकल्पिक उपाय किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समपार के दोनों ओर घनी आबादी वाले क्षेत्रों को देखते हुए इस स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण करना व्यावहारिक नहीं है।

(घ) सड़क यातायात की समस्या को कम करने के लिए मौजूदा समपार को पर्याप्त चौड़ा कर दिया गया है। इसके अलावा, रेलवे और राज्य सरकार न्यू जलपाईगुड़ी तथा सिलीगुड़ी जंक्शन के बीच की रेल लाइन का महानन्दा नदी के दाहिने तटबंध के साथ-साथ दिक्परिवर्तन करने की व्यावहारिकता की जांच कर रही हैं।

बोधम एक्सप्रेस (दक्षिण मध्य रेलवे) का विलम्ब से चलना

8150. **श्री सोडे रमैया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान सिकन्दराबाद काकीनाड़ा क्षेत्र में बोधम एक्सप्रेस कितने दिन विलम्ब से चली;

(ख) इस गाड़ी के विलम्ब से चलने के क्या कारण हैं; और

(ग) गौतमी एक्सप्रेस द्वारा समय सारणी का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) मुख्यत: चल रहे विद्युतीकरण कार्यों, दुर्घटनाओं और कुछ उपस्करों की खराबी के कारण उत्तर-दक्षिण की ओर चलने वाली गाड़ियों के निर्धारित समय पर न चलने के परिणामस्वरूप गौतमी एक्सप्रेस जनवरी, फरवरी और मार्च, 1989 के दौरान 27 दिन विलम्ब से चली ।

(ग) दक्षिण मध्य रेलवे पर विद्युतीकरण कार्यों के पूरा हो जाने पर समय-पालन में सुधार होगा ।

डलकोहा स्टेशन के निकट रेल ऊपरि पुल

8151. **डा० गुलाम याजदानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर सीमान्त रेलवे में पश्चिम बंगाल के पश्चिम दिनाजपुर जिले में डलकोहा स्टेशन के निकट एक रेल ऊपरि पुल बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो भूमि अधिग्रहण कब और किस स्थान पर किया गया है; और

(ग) कार्य में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां ।

(ख) यह मामला राज्य सरकार से सम्बन्धित है जिसने इस सम्बन्ध में स्थिति के बारे में अभी तक सूचित नहीं किया है ।

(ग) राज्य सरकार ने अभी तक न तो सामान्य प्रबन्ध के लिए नक्शे का अनुमोदित किया है और न ही इस कार्य के लिए अपेक्षित प्रभारों का भुगतान ही किया है जिसे रेलों द्वारा नियमों के अनुसार "निक्षेप शर्तों" के आधार पर शुरू किया जाना है ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए आय सीमा

8153. **श्री आर० एम० भोये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यात्रा भत्ता, अवकाश यात्रा रियायत और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से सम्बन्धित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए आय सीमा में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लेने के फलस्वरूप यात्रा, भत्ता, अवकाश यात्रा रियायत और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से संबंधित लाभों के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए आय सीमा बढ़ा कर 500 रुपये प्रतिमाह कर दी गयी है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों का ढांचा

8154. **श्री एम० बी० रामुलु** : क्या वित्त मंत्री राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल के बारे में

7 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5174 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बैंकों के प्रत्येक निदेशक मंडल के ढांचे का तथा मुख्य प्रबन्ध निदेशकों के कार्याविधि का उनकी नियुक्ति की तारीखों सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे निदेशकों का ब्यौरा क्या है जो पूर्णकालिक निदेशक नहीं है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र में प्रबन्धकों के पदों पर कार्य के अनुभव वाले कुछ व्यक्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों में शामिल करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बैंकिंग क्षेत्र में उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों की वर्तमान संरचना को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निदेशकों का कार्यकाल तथा यह ब्यौरा भी दिया गया है कि क्या वे पूर्णकालिक है या अंशकालिक। वर्तमान में 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों में कोई भी गैर-सरकारी अथवा गैर-कर्मकार कर्मचारी निदेशक नहीं है। लेकिन केवल 7 राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्मकार कर्मचारी निदेशकों के स्थान खाली हैं।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों में पूर्णकालिक तथा अंशकालिक निदेशकों की नियुक्तियां भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीमों में निर्धारित मानदण्ड तथा प्रक्रिया के अनुसार की जाती हैं।

विवरण

20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों की वर्तमान संरचना

क्रम सं०	बैंक का नाम	निदेशक का नाम	पदनाम/प्रतिनिधि-हित	पूर्णकालिक/ अथवा अंशकालिक	कार्यकाल से	कार्यकाल तक
1	2	3	4	5	6	7
1.	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	श्री एम० एन० गोइपोरीया	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	पूर्णकालिक	29-4-85	7-7-92
		श्री एन० एम० मिस्त्री	कार्यपालक निदेशक	पूर्णकालिक	23-6-88	22-6-90
		श्री सी० एच० वेंकटाचलम	कर्मकार निदेशक	अंशकालिक	7-5-87	6-5-90
		श्री ओ० पी० सोढापी	भा० रि० बैंक निदेशक	अंशकालिक	7-4-88	केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर्यन्त
		श्री म० नी० बुच	सरकारी निदेशक	अंशकालिक	26-6-86	—तदैव
2.	बैंक आफ इण्डिया	श्री आर० श्रीनिवासन	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	पूर्णकालिक	24-6-87	29-5-91
		श्री जी० जी० कृष्णामूर्ति	कर्मकार निदेशक	अंशकालिक	31-10-86	30-10-89
		कु० आई० टी० वाज	भार० रि० बैंक निदेशक	अंशकालिक	11-11-88	केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर्यन्त
		श्री मनीश चन्द्र सत्यवादी	सरकारी निदेशक	अंशकालिक	13-9-85	—तदैव—
3.	पंजाब नेशनल बैंक	श्री जे० एस० वार्ष्णेय	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	पूर्णकालिक	22-2-85	7-7-89
		श्री राशिद जीलानी	कार्यपालक निदेशक	पूर्णकालिक	2-7-87	1-7-92

1	2	3	4	5	6	7
		श्री टी० पी० घोरे	कर्मकार निदेशक	अंशकालिक	27-1-87	26-1-90
		श्री वी० पी० साहनी	सरकारी निदेशक	अंशकालिक	8-10-87	
		श्री के० पी० कुलकर्णी	भा० रि० बैंक निदेशक	अंशकालिक	11-11-88	केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर्यन्त
4.	बैंक आफ बड़ौदा	श्री प्रेमजीत सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	पूर्णकालिक	29-4-85	31-3-90
		डा० ए० सी० शाह	कार्यपालक निदेशक	पूर्णकालिक	25-2-86	24-5-89
		श्री के० आई० तलरेजा	कर्मकार निदेशक	अंशकालिक	1-10-88	30-9-91
		कु० वी० विश्वनाथन	भा० रि० बैंक निदेशक	अंशकालिक	11-11-88	केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर्यन्त
		श्री अजय कुमार अग्रवाल	सरकारी निदेशक	अंशकालिक	6-10-86	—तदैव—
5.	यूको बैंक	श्री एम० एम० शेणाई	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	पूर्णकालिक	2-8-86	1-8-91
		श्री हरभजन सिंह	कार्यपालक निदेशक	पूर्णकालिक	14-12-88	13-12-90
		श्री ए० के० बोस	भा० रि० बैंक निदेशक	अंशकालिक	17-9-87	केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर्यन्त
		श्री अजय कुमार अग्रवाल	सरकारी निदेशक	अंशकालिक	6-10-86	—तदैव—
6.	केनरा बैंक	श्री एन० डी० प्रभू	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	पूर्णकालिक	21-9-88	28-8-91
		श्री यू० एस० राव	कर्मकार निदेशक	अंशकालिक	18-8-87	17-8-90
		श्री पी० के० पार्थसार्थी	भा० रि० बैंक निदेशक	अंशकालिक	11-11-88	केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर्यन्त
		श्री एम० सी० सत्यवादी	सरकारी निदेशक	अंशकालिक	13-9-85	—तदैव—

1	2	3	4	5	6	7
7.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	श्री जे० वी० शेट्टी	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	पूर्णकालिक	12-10-88	11-10-93
		श्री पी० डे	कर्मकार निदेशक	अंशकालिक	20-5-87	19-5-10
		श्री एस० ए० हुसैन	भा० रि० बैंक निदेशक	अंशकालिक	6-3-89	केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर्यन्त
		श्री एम० एन० बुच	सरकारी निदेशक	अंशकालिक	26-6-86	—तदैव—
8.	देना बैंक	श्री जी० एस० दोहोत्रे	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	पूर्णकालिक	9-6-88	8-6-93
		श्री एस० दोरैस्वामी	कार्यपालक निदेशक	पूर्णकालिक	9-6-88	8-6-93
		श्री सी० ए० पाठक	कर्मकार निदेशक	अंशकालिक	22-4-87	21-4-90
		श्री ए० पी० कुरियास	भा० रि० बैंक निदेशक	अंशकालिक	22-6-87	केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर्यन्त
		श्री मन्त्रेश्वर झा	सरकारी निदेशक	अंशकालिक	9-9-86	—तदैव—
9.	सिंडिकेट बैंक	श्री पी० एस० वी० मल्लया	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	पूर्णकालिक	5-9-86	4-9-91
		श्री के० लक्ष्मी नारायणन	कार्यपालक निदेशक	पूर्णकालिक	23-6-88	22-6-90
		श्री बी० एम० कारकेरा	कर्मकार निदेशक	अंशकालिक	26-6-87	25-6-90
		श्री आर० के० चौधरी	भा० रि० बैंक निदेशक	अंशकालिक	11-11-88	केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर्यन्त
		श्री एम० एन० बुच	सरकारी निदेशक	अंशकालिक	3-5-88	—तदैव—
10.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	श्री बी० डी० दीक्षित	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	पूर्णकालिक	29-4-89	14-7-90
		श्री युवराज करन	कार्यपालक निदेशक	पूर्णकालिक	6-3-89	22-5-91

1	2	3	4	5	6	7
		श्री एम० के० मंडल	कर्मकार निदेशक	अंशकालिक	12-11-87	11-11-90
		श्री के० एन० भार्गव	भा० रि० बैंक निदेशक	अंशकालिक	3-8-88	केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर्यन्त
		श्री मन्त्रेश्वर झा	सरकारी निदेशक	अंशकालिक	29-12-88	—तदैव—
11.	इलाहाबाद बैंक	श्री आर० एल० वाधवा	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	पूर्णकालिक	28-4-88	27-4-93
		श्री एस० एम० चिटणीस	कार्यपालक निदेशक	पूर्णकालिक	6-6-88	5-6-93
		श्री बी० के० बसु	भा० रि० बैंक निदेशक	अंशकालिक	22-6-87	केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर्यन्त
		श्री एस० के० पुरकायस्था	सरकारी निदेशक	अंशकालिक	6-1-86	—तदैव—
12.	इण्डियन बैंक	श्री एम० गोपालकृष्णन	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	पूर्णकालिक	8-12-88	7-12-93
		श्री बी० बी० शेट्टी	कार्यपालक निदेशक	पूर्णकालिक	14-12-88	13-12-90
		श्री वी० सुब्रह्मण्यम	भा० रि० बैंक निदेशक	अंशकालिक	22-6-87	केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर्यन्त
		श्री ए० के० अग्रवाल	सरकारी निदेशक	अंशकालिक	2-2-89	—तदैव—
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	श्री एन० एस० भागुजी	कर्मकार निदेशक	अंशकालिक	1-7-87	30-6-90
		श्री एन० डी० परमेश्वरन	भा० रि० बैंक निदेशक	अंशकालिक	6-3-89	केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर्यन्त
		श्री प्रदीप कुमार	सरकारी निदेशक	अंशकालिक	29-12-88	—तदैव—

1	2	3	4	5	6	7
14.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	श्री पी० एस० गोपालकृष्णन	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	पूर्णकालिक	5-12-87	4-12-92
		श्री ए० नराशि वायम	कार्यपालक निदेशक	पूर्णकालिक	24-6-88	23-6-90
		श्री डी० एस० रामचन्द्रा	भा० रि० बैंक निदेशक	अंशकालिक	7-4-88	केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर्यन्त
		श्री मन्त्रेश्वर झा	सरकारी निदेशक	अंशकालिक	26-6-86	—तदैव—
15.	आंध्र बैंक	श्री के० आर० नायक	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	पूर्णकालिक	21-4-88	14-6-92
		श्री ए० टी० अकोलकर	कार्यपालक निदेशक	पूर्णकालिक	31-5-88	9-3-93
		श्री वी० के० राव	कर्मकार निदेशक	अंशकालिक	28-2-89	27-2-92
		श्री आर० रामानुजम	भा० रि० बैंक निदेशक	अंशकालिक	6-3-89	केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर्यन्त
		श्री एस० के० पुरकायस्था	सरकारी निदेशक	अंशकालिक	26-6-86	—तदैव—
16.	कारपोरेशन बैंक	श्री वाई० एस० हेगड़े	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	पूर्णकालिक	16-2-83	15-5-89
		श्री के० आर० रामामूर्ति	कार्यपालक निदेशक	पूर्णकालिक	24-6-88	23-6-90
		श्री टी० आर० वेंकटरामन	भा० रि० बैंक निदेशक	अंशकालिक	4-2-87	केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर्यन्त
		श्री वाई० पी० सेठी	सरकारी निदेशक	अंशकालिक	17-1-89	—तदैव—
17.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	श्री आर० सी० सुनेजा	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	पूर्णकालिक	16-3-85	15-3-93
		श्री जे० सेठी	कार्यपालक निदेशक	पूर्णकालिक	13-10-88	12-10-93
		श्री एस० एस० रानाडे	भा० रि० बैंक निदेशक	अंशकालिक	16-4-87	केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर्यन्त
		श्री सी० डब्ल्यू० मीरचन्दानी	सरकारी निदेशक	अंशकालिक	19-8-88	—तदैव—

1	2	3	4	5	6	7
18.	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	श्री एस० पी० तलवार	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	पूर्णकालिक	7-4-88	6-4-93
		श्री एस० के० सोनी	कार्यपालक निदेशक	पूर्णकालिक	1-6-88	31-5-93
		श्री आर० के० जालान	भा० रि० बैंक निदेशक	अंशकालिक	3-11-87	केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर्यन्त
		श्री मन्त्रेश्वर झा	सरकारी निदेशक	अंशकालिक	17-1-89	—तदैव—
19.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	श्री एम० एस० चहल	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	पूर्णकालिक	5-1-89	4-1-92
		श्री आर० एस० बैरा	कर्मकार निदेशक	अंशकालिक	7-2-86	संशोधित स्कीम के प्रावधानों के कारण निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं।
		श्री एम० एल० टी० फर्नाण्डीस	भा० रि० बैंक निदेशक	अंशकालिक	6-4-89	केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर्यन्त
		श्री एम० एन० बुच	सरकारी निदेशक	अंशकालिक	29-12-88	—तदैव—
20.	विजया बैंक	श्री के० सदानन्दा शेट्टी	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	पूर्णकालिक	8-6-87	7-6-92
		श्री के० शिवराम	कार्यपालक निदेशक	पूर्णकालिक	3-7-87	21-6-92
		श्री आर० दमोदरन	कर्मकार निदेशक	अंशकालिक	12-3-87	11-3-90
		श्री जे० एस० ठक्कर	भा० रि० बैंक निदेशक	अंशकालिक	7-4-88	केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर्यन्त
		श्री सी० डब्ल्यू० मीरचन्दानी	सरकारी निदेशक	अंशकालिक	1-8-83	—तदैव—

चितरंजन लोकोमोटिव द्वारा वस्तुओं की खरीद

8155. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या रेल मंत्री चितरंजन लोकोमोटिव द्वारा वस्तुओं की खरीद के बारे में 7 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5187 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चितरंजन लोकोमोटिव द्वारा आयात पर व्यय की जाने वाली धनराशि में कमी करने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं और उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे आयात किया जा रहा है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के किसी एक ऐसे उपक्रम का नाम बताएं जिसे गत छः महीने के दौरान सूची में शामिल किया गया है और क्या कोई आर्डर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकारी क्षेत्र के उस एकक का नाम क्या है जिसने 1985-86 से 1987-88 की अवधि में 15.21 करोड़ रुपए का माल सप्लाई किया है; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र में सप्लाई को बढ़ावा देने के लिए और क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) पश्चिमी जर्मनी, स्विटजरलैंड, हंगरी, आस्ट्रिया, यू० के०, यू० एस० ए०, जापान, फ्रांस और इटली। चि० रे० का० द्वारा उन देशी फर्मों को विकासात्मक आर्डर प्रस्तुत करके आयात की मात्रा कम करने के लिए संगठित प्रयास किए जा रहे हैं जो चि० रे० का० द्वारा 2 लाख रुपए से अधिक मूल्य की मदों की खरीद के लिए विज्ञापित/आमंत्रित की गयी विश्व निविदाओं के लिए दरें निवेदित करती हैं। विकासात्मक आर्डर सफलतापूर्वक पूरे कर लेने के बाद मद को आयात की सूची से हटा लिया जाता है।

(ख) मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स/मैसर्स एच० एम० टी० को 2.15 करोड़ रुपये मूल्य का आर्डर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मै० बी० एच० ई० एल०, आई० ओ० सी०, एम० एम० टी० सी०, एन० जी० ई० एफ०, बी० बी० जे० एल० तथा ई० सी० एल०।

(ङ) 2 लाख रुपये से अधिक मूल्य की खरीद विज्ञापित/विश्व निविदाओं के माध्यम से की जाती है तथा जहां-कहीं सरकारी उपक्रम की यूनिटें दरें निवेदित करती हैं उन्हें मूल्य में अनिवार्यतः 10 प्रतिशत की अधिकतम छूट दी जाती है बशर्ते प्रस्तावित उत्पाद की गुणवत्ता तथा निर्धारित शर्तें उपयुक्त हों।

पोटाशियम पेन्सिलीन पांच के लिए आयात नीति

8156. **श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोटाशियम पेन्सिलीन-पांच के आयात के लिए वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन एककों को राहत देने का है जिन्हें पोटाशियम लाइसेस नहीं दिए गए पौटाशियम पेन्सिलीन पांच के लिए आयात लाइसेंस नहीं दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) यह निर्णय किया गया है कि पैन्सिलिन-वी के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी और 6 ए० पी० ए० के सभी विनिर्माता 6 ए० पी० ए० के उत्पादन के लिए पेन्सिलिन-जी का प्रयोग करेंगे।

(ख) और (ग) ऐसे एकक प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर पैन्सिलिन-जी के हकदार होंगे।

आर्थिक-अपराधियों पर छापे

8157. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान जनवरी, 1989 तक आर्थिक अपराधियों पर मारे गए छापों के क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए;

(ग) अब तक कितने आर्थिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया तथा इन्हें कम से कम एवं अधिक से अधिक कितनी अवधि तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा गया; और

(घ) देश के प्रत्येक राज्य में 1 जनवरी, 1989 को ऐसे कितने अपराधी जेलों में बन्द थे ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) फरवरी, 1987 से जनवरी, 1989 तक की अवधि के दौरान आयकर तस्करी निवारण तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों ने लगभग 805 करोड़ रुपए की लेखा बाह्य परिसम्पत्ति व माल पकड़ा। इस अवधि के दौरान 5688 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

(ग) और (घ) कोफेपोसा अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक नजरबन्द नहीं किया जा सकता है तथा किसी व्यक्ति को किसी भी हालत में दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नजरबन्द नहीं रखा जा सकता है।

31-1-89 की स्थिति के अनुसार 1056 व्यक्ति कोफेपोसा के अन्तर्गत वस्तुतः नजरबन्द थे। राज्यवार आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते।

इन्जीनियरी उद्योग महासंघ का मलेशिया का दौरा

8158. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्जीनियरी उद्योग महासंघ के एक उच्च स्तरीय औद्योगिक मिशन ने मलेशिया का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय तकनीकी वस्तुओं के निर्यात तथा मलेशिया में संयुक्त उद्यमों की स्थापना संबंधी इसके आकलन का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) इन्जीनियरी उद्योग महासंघ के औद्योगिक मिशन के आकलन में भारतीय तकनीकी वस्तुओं के निर्यात तथा संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अच्छी संभावना है।

निगमित करों में कमी करना

8159. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन में यह सुझाव दिया गया है कि देश में दो वर्षों की अवधि में स्थापित सभी प्रकार की कम्पनियों में सम्बन्ध में सांविधिक निगमित कर की दरें दस प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन का ब्यौरा क्या हैं तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध से सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के पांजा) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने माह सितम्बर, 1988 के अपने आकस्मिक दस्तावेजों में "प्राइवेट निगम क्षेत्र पर आर्थिक नीति का प्रभाव वर्ष 1970-71 से 1987-88 तक" विषय पर अपने अधिकारियों में से एक अधिकारी द्वारा किए गए एक अनुसंधान-अध्ययन के आधार पर कुछ निष्कर्षों को प्रकाशित किया था। उक्त अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया गया है : यह आम धारणा निराधार प्रतीत होती है कि भारतीय निगमित क्षेत्र पर अधिक कर लगाया जाता है; अनेक वित्तीय प्रोत्साहनों तथा रियायतों के कारण भारत में निगमित क्षेत्र पर प्रभावी कर दरों में उस स्तर तक कमी आई है जिनकी कुछेक विकसित अर्थव्यवस्थाओं से तुलना की जा सकती है अथवा यहां तक कि ये दरें उनसे भी कम हैं, निगम आयकर में 10 प्रतिशत की कमी करके देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है तथा कर में छूट सम्ब्रन्धी उपायों को वित्तीय रियायतों को प्रोत्साहनों आदि की समीक्षा तथा घटौती के साथ जोड़ा जा सकता है।

सरकार की नीति को बनाते समय ऐसे सभी अध्ययनों के निष्कर्षों को, जिस समय भी ये उपलब्ध होते हैं, ध्यान में रखा जाता है।

भारत के साथ व्यापार करने के सम्बन्ध में अमरीकी वाणिज्य मंडल का सुझाव

8160. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी वाणिज्य मंडल ने अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि से अमरीकी प्रतिद्वन्दिता से संभावित रूप से प्रभावित होने वाले एशियाई और लैटिन अमरीकी देशों के साथ-साथ भारत के काम का उल्लेख इस आशय से करने के लिए कहा है कि भारत उन देशों को अपनी तथा कथित प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं को बदलने के लिए बाध्य करे;

(ख) यदि हां, तो भारत से अमरीका को किए जाने वाले निर्यात पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) अमरीकी बहु-प्रयोजन व्यापार तथा प्रतिस्पर्धात्मक अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 310) के तथाकथित 'सुपर 301' प्रावधानों के अन्तर्गत अग्रता व्यापार रुकावटों तथा विरूपणों को अभिज्ञात करने के सम्बन्ध में सार्वजनिक टिप्पणियां करने के लिए किए गए एक अनुरोध के प्रत्युतर में, अमरीकी चैम्बर आफ कामर्स ने अमरीकी व्यापार प्रतिनिधियों को पत्र लिखा है जिसमें यह विचार व्यक्त किया गया है कि ऐसी

प्रथाएं विशेष रूप से ब्राजील, भारत जापान और दक्षिण कोरिया में प्रचलित हैं और इस पर कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है।

इस तथाकथित 'सुपर 301' धारा के अन्तर्गत यू० एस० टी० आर० से यह अपेक्षा की गई है कि वह ऐसी बरीयता प्रथाओं का प्रथाओं का पता लगाए जिसको समाप्त करना सम्भवतः इसलिए अधिक महत्वपूर्ण होगा कि इससे अमरीका से निर्यात बढ़ाने की पर्याप्ति सम्भावना है। इसके अतिरिक्त, यू० एस० टी० आर० से यह भी अपेक्षा की गई है कि वह इन प्रथाओं की संख्या और इनके व्यापक प्रचलन के आधार पर अग्रणी विदेशों का पता लगाए। वर्ष 1988 के व्यापार अधिनियम की तथाकथित "स्पेशल 301" धारा के अन्तर्गत यू० ए० टी० आर० से अपेक्षा की गई है कि वह ऐसे बाहरी देशों का पता लगाए जोकि बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को पर्याप्त और प्रभावी संरक्षण प्रदान नहीं करते अथवा आई० पी० आर० संरक्षण में आस्था रखने वाले अमरीकी नागरिकों को बाजार में प्रवेश पाने के उचित तथा समान अवसर प्रदान नहीं करते। इन देशों में से यू० एस० टी० आर० को ऐसे देशों का भी पता लगाना चाहिए जिन्हें वह 'प्राथमिकता' बाहरी देश मानता है।

(ख) भारत के आयात पर पड़ने वाले अप्रत्यक्ष प्रभाव अमरीकी प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेंगी तथा अथवा इस बात पर भी निर्भर करेंगे कि क्या वे वास्तव में प्रतिकारात्मक उपाय किए जाने का निर्णय लेते हैं।

(ग) सरकार अमरीकी कार्रवाई को अनुचित समझती है क्योंकि उसने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का पालन नहीं किया तथा यह गाट दायित्वों का उल्लंघन है। उसका उद्देश्य भारत के हितों की रक्षा करने के लिए मामले पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से विचार करना है।

पिछड़े क्षेत्रों में परियोजनाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता

8161. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में किन-किन परियोजनाओं की स्थापना के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने सहायता के रूप में ऋण मंजूर किए और प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि मंजूर की गई; और

(ख) इन सावधि ऋण प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं के पास कौन-कौन-सी परियोजनाएं मंजूरी के लिए लम्बित हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) कैलेण्डर वर्ष 1988 के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम द्वारा अधिसूचित पिछड़े जिलों में मजूर की गई सहायता का विवरण निम्नलिखित है :—

(करोड़ रुपए)

संस्थान	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर की गई राशि
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	394	1422.82
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	443	856.30
भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम	279	835.43

टिप्पणी :—वित्तीय संस्थाओं द्वारा कंसार्शियम वित्तपोषण को देखते हुए कम्पनियों की संख्या को जोड़ा नहीं गया है।

सरकारी वित्तीय संस्थाओं को नियन्त्रित करने वाले कानूनों और बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसार अलग-अलग ग्राहकों के खातों से सम्बन्धित ब्यौरा प्रकट नहीं किया जाता।

आय निर्धारण का सरल तरीका

8162. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ श्रेणियों में आय का निर्धारण करने के एक सरल तरीके की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे सरकार को कितना लाभ होगा ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) हाल ही में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। फिर भी, सरलीकरण निरन्तर चलने वाली एक प्रक्रिया है।

(ख) और (ग) इनके प्रश्न ही नहीं उठते हैं।

व्यवसाय कर

8163. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में सर्वप्रथम व्यवसाय-कर लागू किया गया था;

(ख) प्रत्येक राज्य में कर की प्रतिशतता कितनी है;

(ग) यह कर कितने राज्यों में वसूल किया जा रहा है; और

(घ) क्या यह कर आयकर से मुक्त है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) यह कर अलग-अलग राज्यों में स्लैब-आधार पर लगाया जा रहा है।

(ग) 14 राज्यों में।

(घ) व्यवसाय कर कारबार अथवा व्यवसाय चला रहे किसी व्यक्ति द्वारा अदा किए जाने के नाते उसके कराधेय लाभों की गणना करते समय इसे घटा दिया जाना अनुज्ञेय है।

पंजाब में लोक अदालतें

8164. **श्री कमल चौधरी** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** पजाब में लोक अदालतों के बारे में 2 दिसम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3014 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मामलों के शीघ्र निपटान हेतु पंजाब में वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के

दौरान कितनी लोक अदालतों का आयोजन किया गया था, इन लोक अदालतों द्वारा कितने मामलों का निपटान किया गया और क्या पंजाब में अब भी काफी संख्या में मामले लम्बित पड़े हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाने का विचार किया गया ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति के पास उपलब्ध जानकारी वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान पंजाब में कोई लोक अदालत आयोजित नहीं की गई है और इसीलिए न तो लोक अदालत ने कोई मामला निपटाया है और न ही कोई मामला (उसके समक्ष) लम्बित है। विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति के समक्ष कहा गया है कि राज्य में विधिक और व्यवस्था की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण लोक अदालतें आयोजित नहीं की जा सकती हैं।

सामान पर शुल्क की अग्रिम अदायगी

8165. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश जाने वाले व्यक्तियों द्वारा लाए जाने वाले सामान पर शुल्क की अग्रिम अदायगी सम्बन्धी योजना लागू कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह योजना सरकारी राजस्व के लिए लाभदायक होगी और यदि हां, तो किस तरह; और

(घ) क्या इससे विदेश जाने वाले व्यक्तियों को विदेशों में और अधिक सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) विदेश जाने वाले व्यक्तियों द्वारा लाए जाने वाले माल पर सीमा-शुल्क की अग्रिम अदायगी के लिए वित्त मन्त्रालय द्वारा न कोई स्कीम तैयार ही की गई है और न ही ऐसा किए जाने का कोई विचार ही है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया द्वारा लीज पर लिए गए रिहायशी मकान

8166. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1982 से 1 अप्रैल, 1987 की अवधि के दौरान जिन मकान मालिकों ने अपने मकान उत्तरी क्षेत्र में यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया को उसके अधिकारियों के लिए रिहायशी उद्देश्य हेतु अपने मकान लीज पर दिए थे, लीज की अवधि समाप्त होने पर बैंक अधिकारियों को अपने मकान खाली कराने के लिए अनुरोध कर रहे हैं;

(ख) क्या उसी अवधि के दौरान यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया ने कुछ मकानों को खाली कर दिया था और कुछ को खाली करने से मना कर दिया था;

(ग) यदि उपरोक्त (क) और (ख) का उत्तर हां में है, तो खाली किए गए और खाली न किए लीज के मकानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) लीज अवधि समाप्त होने के पश्चात् मकान खाली न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि उसके द्वारा पूर्वांचल में किराए पर लिए गए परिसरों के कुछ मालिकों से उसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें उन परिसरों को खाली करने का अनुरोध किया गया था। बैंक द्वारा इन अभ्यावेदनों पर विचार किया गया और वर्ष 1982 से मार्च, 1989 तक की अवधि के दौरान, बैंक ने 12 परिसर खाली कर दिए। बैंक ने आगे चलकर यह भी बताया है कि अन्य मामलों में परिसर अभी तक खाली नहीं किए गए हैं क्योंकि बैंक को अभी इन परिसरों की जरूरत है।

बैंकों में लिपिकों के पदों हेतु प्रतियोगी परीक्षायें

8167. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिपिकों के पदों को भरने हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, जयपुर तथा बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, दिल्ली द्वारा किया जाने वाला है;

(ख) यदि हां, तो ये परीक्षायें किन-किन तिथियों को आयोजित की जायेंगी;

(ग) यदि दोनों परीक्षायें एक ही तिथि को आयोजित की गई हैं तो क्या बोर्डों को अलग-अलग तिथि निश्चित करने का परामर्श दिया जाएगा ताकि उम्मीदवार दोनों परीक्षाओं में बैठ सकें।

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) बताया गया है कि बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड दिल्ली और बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड जयपुर ने लिपिक ग्रेड की परीक्षाएं आयोजित करने की तारीख 25 जून, 1989 निर्धारित की है। इन बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा परीक्षाएं अलग-अलग तारीखों पर आयोजित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

बुक स्टाल ठेके की शर्तें

8168. **डा० एस० जगतरक्षकन** : क्या **रेल मंत्री** बुक स्टालों के ठेकेदार के बारे में 7 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5289 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न जोनल रेलों द्वारा किए गए बुक-स्टाल समझौतों की भाषा और शर्तों में कुछ बिभिन्नता को समाप्त करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) बुक स्टाल के ठेके क्षेत्रीय रेलों द्वारा आबंटित किए जाते हैं और वे रेल मन्त्रालय द्वारा जारी की गयी कतिपय दिशा-निर्देशों के भीतर बुक स्टाल करारों के नियम एवं शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम हैं।

उड़ीसा में बैंक शाखाएं खोलना

8169. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वर्ष 1989-90 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं खोलने का विचार है;

(ख) उड़ीसा के कटक जिले के सबडिवीजन जाजपुर में इस अवधि के दौरान कितनी शाखाएं खोले जाने का विचार है; और

(ग) जाजपुर सब-डिवीजन के किन-किन स्थानों पर ये शाखाएं खोले जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उड़ीसा राज्य सरकार से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए प्राप्त पता लगाए गए केन्द्रों की सूची तथा बैंकों द्वारा शहरी और महानगरीय क्षेत्रों लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के आधार पर 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत बैंकों को उड़ीसा में शाखाएं खोलने के लिए मार्च, 1989 के अन्त तक 203 पात्र केन्द्र आबंटित किए हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत केन्द्रों का आबंटन ब्लाक-वार किया जाता है न कि उप-मंडल-वार आधार पर। फिर भी, वर्तमान नीति के अन्तर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक ने कटक जिले में बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए 17 ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी केन्द्र आबंटित किए जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

केन्द्र का नाम	ब्लाक का नाम
1. दर्पण	बर्चना
2. बाहरी	—तदैव—
3. बीरीबाटी	कटकसदर
4. बरौन	जाजपुर
5. नाथसाही	—तदैव—
6 सागरा	नरसिंहपुर
7. आलारा	—तदैव—
8. कृष्ण प्रसाद	नियालि
9. बड़पदा	पटामुंडाई
10. जयनगर	राजाकनिका
11. बरडिया	—तदैव—
12. सिरिलो	रघुनाथपुर
13. कराडीबन्द	बडम्बा
14. चंडीबनोमूला	राजनगर
15. करोडोगोला	—तदैव—
16. ईश्वरपुर	—तदैव—
17. संकेश्वर हाट	तिरतोल

नई दिल्ली और बम्बई बरास्ता बेलापुर, अहमदनगर तथा धोंड के बीच सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाना

8170. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो महीनों के दौरान नई दिल्ली से बम्बई तथा बम्बई से नई दिल्ली को चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस, फ्रन्टियर मेल और डीलक्स एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की प्रतीक्षा सूची में औसतन कितने व्यक्ति थे;

(ख) क्या इन दो महानगरों के बीच बढ़ते हुए भारी यातायात को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली और बम्बई, बरास्ता बेलापुर, अहमदनगर और धोंड जंक्शन के बीच एक नई सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) फरवरी और मार्च, 1989 के दौरान प्रतीक्षा सूची में रहे यात्रियों की दैनिक औसत संख्या इस प्रकार थी :

बम्बई सेन्ट्रल

151 राजधानी एक्सप्रेस	115
3 फ्रंटियर मेल	191
25 डीलक्स एक्सप्रेस	198

नई दिल्ली

152 राजधानी एक्सप्रेस	47
4 फ्रंटियर मेल	31
26 डीलक्स एक्सप्रेस	55

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा की कलिंग बला सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन से जलमग्न क्षेत्र

8171. **श्री हरिहर सोरन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश द्वारा उड़ीसा और अपने राज्य की सीमा पर कलिंग बला सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप उड़ीसा के अनेक गांव और काफी बड़ा वन क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप काफी संख्या में लोग विस्थापित हो जाएंगे;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना के कार्यान्वयन को रोकने पर विचार कर रही है; और

(घ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) लघु सिंचाई स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण एवं क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपने योजनागत संसाधनों से किया जाता है और इन्हें केन्द्र सरकार को किसी प्रकार के निर्बाधन हेतु नहीं भेजा जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार अप्रैल, 1988 से निष्पादित की जा रही कलिंग दला लघु सिंचाई सतही परियोजना से केवल आंध्र प्रदेश राज्य में ही 107 हेक्टेयर क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा और कोई आरक्षित वन जलमग्न नहीं होगा। आंध्र प्रदेश में करदालू गांव जलमग्न हो जाएगा, जिससे 30 परिवार तथा 150 लोग विस्थापित होंगे, जबकि उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि उड़ीसा के लगभग छः गांवों के जलमग्न होने की सम्भावना है। उपर्युक्त मामले के सम्बन्ध में दोनों राज्य सरकारों के बीच बातचीत चल रही है।

रेलवे में डाक्टरों के रिक्त स्थान

8172. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में विभिन्न श्रेणियों में डाक्टरों के अनेक स्थान रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रीय रेलवे-वार तथा श्रेणी-वार रिक्त स्थानों की संख्या कितनी है;

(ग) खड़गपुर अस्पताल में, पद-वार तथा श्रेणी-वार, रिक्त स्थानों की संख्या कितनी है;

(घ) इन रिक्तियों को भरने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) डाक्टरों की कमी को दूर करने के लिए, जिसके कारण रोगियों को अत्यधिक असुविधा होती है सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रेलों पर 2478 डाक्टरों की कुल स्वीकृत संख्या की तुलना में इस समय 205 स्पष्ट रिक्तियां हैं। इन रिक्तियों का रेलवे-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्रम सं०	रेलवे	डाक्टरों की स्पष्ट रिक्तियां
1.	मध्य	22
2.	पूर्व	34
3.	उत्तर	39
4.	पूर्वोत्तर	11
5.	पूर्वोत्तर सीमा	9
6.	दक्षिण	14
7.	दक्षिण मध्य	6
8.	दक्षिण-पूर्व	39
9.	पश्चिम	31
	जोड़	205

पद का विशेषज्ञता-वार कोटीकरण नहीं किया गया है।

(ग) खड़गपुर अस्पताल में 31 डाक्टरों की स्वीकृत संख्या की तुलरा में 6 पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों का पदवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

मुख्य अस्पताल अधीक्षक	—	1
चिकित्सा अधीक्षक	—	2
मंडल चिकित्सा अधिकारी	—	1
सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी	—	2

(घ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गए उम्मीदवारों में से कई चिकित्सकों द्वारा पद भार ग्रहण न करने के कारण मौजूदा पद रिक्त हैं।

(ङ) संघ लोक सेवा आयोग से और अधिक संख्या में उम्मीदवार प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा विभिन्न क्षेत्रीय रेलों को उम्मीदवारों के आबंटन की नीति में छूट दी गई है ताकि रेलों में आबंटित उम्मीदवारों को उनके गृह राज्यों में तैनात किया जा सके।

जनरल इन्श्यूरेंस कारपोरेशन में पदोन्नति तथा स्थानान्तरण नीतियां

8173. **श्री डी० के० नायकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनरल इंश्यूरेंस कारपोरेशन की चार अनुषंगी कंपनियों सहित इस कारपोरेशन में अधिकारी संवर्ग के लिए पदोन्नति नीति क्या है;

(ख) क्या जनरल इंश्यूरेंस कारपोरेशन तथा इसकी चार अनुषंगी कम्पनियों में पदोन्नतियां नीति के अनुसार ही की जा रही हैं;

(ग) जनरल इंश्यूरेंस कारपोरेशन तथा इसकी चार अनुषंगी कम्पनियों में अधिकारी संवर्ग के लिए स्थानान्तरण नीति क्या है;

(घ) जनरल इंश्यूरेंस कारपोरेशन तथा उसकी चार अनुषंगी कंपनियों में वर्ष 1972, 1973 और 1974 के दौरान अधिकारी संवर्ग के क्रमशः कितने-कितने अधीक्षकों को पदोन्नत किया गया;

(ङ) जनरल इंश्यूरेंस कारपोरेशन तथा इसकी चार अनुषंगी कम्पनियों में वर्ष 1972, 1973 और 1974 के दौरान अधिकारी संवर्ग में क्रमशः कितने-कितने इन्जीनियरों को पदोन्नत किया गया;

(च) कारपोरेशन के राष्ट्रीयकरण के समय जनरल इंश्यूरेंस कारपोरेशन और इसकी चार अनुषंगी कम्पनियों में अधिकारी संवर्ग में कितने-कितने अधीक्षकों और इन्जीनियरों को श्रेणीबद्ध किया गया था;

(छ) कितने अधीक्षकों और इन्जीनियरों को श्रेणीबद्ध नहीं किया गया था; और

(ज) शेष अधीक्षकों तथा इन्जीनियरों को अधिकारी संवर्ग में श्रेणीबद्ध करने पर विचार न करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ज) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

लघु क्षेत्र के उद्योगों में हड़ताल का निर्यात पर प्रभाव

8174. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अप्रैल, 1989 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में स्माल सेक्टर स्टिर टू हिट एक्सपोर्ट शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या लघु क्षेत्र के उद्योगों में आन्दोलन के कारण निर्यात में अत्यधिक कमी हुई है;

(ग) क्या सरकार का लघु क्षेत्र के उद्योगों की शिकायतों की जांच करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं । आयात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(ग) और (घ) विभिन्न एस० एस० आई० एसोसिएशनों से बजट पश्चात् कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । सरकार ने इन अभ्यावेदनों की जांच की और कुछ वर्षों से कच्चे माल तथा निवेशों की लागत मे वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना सं० 175186 के अन्तर्गत दी गई छूट का लाभ उठाने के प्रयोजनों के लिए क्लीचरेंस मूल्य की पात्रता सीमा 150 लाख रु० से बढ़ाकर 200 लाख रु० कर दी गई थी । केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम, 57-ख के साथ पठित अधिसूचना सं० 175186 दिनांक 1-3-1986 के अनुसार मोडवेट के अन्तर्गत राष्ट्रीय ऋण योजना को भी एक वर्ष और अर्थात् 31-3-1990 तक के लिए बढ़ा दिया गया है ।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर में पति और पत्नी को एक ही स्थान पर नियुक्त किया जाना

8175. **डा० चन्द्रशेखर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पति और पत्नी दोनों को, यदि वे सरकारी विभागों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर नियुक्त करने सम्बन्धी कोई सरकारी निर्देश है;

(ख) क्या ये आदेश भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध बैंकों पर भी इसी प्रकार लागू होते हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के प्रबन्ध मंडल को उपयुक्त आधार पर स्थानान्तरण करने के अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो बैंक को इस प्रकार के कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं और कितने अनुरोधों को निपटाया गया;

(ङ) क्या ऐसे अनुरोधों को निपटाने में कोई विलम्ब हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इन अनुरोधों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने ऐसे मार्गनिर्देश जारी किए हैं ताकि संवर्ग नियन्त्रण प्राधिकारी पतियों/पत्नियों के एक ही स्थान पर तैनाती के अनुरोधों पर विचार कर सकें। इन मार्ग-निर्देशों की भावना को मद्देनजर रखते हुए सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा गया है कि जब पति और पत्नी दोनों बैंकों में काम करते हों तो वे एक ही स्थान पर तैनाती के उनके अनुरोधों पर प्रशासनिक सुविधा, रिक्त पदों की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखकर विचार करें।

(ग) से (च) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर ने सूचित किया है कि वर्ष 1988-89 के दौरान एक ही स्थान पर तैनाती के लिए उसे ऐसे 36 अनुरोध प्राप्त हुए जिनमें से 12 मामलों में स्थानान्तरण कर दिया गया है और शेष मामलों को उचित समय पर विचार करने के लिए नोट कर लिया गया है।

केरल में नई रेल लाइनें

8176. **श्री पी० ए० एंटनी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में नई रेल लाइनों के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) क्या केरल में अगले दो वर्षों के दौरान नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) जहां तक नई लाइनों का संबंध है, फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

आंध्र प्रदेश में भू-जल का स्तर

8177. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य में भू-जल का स्तर कम वर्षा तथा भू-जल के अधिक दुरुपयोग के कारण तेजी से नीचे जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार अपने द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत लघु सिंचाई कार्यों की गणना करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को कोई वित्त सहायता देने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) केन्द्रीय भूतल बोर्ड पूरे देश में भूजल स्तरों का आवधिक रूप से प्रबोधन करता है। माप से यह पता चलता है कि आंध्र प्रदेश में नवम्बर, 1987 की तुलना में नवम्बर, 1988 में भूजल स्तर में सामान्यतया सुधार हुआ है, लेकिन श्रीकाकुलम, विजियानगरम, विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी, प्रकासम, नेल्लोर, महबूब-

नगर तथा खम्माम जिले के कुछ भागों में, इस अवधि में स्थानीय भू-खंडों (पाकेट्स) में इसमें कहीं-कहीं गिरावट पाई गयी है।

(घ) से (च) लघु सिंचाई कार्यों की परिगणना करने के लिए राज्य सरकार को 17.04 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गयी है।

बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं

8178. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को बिहार सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए भेजी गयी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण क्या है;

(ख) किन-किन परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गयी है और किन-किन परियोजनाओं को सातवीं योजना में शामिल कर लिया गया है;

(ग) कौन-कौन-सी परियोजनाएं अभी भी विचाराधीन हैं और इन्हें किस-किस तारीख को भेजा गया था; और

(घ) इस समय कौन-कौन-सी परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं और इनके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) गंडक सोपान-दो, कोसी पूर्वी नहर सोपान-दो, मसान बांध, पुनासी तथा अंरिगा जलाशय नामक 5 बृहद परियोजनाएं, सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की गयी हैं। इसमें शामिल करने हेतु कोई और परियोजना विचाराधीन नहीं है।

(घ) सातवीं योजना की 17 बृहद परियोजनाएं, जिसमें 5 नई बृहद परियोजनाएं शामिल हैं, निर्माणाधीन हैं। उनमें एक के सातवीं योजना के दौरान पूरा हो जाने की आशा है तथा शेष आठवीं योजना में आगे लाई जाएंगी। उनका पूरा होना क्रियान्वयन अनुसूची तथा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराए गए संसाधनों पर निर्भर करेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के ऋणों का भुगतान करने हेतु नेपाल से मुद्रा

8179. **श्री एच० ए० डोरा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के ऋणों का भुगतान करने हेतु भारतीय मुद्रा से लदा एक विमान हाल ही में पटना हवाई अड्डे से लौटा दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) रॉयल नेपाल एअरलाइन्ज का एक चार्टर्ड हवाई जहाज 27 मार्च, 1989 को पटना हवाई अड्डे पर पहुंचा था जो अपने साथ नेपाल राष्ट्रीय बैंक से कुछ भारतीय मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक, पटना को सौंपने के लिए लाया था। पटना हवाई अड्डे पर सीमाशुल्क निकासी के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच

सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा भारत-नेपाल व्यापार और पारगमन सन्धि के 23 मार्च, 1989 को समाप्त हो जाने के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक, पटना के अधिकारियों के परामर्श से की गयी थी। इसी दौरान रॉयल नेपाल एअरलाइन्ज का हवाई जहाज काठमाण्डु को वापस लौट गया। बाद में यह हवाई जहाज करेंसी नोटों के साथ 6 अप्रैल, 1989 को पहुंचा और पटना हवाई अड्डे पर सीमाशुल्क से इनकी निकासी के लिए अनुमति दे दी गयी थी।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो दल का स्विटजरलैंड का दौरा

8180. **श्री सांभाजीराव ककाडे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा स्विस बैंक कारपोरेशन से सम्पर्क करने हेतु स्विटजरलैंड का दौरा करने का क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : भारत सरकार और स्विटजरलैंड सरकार के बीच 20 फरवरी, 1989 को आदान-प्रदान किए गए पत्रों के अनुसार पारस्परिक सहायता के लिए अनुरोध राजनयिक माध्यमों से भेजा जाएगा। इसलिए, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा स्विस बैंक निगम से सीधे ही सम्पर्क करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अश्लील साहित्य की बिक्री

8181. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आपत्तिजनक और अश्लील साहित्य बेचे जाने के बारे में कोई मामले सरकार की जानकारी में लाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के साहित्य की बिक्री रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समय-समय पर जांच की जाती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को ठेके देना

[हिन्दी]

8182. **श्री राम स्वरूप राम** :
श्री पीयूष तिरकी :
श्री जगदीश अवस्थी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर ठेके आबंटित करने की नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे द्वारा इस नीति का सख्ती से पालन किया जा रहा है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय रेलवे में उन रेलगाड़ियों की संख्या क्या है जहां ठेके पर भोजन यान चलाए जा रहे हैं और उनमें से कितने ठेके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को दिए गए हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) मौजूदा नीति के अनुसार 1/2 इकाइयों तक खानपान/वेंडिंग ठेके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

(ख) यह नीति सभी क्षेत्रीय रेलों द्वारा अपनाई जा रही है ।

(ग) 26 जोड़ी गाड़ियों में पेन्ट्रीयान लाइसेंसधारियों द्वारा चलायी जा रही हैं । एक जोड़ी अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों द्वारा चलाई जा रही है । पेन्ट्रीयान को एक इकाई माना जाता है ।

एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग के देशों द्वारा पर्यावरण संबंधी समस्याओं का सामना किया जाना

[अनुवाद]

8183. **श्री एच० ए० डोरा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग के देश पर्यावरण संबंधी समस्याओं एवं प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए सम्मिलित क्षेत्रीय कार्यवाही एरने के लिए सहमत हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) एस्कैप के 45वें वार्षिक सत्र के दौरान, सदस्य देशों ने पर्यावरणीय समस्याओं और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अनेक परियोजना कार्यकलापों का समर्थन किया, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) बाढ़ में कमी लाने, शहरी क्षेत्रों में बाढ़ से होने वाली हानि को रोकने तथा बाढ़ में कमी लाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त,

(2) संरक्षण को मजबूत बनाना तथा नाजुक पारिस्थितिक प्रणाली की प्रबन्ध-व्यवस्था,

(3) व्यापक बाढ़ हानि निवारण और प्रबन्ध-व्यवस्था के लिए मैनुअल और मार्गदर्शी सिद्धांतों का प्रकाशन,

(4) एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में पानी से संबंधित विपदाओं को कम करने के उपायों में बढ़ोतरी करने हेतु तकनीकी सहायता तथा एस्कैप की टायफून समिति और उष्णकटिबन्धीय चक्रवातों के सम्बन्ध में पैनल को सहायता, और

(5) एशिया तथा प्रशान्त में पर्यावरण सम्बन्धी सम्मेलन ।

सोवियत संघ को बासमती चावल का निर्यात

8184. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली की एक फर्म ने मैसर्स क्वेंब, मास्को को वर्ष 1984 और वर्ष 1985 के दौरान मशीन से निकले अच्छे किस्म के सफेद भारतीय बासमती चावल का भारी मात्रा में सप्लाई करने के लिए उसके साथ एक करार किया है;

(ख) कुल कितने मूल्य का कुल कितनी मात्रा में बासमती चावल की सप्लाई का अनुबंध किया गया है;

(ग) करार में बासमती चावल के बारे में किन विवरणों का उल्लेख किया गया है;

(घ) उस समय से सरकार द्वारा अधिसूचित चावल के विवरण क्या थे; और

(ङ) इस बासमती चावल की किन प्रयोगशालाओं ने जांच की थी जिसके आधार पर निर्यात निरीक्षण एजेन्सी, दिल्ली ने प्रमाण-पत्र दे दिया था ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) सोवियत संघ को बासमती चावल के निर्यात के लिए वर्ष 1984 तथा 1985 के दौरान निम्नलिखित मात्रा के निर्यात के लिए संविदाएं की गयीं :

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1984	1,50,000 एम० टी०	90.00 करोड़ रुपए
1985	75,000 एम० टी०	48.75 करोड़ रुपए

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) निम्नलिखित एजेंसियों ने बासमती चावल का निरीक्षण किया :—

(1) मैसर्स जियो-केम लेबोरेट्रीज।

(2) मैसर्स थेरोपेटिक्स कैमिकल्स एण्ड रिसर्च कारपोरेशन।

विवरण

दिनांक 19-4-1980 को सरकार द्वारा अधिसूचित बासमती चावल (निर्यात) ग्रेडिंग तथा विपणन नियम, 1980 के अन्तर्गत बनाए गए ग्रेड निर्देशों की तुलना में सोवियत संघ को बासमती चावल के निर्यात संविदा में निर्धारित क्वालिटी विनिर्दिष्टियां

क्रम सं०	परीक्षण	सरकारी अधिसूचना (विशिष्ट ग्रेड) अधिकतम भारित प्रतिशत की विशिष्टताएं		संविदाओं में विशिष्टताएं अधिकतम भारित प्रतिशत 1984	संविदाओं में विशिष्टताएं अधिकतम भारित प्रतिशत 1985
1	2	3	4	5	6
1.	विदेशी मामला	0.5 प्रतिशत	(विदेशी सम्मिश्रण)	0.1 प्रतिशत	0.1 प्रतिशत (टूटे हुए तथा धान युक्त दोनों सहित विजातीय सम्मिश्रण)
2.	ब्रोकन एण्ड फ्रेगमेन्ट्स	5.0 प्रतिशत	(टूटे हुए दाने)	5.0 प्रतिशत	5.0 प्रतिशत (चावल के दोनों के हिस्से जो पूरे दोनों के दो तिहाई से कम है)
3.	लाल दानों सहित अन्य चावल	10.0 प्रतिशत (लाल दाने 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए)	(बढ़िया किस्मों के अन्य चावल)	10.0 प्रतिशत	10.0 प्रतिशत (टेरीकोट चावल सहित बढ़िया चावल की अन्य किस्में)
4.	टूटे हुए, बदरंग तथा चाकी अनाज	1.0 प्रतिशत	(टूटे हुए, बदरंग तथा चाकी अनाज)	1.5 प्रतिशत (केवल)	1.5 प्रतिशत (केवल बदरंग तथा चाकी चावल)

1	2	3	4	5	6
5.	नमी युक्त	14.0 प्रतिशत		10.0 प्रतिशत	10.0 प्रतिशत
6.	धान, वाक्सी एण्ड लाल रंग के अनाज	—		0.2 प्रतिशत	0.2 प्रतिशत

सामान्य विशेषताएं

1. दाने लम्बे पतले और सफेद किस्म के हों या भूरे अथवा बढ़िया किस्म के सफेद रंग के और पारमासी होने चाहिएं।

2. **चावल**

(क) सूखा हो, दाने पके हों। यह ओरिजा सतीवा किस्म के लिए है। दोनों के आकार, प्रकार और रंग में एकरूपता हो।

(ख) कच्चे और पके दोनों स्थितियों में बासमती चावल में प्राकृतिक सुगन्ध हो तथा उत्तम किस्म का हो।

(ग) कृत्रिम रूप से रंगे हुए नहीं हो तथा पोलिश नहीं हो।

(घ) 3 प्रतिशत दाने सहित पर्याप्त मात्रा में भूसी हो।

(ङ) फफूंदेदार हानिकारक नहीं हो और इसमें छेद अथवा घुन या जीवित अथवा मृत कीड़े नहीं हों।

(च) 6.0 मि० मी० और उससे अधिक लम्बा हो और इसकी लम्बाई-मोटाई का औसत 3 मि० मी० और उससे अधिक हो।

(छ) बेचे जाने के लिए ठीक दशा में हो।

पैकिंग तथा मार्किंग

यह मानक नए गनी थैलों में पैक होने चाहिए जिन पर निम्न-

(क) चावल को धूम्रीकृत किया जाना था तथा इसे लदायी के समय पूर्णतः गैस-रहित होना चाहिए तथा इस आशय का प्रमाणपत्र कि इसके लदान पत्तन पर लदान करने से पहले या बाद में इसकी धूम्रीकरण कर लिया गया हो। साथ ही यह जानकारी भी होनी चाहिए कि धूम्रीकरण मात्रा, किस्म एक्सपोजीशन, डिगेसिंग की पूर्णता, कब और कहां धूम्रीकरण किया गया तथा धूम्रीकरण के प्रभाव का अधिकतम प्रतिशत। ये तत्व चावल में उसके मूल देश में कानूनी तौर पर होने चाहिए।

(ख) विक्रेता को वर्ष 1983-84 की ताजा फसल के उपर्युक्त चावल वितरित किए जाने हैं जोकि ताजा उत्पादन में से अच्छी तथा बढ़िया हालत में, सफेद भूसी के तत्वों सहित रोग रहित, विदेशी गंध रहित तथा विदेशी स्वाद के, ग्लास रसायन मुक्त तथा किसी भी धात्विक सम्मिश्रण रहित, पूर्णतः स्वच्छ होने चाहिए जोकि मौजूदा करार के एकीकृत भाग के रूप में संगरोध पदार्थों की सूची में उल्लिखित संगरोध पदार्थों से पूर्णतः होना चाहिए।

(ग) चावल के प्रत्येक जहाज में माल के मूल देश की मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सक द्वारा जारी इस आशय के स्पष्टीकरण का पशु-

1	2	3	4	5	6
	लिखित जानकारी विधिवत छपी होनी चाहिए : (क) किस्म (ख) ग्रेड (ग) लाट सं० (घ) शिपिंग मार्क ।			चिकित्सा प्रमाण-पत्र होना चाहिए कि यह चावल ऐसे क्षेत्र से लिया गया है जोकि पशुओं तथा कुक्कटों के लिए घातक छूत की ऐसी बीमारियों से मुक्त है जैसे कि पैर तथा मुंह की बीमारी तथा खास किस्म की बीमारी, अफ्रीकी किस्म का सुअरों वाला बुखार पशुओं में फैलने वाला निमोनिया, रिन्डरपेस्ट कन्टेजियस्वाइन, प्लूरों, फिमोनिया, हाग-कालरा । (घ) स्वतन्त्र पर्यवेक्षक द्वारा एक पृथक प्रमाण-पत्र से इस बात की भी सम्पुष्टि की जानी चाहिए कि चावल नशीला नहीं है और इसमें निम्नलिखित तत्व नहीं हैं :— एफलाटोक्सिन, एल्ड्रिन, डी० डी० टी०, हैप्टाक्लोर हैग्जाक्लोरचीक्लोहेक्सना, रेडियो एक्टिव फाल-आउट के साथ-साथ कृषि और/या चावल के भण्डारण में प्रयुक्त होने वाले नाशीकीट, भारी धात्विक मिश्रण तथा पारा और शीशा जैसे उनके साल्ट ।	

विदेशों में संयुक्त उद्यमों में भारत का पूंजी निवेश

8185. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987, 1988 और 1989 के प्रारम्भ में अन्य देशों में कितने-कितने संयुक्त उद्यम चल रहे थे;

(ख) इन संयुक्त उद्यमों में भारतीय फर्मों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अनुमानतया कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ग) ये संयुक्त उद्यम किस प्रकार की परियोजनाओं का कार्य कर रहे हैं; और

(घ) विदेशों में और अधिक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए कौन से प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) वर्ष 1987 से 1989 तक के वर्षों के आरम्भ में विदेश में चल रहे संयुक्त उद्यमों की संख्या निम्नलिखित थी :—

वर्ष	संख्या
1987	150
1988	158
1989	152

(ख) चल रहे संयुक्त उद्यमों की इक्विटी में भारतीय निवेश की राशि 1-1-89 के अमुसार 96.78 करोड़ रु० है ।

(ग) परियोजनाएं सामान्यतः लाइट इन्जीनियरिंग, रसायन और भेषज, वस्त्र और सहबद्ध उत्पाद, लोहा और इस्पात, वाणिज्यिक वाहन, लुगदी और कागज, होटल और रेस्टोरेंट, व्यापार, विपणन और परामर्श के क्षेत्र में है ।

(घ) दिनांक 30-4-1989 की स्थिति के अनुसार 17 प्रस्ताव विभिन्न चरणों में विचाराधीन हैं । एफ० डी० ए० निर्यात निरीक्षण एजेंसी के प्रमाणीकरण को मान्यता प्रदान करती है ।

सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप, एफ० डी० ए० ने 18-1-1989 से भारतीय काली मिर्च पर स्वतः लागू अवरोध को उठा लिया ।

पांच तारा होटलों द्वारा आयकर की अदायगी

8186. **श्री राम करन सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में स्थित पांच तारा होटलों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के द्वारा इन होटलों द्वारा वर्ष-वार और होटल-वार आयकर की कितनी राशि की अदायगी की गई है;

(ख) उन होटलों के नाम क्या हैं जो आयकर की अदायगी न करने के दोषी हैं और आयकर की कितनी राशि उनकी ओर बकाया है; और

(ग) ऐसे कितने होटल हैं जिन्होंने आय का मूल्यांकन कम किया है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) नई दिल्ली में कर-निर्धारित होटलों द्वारा (पर्यटन विभाग द्वारा पांच सितारा होटलों के रूप में विनिर्दिष्ट) पिछले तीन कर-निर्धारण वर्षों के लिए भुगतान किए गए आयकर की राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इन होटलों में से कोई भी होटल उक्त वर्षों के लिए आयकर के भुगतान के सिलसिले में दोषी नहीं पाया गया है।

(ग) इन होटलों में से दो होटलों के मामलों में आय को छिपाने अथवा ऐसी आय का गलत विवरण प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 271 (1) (ग) के अन्तर्गत कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हैं।

विवरण

होटल का नाम	अदा किया गया आयकर (रुपयों में)		
	कर निर्धारण वर्ष 1986-87	कर निर्धारण वर्ष 1987-88	कर निर्धारण वर्ष 1988-89
1. क्लैरिजेस होटल (प्रा०) लि०	4,08,826	8,906	1,73,256
2. होटल इम्पीरियल मैसर्स रामदेव सिंह एण्ड कम्पनी	18,93,569	26,26,000	28,37,268
3. हयात रीजेंसी	शून्य	शून्य	42,90,499
4. सिद्धार्थ इन्टर कांटीनेन्टल (मैसर्स जे० पी० होटल्स के स्वामित्व में)	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी :

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा अधिभोगाधीन नई दिल्ली के दो होटलों अर्थात् होटल अशोक तथा होटल कुतुब को पर्यटन विभाग द्वारा पांच सितारा होटलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चूंकि किसी भी कर-निर्धारिती की सभी स्रोतों से प्राप्त कुल आय पर आयकर लगाया जाता है, इसलिए उस कर-निर्धारिती द्वारा संचालित अनेक कारोबारों के कारण होने वाले लाभों के सम्बन्ध में आयकर की अलग संगणना करना अपेक्षित नहीं होता है। अतः भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा अधिभोगाधीन होटलों से होने वाले लाभों के कारण आयकर की अलग से संगणना करना अपेक्षित नहीं होता है और न ही अलग से संगणना की गई है।

इण्डियन ओवरसीज बैंक की स्थानान्तरण नीति

8187. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ओवरसीज बैंक ने अपने अधिकारियों के लिए एक स्थानान्तरण नीति हाल ही में तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अखिल भारतीय इण्डियन ओवरसीज बैंक के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ ने इस नीति का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन-कौन-सी मुख्य आपत्तियां प्रकट की हैं; और

(ङ) इस दिशा में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) इण्डियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि उसने अपनी आवश्यकताओं और विभिन्न क्षेत्रों तथा अंचलों में उपलब्ध अधिकारियों के प्रसार को ध्यान में रखते हुए अपनी स्थानान्तरण नीति तैयार की है। अधिकारियों के लिए बैंक की स्थानान्तरण नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

1. विभिन्न वेतनमानों के अधिकारियों को उनके वेतनमानों के अनुसार और प्रशासनिक अपेक्षाओं के आधार पर क्षेत्रीय/अंचल के अन्दर समय-समय पर स्थानान्तरित किया जायेगा।

2. लिपिक संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नत होने पर उन्हें बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार भारत के किसी भी अंचल में स्थानांतरित किया जाएगा।

3. अधिकारियों के एक वेतनमान से दूसरे वेतनमाम में पदोनन्त होने पर उन्हें निम्नलिखित रीति से स्थानान्तरित किया जाएगा :—

   (1) एम० एम० जी० स्केल-दो में पदोन्नत अधिकारियों के मामले में उन्हें उसी अंचल में किसी अन्य क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जायेगा।

   (2) एम० एम० जी० स्केल-तीन में पदोन्नत अधिकारियों के मामले में उन्हें किसी अन्य अंचल में स्थानान्तरित किया जाएगा।

(ग) से (ङ) बैंक ने सूचित किया है कि इण्डियन ओवरसीज बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ ने उपर्युक्त स्थानांतरण नीति के विरुद्ध निम्न कारणों से आपत्ति की है :—

1. वेतनमान-दो और वेतनमान-तीन के सभी पदोन्नत अधिकारियों को स्थानांतरण नीति के कार्यान्वयन पूर्व भी वरिष्ठता क्रम के अनुसार स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

2. जिन अधिकारियों ने एक नगर/राज्य में तीन वर्ष की अवधि पूरी न की हो उन्हें दूसरे स्थान पर नहीं भेजा जाना चाहिए।

3. जिन अधिकारियों के परिवार में वास्तव में कोई शारीरिक कष्ट हो अथवा उनकी कोई अपनी विवशता हो तो उन्हें अस्थायी रूप से एक ही केन्द्र पर रहने दिया जाना चाहिए।

4. जिन अधिकारियों ने 1-4-89 को एक नगर/राज्य/क्षेत्र में 8 साल की सेवा पूरी कर ली हो, उन्हें पहले स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।

स्थानांतरण की शर्त अधिकारियों की सेवा शर्तों का एक अभिन्न अंग होती है। ऐसे कोई अनुदेश नहीं हैं, जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को सामान्य श्रेणी के अधिकारियों पर लागू स्थानान्तरण नीति से छूट का प्रावधान हो।

हीराकुण्ड बांध का आधुनिकीकरण

8188. **श्री के० प्रधानी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार से हीराकुण्ड बांध के आधुनिकीकरण सम्बन्धी कोई योजना मंजूरी हेतु प्राप्त हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक मंजूरी दी जाएगी और इस योजना का वित्तपोषण किस प्रकार किया जायेगा ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) इस स्कीम में 32.60 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर हीराकुण्ड बांध परियोजना की वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण की परिकल्पना की गई है।

(ग) उड़ीसा सरकार से केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलना

[हिन्दी]

8189. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989-90 के दौरान बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जाने वाली बैंकों की शाखाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों को बिहार में शाखाएं खोलने के वास्ते 376 ग्रामीण तथा आठ अर्ध-शहरी केन्द्र आबंटित किए गए थे। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने गांवों में ऋण देने की सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत पालामू जिले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 18 और केन्द्र आबंटित किए हैं।

निर्यात के लिए सहकारी समितियों द्वारा आभूषणों का निर्माण

[अनुवाद]

8190. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निर्यात के लिए आभूषणों के निर्माण हेतु अपने नियंत्रण के अधीन सहकारी समितियां गठित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कार्यालयों में कागज का उपयोग न करने की योजना

8191. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने भविष्य में कार्यालयों में कागज का बिल्कुल भी उपयोग न करने की योजना बनाने के बारे में निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) ऐसे कार्यालय की स्थापना का विचार जिसमें कागज का इस्तेमाल न हो, फिलहाल वैचारिक चरण में है, इसलिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का पहले से ही कोई ब्यौरा देना सम्भव नहीं है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिवक्ताओं की नियुक्ति

8192. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, दिल्ली में केन्द्रीय विधि ऐजेंसी के पेनल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिवक्ताओं को नियुक्त करने की विचार किया है;

(ख) वर्ष 1970, 1980, 1985 तथा गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के वकीलों की संख्या कितनी थी;

(ग) क्या सरकार का अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिवक्ताओं के कोटे को भरने के लिए उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कोई कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का आरक्षण नीति को ध्यान में रखते हुए सभी उच्च न्यायालयों एव न्याया-धिकरणों में भारत संघ के लिए स्थायी सलाहकार नियुक्त करने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में कोई आरक्षण नहीं किया गया है।

(घ) यद्यपि उच्च न्यायालय और अधिकरणों में केन्द्रीय सरकार के काउन्सेलों की नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ऐसा कोई आरक्षण नहीं है, तथापि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन अधिवक्ताओं पर सम्यकतः विचार किया जाता है जो काउन्सेल के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित और इच्छुक हैं।

207/208 बाड़मेर-आगरा फोर्ट एक्सप्रेस गाड़ी का चलाया जाना एवं इसका रखरखाव

[हिन्दी]

8193. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 207/208 बाड़मेर-आगरा कोर्ट एक्सप्रेस गाड़ी को जयपुर से आगरा फोर्ट तक सवारी गाड़ी के रूप में चलाया जाता है;

(ख) क्या इस गाड़ी का रख-रखाव सही ढंग से नहीं किया जाता है;

(ग) क्या रेलवे का इस गाड़ी को जयपुर से आगरा तक भी एक्सप्रेस गाड़ी के रूप में चला कर तथा इसमें नये सवारी डिब्बे जोड़कर इसके महत्व को बढ़ाकर इसके समुचित रख-रखाव के लिए ठोस कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गाड़ी का अनुरक्षण निर्धारित मानक के अनुसार किया जाता है। इस गाड़ी को एक्सप्रेस गाड़ी में परिवर्तित करना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि यह मुख्यत: इन खण्डों पर दैनिक यात्रियों को सेवित करती है। पुराने सवारी डिब्बों का नये सवारी डिब्बों से बदलाव करना एक सतत् प्रक्रिया है जो नये सवारी डिब्बों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिस्तर उपलब्ध कराना

[अनुवाद]

8194. श्री नरसिंह सूर्यवंशी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग को रेल गाड़ियों में बिस्तर उपलब्ध कराने में भारी घाटा हो रहा है;

(ख) क्या रेल विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले बिस्तर गन्दे होते हैं तथा इनसे यात्रियों को संक्रामक रोग हो जाते हैं;

(ग) क्या इसे ध्यान में रखते हुए रेल विभाग द्वारा बिस्तर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था को समाप्त करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) वर्तमान दर से पूरी लागत नहीं निकलती है।

(ख) से (घ) सामान्य: रेलें साफ-सुथरे बिस्तरों की सप्लाई कर रही हैं और गंदे बिस्तरों के कारण संक्रामक रोगों के फैलाने का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है। बिस्तरों की सप्लाई यात्री सुविधाओं में से एक सुविधा है और इसे वापिस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेलवे स्टेशन में प्रवेश के लिये परमिट प्रणाली

8195. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर भीगभाड़ को नियंत्रित करने हेतु प्लेटफार्म टिकटों की खरीद के लिए परमिट प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है और इस निर्णय के पीछे क्या औचित्य है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) प्लेटफार्मों पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए भीड़-भाड़ के समय नयी दिल्ली स्टेशन पर प्लेटफार्म टिकटों का जारी करना सीमित कर दिया गया है।

जब तक बिल्कुल जरूरी न हो तब तक प्लेटफार्मों में प्रवेश न करने के बारे में आगन्तुकों को समझाने तथा प्लेटफार्म टिकटों को जारी करना विनियमित करने का प्रयास किये जा रहे हैं। प्रवेश द्वारों पर जांच तेज कर दी गयी है।

उड़ीसा में रेलगाड़ियों का देरी से चलना

8196. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबलपुर एक्सप्रेस, हीरा-कुंड एक्सप्रेस-उत्कल एक्सप्रेस तथा झारसुगुड़ा और सम्बलपुर यात्री गाड़ियों जैसी रेलगाड़ियां लगातार देरी से चलती हैं और इस कारण यात्रियों को भारी कठिनाई हो रही है;

(ख) 1 जनवरी, 1989 से 15 अप्रैल, 1989 के बीच कितने दिन ये रेल गाड़ियां अपने गन्तव्य स्थानों पर ठीक समय पर पहुंचीं;

(ग) इनके देरी से चलने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें सही समय पर चलाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

[हिन्दी]

8197. **श्री राजकुमार राय** : क्या वित्त मंत्री स्टेट बैंक आफ इन्दौर के कर्मचारियो के विरुद्ध शिकायतों के बारे में 7 अप्रैल, 1989 के तारांकित प्रश्न संख्या 544 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को वर्ष-वार प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किस एजेंसी ने इन शिकायतों की जांच की है; और

(ग) दोषी पाये गये कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) उपलब्ध रिकार्डो के अनुसार पहली जनवरी, 1986 से 31 मार्च, 1989 की अवधि के दौरान स्टेट बैंक आफ इंदौर के 60 कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं। बैंक प्रबंधन द्वारा इन शिकायतों की जांच की गई। कुछ मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भी पूछताछ/जांच की गई थी। इन मामलों में 22 कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

मुख्य आयात एवं निर्यात नियंत्रक द्वारा किए गए सर्वेक्षण

[अनुवाद]

8198. **श्री सतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य आयात एवं निर्यात नियंत्रक ने आयातकों और निर्यातकों की समस्याओं को जानने के लिए हाल ही में विभिन्न केन्द्रों का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यातकों को नकद प्रतिपूर्ति सहायता और शुल्क वापसी सीधे ही बैंकों से निकालने की सुविधा देने हेतु कुछ नियमों में संशोधन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) जी, हां।

(ख) निर्यातकों के सामने आ रही कुछ समस्याओं का पता लगाया जा चुका है और मुख्य नियन्त्रक, आयात एवं निर्यात के क्षेत्रीय कार्यालय के सामने आ रही कर्मचारियों की कमी आदि कठिनाइयों का भी पता लगाया गया है।

(ग) और (घ) बैंकों की मार्फत निर्यातकों को नकद मुआवजा सहायता का भुगतान और शुल्क वापसी का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन है।

प्रधान मंत्री द्वारा केरल को सहायता देना

8199. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1987 में प्रधान मंत्री द्वारा केरल को कुल कितनी धनराशि देने की घोषणा की गई थी;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव था और केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को कितनी धनराशि प्रदान की जानी थी और उसका योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक योजना के अंतर्गत अब तक वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की है?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय स्टेट बैंक के एसोसिएट बैंकों को उससे असम्बद्ध करना

8200. प्रो० के० वी० थामस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय स्टेट बैंक के एसोसिएट बैंकों को उससे असम्बद्ध न किए जाने और ऐसे सभी बैंकों को मिलाकर एक निगमित संस्था न बनाए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक समूह के सदस्य के रूप में काम करने में कई लाभ हैं। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को इस स्तर पर भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों को भारती स्टेट बैंक से अलग करने में कोई सुस्पष्ट लाभ नजर नहीं आता है।

रेल दुर्घटनायें

8201. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी :**
श्री कमला प्रसाद सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन माह में क्षेत्रवार कितनी रेल दुर्घटनायें हुई हैं; और

(ख) इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप कितने जान-मात की क्षति हुई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जनवरी-मार्च, 1989 की अवधि के दौरान माल और यात्री गाड़ियों की दुर्घटनाओं की संख्या, मारे गये व्यक्तियों की संख्या और रेल सम्पत्ति को पहुंची क्षति की लागत का रेलवे जोन-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

रेलवे	दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गये व्यक्तियों की संख्या	रेल सम्पत्ति को पहुंची क्षति की लागत (लाख रुपयों में)
मध्य	18	—	121.55
पूर्व	23	6	224.79
उत्तर	15	7	23.62
पूर्वोत्तर	7	4	6.60
पूर्वोत्तर सीमा	21	1	16.27
दक्षिण	15	—	35.27
दक्षिण मध्य	13	—	11.06
दक्षिण पूर्व	21	27	147.58
पश्चिम	12	—	5.78

बिहार में रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

[हिन्दी]

8202. श्री राम भगत पासवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना से उत्तर बिहार, सोनपुर, डोंजीपूर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, जयनगर, सहरसा और पूर्णिया के लिए 13 अप और 14 डाउन रेलगाड़ियां हाल ही में रद्द की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पटना से उत्तर बिहार के लिए सभी सीधी रेलगाड़ियों को रद्द किए जाने से उत्तर बिहार के लगभग चार करोड़ लोग रेल सुविधा से वंचित हो गए हैं और इसके फलस्वरूप सरकार की कितनी हानि हुई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन रेलगाड़ियों को फिर से चलाने का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) पटना/हाजीपुर से उपयुक्त मेल लेने वाली सेवाओं सहित पर्याप्त संख्या में बड़ी आमान लाइन और मीटर आमान लाइन की सेवाओं की व्यवस्था की गई है ।

कर्नाटक की वाराही परियोजना के लिए वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

8203. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कर्नाटक में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता कम है;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि राज्य सरकार वित्तीय बाधाओं के कारण वाराही परियोजना को जिससे कि 36,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होगी, आरम्भ नहीं कर पा रही है; और

(ग) क्या इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) वर्ष 1988-89 के अन्त तक कर्नाटक की चरम सिंचाई क्षमता का 59.7% सृजित किए जाने की आशा है ।

(ख) वाराही परियोजना का निर्माण कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है तथा इस परियोजना पर वर्ष 1988-89 तक प्रत्याशित व्यय 1.73 करोड़ रुपए है ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मंत्रियों की ओर बकाया कर की राशि

8204. डा० ए० के० पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन वर्तमान तथा भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्रियों के नाम क्या हैं; जिनके नाम आय-कर/धन-कर की राशि बकाया पड़ी है; और

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि बकाया है तथा यह कब से लम्बित पड़ी है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) इस बात को देखते हुए कि प्रश्न में जिन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी मांगी गई है, उनकी संख्या काफी अधिक है तथा इस तथ्य को भी देखते हुए कि वे व्यक्ति समूचे देश में भिन्न-भिन्न कर-निर्धारणों से सम्बन्धित हैं तथा इसके अलावा यह सूचना अति अतीत समय से सम्बन्धित है, इसलिए इस सूचना को एकत्र करने में अत्यधिक समय तथा श्रम लगेगा। विभाग में ऐसा कोई विशेष कक्ष नहीं है, जिसमें ऐसी सूचना एकत्र की जाती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति-विशेष के सम्बन्ध में सूचना अपेक्षित हो, तो उसे प्रस्तुत किया जा सकता है।

उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुकदमों के मामले

8205. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा उच्च न्यायालय में लम्बित राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुकदमे सम्बन्धी कितने मामले लम्बित हैं;

(ख) मुकदमों को यथा संभव निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार काफी समय से लम्बित पड़े राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामलों को निपटाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को परामर्श देने हेतु एक पृथक निकाय का गठित करने का है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) बैंक अपनी बकाया राशि को वसूल करने के लिए समझाने-बुझाने और अन्य संभव उपायों का प्रयोग करते हैं। बैंकों द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए मुकदमेबाजी को अन्तिम उपाय के रूप मे प्रयोग किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी भारतीय बैंक संघ के माध्यम से बैंकों से कहा है कि जहां कहीं संभव हो वे अपनी बकाया राशियों की वसूली के लिए लोक अदालतों का सहारा लें।

न्यायाधीशों की रिक्तियां

8206. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के उच्चन्यायालयों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अब तक कितनी रिक्तियां भरी गई हैं और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कितनी रिक्तियां अभी भरी गई हैं और तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त रिक्तियां कब भरी जायेंगी; और

(घ) न्यायाधीशों की नियुक्ति में विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) तारीख 1-5-1989 को विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या वास्तविक पदों की संख्या और रिक्त पदों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सम्बद्ध सांविधानिक प्राधिकारियों से परामर्श करना होता है और यह एक निरन्तर प्रक्रिया है। रिक्त पद शीघ्र भरने के लिए कदम उठाए गए हैं।

विवरण

तारीख 1-5-1989 को विभिन्न उच्च न्यायालयों में स्वीकृत पदों की संख्या और रिक्त पदों की संख्या

क्रम सं०	उच्च न्यायालय	स्वीकृत पद-संख्या			वास्तविक पद संख्या			रिक्त पद		
		स्थायी न्यायाधीश	अपर न्यायाधीश	योग	स्थायी न्यायाधीश	अपर न्यायाधीश	योग	स्थायी न्यायाधीश	अपर न्यायाधीश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	इलाहाबाद	55	5	60	47	—	47	8	5	13
2.	आंध्र प्रदेश	24	2	26	20	—	20	4	2	6
3.	मुम्बई	42	6	48	40	2	42	2	4	6
4.	कलकत्ता	44	—	44	42	—	42	2	—	2
5.	दिल्ली	25	2	27	24	—	24	1	2	3
6.	गुवाहाटी	12	—	12	11	—	11	1	—	1
7.	गुजरात	18	3	21	15	—	15	3	3	6
8.	हिमाचल प्रदेश	5	1	6	4	—	4	1	1	2
9.	जम्मू-कश्मीर	7	—	7	7	—	7	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	कर्नाटक	25	—	25	19	—	19	6	—	6
11.	केरल	21	2	23	19	2	21	2	—	2
12.	मध्य प्रदेश	23	7	30	19	5	24	4	2	6
13.	मद्रास	25	—	25	21	—	21	4	—	4
14.	उड़ीसा	12	1	13	12	1	13	—	—	—
15.	पटना	35	—	35	28	—	28	7	—	7
16.	पंजाब और हरियाणा	23	—	23	21	—	21	2	—	2
17.	राजस्थान	22	1	23	20	1	21	2	—	2
18.	सिक्किम	3	—	3	1	—	1	2	—	2
	योग :	421	30	451	370	11	381	51	19	70

अपना घर योजना

8207. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने बेघरों के लिए घर सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष 1987 के दौरान "अपना घर योजना" को सरल बनाने और उसमें परिवर्तन करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो सभी क्षेत्रों के लिए इस योजना में किए गए परिवर्तनों और जीवन बीमा निगम बोर्ड द्वारा अनुमोदित मुख्य परिवर्तन क्या हैं;

(ग) क्या निगम द्वारा मंजूर किए गए ऋणों की संख्या से इन परिवर्तनों का आभास होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1988 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को ऋण मंजूर किए गए ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) और (घ) यह योजना पालिसीधारकों में लोकप्रिय हो गई है और वर्ष 1987-88 के दौरान मंजूर किए गए ऋणों की संख्या में वर्ष 1986-87 में मंजूर किए गए ऋणों की तुलना में 114 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ङ) वर्ष 1988-89 के दौरान मंजूर किए गए ऋणों की संख्या 16608 है।

विवरण

"अपना घर बनाओ" योजना" में वर्ष 1987 में किए गए मुख्य संशोधन

1. ब्याज की पिछली 13 प्रतिशत की एक समान (फ्लैट) दर के बजाय अब श्रेणीकृत प्रणाली के अन्तर्गत ब्याज की दर 12 से 15 प्रतिशत के बीच है।

2. अभी तक ऋण की अधिकतम राशि जनसंख्या सम्बन्धी मानदण्डों को ध्यान में रखे बिना 2.5 लाख रुपए थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर चार महानगरों, अर्थात् : बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में 3 लाख रुपए कर दिया गया है।

3. देशभर के सभी डिवीजनल प्रबन्धकों को उन सभी केन्द्रों पर ऋणों की सीधे स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है जहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों।

4. 20 वर्षों की अवधि के लिए कराई गई जीवन मित्र और जीवन साथी जैसी पालिसियों को ऋण के 50 प्रतिशत भाग तक बीमित राशि के लिए समानान्तर ऋणाधार के रूप में स्वीकार किया जाता है जबकि पहले स्वीकृत ऋण के बराबर बीमित राशि की व्यवस्था थी।

5. आयकर अदा न करने वाले ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिनके सम्बन्ध में यह प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि उनकी सकल आय 18,000 रुपए से अधिक नहीं है, जीवन बीमा निगम के अधिकारियों द्वारा आंकी गई आय के आधार पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

6. कर्मचारियों/व्यावसायिकों को अधिक प्रतिशत में ऋण प्रदान किए गए।

7. "टाइटिल इनवेस्टिगेशन" की अवधि घटाकर सभी स्थानों पर 15 वर्ष कर दी गई।

बैंक शाखाएं खोलना

8208. डा० फूलरेणु गुहा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988-89 के दौरान राज्यवार वाणिज्यिक बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गयीं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों ने 1-4-88 से 31-3-89 तक की अवधि के दौरान 1545 शाखाएं खोली हैं जिनका राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य/संघ शासित राज्य का नाम	खोली गई शाखाओं की संख्या
1	2
1. आंध्र प्रदेश	131
2. अरुणाचल प्रदेश	1
3. असम	45
4. बिहार	139
5. गोआ	1
6. गुजरात	110
7. हरियाणा	35
8. हिमाचल प्रदेश	38
9. जम्मू और काश्मीर	6
10. कर्नाटक	94
11. केरल	23
12. मध्य प्रदेश	155
13. महाराष्ट्र	91
14. मणीपुर	1
15. मेघालय	3
16. मिजोरम	12
17. नागालैंड	—
18. उड़ीसा	54
19. पंजाब	18
20. राजस्थान	75
21. सिक्किम	7
22. तमिलनाडु	139

1	2
23. त्रिपुरा	8
24. उत्तर प्रदेश	165
25. पश्चिम बंगाल	160
26. अंडमान निकोबार द्वीप समूह	4
27. चंडीगढ़	—
28. दादरा और नगर हवेली	1
29. दमन और दीव	—
30. दिल्ली	24
31. लक्षद्वीप	1
32. पांडिचेरी	4
	1545

रुग्ण एककों को फिर से चालू करने के लिए यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया की परियोजना

8209. **डा० सुधीर राय :**
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया ने रुग्ण एककों को फिर से चालू करने में मध्यस्थता करने हेतु "फ्रेक सैल" की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) और (ख) रुग्ण एककों को पुनरुज्जीवित करने और उनका पुनरुद्धार करने और साथ ही ऐसे एककों में फंसी बैंक की राशि को वसूल करने के लिए यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया ने एक सेल स्थापित किया है। यह सेल उन भावी खरीददारों को, जिनके पास आवश्यक प्रबन्धकीय क्षमता और वित्तीय शक्ति है, वर्तमान मालिकों से, जिनकी अब अपने एककों में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है, मिलाने का काम करता है। बताया जाता है कि बैंक ने यह कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान मार्ग-निर्देशों के अन्तर्गत किया है।

बाबरी मस्जिद—राम जन्मभूमि मामले के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विशेष पीठ

8210. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बाबरी मस्जिद—राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सरकार ने इस विवाद से सम्बन्धित मामलों के शीघ्र न्यायनिर्णयन के लिए सहायता देने का प्रस्ताव किया है।

खाद्य तेलों का आयात

8211. **श्री राम पूजन पटेल :**
श्री बेजावाड़ा पपी रेड्डी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पामोलिन, रेपसीड आयल और सोयाबीन तेल लागत बीमा और भाड़ा आधार पर आयात करने के क्या कारण हैं जोकि पोत पर्यन्त निशुल्क आधार पर आयात करने तथा लागत बीमा और भाड़ा आधार पर निर्यात करने की सरकार द्वारा निर्धारित नीति के विपरीत है; और

(ख) पामोलिन, रेपसीड आयल और सोयाबीन तेल को पोत पर्यन्त निशुल्क आधार पर कब तक खरीदने का प्रस्ताव है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1978 में राज्य व्यापार निगम (एस० टी० सी०) की मार्फत खाद्य तेलों के आयात का सरणीयन होने के फलस्वरूप राज्य व्यापार निगम एफ० ओ० बी० आधार पर खाद्य तेलों के आयात की व्यवस्था करता रहा है। बाद में, निगम को सी० एण्ड एफ०/सी० आई० एफ० आधार पर खाद्य तेलों के आयात का सहारा लेना पड़ा जिसके कारण हैं : भारतीय जहाजों से पर्याप्त माल ढुलाई स्थान नहीं मिलना, तेलों की प्राप्ति में भारी कमी और सरकार द्वारा दिए गए कार्यक्रम के अनुसार मानव उपभोग की अनिवार्य मदों के सामयिक आयात की व्यवस्था करने की आवश्यकता।

इस निर्णय के अनुसरण में कि राज्य व्यापार निगम कुछ निश्चित खाद्य तेलों (आर० बी० डी० पाम आयल और न्यूट्रलाइज्ड पाम आयल) को मलयेशिया, इण्डोनेशिया से एफ० ओ० बी० आधार पर फिर आयात करना शुरू करे, राज्य व्यापार निगम ने दिसम्बर, 1988 में इन तेलों को केवल एफ० ओ० बी० आधार पर खरीदने का निश्चय किया। खाद्य तेलों को मलयेशिया/इण्डोनेशिया से एफ० ओ० बी० आधार पर आयात की सफलता को देखकर, राज्य व्यापार निगम पामोलीन का आयात एफ० ओ० बी० आधार पर करने के बारे में विचार करेगा। जहां तक सोयाबीन आयल और रेपसीड आयल का एफ० ओ० बी० आधार पर आयात करने का सम्बन्ध है, इसके लिए उपयुक्त भारतीय जहाजों की उपलब्धता सीमित ही है।

रेल निर्माण इकाइयों का कार्य-निष्पादन

8212. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे की निर्माण इकाइयों के कार्य-निष्पादन में सुधार हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न इकाइयों के कार्य निष्पादन का क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या सरकार का इन इकाईयों में निर्मित कुछ मदों का निर्यात करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस बारे में क्या प्रयास किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) रेलवे चल स्टाक का निर्यात, भारत सरकार के उपक्रम भारतीय परियोजना एवं उपकरण निगम के माध्यम से सरणीबद्ध किया जाता है। इस समय उसके साथ कोई ठोस करार नहीं किया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों (1986-88) के दौरान रेलों ने बांग्लादेश रेलों को 8.80 करोड़ रुपए मूल्य के 61 सवारी डिब्बे निर्यात किए हैं और परियोजना एवं उपकरण निगम के माध्यम से एन० टी० सी० पी० को 3.75 करोड़ रुपए मूल्य के तीन इन्जन निर्यात के रूप में सप्लाई किए हैं।

विवरण

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे उत्पादन यूनिटों में लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उत्पादन इस प्रकार रहा है

उत्पादन यूनिट		लक्ष्य			वास्तविक उत्पाद		
		1986-87	1987-88	1988-89	1986-87	1987-88	1988-89
चितरंजन रेल इंजन कारखाना	बिजली इंजन	70	81	100	71	75	100
	डीजल इंजन	40	44	44	40	19	41
	जोड़ :	110	125	144	111	94	141
डीजल रेल इंजन कारखाना	डीजल इंजन	140	140	140	146	127	140
सवारी डिब्बा कारखाना	सवारी डिब्बे	850	900	900	852	825	900
पहिया एवं धुरा संयंत्र	बी० ओ० एक्स० "एन०" पहिया सैट	23,000	23,000	19,000	23,153	23,007	19,588

वैवाहिक विवादों से संबंधित मुकदमे

8213. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विचारण न्यायालयों में बड़ी संख्या में वैवाहिक विवादों से संबधित मुकदमे कई वर्षों से विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अथवा दिल्ली उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालयों को इन मुकदमों का शीघ्र निपटान करने और निर्धारित समय-सीमा में इनमें अन्तिम निर्णय देने के लिए कोई निदेश जारी किए हैं और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या सरकार का, विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार, इन मुकदमों के निपटान के लिए विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित करने हेतु नए नियम/निदेश जारी करने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

माल गाड़ियों के संचालन को वरीयता

8214. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में यह निर्णय किया था कि यातायात में यात्री गाड़ियों की अपेक्षा लम्बी एवं मझौली भार वाली मालगाड़ियों के संचालन को वरीयता दी जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मानदण्ड का अनुपालन किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा की निर्माणाधीन परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता का उपयोग

8215. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में अधिकतम सिंचाई क्षमता प्राप्त करने हेतु सातवीं योजना में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने को प्राथमिकता दी है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य में इस श्रेणी में आने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सातवीं योजना में इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ख) केन्द्र सरकार ने अधिकतम लाभ प्रदान करने वाली निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी है। सातवीं योजना के दौरान पूरा करने के लिए उड़ीसा में एक वृहद तथा 22 मध्य निर्माणाधीन परियोजनाओं को अभिज्ञात किया गया था। सातवीं योजना के शुरू में आगे लाई गयी इन परियोजनाओं की लागत के बराबर की धनराशि सातवीं योजना के परिव्यय में उनको शीघ्र पूरा करने के वास्ते प्रदान की गयी थी। कुछ परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता भी उपलब्ध करायी गयी थी।

मद्रास-बंगलौर राजमार्ग के रेलवे फाटकों पर उपरिपुल का निर्माण

8216. श्री ए० जयमोहन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास-बंगलौर राजमार्ग पर भारी लारी यातायात को ध्यान में रखते हुए सातवीं योजना में तमिलनाडु के दक्षिण अरकाट जिले में बनियामबाड़ी और पच्चकुप्पम में स्थित रेलवे फाटक पर उपरिपुलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री [illegible]) : (क) जी, हां।

(ख) (1) बनियामबाड़ी के निकट कि० मी० 196/14-18 पर राष्ट्रीय राजमार्ग 46 के बाई पास पर, तथा

(2) पच्चकुप्पम के निकट कि० मी० 174/26-28 पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के प्रस्ताव राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सहायता

8217. श्री एस० पलाकोंड्रायुडू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा आन्ध्र प्रदेश के लिए वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1989-90 में इस राशि में वृद्धि किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों को वर्ष 1986 से अब तक पुनर्वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई धनराशि का राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा आंध्र प्रदेश के लिए मंजूर की गई कुल सहायता

राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	(करोड़ रुपए) राशि
1986-87 (जुलाई-जून)	729.25
1987-88 (जुलाई-जून)	466.18
1988-89 (जुलाई-मार्च, 1989)	348.00

टिप्पणी : वर्ष 1986-87 में आन्ध्र प्रदेश के लिए मंजूर की गयी सहायता राशि में तेजी से वृद्धि का कारण यह था कि उस वर्ष एक उर्वरक परियोजना को 350 करोड़ रुपये की बड़ी रकम की सहायता मंजूर की गई थी।

(ख) और (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सहायता की अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय क्षमता तकनीकी व्यवहार्यता, प्रबन्धन क्षमता तथा अन्य संगत पहलुओं को ध्यान में रखकर किसी भी राज्य के उद्यमियों को परियोजनाएं शुरू करने में मदद करता है। भारतीय औद्योगिक विकास किसी राज्य विशेष को सहायता देने के लिए किसी प्रकार की वित्तीय या अन्य सीमाएं निर्धारित नहीं करता है।

(घ) वर्ष 1986 से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मंजूर की गयी पुर्नवित्त सहायता राशि का उपलब्ध राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मंजूर की गयी राज्य-वार पुर्नवित्त सहायता-राशि

(लाख रुपये)

क्रम सं०	राज्य	जुलाई-जून 1986-87	जुलाई-जून 1987-88	जुलाई-दिसम्बर 1988
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	12550	14043	6050
2.	अरुणाचल प्रदेश	161	100	—
3.	असम	1600	2272	980
4.	बिहार	9062	10053	4970
5.	गोवा	1945	2960	1600
6.	गुजरात	15272	17140	10240
7.	हरियाणा	4487	5772	2120

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	3675	4797	1730
9.	जम्मू और कश्मीर	3472	4887	2480
10.	कर्नाटक	14187	15379	7640
11.	केरल	9337	9855	3400
12.	मध्य प्रदेश	11737	15371	5280
13.	महाराष्ट्र	15365	17790	9020
14.	मणिपुर	521	453	160
15.	मेघालय	624	377	240
16.	मिजोरम	400	793	120
17.	नागालैंड	325	367	180
18.	उड़ीसा	5397	6984	2060
19.	पंजाब	7891	10326	3610
20.	राजस्थान	8066	11287	4520
21.	सिक्किम	308	134	90
22.	तमिलनाडु	17593	21259	10340
23.	त्रिपुरा	67	128	70
24.	उत्तर प्रदेश	25784	29160	8960
25.	पश्चिम बंगाल	6841	7653	3030
26.	संघ राज्य क्षेत्र	5804	7723	3430

काली मिर्च का निर्यात

8218. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय काली मिर्च की मांग कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप काली मिर्च के मूल्य में कितनी कमी आई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) 1988-89 के दौरान, काली मिर्च से निर्यात आय अपेक्षाकृत कम रही लेकिन विदेशों में भारतीय काली मिर्च की मांग में काली मिर्च के मात्रावार निर्यात में मामूली-सी गिरावट आई।

(ख) और (ग) निर्यात आय में गिरावट का मुख्य कारण काली मिर्च की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों

में गिरावट आना है। अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आने से भारतीय काली मिर्च की घरेलू कीमतों पर भी असर पड़ा।

केरल में बैंक शाखाओं में जमा राशि और ऋण

8219. **श्री के० मोहनदास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में वर्ष 1988 के दौरान कितनी धनराशि जमा की गई; और

(ख) इस अवधि के दौरान इन शाखाओं द्वारा ऋण के रूप में कितनी धनराशि दी गई ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) दिसम्बर 1988 के अन्त की स्थिति के अनुसार केरल राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल जमा राशियां 4176 करोड़ रुपए और बकाया अग्रिमों की राशि 2617 करोड़ रुपये थी।

भुगतान शेष

8220. **प्रो० मधु दण्डवते** :
श्री डाल चन्द्र जैन :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात और निर्यात की मात्रा में हुई प्रतिशत वृद्धि के नवीनतम आंकड़े क्या हैं;

(ख) इनके भुगतान शेष की क्या स्थिति है;

(ग) क्या यह सच है कि स्थिति असन्तोषजनक है; और

(घ) यदि हां, तो भुगतान शेष की स्थिति में सुधार लाने के लिए आयात निर्यात के सम्बन्ध में क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) आयात और निर्यात की मात्रा में प्रतिशत वृद्धि के नवीनतम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निर्यात में अप्रैल-फरवरी के दौरान पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में रुपयों में 28.2 प्रतिशत की तथा डालरों में 15.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी तुलना में भारत के आयातों में रुपयों में 27.6 प्रतिशत की तथा डालरों में 15.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) और (ग) भुगतान शेष के पूरे आंकड़े 1986-87 वित्तीय वर्ष तक के लिए उपलब्ध हैं। तथापि, विदेशी मुद्रा कोष, जो भुगतान शेष की समग्र स्थिति दर्शाते हैं, फरवरी, 1989 के अन्त में 5537 करोड़ रु० थे और यह 31 मार्च, 1989 से 1750 करोड़ रु० कम थे।

(घ) आयात पर रोक लगान तथा निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। आयात विशेषकर, बल्क आयात में प्रतिस्थापन को प्रभावशाली बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गैर आवश्यक मदों का आयात को प्रोत्साहित नहीं करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही, सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनका उद्देश्य है निर्यात उत्पादन के लिए क्षमता बढ़ाना, प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाना, निर्यात क्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर या लगभग अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों

पर पर्याप्त मात्रा में पूंजीगत माल तथा कच्चा माल उपलब्ध कराके तथा निर्यात के लिए वित्तीय तथा आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करके अधिक प्रतियोगी बनाना ।

अल्वाय रेलवे स्टेशन

8221. **श्री टी० बशीर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, अल्वाय रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) इस समय क्या कार्य चल रहा है और इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, आबंटित धनराशि में से कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) अल्वाय स्टेशन पर कौन-सी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अलवाय रेलवे स्टेशन के आधुनिकीरण के लिए आबंटित की गयी धनराशि इस प्रकार है:—

1986-87	—	कुछ नहीं
1987-88	—	9.24 लाख रुपये
1988-89	—	13.95 लाख रुपये ।

(ख) इस समय निष्पादित किये जा रहे निर्माण कार्य इस प्रकार हैं :—

(1) स्टेशन की नयी इमारत का निर्माण,

(2) विश्राम कक्षों की व्यवस्था,

(3) प्लेटफार्म नं० 1 पर 96 मीटर में सायबान का विस्तार ।

इन सभी कार्यों के 1989 में पूरे हो जाने की सम्भावना है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित राशि खर्च की गयी थी :—

1986-87	—	कुछ नहीं
1987-88	—	9.24 लाख रुपये
1988-89	—	13.95 लाख रुपये (अनुमानित)

(घ) निम्नलिखित सुविधाएं मुहैया की जा रही हैं :—

(1) आधुनिक बुकिंग कार्यालय वाला एक बड़ा परिसर ।

(2) भोजन तथा रसोई की सुविधाओं वाला एक शाकाहारी लंच कक्ष ।

(3) पुरुषों तथा महिलाओं के लिए आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष ।

(4) डबल बैड वाले तीन विश्राम कक्ष तथा एक डारमिट्री ।

(5) प्लेटफार्म नं० 1 पर 96 मी० लम्बा सायबान ।

अमरीका को काली मिर्चों का निर्यात करने पर प्रतिबन्ध

8222. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका के खाद्य और औषध प्रशासन ने भारतीय काली मिर्च को काली सूची में डाल दिया है ताकि अमरीका में इसका आयात न किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं;

(ग) मसाला बोर्ड और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं और अमरीका को भारतीय काली मिर्च का निर्बाध निर्यात सुनिश्चित करने हेतु अमरीका खाद्य और औषध प्रशासन के साथ यदि कोई बातचीत हुई है, तो वह क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि अमरीका खाद्य और औषध प्रशासन भारत की सरकार निर्यात निरीक्षण एजेंसी के प्रमाणीकरण को मान्यता नहीं देता है; और

(ङ) इस कारण से काली मिर्च के मार्किट में आए संकट को ठीक करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) अमरीका के खाद्य और औषध प्रशासन ने काली मिर्च की भारतीय खेपों को जुलाई, 1987 में स्वत: रोक में रख दिया था ।

(ख) यह आदेश इसलिए जारी किया गया था क्योंकि खाद्य तथा औषध प्रशासन ने काली मिर्च के जिन 60 पोत लदानों के नमूने लिए उनमें से 20 की क्वालिटी को स्तर के अनुरूप नहीं पाया था ।

(ग) से (ङ) इस आदेश को रद्द करवाने के लिए उठाये गये कदमों में निम्नलिखित बातें शामिल थीं :—

(1) सं० रा० अमरीका के खाद्य तथा औषध प्रशासन के साथ विचार-विमर्श के लिए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल का संयुक्त राज्य अमरीका का दौरा/यात्रा के दौरान खाद्य तथा औषध प्रशासन को भविष्य में क्वालिटी स्तर के लिए आश्वासन दिया गया ।

(2) भारत में किये जा रहे नियन्त्रण उपायों की जानकारी देने के लिए एक डी ए के वरिष्ठ अधिकारी को भारत आमंत्रित करना ।

(3) निर्यात निरीक्षण एजेंसी को संयुक्त राज्य अमरीका निर्यात की जाने वाली काली मिर्च का निरीक्षण करने का प्राधिकार देना ।

(4) काली मिर्च की क्वालिटी में बेहतर करने का अभियान चलाना । अभियान में शामिल हैं : गोदाम सुविधाओं तथा पैकरों की संसाधन सुविधाओं में सुधार लाने के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के साथ बैठक तथा पोत लदान पूर्व क्रियाविधि को कठोर करना ।

राजस्थान में रेलगाड़ियों का रुकना

[हिन्दी]

8223. **श्री शांति धारीवाल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान की जनता ने कोटा, जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर मंडलों में यात्री रेलगाड़ियों को अनेक स्टेशनों पर रोकने के बारे में उनके मंत्रालय को अनेक अनुरोध भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने अनुरोध सरकार के पास इस समय निर्णयाधीन पड़े हैं और उनका स्टेशनवार ब्यौरार क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अनुरोधों/प्रस्तावों पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और इन रेलगाड़ियों के उन स्टेशनों पर रुकने की व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो रेलवे विभाग द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा किये जाने वाले वैकल्पिक प्रबन्ध का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ङ) स्टेशनों पर ठहराव के लिए अनुरोध पर विचार करना एक सतत् प्रक्रिया है। वाणिज्यिक औचित्य और परिचालनिक व्यावहारिकता के आधार पर 1-5-1989 से 209/210 लिंक एक्सप्रेस का दुधवा खारा पर और 87/88 चंडीगढ़ एक्सप्रेस का मानकसर और दाबली स्थान पर ठहराव की व्यवस्था कर दी गयी है।

मीटर गेज रेलपथों को बड़ी लाइन में बदलना

[अनुवाद]

8224. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मीटर गेज रेल सम्पर्क से जुड़े कतिपय ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से बड़ी लाइन में बदलने का विचार नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो जोन-वार ऐसे कौन-कौन से सेक्सन हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार इन क्षेत्रों को रेलपथों के बड़ी लाइन में बदलने सम्बन्धी अपने वरीयता कार्यक्रम में लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (घ) संलग्न विवरण में उल्लिखित मीटर लाइन खंडों को छोड़कर मीटर लाइन खंडों का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने के लिए फिलहाल कोई अन्य अनुमोदित योजनाएं नहीं हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे के मीटर लाइन खंडों का उल्लेख उनकी समय-सारिणियों में किया गया है। आमान परिवर्तन सामान्यत: परिचालनिक महत्व के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा संसाधनों की तंगी के कारण बकाया सभी मीटर लाइन खंडों का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने के बारे में विचार करना व्यवहारिक नहीं है।

विवरण

योजना का नाम	लम्बाई (कि० मी०)	प्रत्याशित लागत (करोड़ रुपयों में)
1	2	3
पूर्वोत्तर रेलवे		
1. वाराणसी-भटनी	161	70.75

1	2	3
2. काशीपुर-लालकुआ	60	15.00
3. समस्तीपुर-दरभंगा	37	12.00
4. छपरा-औंडिहार	171	85.13
दक्षिण रेलवे		
5. मैसूर-बेंगलूरू	138	59.96
दक्षिण मध्य रेलवे		
6. मनमाड-परभनी-पर्ली बैजनाथ	345	140.00
7. गुंटूर-माचेर्ला	130	69.03
8. परभनी-पूर्णा और मुदखेड—आदिलाबाद आमान परिवर्तन और पूर्णा-मुदखेड समानान्तर बड़ी लाइन	248	107.42
पश्चिम रेलवे		
9. नडियाद-कपडवंज	45	11.00

सर्वप्रिय कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा अनिवासी भारतीयों को फ्लैटों का आबंटन

8225. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान सर्वप्रिय कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, नई दिल्ली द्वारा अनिवासी भारतीयों और प्रवासी भारतीयों को भी फ्लैटों का आबंटन किए जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां; तो इन आबंटितियों के क्या नाम हैं और क्या ये आबंटन दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त सोसाइटी ने अनिवासी भारतीयों और प्रवासी भारतीयों से धन-राशि लेने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति ली थी; और

(घ) यदि नहीं तो सरकार ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन किए जाने के लिए उक्त सोसाइटी के पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) इस मंत्रालय में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड

8226. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, स्टीपेन कैमिकल्स लिमिटेड के 51 प्रतिशत इक्विटी शेयर खरीद रहा है जैसा कि 26 फरवरी-4 मार्च, 1989 के "इलैस्ट्रटिड वीकली आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनी द्वारा ऐसे नियन्त्रित ब्याज की प्राप्ति भारतीय रिजर्व बैंक/एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक आयोग की स्वीकृति से होता है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि० को कुछ शर्तें पूरी करने पर, मैसर्स स्टीफन कैमिकल्ज लिए, राजपुरा, पंजाब के 51 प्रतिशत इक्विटी शेयरों को खरीद करने की अनुमति दे दी गई है। विदेशी मुद्रा विनियमन के अधीन आवश्यक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार कम्पनी ने एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधीन भी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा निर्यात दायित्व

8227. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने अपनी कुल बिक्री का 10 प्रतिशत निर्यात करने का दायित्व पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 (2) (क) के अन्तर्गत, भारत में 51 प्रतिशत विदेशी शेयरधारिता के साथ अपना व्यापारिक कारोबार जारी रखने की अनुमति, अन्य बातों के साथ-साथ इन शर्तों का अनुपालन करने के आधार पर दी गई थी, कि (1) इसकी केन्द्रीय महत्व की गतिविधियों का वार्षिक कारोबारी मूल्य, इस कम्पनी के कुल कारोबारी मूल्य के 60 प्रतिशत भाग से कम नहीं होगा और (2) प्रत्येक वर्ष के दौरान इसके कम से कम 10 प्रतिशत उत्पादन का निर्यात किया जाएगा। यह कम्पनी इन शर्तों को पूरा करती रही है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

महालेखाकार कार्यालयों में कर्मचारियों की एसोसिएशन

8228. **श्री एन० डेनिस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य-वार महालेखाकार कार्यालयों में चल रही कर्मचारियों की एसोसिएशनों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : महालेखाकार के कार्यालयों में राज्यवार मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के महालेखाकार के कार्यालयों में मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों की सूची

क्रम सं०	कार्यालय	एसोसिएशन
1	2	3
1.	महालेखाकार, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद।	1. सिविल आडिट एण्ड अकाउन्ट्स एसोसिएशन। 2. एस० ए० एस० एसोसिएशन। 3. आल इण्डिया एसोसिएशन आफ अकाउण्ट्स एण्ड आडिट आफीसर (आन्ध्र प्रदेश एकक)।
2.	महालेखाकार, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम, शिलांग।	1. सिविल आडिट एण्ड अकाउण्ट्स एसोसिएशन। 2. आडिट एण्ड अकाउन्ट्स क्लास IV यूनियन। 3. आल इण्डिया एसोसिएशन आफ अकाउण्ट्स एण्ड आडिट आफीसर्स (असम एकक)।
3.	महालेखाकार, बिहार, रांची/पटना।	1. बिहार सिविल आडिट एण्ड अकाउण्ट्स एसोसिएशन। 2. एस० ए० एस० एसोसिएशन। 3. क्लास IV एम्प्लाईज यूनियन। 4. आल इण्डिया एसोसिएशन आफ अकाउण्ट्स एण्ड आडिट आफीसर्स (बिहार एकक)। 5. डिवीजन एकाण्टेन्ट्स एसोसिएशन।
4.	महालेखाकार, गुजरात, अहमदाबाद/राजकोट।	1. गुजरात आडिट एण्ड अकाउण्टस एसोसिएशन अहमदाबाद। 2. क्लास IV स्टाफ एसोसिएशन, अहमदाबाद। 3. सिविल आडिट एण्ड अकाउन्ट्स एसोसिएशन राजकोट। 4. आल इण्डिया आडिट एण्ड अकाउन्ट्स आफीसर्स एसोसिएशन, राजकोट (गुजरात एकक)। 5. डिवीजनल अकाउन्ट्स एसोसिएशन।
5.	महालेखाकार, हरियाणा, चण्डीगढ़।	1. हरियाणा सिविल आडिट एण्ड अकाउण्ट्स एसोसिएशन। 2. एस० ए० एस० एसोसिएशन। 3. क्लास IV एसोसिएशन। 4. आल इण्डिया आडिट एण्ड अकाउन्ट्स आफीसर्स एसोसिएशन (हरियाणा एकक)। 5. हरियाणा डिवीजन अकाउण्टेन्ट्स एसोसिएशन।

1	2	3
6.	महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।	1. हिमाचल प्रदेश सिविल आडिट एण्ड अकाउण्ट्स एसोसिएशन । 2. एस० ए० एस० एसोसिएशन । 3. हिमाचल प्रदेश सिविल आडिट एण्ड अकाउण्ट्स क्लास IV एसोसिएशन । 4. आल इण्डिया एसोसिएशन आफ अकाउन्ट्स एंड आडिट आफीसर्स (हिमाचल प्रदेश एकक) । 5. हिमाचल प्रदेश डिवीजनल अकाउण्ट्स एसोसिएशन ।
7.	महालेखाकार, जम्मू व कश्मीर, श्रीनगर ।	1. दि सिविल आडिट एण्ड अकाउन्ट्स एसोसिएशन, जम्मू । 2. आल इण्डिया एसोसिएशन आफ अकाउन्ट्स एंड आडिट आफीसर्स (जम्मू व कश्मीर एकक) ।
8.	महालेखाकार, केरल, त्रिवेन्द्रम ।	1. अकाउन्टेन्ट्स जनरल्स आफिस एन० जी० ओ० एसोसिएशन । 2. एस० ए० एस० एसोसिएशन । 3. आल इण्डिया एसोसिएशन आफ अकाउन्ट्स एन्ड आडिट आफीसर्स (केरल एकक) ।
9.	महालेखाकार, कर्णाटक, बंगलौर ।	1. सिविल आडिट एण्ड अकाउन्ट्स एसोसिएशम । 2. एस० ए० एस० एसोसिएशन । 3. आल इण्डिया एसोसिएशन आफ अकाम्ट्स एण्ड आडिट आफीसर्स (कर्णाटक एकक) ।
10.	महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर/भोपाल ।	1. सिविल आडिट एण्ड अकाउन्ट्स एसोसिएशन, ग्वालियर । 2. क्लास IV एम्प्लाईज यूनियन, ग्वालियर । 3. मध्य प्रदेश डिवीजनल अकाउन्टेन्ट्स एसोसिएशन, ग्वालियर । 4. सिविल आडिट एण्ड अकाउन्ट्स एसोसिएशन, भोपाल । 5. आल इण्डिया एसोसिएशन आफ अकाउन्ट्स एण्ड आडिट आफीसर्स (मध्य प्रदेश एकक) ।
11.	महालेखाकार, महाराष्ट्र, बम्बई/नागपुर ।	1. सिविल आडिट एण्ड अकाउन्ट्स एसोसिएशन बम्बई । 2. एस० ए० एस० एसोसिएशन, बम्बई । 3. सिविल आडिट एण्ड अकाउन्ट्स एसोसिएशन, नागपुर ।

1	2	3
		4. एस० ए० एस० एसोसिएशन, नागपुर । 5. डिवीजनल अकाउन्ट्स एसोसिएशन, नागपुर । 6. आल इण्डिया एसोसिएशन आफ अकाउन्ट्स एण्ड आडिट आफीसर्स (महाराष्ट्र, बम्बई नागपुर एकक) ।
12.	महालेखाकार, मणिपुर, इम्फाल ।	1. सिविल आडिट एण्ड अकाउन्ट्स एसोसिएशन ।
13.	महालेखाकार, उड़ीसा, भुवनेश्वर ।	1. उड़ीसा एन० जी० आडिट एण्ड अकाउन्ट्स एसोसिएशन । 2. उड़ीसा डिवीजनल अकाउन्टेन्ट्स एसोसिएशन । 3. आल इण्डिया एसोसिएशन आफ अकाउन्ट्स एण्ड आडिट आफीसर्स (उड़ीसा एकक) ।
14.	महालेखाकार, पंजाब, चण्डीगढ़ ।	1. सिविल आडिट एण्ड अकाउन्ट्स एसोसिएशन । 2. सिविल आडिट एण्ड अकाउन्ट्स क्लास IV एसोसिएशन । 3. पंजाब डिवीजनल अकाउन्टेन्ट्स एसोसिएशन । 4. आल इण्डिया एसोसिएशन आफ अकाउन्ट्स एण्ड आडिट आफीसर्स (पंजाब एकक) ।
15.	महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।	1. सिविल आडिट एण्ड अकाउन्ट्स एसोसिएशन । 2. एस० ए० एस० एसोसिएशन । 3. डिवीजनल अकाउन्टेन्ट्स एसोसिएशन । 4. आल इण्डिया एसोसिएशन आफ अकाउन्ट्स एण्ड आडिट आफीसर्स (राजस्थान एकक) ।
16.	महालेखाकार, तमिलनाडु, मद्रास ।	1. मद्रास सिविल आडिट एण्ड अकाउन्ट्स एसोसिएशन । 2. सैक्शन आफीसर्स एसोसिएशन । 3. क्लास IV एसोसिएशन । 4. मद्रास डिवीजनल अकाउन्टेन्ट्स एसोसिएशन । 5. आल इण्डिया एसोसिएशन आफ अकाउन्ट्स एण्ड आडिट आफीसर्स (मद्रास एकक) ।
17.	महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।	1. यू० पी० डिवीजनल अकाउन्टेन्ट्स एसोसिएशन । 2. आल इण्डिया एसोसिएशन आफ अकाउन्ट्स एण्ड आडिट आफीसर्स (यू० पी० यूनिट) ।
18.	महालेखाकार, पश्चिम बंगाल,	1. सिविल आडिट एण्ड अकाउन्ट्स एसोसिएशन । 2. सैक्शन आफीसर्स एसोसिएशन ।

1	2	3
	कलकत्ता।	3. वैस्ट बंगाल डिवीजनल अकाउन्टेन्ट्स एसोसिएशन।
		4. आल इण्डिया एसोसिएशन आफ अकाउन्ट्स एण्ड आडिट आफीसर्स (वैस्ट बंगाल यूनिट)।

तस्करी की गतिविधियां

8229. **श्री एन० डेनिस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तस्करी की गतिविधियों में "कैरियर पैसेंजर्स" के उभर कर आने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) उपलब्ध रिपोर्टों से यह पता नहीं चलता है कि भारी मात्रा में निषिद्ध माल की तस्करी के लिए "कैरियर पैसेंजर्स" के रूप में वर्ग उभर रहे हैं।

(ख) सीमा शुल्क प्राधिकारी "कैरियर पैसेंजर्स" द्वारा की जाने वाली तस्करी सहित तस्करी की गतिविधियों के विरुद्ध सतर्क रहते हैं। ऐसी गतिविधियों में ग्रस्त पाए गए यात्रियों पर विभागीय न्याय निर्णयन में अर्थदण्ड लगाया जा सकता है तथा उन पर न्यायालय में अभियोजन भी चलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत नजरबन्द भी किया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामले

8230. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि अधिगृहीत की गई भूमि का मुआवजा देने सम्बन्धी अनेक मामले उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों में लम्बित हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का ऐसे पुराने मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) ऐसे मामलों के लम्बित रहने की स्थिति अभिनिश्चित की जा रही है।

गुजरात में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलना

8231. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अब तक कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए हैं;

(ख) क्या सरकार अथवा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के पास गुजरात में नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव लम्बित पड़े हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने प्रस्ताव कब से लम्बित पड़े हुए हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि इस समय गुजरात राज्य में 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और फिलहाल राज्य में और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बिहार की सुबर्नरेखा परियोजना के लिए पुनर्वास कार्यक्रम

8232. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्वी बिहार में प्रस्तावित सुबर्नरेखा परियोजना के लिए कुल कितनी भूमि अधिग्रहित की गई है/अधिग्रहित की जानी है;

(ख) इस परियोजना से कुल कितने व्यक्तियों को विस्थापित किया गया है/विस्थापित किया जाएगा;

(ग) क्या विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए कोई वैकल्पिक प्रबन्ध किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार की प्रभावित परिवारों को जमीन देने की कोई योजनाएं हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) लगभग 34 हजार हेक्टेयर।

(ख) लगभग 50 हजार व्यक्ति।

(ग) से (च) विस्थापित परिवारों के लिए बनाए गए पुनर्वास तथा पुनः स्थापन कार्यक्रमों में ये शामिल हैं :—मुआवजे का भुगतान, कृषि के लिए भूमि उपलब्ध कराना, पुनर्वास स्थल, रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा स्थानान्तरित करने के लिए सहायता अनुदान।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में प्रतिनिधित्व

8233. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इस संगठन में उन सभी समुद्र तटीय राज्यों के प्रतिनिधि हैं जो समुद्री उत्पादों के निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के गठन करते समय किन मार्ग-निर्देशों का पालन किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सभी समुद्र तटीय राज्यों को जो समुद्री उत्पादों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं उन्हें समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का गठन	अध्यक्ष
1. श्री टी० के० ए० नायर, अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन ।	सदस्य पदेन
2. डा० एम० शक्तिवाल, निदेशक, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन ।	सदस्य
3. श्री दौलतसिंहजी जदेजा, लोक सभा सदस्य ।	सदस्य
4. श्री वी० एस० विजयराघवन, लोक सभा सदस्य ।	सदस्य
5. श्री पी० एन० शुक्ल, राज्य सभा सदस्य ।	सदस्य
6. विकास आयुक्त (मत्स्य), कृषि तथा सहकारिता विभाग, नई दिल्ली ।	सदस्य
7. कु० सुमा सुवन्ना, निदेशक (वित्त), वाणिज्य मंत्रालय ।	सदस्य
8. श्री जवाहर सरकार, उप सचिव (नि० स०) (समुद्री उत्पाद) वाणिज्य मंत्रालय ।	सदस्य
9. श्री ए० के० दास, औद्योगिक सलाहकार (रसायन), तकनीकी विकास महानिदेशालय ।	सदस्य
10. श्री सी० एम० सेठिया, जहाजरानी के उप महानिदेशक ।	सदस्य
11. मत्स्य निदेशक, आन्ध्र प्रदेश सरकार ।	सदस्य
12. सचिव, पोत, परिवहन एवं मत्स्य, गुजरात सरकार ।	सदस्य
13. सचिव, मत्स्य विभाग, केरल सरकार ।	सदस्य

14. सचिव, सदस्य
कृषि एवं सहकारिता विभाग,
महाराष्ट्र सरकार।

15. मत्स्य निदेशक, कर्नाटक सरकार। सदस्य

16. सचिव, (वन तथा मत्स्यकी) सदस्य
उड़ीसा सरकार।

17. मत्स्यकी निदेशक, सदस्य
तमिलनाडु सरकार।

18. सचिव, मत्स्यकी विभाग, प० बंगाल सरकार। सदस्य

19. सचिव (मत्स्यकी), गोआ सरकार। सदस्य

20. डा० पी० एस० बी० आर० जेम्स, सदस्य
निदेशक, सी० एम० एफ० आर० आई०, कोचीन।

21. श्री टी० एम० जोसफ, सदस्य
मै० जोर्ज मेजो, मद्रास।

22. श्री सी० चेरियन, सदस्य
मै० चैमन्स, कोचीन।

23. श्री एन० एस० एच० प्रसाद, सदस्य
मै० श्रीनिवासा सीफूड लि०,
विजांग।

24. श्री नरेन्द्र भास्कर पटेल, सदस्य
मै० सोनिया फिसरीज, बम्बई।

25. श्री रमेश डब्ल्यू० सावन्त, सदस्य
मै० सावन्त फूड प्रोडक्ट्स, बम्बई।

26. श्री अनवर हासिम, सदस्य
मै० अबाद फिसरीज, कोचीन।

27. श्री आर० भट्टाचार्य सदस्य
मै० त्रिवेणी फड प्रोडक्ट्स, कलकत्ता।

28. प्रो० पी० जे० कुरियन, संसद सदस्य (लोक सभा)। सदस्य

29. कैप० जाहिद शेख, मंगरोल, जुनागढ़ जिला, सदस्य
(गुजरात राज्य मत्स्यकी निगम के निदेशक)।

30. श्री वी० वसन्त कुमार, कार्यकारी निदेशक, सदस्य
स्टार मैरिन फूड्स (प्रा०) लि०।

जलेश्वर में 21/22 धोली एक्सप्रेस के स्टापेज की मांग

8234. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के खड़गपुर भद्रक सेक्शन पर जलेश्वर रेलवे स्टेशन के रेल यात्री 21 और 22 धोली एक्सप्रेस को जलेश्वर रेलवे स्टेशन पर दो मिनट तक रोकने के लिए स्टापेज की मांग कर रहे हैं;

(ख) क्या खड़गपुर के डी० आर० एम० ने रेलवे बोर्ड को जलेश्वर में इस रेलगाड़ी के ऐसा स्टापेज बनाने की सिफारिश की थी, यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) फिलहाल व्यवहार्य नहीं है।

जनता एक्सप्रेस, अदीना एक्सप्रेस और कंचनजंघा एक्सप्रेस को पुनः चलाना

8235. **डा० गुलाम यजदानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में नई जलपाईगुड़ी से कलकत्ता आने वाली जनता एक्सप्रेस और मालवा से कटिहार जाने वाली यात्री गाड़ी और मालवा रेलवे स्टेशन से चलकर मालवा वापस आने वाली कंचनजंघा एक्सप्रेस को पुनः चलाने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जनता की मांग के औचित्य को देखते हुए हवड़ा और गुवाहाटी के बीच एक दैनिक सुपरफास्ट गाड़ी चलाने के लिए 57/58 हवड़ा-नयी दिल्ली जलपाइगुड़ी कंचनजंघा एक्सप्रेस, 67/68 न्यू जलपाइगुड़ी-न्यू बोंगाईगांव तिस्ता ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस और 165/166 जनता एक्सप्रेस (हवड़ा-न्यू बोंगाईगांव) का युक्तिकरण/विलय कर दिया गया था। 1-5-1989 से 69/70 मालदा टाउन-कटिहार अदीना फास्ट पैसेंजर को पुनः उसके सामान्य मार्ग पर चला दिया गया है।

कर्नाटक में रेलवे के उपक्रम

8236. **श्री एन० डेनिस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके कर्नाटक राज्य में स्थित रेलवे के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ग) इनकी रोजगार प्रदान करने की क्षमता कितनी है; और

(घ) इनके विस्तार करने सम्बन्धी कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) कर्नाटक राज्य में रेल मंत्रालय के अधीन कोई सरकारी उपक्रम नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में चिड़ियाघर परियोजना के लिए अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजीनिवेश

8237. **श्री एन० डेनिस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में मद्रास में चिड़ियाघर क्षेत्र में हाल ही के वर्षों में होटल परियोजना के निर्माण में अनिवासी भारतीयों को पूंजी निवेश की अनुमति दी गई है;

(ख) पूंजी निवेश करने वाले अनिवासी भारतीयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनिवासी भारतीयों को पूंजी निवेश की अनुमति देने के क्या आधार हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) यह प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा सरकारी वित्तीय संस्थानों को लेखा परीक्षा

8238. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जैसे वर्तमान वित्तीय संस्थानों को भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जोकि एक सांविधिक रूप से स्वतंत्र संस्थान है, द्वारा लेखा परीक्षा करने के दायरे से बाहर रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी वित्त के सभी पहलुओं को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जांच न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या निजी क्षेत्र के अनेक बड़े संस्थानों में सार्वजनिक धन का एक बड़ा अंश सरकारी वित्तीय संस्थानों के माध्यम से निवेश किया जाता है और उन्हें भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा से छूट दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकारी वित्त में व्याप्त वर्तमान कुप्रबन्ध को देखते हुए सरकार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय संस्थानों को लेखा परीक्षा करने की आवश्यकता पर विचार करेंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और भारतीय जीवन बीमा निगम जैसी सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों के उपबन्धों के अनुसार उनके लेखाओं की परीक्षा उनके लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन किसी कम्पनी की लेखापरीक्षा करने के लिए अर्हता-प्राप्त होते हैं। ये लेखापरीक्षक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन/परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा, बैंकों आदि ने अपनी शाखाओं की लेखापरीक्षा करने और उन पर नियंत्रण रखने के लिए पर्याप्त नियंत्रण और सतर्कता तंत्र भी गठित कर रखा है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के लेखाओं की परीक्षा करने के लिए पहले से विद्यमान पर्याप्त तंत्र को देखते हुए यह जरूरी नहीं समझा गया कि इन संस्थाओं की लेखापरीक्षा का काम भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंप दिया जाए।

जहां तक सावधि ऋणदाता संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋण का सवाल है, भारतीय

औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, परियोजनाओं की अर्थक्षमता, अन्य संबद्ध बातों आदि को ध्यान में रखते हुए गैर-सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों को जब वित्तीय सहायता दी जाती है तो इन उपक्रमों आदि की लेखा परीक्षा के मामले में कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्ध लागू होते हैं।

दिल्ली-गोरखपुर मार्ग पर खान-पान सेवा

8239. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को दिल्ली तथा गोरखपुर के बीच रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को भोजन सप्लाई करने वाले कुछ ठेकेदारों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) शिकायतें भोजन की गुणवत्ता और सेवा से सम्बन्धित थीं। दो ठेकेदारों को जुर्माना किया गया था और एक को चेतावनी दी गई थी।

उत्तर प्रदेश में निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन

[हिन्दी]

8240. **श्री हरीश रावत** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को उत्तर प्रदेश में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः सीमांकन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ताकि पर्वतीय क्षेत्रों के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से अधिक छोटा बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की विशालता, दुर्गम्यता और वहां संचार सुविधाओं के अभाव को देखते हुए विधान सभा प्रतिनिधियों को अपने मतदाताओं के प्रति और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए क्या उपाय सुझाये जा रहे हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां। कुछ अभ्यावेदन इस आशय के प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) संविधान के विद्यमान उपबन्धों के अनुसार, जब तक सन् 2000 के पश्चात् की जाने वाली पहली जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो जाते हैं तब तक प्रत्येक राज्य की विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या का पुनः समायोजन और ऐसे राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन वर्जित है।

इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 170 (2) में यह उपबन्ध है कि प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथा-साध्य एक ही हो। इस संवैधानिक अपेक्षा के कारण, ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र, जिनमें जनसंख्या विरल है या जिनमें पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र

समाविष्ट हैं, उन निर्वाचन-क्षेत्रों की तुलना में बड़े होंगे जो मैदानी या नगरीय क्षेत्र हैं। जब तक संविधान के सुसंगत उपबंधों का उपयुक्त रूप से संशोधन नहीं हो जाता है तब तक सुझाव के अनुरूप परिसीमन संभव नहीं होगा। इस समय संविधान के संशोधन का भी कोई प्रस्ताव नहीं है।

नर्मदा बांध के विस्थापित लोग

[अनुवाद]

8241. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 9 मार्च, 1989 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "हाई डेथ रेट आफ नर्मदा आउस्टीस" शीर्षक प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(ग) क्या अन्य बांधों के कारण विस्थापित हुए लोगों की भी इसी प्रकार उच्च मृत्यु दर रही है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि उच्च मृत्यु-दर से सम्बन्धित रिपोर्ट बढ़ा-चढ़ाकर बनायी गयी है तथा यह तथ्यों पर आधारित नहीं है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क को खरीद

8242. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने निर्यात के उद्देश्य से अरक्षित खानों से लौह अयस्क की खरीद में कमी करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) एम० एम० टी० सी० का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि वर्ष 1988-89 के दौरान लौह अयस्क की जितनी खरीद की गई थी, वर्ष 1989-90 के दौरान उससे कम खरीद की जाएगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जापान को चमड़े से बनी वस्तुओं का निर्यात

8243. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** :
श्री जी० एस० बसवराजु :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान को चमड़े से बनी वस्तुओं के निर्यात में और वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो यदि इस बारे में कोई समझौता किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में किसान अध्ययन दल ने भी जापान का दौरा भी किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) से (घ) अन्य देशों के साथ-साथ जापान को लैदर फुटवीयर के निर्यात संवर्धन के लिए चमड़ा निर्यात परिषद द्वारा प्रायोजित दल ने, जानकारी दी है कि यद्यपि लैदर फुटवीयर के लिए जापानी बाजार छोटी है परन्तु जापान को हमारे लैदर फुटवीयर और शू-अपर्स के और अधिक निर्यात की गुंजाइश है। यह गुंजाइश विशेषकर जापान में क्रमशः आयातों के लिए दी जा रही ढील के संदर्भ में अधिक है। इस सम्बन्ध में जापान के साथ किसी द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। फिर भी, परिषद ने जापान को फुटवीयर और शू-अपर्स, चमड़े की वस्तुओं और परिधानों के निर्यात के लिए बाजार संवर्धन उपायों को सघन किया है।

सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ भारत के सहयोग के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कार्यशाला

8244. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**
श्री जी० एस० बासवराजु :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ और अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ भारत के सहयोग के सम्बन्ध में 10 अप्रैल, 1989 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला आरम्भ की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुख्य विषयों पर बातचीत की गयी;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) से (घ) "सोवियत संघ, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, जर्मन जनवादी गणराज्य, हंगरी और पोलैंड के साथ भारत के व्यापार और आर्थिक सहयोग के नए आयाम" विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला 10-12 अप्रैल, 1989 को दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला का आयोजन संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन द्वारा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद और भारत-सोवियत संघ वाणिज्य और उद्योग मंडल के सहयोग से किया गया था। प्रारम्भिक परिपूर्ण सत्र का उद्घाटन, वाणिज्य मंत्री श्री दिनेश सिंह ने किया था और समापन परिपूर्ण सत्र को वाणिज्य राज्य मंत्री श्री प्रिय रंजन दासमुन्शी ने संबोधित किया था। इसमें पूर्व यूरोपीय देशों का प्रतिनिधित्व उनके राजदूत/व्यापारिक प्रतिनिधियों/दूतावास में वरिष्ठ अधिकारियों ने तथा कुछ देशों के विदेशी आर्थिक संबंध मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लेकर किया था। इस कार्यशाला में जिन मुख्य मुद्दों पर विचार किया गया उनमें शामिल हैं : भारत और पूर्व यूरोपीय देशों के बीच व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध, संयुक्त उद्यमों, भुगतान तथा अन्य वित्त पोषण प्रबन्धों सहित सहयोग के नए माध्यमों का विकास करने की संभावनाओं का पता लगाना आदि। कार्यशाला में उन परिवर्तनों के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार किया गया जो पूर्वी यूरोप के इन देशों में हो रहे हैं और जिनका इन देशों के साथ भारत के व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा। इस कार्यशाला को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य था इन देशों में अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार की क्रियाविधि में हो रहे परिवर्तनों के बारे में जानकारी देना।

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने की योजना

[हिन्दी]

8245. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम की विदेशी मुद्रा अर्जित करने की कोई योजना है, जिससे कि वह अपने आयात के लिए स्वयं संसाधन जुटा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) धातु एवं खनिज व्यापार निगम के कम्पनीगत उद्देश्यों में से एक है, अपने आयातों के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं हेतु अपने निर्यातों के जरिए विदेशी मुद्रा अर्जन अनुपात को अधिकतम करना, इसके अलावा धातु एवं खनिज व्यापार निगम के पास अपने आयातों को पूरा करने के लिए अपने निजी साधनों से विदेशी मुद्रा अर्जन हेतु कोई अन्य योजना नहीं है ।

विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण

[अनुवाद]

8247. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के अन्त तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को ऋण की कितनी राशि की अदायगी की गई और कितना ऋण बकाया है;

(ख) इन ऋणों पर कितना ब्याज दिया गया और कितना देय है;

(ग) क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से और अधिक ऋण लेने के प्रयास कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या नए ऋण की आवश्यकता वर्तमान ऋणों के भुगतान के लिए है अथवा निवेश करने के लिए है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) वर्ष 1988-89 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को वापस अदा किए गए ऋणों की राशि और 31 मार्च, 1989 को ऋणों की बकाया राशि इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

	1988-89 के दौरान वापस अदा की गई राशि	31 मार्च, 1989 को ऋणों की बकाया राशि
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (विस्तारित कोष सुविधा)	1471.65	3680.45
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (न्यास निधि)	205.25	353.18
विश्व बैंक	497.34	23818.87

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ऋणों पर दिए गए ब्याज की राशि और 1989-90 के दौरान देय राशि इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

	1988-89 के दौरान अदा किए गए ब्याज की राशि	1989-90 के दौरान ब्याज की देय राशि (बजट अनुमान)
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (विस्तारित कोष सुविधा)	315.45	229.65
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (न्यास निधि)	2.44	1.55
विश्व बैंक	776.41	926.42

(ग) और (घ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से नया ऋण लिए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। जहां तक विश्व बैंक का संबंध है, भारतीय सहायता संघ की जून, 1988 में हुई बैठक में 2.7 अरब डालर की वचनबद्धता का संकेत दिया गया है, जिसमें से 15050 लाख डालर की राशि पांच परियोजनाओं के लिए वचनबद्ध की गई है। बाकी राशि की वचनबद्धता विचाराधीन अलग-अलग परियोजनाओं की स्थिति पर निर्भर करती है। विश्व बैंक से प्राप्त सहायता विशिष्ट परियोजना निवेशों के संदर्भ में होती है, न कि वर्तमान ऋणों की वापसी अदायगी के लिए।

हैदराबाद और परली बैजनाथ के बीच तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी चलाना

8248. **श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद और परली बैजनाथ के बीच तेज रफ्तार वाली एक रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) फिलहाल परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं है।

महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोलना

8249. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोलने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र में इन मानदण्डों का पालन किया जा रहा है;

(ग) इन मानदण्डों के अनुसार राज्य के किन-किन क्षेत्रों में बैंक शाखाएं होनी चाहिए थीं, जहां अभी तक शाखाएं नहीं खोली गयी हैं;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन क्षेत्रों में बैंक शाखाएं कब तक खोली जाएंगी ?

वित मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) 1985-90 को वर्तमान शाखा लाइसेंसिग नीति के उद्देश्य नीचे दिए गए हैं :—

(एक) प्रत्येक विकास खंड के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 17,000 की जनसंख्या के पीछे एक बैंक कार्यालय खोलने के लक्ष्य को प्राप्त करना ।

(दो) साधारणतया प्रत्येक गांव से 10 कि० मी० की दूरी पर एक बैंक शाखा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने लीड बैंक समूह/राज्य सरकारों द्वारा भेजी गयी पता लगाए गए केन्द्रों की सूचियों के आधार पर नीति में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को केन्द्र आबंटित किए है।

(ख) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्तमान नीति में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार लीड बैंक समूह को ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए केन्द्रों का पता लगाने और पता लगाए गए केन्द्रों की सूची राज्य सरकार के माध्यम से पात्र केन्द्रों के आबंटन पर विचार करने की सिफारिशों के साथ भेजने के लिए कहा है। महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के पास 689 ग्रामीण और अर्ध-शहरी केन्द्रों की सूची भेजी है। इनमें से भारतीय रिजर्व बैंकों को 499 पात्र केन्द्र आबंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण देने की सेवा क्षेत्र योजना के अंतर्गत बैंकों को 42 और ग्रामीण केन्द्र आबंटित किए हैं। कुल मिलाकर अब तक बैंकों को 541 ग्रामीण और अर्ध शहरी केन्द्र आबंटित किए जा चुके हैं। बैंकों को आबंटित किए गए इन केन्द्रों में से 253 केन्द्रों पर शाखाएं खोली जा चुकी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से केवल कुछ ऐसे केन्द्रों को छोड़कर जहां, न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, शेष केन्द्रों पर जून, 1989 के अन्त तक शीघ्रता से शाखाएं खोलने के अनुदेश दे दिए हैं।

कारखाना श्रमिकों, कृषि श्रमिकों और किसानों के लिए सामूहिक बीमा योजना

8250. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कारखाना श्रमिकों, कृषि श्रमिकों और किसानों को सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत लाने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान क्या प्रगति हुई है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई; और

(ग) यदि वर्ष 1989 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अपनी सामूहिक बीमा योजनाओं के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य में फैक्टरी कामगारों, कृषि श्रमिकों और किसानों को कवच प्रदान करने के संबंध में जो प्रगति की गई है, उसकासे आकलन पिछले 3 वर्षों के दौरान आरम्भ की गई नई योजनाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित आंकड़ों

किया जा सकता है :—

वर्ष	आरम्भ की गई नई योजनाओं की संख्या	कवच प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या
1986-87	517	1,33,985
1987-88	777	1,24,282
1988-89	1054	1,74,022

इसके अलावा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) के अन्तर्गत आने वाले लगभग 2.26 लाख लाभानुभोगियों को भी वर्ष 1988-89 के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा आरम्भ की गई सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

(ख) महाराष्ट्र राज्य में इन योजनाओं के अन्तर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान मृत्यु दावों की संख्या और अदा की गई राशि नीचे दर्शाई गई है :—

वर्ष	अदा किए गए दावों की संख्या	दावों की अदा की गई राशि (रुपए)
1986-87	2456	3,67,02,693
1987-88	2469	3,96,27,471
1988-89 (दिसम्बर, 1988 तक)	1643	3,16,72,423

(ग) अनुमानतः वर्ष 1989-90 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में 1500 नई योजनाएं आरम्भ की जाएंगी जिनमें लगभग 2 लाख नए लोगों को कवच प्रदान किया जाएगा।

अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी समझौता

8251. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन से अनुरोध किया है कि वर्ष 1983 में हुए वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी समझौते को बढ़ाया जाए तथा अगले छः वर्षों के लिए एक नया समझौता किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय काफी करार, 1983 को आगे बढ़ाने/पुनः समझौता करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन में इस समय विचार-विमर्श चल रहा है। भारत भी इन चर्चाओं में भाग ले रहा है।

राज्य व्यापार निगम की कार्य योजना

8252. श्रीमती बसवराजेश्वरी :
श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने वर्ष 1989-90 से वर्ष 1991-92 के लिए कोई तीन वर्षीय कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उस पर कितनी धनराशि व्यय होगी; और

(घ) इससे व्यापार में कितनी वृद्धि होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (घ) राज्य व्यापार निगम वर्ष 1991-92 तक लगभग 1500 करोड़ रुपए के निर्यात कारोबार का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से एक विस्तृत त्रिवर्षीय योजना तैयार करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है।

गाद भरने के कारण जलाशयों की पानी संचयन क्षमता में कमी

[हिन्दी]

8253. श्री हरीश रावत : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कतिपय बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के जलाशयों की पानी संचयन क्षमता में तेजी से कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो जलाशयों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इन जलाशयों से गाद को साफ करने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ङ) क्या जल-ग्रहण क्षेत्रों में ही गाद बनने को रोकने के लिए कोई योजना तैयार की जा रही है; आर

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जलाशयों में गाद जमा होना एक प्राकृतिक तथ्य है। समय के साथ-साथ सभी जलाशयों की भण्डारण क्षमता कम हो जाती है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न जलाशयों के सम्बन्ध में किए गए अद्यतन जल सम्बन्धी सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार यह पाया गया है कि भण्डारण क्षमता की क्षति का प्रतिशत कोई चिन्ताजनक नहीं है।

(ग) से (च) जलाशयों में गाद जमा होने की दर को कम करने के लिए माताटीला और रामगंगा जलग्रहण क्षेत्रों में कृषि मंत्रालय द्वारा नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्र में मृदा संरक्षण से सम्बन्धित केन्द्र प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

दिल्ली के अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों की मांगें

[अनुवाद]

8254. **श्री हरीश रावत** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार की सेवा के अधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो इन न्यायालयों के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की मांगों पर वर्ष 1978-79 में एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचार किया गया था;

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या थीं और क्या सरकार ने उन मांगों को स्वीकार कर लिया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इन मांगों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं खोलना

[हिन्दी]

8255. **श्री हरीश रावत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में भारतीय स्टेट बैंक की कुछ और शाखाएं खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों के लिए ये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान इन क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोली जायेंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो ये शाखायें कब तक खोली जायेंगी ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत पिथौरागढ़ जिले में शाखाएं खोलने के लिए भारतीय स्तेट बैंक से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु अल्मोड़ा जिले के चिलियानौला तथा भीकियोसेन में शाखाएं खोलने के लिए भारतीय स्टेट बैंक से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। वर्तमान नीति के अन्तर्गत, बैंकों को केन्दों का आबंटन राज्य सरकार से प्राप्त पता लगाए गए केन्द्रों की सूची के आधार पर किया जाता है न कि अलग-अलग बैंक द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने चिलियानौला केन्द्र, भारतीय स्टेट बैंक को आबंटित किया है, क्योंकि यह केन्द्र उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त पता लगाए गए केन्द्रों की सूची में शामिल किया गया था। भेकियासेन केन्द्र को किसी बैंक को आबंटित करने योग्य नहीं पाया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त पता लगाए गए केन्द्रों की सूची में यह केन्द्र शामिल नहीं था। इसके अलावा, मीकियासेन में 1975 से पहले से यूको बैंक की शाखा कार्य कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने चिलियानौला में अपनी शाखा नहीं खोली है। फिर भी, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के केवल उन मामलों को छोड़कर, जहां न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं

हैं, समस्त आबंटित केन्द्रों पर शीघ्र ही जून, 1989 के अन्त तक अपनी शाखाएं खोलने के अनुदेश दे दिए हैं।

सिक्किम में केन्द्रीय कराधान कानून लागू करना

[अनुवाद]

8256. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में 1 अप्रैल, 1989 से केन्द्रीय कराधान कानून लागू हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस राज्य में मुख्यालयों में आयकर विभाग और अन्य कार्यालय स्थापित कर दिए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) एक सहायक आयकर आयुक्त को गंगतोक में तैनात किया गया है। गंगतोक में एक आयकर कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दुबई में अप्रवासी भारतीयों की गोष्ठी

8257. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी देश के अप्रवासी भारतीयों द्वारा हाल ही में दुबई में आयोजित एक गोष्ठी में सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस गोष्ठी में अप्रवासी भारतीयों ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया था कि देश उनके द्वारा पूंजी निवेश में आने वाली बाधाओं में अफसरशाही के विभिन्न स्तरों पर प्रतिक्रियात्मक बाधा तथा भारत में कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा अप्रवासी भारतीयों के विरुद्ध अभियान भी शामिल हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन बाधाओं को दूर करने तथा अप्रवासी भारतीयों द्वारा देश में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) भारत सरकार के कुछ पदाधिकारियों ने खाड़ी के देशों के अनिवासी भारतीयों की दूसरी गोष्ठी में जो 14 दिसम्बर से 16 दिसम्बर, 1988 तक दुबई में हुई थी, भाग लिया था।

(ख) गोष्ठी में प्रक्रियात्मक बाधाओं की समस्या उठाई गई थी।

(ग) मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा बराबर की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, उपर्युक्त परिवर्तन कर दिए जाते हैं।

15-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल में बैंकों द्वारा दी गई सहायता

8258. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मन्त्री के 15-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी धनराशि के ऋण वितरित किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(ग) इस अवधि के दौरान कितनी महिलाओं को व्यावसायिक कार्यक्रमों हेतु ऋण दिए गए; और

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य को वर्ष 1989-90 में कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) केरल राज्य की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक केनरा बैंक ने सूचित किया है कि प्रधान मन्त्री के 15-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल में दिसम्बर, 1988 में 703694 खातों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की राशि 395.03 करोड़ रुपए थी।

(ग) बैंकों की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है।

(घ) केनरा बैंक ने सूचित किया है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वर्ष 1989-90 के लिए अनन्तिम रूप से 500 करोड़ रुपए नियत किए गए हैं।

गया-क्यूल रास्ते पर हवड़ा और दिल्ली के लिए एक्सप्रेस गाड़ियां

[हिन्दी]

8259. **श्री कुंवर राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवड़ा और दिल्ली के मध्य बरास्ता गया-क्यूल रेलवे लाइन पर एक्सप्रेस गाड़ियां आरम्भ करने के लिए जनता ने मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां :

(ख) और (ग) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को राहत

[अनुवाद]

8260. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को राहत देने के लिए विद्यमान मूलभूत सुविधाएं और कार्य प्रणाली पर्याप्त और संतोषजनक है; और

(ख) यदि नहीं, तो दुर्घटना के पश्चात् दुर्घटना से प्रभावित हुए व्यक्तियों के लिए राहत पाने की प्रक्रिया सरल बनाने और उचित राहत ठीक समय पर देने हेतु प्रशासन तन्त्र को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। दुर्घटनाग्रस्त लोगों को दुर्घटना के पश्चात् समय पर पर्याप्त सहायता प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान प्रणाली को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है।

अमरीका के साथ व्यापार समझौता

8261. **श्री एस० एम० गुरड्डी** :
श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच इस वर्ष के दौरान कोई व्यापार समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बुलगारिया को निर्यात

8262. **श्री के० प्रधानी : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बुलगारिया को किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस देश को कुल कितने मूल्य की वस्तुएं निर्यात की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) बुल्गारिया को होने वाले निर्यातों की प्रमुख मदें हैं : सोया निस्सारण, काफी, काली मिर्च, तैयार चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद, नीटवीयर एवं परिधान, लौह अयस्क, अर्थमूविंग उपस्कर तथा मशीनी औजार।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बुल्गारिया को हुए भारतीय निर्यातों का मूल्य नीचे दिया गया है :

वर्ष	(रु/करोड़)
1986-87	45
1987-88	47
1988-89 (अप्रैल-सितम्बर)	14

स्रोत : डी० जी० सी० आई० एण्ड एस०, कलकत्ता।

आस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करना

8263. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित किए हैं अथवा स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) सरकार ने आस्ट्रेलिया के साथ कोई संयुक्त उद्यम स्थापित नहीं किया है। किन्तु 9-12 फरवरी, 1989 तक आस्ट्रेलिया के प्रधान मन्त्री भी सरकारी भारत-यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने रेलवे, दूर-संचार और रियायती वित्त के क्षेत्रों में सहयोग के बारे में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संयुक्त उद्यमों की स्थापना भी शामिल है।

जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना

8264. **श्री के० प्रधानी** :
श्री राधाकान्त डिगाल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की देश के जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में राज्य-वार क्या परियोजनाएं बनाई गई हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहो) : (क) और (ख) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है तथा केन्द्रीय सहायता सामान्यतया ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है। जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत लघु सिंचाई स्कीमों के लिए राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 11 राज्यों में 204 बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा।

मत्स्य पालन उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर तेल की सप्लाई

8265. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मत्स्य पालन उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर तेल की सप्लाई करने हेतु समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव को कार्यान्वित किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) गहरे समुद्र में मत्स्य पालन उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर तेल सप्लाई करने हेतु समुद्री उत्पाद निर्यात विकास

प्राधिकरण की स्कीम को सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय, यानि खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय को भेज दिया गया है, ताकि वह सम्बन्धित मन्त्रालयों के परामर्श से उसे अन्तिम रूप दे सके।

सोवियत रूस द्वारा व्यापार प्रस्तावों का अभिनिर्धारण

8266. **श्री शांति लाल पटेल :**
श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के साथ व्यापारिक सौदों, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, सह-उत्पादन तथा संयुक्त उपक्रमों के क्षेत्रों में सोवियत रूस ने लगभग 100 प्रस्तावों का अभिनिर्धारण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए सोवियत रूस द्वारा कितनी सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस बारे में कोई समझौता किया गया है; और

(घ) इससे भारतीय व्यापार किस हद तक सुदृढ़ होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (घ) अब तक चार भारत-सोवियत संयुक्त उद्यम प्रस्तावों को भारत सरकार ने मंजूरी दी है जिनमें से दो भारत में तथा दो सोवियत संघ में हैं। भारत में स्वीकृत संयुक्त उद्यम ढुलाई-माल अग्रेषण तथा सोवियत प्रौद्योगिकी विपणन के क्षेत्र में हैं तथा सोवियत संघ में रेस्तरां के क्षेत्र में हैं। उपर्युक्त के अलावा, अनेक क्षेत्रों, जैसे रसायन, वस्त्र पटसन, चमड़ा, कृषि संसाधन, वन आधारित उत्पादन, इलैक्ट्रानिकी, आदि विभिन्न क्षेत्रों में अनेक संयुक्त उद्यम प्रस्ताव सम्बद्ध भारतीय तथा सोवियत संगठनों के बीच बातचीत के विभिन्न चरणों में हैं। संयुक्त उद्यम प्रस्ताव इक्विटी के रूप में अंशदान पर आधारित हैं तथा उनमें सोवियत सहायता शामिल नहीं है। संयुक्त उद्यम प्रस्तावों के अलावा, अनेक ऐसे प्रस्तावों पर भी बातचीत चल रही हैं जिनमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा दोनों देशों के सम्बद्ध संगठनों के बीच सह-उत्पादन शामिल हैं।

पृथक् न्यायपीठ

8267. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर एक ऐसा पृथक न्यायपीठ खोलने का है जिसमें अधिमानतः उच्चतम न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की तदर्थ नियुक्ति की जाए ताकि आरक्षण नीति के अन्तर्गत उत्पन्न याचिकाओं की सुनवाई की जा सके ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : जी, नहीं।

राजस्थान में जल स्रोतों की उपलब्धता के बारे में सर्वेक्षण

8268. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में उपलब्ध जल स्रोतों का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है लेकिन कृषि और पीने के लिए इसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में इन स्रोतों का उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जबकि सतही जल उपलब्धता का मूल्यांकन नदी बेसिन-वार किया गया है, भूजल की उपलब्धता का मूल्यांकन जिला-वार किया गया है।

(ख) राजस्थान की भूजल क्षमता 16.2 घन किलोमीटर है ।

(ग) राज्य सरकारें उपलब्ध जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना तथा उनका कार्यान्वियन करती हैं ।

लम्बी दूरी की गाड़ियों में खानपान के ठेके

[हिन्दी]

8269. **श्री पीयूष तिरकी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बी दूरी की गाड़ियों में खान पान के ठेके देने सम्बन्धी शिकायतों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारियों की समान आधार पर भर्ती और पदोन्नति

[अनुवाद]

8270. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : **क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारी संवर्गों के विभिन्न ग्रेडों और उनके वेतनमानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक ग्रेड में बैंकवार पदों की संख्या कितनी है;

(ग) प्रत्येक बैंक में सीधी भर्ती किस स्तर पर की जाती है;

(घ) अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति की पात्रता की ग्रेड-वार और बैंक-वार शर्तें क्या हैं;

(ङ) पदोन्नति हेतु चयन की ग्रेड-वार और बैंक-वार प्रक्रिया और विधि क्या हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के इन ग्रेडों और भर्ती तथा पदोन्नति नियमों और प्रक्रिया में एकरूपता लाने का है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) राष्ट्रीय-

कृत बैंकों में अधिकारी संवर्ग के ग्रेड/स्केल निम्नानुसार हैं:—

उच्च कार्यपालक ग्रेड :

स्केल-सात	4100-125-4600 रुपये
स्केल-छ:	3850-125-4350 रुपये

वरिष्ठ प्रबंध ग्रेड

स्केल-पांच	3575-110-3685-115-3800 रुपये
स्केल-चार	2925-105-3450 रुपये

मध्य प्रबंध ग्रेड

स्केल-तीन	2650-100-3250 रुपये
स्केल-दो	1825-100-2925 रुपये

कनिष्ठ प्रबंध ग्रेड

स्केल-एक 1175-60-1475-70-1895-द० रो०-95-2275-100-2675 रुपये

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों के विभिन्न ग्रेडों/स्केलों में अधिकारियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रत्यक्ष भर्ती सामान्यतया कनिष्ठ प्रबंध स्केल-एक में की जाती है। लेकिन, विशेषज्ञ अधिकारियों के लिए बैंक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उच्च ग्रेडों/स्केलों में भर्ती कर सकते हैं।

(घ) से (च) एक स्केल/ग्रेड से दूसरे ग्रेड/स्केल में अधिकारियों की पदोन्नति का विनियमन अधिकारी सेवाविनियमों और उनके अधीन जारी मार्गनिर्देशों द्वारा किया जाता है जो सभी बैंकों पर समान रूप से लागू हैं। पदोन्नतियां योग्यता (मेरिट) के आधार पर की जाती हैं जिसमें वरिष्ठता, शैक्षिक अर्हताओं आदि को अधिमान्यता (वेटेज) दी जाती है। एक ग्रेड/स्केल से दूसरे में पदोन्नति के वास्ते पात्रता मानदण्ड अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार हैं :

स्केल		पात्रता
से	में	
एक	दो	ग्रामीण शाखा में 2 वर्ष की सेवा सहित स्केल-एक में 7 वर्षों की संतोषप्रद सेवा।
दो	तीन	ग्रामीण अथवा अर्ध-शहरी शाखा में न्यूनतम 3 वर्षों की सेवा सहित मध्य प्रबंध ग्रेड स्केल-दो में 5 वर्षों की संतोषप्रद सेवा।
तीन	चार	स्केल-तीन में 5 वर्षों की संतोषप्रद सेवा।
चार	पांच	स्केल-चार में 3 वर्षों की संतोषप्रद सेवा।
पांच	छ:	स्केल-पांच में 2 वर्षों की संतोषप्रद सेवा।
छ:	सात	स्केल-छ: में 3 वर्षों की संतोषप्रद सेवा।

विवरण

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारियों के स्केल-वार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(31-12-1987 की स्थिति)

क्र०सं०	बैंक का नाम	स्केल VII		स्केल VI		स्केल V		स्केल IV		स्केल III		स्केल II		स्केल I	
		एस०	ई०	एस०	ई०	एस०	ई०	एस०	ई०	एस०	ई०	एस०	ई०	एस०	ई०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	5	5	11	10	35	31	235	213	621	519	2761	2616	11944	11972
2.	बैंक आफ इण्डिया	6	5	20	25	54	48	244	164	1026	905	3018	2895	6874	6736
3.	पंजाब नेशनल बैंक	6	2	15	16	20	21	223	184	680	753	2239	2308	10776	10285
4.	बैंक आफ बड़ौदा	5	6	12	11	28	27	182	155	1809	1029	3575	2648	6508	7152
5.	यूको बैंक	6	6	11	13	38	35	131	95	577	577	1574	1574	6737	6737
6.	केनरा बैंक	6	7	18	18	47	47	231	229	1630	1630	2208	2208	7086	7086
7.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	5	3	10	8	25	18	100	93	517	509	1341	1004	3642	3817
8.	देना बैंक	3	3	7	6	20	18	72	67	200	155	931	926	3259	3026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.	सिंडिकेट बैंक	5	5	13	13	31	31	137	137	1320	1328	3020	3020	4699	4699
10.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	4	4	11	9	21	17	140	139	410	281	1369	1362	7028	7123
11.	इलाहाबाद बैंक	4	2	9	2	19	22	104	76	393	360	1006	773	4279	4232
12.	इण्डियन बैंक	4	5	15	19	29	30	134	129	335	317	1174	1156	4864	4879
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	3	3	7	7	19	19	78	78	342	236	915	777	2376	2534
14.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	4	3	10	11	26	26	122	121	431	431	1564	1564	4900	4900
15.	आन्ध्रा बैंक	2	2	8	8	22	22	78	72	509	279	1398	906	3889	3889
16.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	3	3	8	6	13	12	44	42	123	117	859	756	2729	2729
17.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	4	4	3	3	6	6	22	22	99	99	441	441	2416	2416
18.	विजया बैंक	2	2	8	8	17	17	63	62	304	310	883	868	1998	1965
19.	कार्पोरेशन बैंक	2	2	6	6	13	12	33	31	137	137	505	505	1885	1885
20.	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	2	2	6	5	16	11	30	31	116	115	503	496	2007	1940

टिप्पणी : एस० का आशय स्वीकृत से है और ई० का आशय विद्यमान से है। (आंकड़े अनन्तिम)

वित्तीय संस्थाओं द्वारा वस्त्र उद्योग को ऋण मंजूर करना

8271. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक वित्तीय संस्थाएं जो राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड और केन्द्रीय सरकार की अन्य कपड़ा मिलों को उनके आधुनिकीकरण के लिए ऋण प्रदान करती हैं अपने द्वारा दिए गए ऋणों को धनराशि का ब्याज और मूलधन राशि वसूल नहीं कर सकी हैं;

(ख) क्या इन मिलों की अदायगी क्षमताओं के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जीवन बीमा निगम और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उपरोक्त एककों को कितनी-कितनी धनराशि का ऋण दिया गया;

(घ) अदायगी को निर्धारित समय-सूची क्या है; और

(ङ) निर्धारित समय-सूची के अनुसार अदायगी को सख्ती से सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जुलाई, 1986 से मार्च, 1989 तक की अवधि के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम दोनों ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन कुछ कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण करने के वास्ते 16.41 करोड़ रुपये ऋण मंजूर किए थे। जीवन बीमा निगम से सूचित किया है उसने इस प्रयोजन के वास्ते कोई ऋण मंजूर नहीं किया। सहायता प्राप्त मिलों ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को मूलधन/ब्याज की किस्तों की अतिदेय राशियां नहीं चुकाई हैं। जहां तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों ने मूलधन की चुनौती में चूक की है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन मिलों की ऋण चुकाने की क्षमता की जांच करने के लिए ऐसा कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया गया है। लेकिन ये संस्थाएं राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों की ऋण चुकाने में चूक करने की स्थिति की पुनरीक्षा करती रही हैं। मार्च/अप्रैल, 1988 के दौरान ये संस्थाएं कतिपय शर्तों के अधीन अधिकांश मिलों के वर्तमान सावधि ऋणों के शोधन कार्यक्रम में संशोधन करने को सहमत हो गयी थीं। इसके अलावा, ये संस्थाएं अलग-अलग मिल नकदी की स्थिति के अनुसार, गुण-दोषों के आधार पर वर्तमान ऋणों के शोधन का पुनर्निर्धारण करने पर भी सहमत हो गए हैं। ये संस्थाएं अपनी अतिदेय राशियों को वसूल करने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम से सम्पर्क बनाए हुए हैं।

कर से छूट का प्रमाण पत्र

[हिन्दी]

8272. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धारा 80 जी के अन्तर्गत कर से छूट का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए कितनी तथा किन-किन संस्थाओं ने आय-कर आयुक्त, नई दिल्ली के पास आवेदन किया है;

(ख) कितनी तथा किन-किन संस्थाओं को ये प्रमाण-पत्र दिए गए हैं;

(ग) इस प्रमाण-पत्र को जारी करने के लिए विभाग को किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है; और

(घ) शेष संस्थाओं को यह प्रमाण-पत्र अब तक जारी न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) दिनांक 1 अप्रैल, 1988 से दिनांक 31 मार्च, 1989 तक की अवधि के दौरान आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अन्तर्गत आयकर आयुक्त, दिल्ली-VI के समक्ष प्रमाणपत्रों के लिए 255 आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए गए थे, जो धर्मार्थ संस्थानों को दानों, निधियों आदि पर छूट से सम्बन्धित थे। इन आवेदन-पत्रों में से 124 आवेदन पत्र सार्वजनिक धर्मार्थ न्यासों द्वारा भेजे गए थे तथा शेष 131 आवेदन पत्र सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटियों द्वारा भेजे गए थे।

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 80-जी के प्रयोजनार्थ छूट-प्रमाणपत्र 168 अवेदकों को आयकर आयुक्त द्वारा दिए गए थे। इन प्रमाणपत्रों में से 87 प्रमाणपत्र सार्वजनिक धर्मार्थ न्यासों से सम्बन्धित हैं तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत 81 सोसाइटियों से सम्बन्धित हैं।

(ग) आयकर आयुक्त ऐसे आवेदन-पत्रों पर विचार करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित दस्तावेजों की सामान्यत: जांच करते हैं:—

(1) आयकर अधिनियम की धारा 12ए (ए) के अन्तर्गत न्यास अथवा संस्था के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र।

(2) वह दस्तावेज जिसके अन्तर्गत न्यास सृजित किया गया था अथवा संस्था स्थापित की थी।

(3) तीन वर्ष तक की अवधि के लिए न्यास अथवा संस्था के लेखे।

(घ) आयकर आयुक्त ने उक्त आवेदन-पत्रों में से छ: मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 80-जी के अन्तर्गत इस आधार पर प्रमाणपत्र देने से इन्कार कर दिया है कि वे उक्त अधिनियम की धारा 80-जी के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करते थे। शेष 81 मामलों में आयकर आयुक्त ने आवेदन न्यासों तथा संस्थाओं से स्पष्टीकरण/सूचना मांगी है।

सिंडिकेट बैंक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का स्थानान्तरण/पदोन्नति

[अनुवाद]

8273. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंडिकेट बैंक के प्रबन्ध मंडल द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के स्थानातन्रण पदोन्नति आदि के सम्बन्ध में सरकार के निर्देशों, आदेशों और कानूनों का पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है कि इस सम्बन्ध में सिंडिकेट बैंक प्रबन्ध मंडल द्वारा सरकार के सभी आदेश लागू किए जाएं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) सिंडिकेट बैंक ने सूचित किया है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के

स्थानान्तरण, पदोन्नति आदि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जो मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं, बैंक द्वारा उन सभी का अनुपालन किया जा रहा है।

मीटर लाइनों को बड़ी लाइन में बदलना

8274. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुछ कितनी किलोमीटर लम्बी मीटर रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने का विचार है;

(ख) ऐसी लाइनों में से वर्ष 1989-90 के दौरान शुरू की जाने वाली लाइनों का जोनवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) मीटर रेल लाइनों के सम्पूर्ण नेटवर्क को परिवर्तित करने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) मीटर आमान प्रणाली के ग्रेडोन्नयन के लिए योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) इस स्तर पर प्रश्न नहीं उठता।

सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना

8275. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएटेड चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज ने सरकार से जमा योजना को जिसकी वर्ष 1989-90 का बजट प्रस्तुत करते समय अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए घोषणा की गई थी; सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1989-90 के लिए केन्द्रीय बजट को पेश करते समय सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए घोषित की गई जमा-योजना का लाभ अन्य कर्मचारियों को भी दिए जाने के संबंध में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री से प्राप्त सुझाव पर विधिवत विचार किया गया था तथा इस प्रकार के अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया है।

(ग) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्यातकों के लिए नये नियम और निर्देश

8276. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात और निर्यात महा-नियंत्रक ने निर्यातकों के लिए सभी औपचारिकताओं की सुस्पष्ट और शीघ्र स्वीकृत हेतु नए नियम और निर्देश बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये निदेश/नियम तथाकथित रूप से भेद-भाव पैदा करते हैं जिससे सभी निर्यातकों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) क्षेत्रीय कार्यालयों से कहा गया है कि वे ऐसे उत्कृष्ट निर्यातकों का पता लगाएं, जिनका ट्रैक रिकार्ड निष्कलंक हो तथा जिन्हें लघु क्षेत्र के विनिर्माता-निर्यातकों के मामले एफ० ओ० बी० आधार पर एक करोड़ रुपए या अधिक के निर्यात का और अन्य निर्यातकों के मामले में एफ० ओ० बी० आधार पर 2 करोड़ रुपए या अधिक के निर्यात का श्रेय प्राप्त हो। इन स्टार निर्यातकों का पता इसलिए लगाया जा रहा है ताकि आयात-निर्यात नीति के तहत उनके आवेदन-पत्र शीघ्र ही निबटाए जाएं।

(ग) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा ब्याज का अधित्याजन करना/ ब्याज में कटौती करना

8277. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** :
श्री अतीश चन्द्र सिन्हा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ओवरसीज बैंक की कलकत्ता स्थित इसके विभिन्न घटकों से कुछ निष्क्रिय खातों का निपटान करने के लिए ब्याज का अधित्याजन करने/ब्याज में कटौती करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

बेलपहाड़ (उड़ीसा) में कोल साइडिंग

8278. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को उड़ीसा में बेलपहाड़ नामक स्थान पर "कोल साईडिंग" के निर्माण का कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) कोल इण्डिया लि० द्वारा रेलवे को अब तक कितनी धनराशि दी गई है और यह किस तारीख को दी गई;

(घ) इस कार्य को पूरा करने की संभावित अवधि क्या है;

(ङ) अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि इसमें कोई विलम्ब हुआ है तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) अभी कार्यक्रम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र लिमिटेड (एस० ई० सी० एल०) ने 31-3-84 को 100 लाख रुपए जमा कराए थे तथा 28-1-85 को और 500 लाख रुपए जमा कराए थे। उन्होंने 27-3-87 को 330 लाख रुपए की राशि वापस ले ली थी जिससे रेलवे के पास 270 लाख रुपये ही शेष रह गए थे।

(घ) अभी निर्धारित नहीं की गयी है।

(ङ) 3 प्रतिशत।

(च) कार्य की प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि दो पुलों के निर्माण के लिए भूमि के छोटे से टुकड़े के सिवाय, साईडिंग के लिए भूमि जिसे दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र लिमिटेड द्वारा अधिग्रहीत किया जाना था, रेलवे को नहीं सौंपी गयी। इन पुलों पर कार्य प्रगति पर है।

इसके अलावा, इस क्षेत्र में एक नया कोयला क्षेत्र (सामलेश्वरी परियोजना) बना है जिसके लिए बेलपहाड़ साईडिंग सहित सम्पूर्ण काम्पलेक्स का नया सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है। यह सर्वेक्षण पूरा होने वाला है।

ब्रजराज नगर रेलवे स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुल का विस्तार

8279. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में बृजराज नगर रेलवे स्टेशन के नजदीक सभी रेल लाइनों को कवर करने के लिए पैदल ऊपरी पुल के विस्तार के बारे में कोई सार्वजनिक मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर रेल मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) ब्रजराज नगर स्टेशन यार्ड पर दो ऊपरी पैदल पुल पहले ही हैं जो नगर के दोनों भागों को जोड़ते हैं। इसके अलावा, रेलवे स्टेशन के दोनों ओर एक ऊपरी सड़क पुल और एक समपार है।

अतः स्टेशन के ऊपरी पैदल पुल के विस्तार करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है जो आवश्यक रूप से सदाशयी रेल उपयोगकर्त्ताओं के लिए है।

नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्यालय में संवर्ग समीक्षा

8280. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी, लेखा परीक्षा अधिकारी, लेखा अधिकारियों के संवर्ग में पिछले 20 वर्षों के दौरान कोई संवर्ग समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी परिणाम क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का समीक्षा करने का विचार है;

(घ) क्या इस अवधि के दौरान भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा अधिकारियों के संवर्ग की समीक्षा की गई है;

(ङ) यदि हां, तो कितनी बार ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में प्रशासनिक अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखा अधिकारी के मामले में गत 20 वर्षों के दौरान कोई संवर्ग-समीक्षा नहीं की गई है। तथापि, विभाग की प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर लेखा-परीक्षा/लेखा अधिकारियों की कुल संख्या में काफी मात्रा में वृद्धि हुई है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) पिछले 20 वर्षों के दौरान, भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारियों के लिए दो बार अर्थात् 1973 तथा 1985 में संवर्ग समीक्षा की गई है।

भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों में कदाचार

[हिन्दी]

8281. **श्री राजकुमार राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों में कदाचारों के वर्ष-वार और बैंक-वार कितने मामले प्रकाश में आए;

(ख) उस बैंक का नाम क्या है जिसमें इन मामलों की प्रतिशतता सबसे अधिक है; और

(ग) सरकार ने इन बैंकों में सुधार लाने और भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान आंकड़ा अनुरक्षण प्रणाली से, भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों में होने वाले कदाचार के मामलों की अलग से सूचना प्राप्त नहीं होती। अलबत्ता, वर्ष 1986,

1987 और 1988 के सम्बन्ध में, भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों द्वारा धोखाधड़ियों की कुल संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त रकमों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को दी गयी सूचना संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है।

(ख) धोखाधड़ी की वारदातों की कुल संख्या में स्टेट बैंक आफ मैसूर की प्रतिशतता सबसे अधिक है।

(ग) कुल मिलाकर बैंकों में धोखाधड़ी की वारदातें प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं में किसी प्रकार की त्रुटि के कारण नहीं हुई हैं, बल्कि ये वारदातें निर्धारित प्रक्रियाओं और सुरक्षा सम्बन्धी उपायों का पालन न करने के कारण हुई हैं। बैंकों की अपनी अनुदेश पुस्तकें होती हैं जिनमें उन सावधानियों/जांच उपायों का उल्लेख होता है जिनका उनके कर्मचारियों को धोखाधड़ी की वारदात अथवा उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पालन करना चाहिए। बैंक अपने नियंत्रण तन्त्र और आन्तरिक लेखा-परीक्षा/निरीक्षण तन्त्र को मजबूत और कारगर बनाने के लिए उपाय कर रहे हैं ताकि धोखाधड़ी और कदाचार की गुंजाइश को कम किया जा सके। वे विभागीय जांचों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए उपाय करते हैं। बैंकों ने अपने सतर्कता तन्त्र की समीक्षा की है और उसे फिर से ठीक-ठाक किया है, नियंत्रण और पर्यवेक्षण को तेज करने, प्रबन्ध सूचना प्रणाली, अनुवर्ती कार्रवाई और निरीक्षण/लेखा-परीक्षा प्रबन्ध को मजबूत बनाने और बही खातों के मिलान के बकाया काम को निपटाने और निरन्तर आधार पर अन्तर-शाखा और अन्य खातों के मिलान के लिए उपाय किए हैं ताकि इन क्षेत्रों में धोखाधड़ियों को रोका जा सके।

विवरण

वर्ष 1986, 1987 और 1988 में भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों में हुई धोखाधड़ियों की संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त रकम से सम्बन्धित सूचना

क्र० सं०	बैंक का नाम	1986		1987		1988	
		धोखाधड़ियों की सं०	अन्तर्ग्रस्त राशि (लाख रु०)	धोखाधड़ियों की सं०	अन्तग्रंत रकम (लाख रु०)	धोखाधड़ियों की सं०	अन्तर्ग्रस्त रकम (लाख रु०)
1.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	23	250.44	28	72.92	26	46.69
2.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	26	96.68	25	87.34	31	292.84
3.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	17	37.35	43	157.56	13	14.20
4.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	27	50.36	35	51.99	42	12.59
5.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	15	15.09	19	423.48	18	4.12
6.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	14	46.06	8	41.62	11	6.31
7.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	15	105.09	25	44.37	16	10.78

(आंकड़े अनन्तिम)

पुरना में मण्डल कार्यालय

[अनुवाद]

8282. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुरना जंक्शन (दक्षिण मध्य रेलवे) पर एक मण्डल कार्यालय स्थापित करने के बारे में पुरना के लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) पूर्णा में मण्डल कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

तुंगभद्रा बोर्ड को भंग करना

8284. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार को वर्तमान तुंगभद्रा बोर्ड को भंग करने के लिए लिखा था;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक सरकार द्वारा इसके लिए क्या कारण दिए गए थे;

(ग) क्या कावेरी और कृष्णा नदियों के जल के नियन्त्रण हेतु कोई कावेरी बोर्ड अथवा कृष्णा बोर्ड है;

(घ) यदि नहीं, तो तुंगभद्रा बोर्ड की स्थापना के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या तुंगभद्रा बोर्ड को भंग करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी हां ।

(ख) परियोजना के सामान्य भाग के निर्माण के मुख्य कार्य पूरे हो गए हैं तथा बांध और नहर के दाएं तट का रख-रखाव कर्नाटक सरकार द्वारा किया जाएगा ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) आंध्र राज्य अधिनियम, 1953 की धारा 66(4) के अन्तर्गत बोर्ड का गठन किया गया है ।

(ङ) जी नहीं ।

बंगलौर सिटी से विशेष ग्रीष्मकालीन रेलगाड़ियां चलाना

8285. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गर्मियों की भीड़ को निपटाने हेतु देश में कुल कितनी विशेष ग्रीष्मकालीन रेलगाड़ियां चलाई गई हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार बंगलौर सिटी से बम्बई, अहमदाबाद, दिल्ली और मद्रास सहित अन्य स्थानों के लिए विशेष ग्रीष्मकालीन रेलगाड़ियां शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) 1989 के ग्रीष्मकाल में 536 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की योजना है ।

(ख) से (घ) बेंगलूरू से तिरुवनन्तपुरम तक ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं । इसके अतिरिक्त बम्बई-तिरुवनन्तपुरम विशेष गाड़ियां भी कृष्णराजपुरम को सेवित करती हैं ।

बंगलौर और नागपुर के बीच सीधी रेलगाड़ी सेवा

8286. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और नागपुर के बीच कोई सीधी रेलगाड़ी नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का बंगलौर और नागपुर के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) फिलहाल नहीं ।

बैंकों में जमा राशि और अग्रिम

8287. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987 की तुलना में वर्ष 1988 के दौरान बैंकों में जमा राशि में वृद्धि हुई थी, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान सभी अनुसूचित बैंकों का राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल बैंक ऋण कितना था ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियां जो दिसम्बर, 1987 के अन्त में 119023 करोड़ रुपए थी, दिसम्बर, 1988 के अन्त में बढ़ कर 141823 करोड़ हो गई ।

(ख) दिसम्बर, 1987 और दिसम्बर, 1988 के अन्त की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिमों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

दिसम्बर, 1987 और दिसम्बर, 1988 के अन्त की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों का राज्य-वार ब्यौरा

(रकम करोड़ रुपए)

क्षेत्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दिसम्बर, 1987	दिसम्बर, 1988
1	2	3
1. **उत्तरी क्षेत्र**	**13384**	**16626**
हरियाणा	1435	1719

1	2	3
हिमाचल प्रदेश	305	344
जम्मू और कश्मीर	470	614
पंजाब	2743	3144
राजस्थान	1921	2296
चण्डीगढ़	868	771
दिल्ली	5642	7738
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	987	1220
असम	714	891
मेघालय	47	54
मणिपुर	36	44
नागालैण्ड	51	62
त्रिपुरा	94	113
अरुणाचल प्रदेश	15	17
मिजोरम	13	16
सिक्किम	17	22
3. पूर्वी क्षेत्र	9462	11316
बिहार	2143	2616
उड़ीसा	1278	1535
पश्चिम बंगाल	6031	7152
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	11	14
4. मध्य क्षेत्र	7951	9918
मध्य प्रदेश	2746	3543
उत्तर प्रदेश	5206	6375
5. पश्चिमी क्षेत्र	20188	23802
गुजरात	4011	4937
महाराष्ट्र	15874	18491
गोवा	292	359
दमन और दीव	7	9
दादरा और नागर हवेली	5	7

1	2	3
6. दक्षिणी क्षेत्र	**20576**	**24864**
आन्ध्र प्रदेश	5197	6417
कर्नाटक	5245	6317
केरल	3039	3475
तमिलनाडु	6992	8534
पांडिचेरी	102	120
लक्षद्वीप	1	1
अखिल भारत	72549	87746

टिप्पणी : 1. पूर्णांकन के कारण सम्भव है जोड़ मेल न खाए।

2. आंकड़े अनन्तिम हैं।

उड़ीसा में रेलवे स्टेशनों का दर्जा बढ़ाना

8288. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में अधिकांश रेलवे स्टेशन पुराने पड़ गए हैं तथा ये यात्री यातायात में हुई अत्यधिक वृद्धि को सम्हालने में सक्षम नहीं रह गए हैं; और

(ख) इन रेलवे स्टेशनों के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं, ताकि यात्रियों की भीड़-भाड़ और असुविधा न हो ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) सभी स्टेशनों में प्लेटफार्मों, प्रतीक्षालयों, पीने का पानी, प्रकाश की व्यवस्था, शौचालयों आदि जैसी आधारभूत कमियों को पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है और 1990-91 तक इसके पूरा हो जाने की आशा है।

जापान द्वारा सहायता

8289. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने हाल ही में भारत को वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) क्या भारत और जापान ने संयुक्त रूप से परियोजनाओं का चयन किया है;

(ग) क्या जापान द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता से केवल जापान का ही सामान खरीदना आवश्यक होगा; और

(घ) वर्ष 1988-89 में जापान से कितनी मात्रा में ऐसी परियोजना प्राप्त की गई जिसके अन्तर्गत केवल जापान का सामान ही खरीदा गया और सेवाएं प्राप्त की गईं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) जापान भारत को जापान सरकार के समक्ष सहायतार्थ प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के पुलिन के आधार पर वर्षानुसार वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सहायता का वचन भारत सहायता संघ की प्रत्येक वर्ष सामान्य रूप से पेरिस में सम्पन्न होने वाली बैठक में दिया जाता है।

(ग) और (घ) जी नहीं। जापान से जो सहायता मिलती है, वह न केवल जापान से खरीदारी किए जाने के लिए बल्कि इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट: परिभाषित विकासशील देशों से की जाने वाली खरीदारी की व्यवस्था के लिए भी मिलती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं के कार्यचालन का विविधीकरण और विशेष व्यवस्था

8290. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं के कार्यचालन में विविधीकरण और विशेष व्यवस्था करने के लिए कोई कदम उठाए है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये किस तिथि से लागू किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यचालन में विविधीकरण या विशेष व्यवस्था करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। अलबत्ता, ग्रामीण बैंक शाखाओं के ऋण देने के कार्य में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण देने की एक नई योजना अर्थात् सेवा क्षेत्र योजना पहली अप्रैल, 1989 से शुरू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत एक ग्रामीण या अर्ध-शहरी बैंक शाखा को औसतन 15-25 गांव आबंटित किए जायेंगे ताकि ऋण का सुव्यवस्थित व सुनियोजित संवितरण हो सके। बैंक शाखायें, पहले उन्हें आबंटित गांवों का सर्वेक्षण करेंगी और गांवों की रूपरेखायें तैयार करेंगी जिनमें उनके सेवा क्षेत्रों की गतिविधियों की किस्मों और ऋण देने की सम्भावना के बारे में बताया गया होगा। गांवों की रूपरेखाओं के आधार पर शाखायें आधारभूत सुविधाओं और अन्य उपलब्ध सुविधाओं तथा प्रस्तावित आधारभूत सुविधाओं के सृजन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित विभिन्न गतिविधियों के वास्ते वार्षिक ऋण योजनायें तैयार करेंगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की "विनिर्धारित सेवा क्षेत्र प्रस्ताव" के अन्तर्गत भूमिका

8291. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की "विनिर्धारित सेवा क्षेत्र प्रस्ताव" के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई भूमिका सौंपी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी भूमिका का स्वरूप और क्षेत्र क्या है और इस प्रस्ताव के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कितनी शाखायें खोली जायेंगी?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके द्वारा जारी मार्गनिर्देशों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी ग्रामीण ऋण के संदर्भ में, सेवायोजना के अन्तर्गत निर्दिष्ट संख्या में गांव आबंटित किए गए हैं।

(ख) चूंकि अधिकतर ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या पर्याप्त है, इसलिए उन कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बेंकों को छोड़कर, जिनकी कारगर ढंग से काम करने के लिए आवश्यक न्यूनतम शाखायें नहीं हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और केन्द्र आबंटित न करने का निर्णय लिया है। चूंकि हिमाचल प्रदेश में कार्य कर रहे दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या पर्याप्त है; अत: सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत उन्हें अतिरिक्त शाखायें आबंटित नहीं की गईं।

परिवार न्यायालय

8292. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पारिवारिक विवादों, विशेष रूप से तलाक आदि से सम्बन्धित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए परिवार न्यायालयों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1989 तक राज्यवार कितने न्यायालय स्थापित किए जा चुके हैं;

(ग) क्या वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान ऐसे कुछ और न्यायालय स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी राज्यवार संख्या कितनी है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) तारीख 31 मार्च, 1989 तक, उत्तर प्रदेश में चार, राजस्थान में तीन और कर्नाटक तथा तमिलनाडु में एक-एक कुटुम्ब न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

(ग) और (घ) कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है।

आयकर की चोरी के मामलों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहन

8293. **श्री आर० एम० भोये** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का व्यापक प्रचार किया है कि सरकार को, आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर की चोरी के मामले की सूचना देने पर सूचना देने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने जनवरी, 1988 और 1989 के बीच इस आधार पर कर की चोरी के कितने मामलों का पता लगाया है और कर के रूप में कितनी धनराशि वसूल की; और

(ग) उक्त मामलों की सूचना देने वाले व्यक्तियों को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) आयकर की सूचना देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार देने सम्बन्धी योजना अब पिछले अनेक वर्षों से मौजूद हैं। समाज के

विभिन्न वर्गों के लोग आर्थिक पुरस्कारों की आशा में आयकर विभाग को कर-अपवंचन के बारे में सूचना देते आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि लोग इस योजना से अवगत हैं।

(ख) आयकर विभाग, कर-अपवंचन का पता लगाने के लिए अनेक तरीके अपनाता है। यह विभाग अनेक स्रोतों से सूचना एकत्र करता है। सूचना देने वाले व्यक्तियों के द्वारा भेजी गई लाभप्रद सूचना का भी उपयोग किया जाता है। तथापि, सूचना देने वाले किसी व्यस्ति के द्वारा मात्र सूचना भेजने से और आयकर विभाग द्वारा की गई प्रारम्भिक कार्यवाही से यह आवश्यक नहीं है कि उनकी सूचना के संदर्भ में कर-अपवंचन के मामले का पता चल जाएगा। प्रारम्भिक कार्यवाही के बाद विस्तृत जांच-पड़ताल की जाती है, पूरी तरह छानबीन की जाती है और रिकार्डों तथा साक्ष्य की संवीक्षा की जाती है। सूचना देने वाले किसी व्यक्ति की सूचना के आधार पर किसी मामले में कर-अपवंचन को पकड़ने तथा उसे सत्यापित करने के बारे में अन्तिम स्थिति की जानकारी सभी संगत कार्यवाहियों पर अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही हो सकती है।

आयकर विभाग ने दिनांक एक जनवरी, 1988 से 31 मार्च, 1989 तक की अवधि के दौरान 9627 तलाशियां लीं और प्रथमदृष्ट्याः 209.27 करोड़ रु० के मूल्य की लेखा बाह्य परि-सम्पत्तियां पकड़ीं।

(ग) सूचना देने वाले किसी व्यक्ति को कोई निर्णीत-पुरस्कार तभी दिया जा सकता है जब सभी संगत कार्यवाहियां तथा अतिरिक्त करों की, जो प्रत्यक्षतः सूचना देने वाले व्यक्तियों की सूचना के कारण बने हों, वसूली मुकम्मल हो जाती है। कर-अपवंचन के बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति पूरे देश में फैले आयकर आयुक्तों तथा आयकर निदेशकों (जांच) को सूचना देते हैं। वे प्राधिकारी पुरस्कार की मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं. समग्र देश से सूचना एकत्रित करने तथा संकलित करने के लिए अपेक्षित प्रयास तथा समय मांगी गई सूचना को एकत्र करने के लिए प्राप्तव्य परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे।

चाय बोर्ड द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन

8294. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड का मुख्य क्षेत्रीय कार्यकारी अधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) से (ग) चाय बोर्ड का सुचारू ढंग से तथा प्रभावी रूप से कार्यचालन किए जाने के लिए, उपाध्याय/मुख्य क्षेत्रीय कार्यपालकों को कुछ योजनाओं के अन्तर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं और चाय बोर्ड से अनुरोध किया गया है कि वह इसे तत्काल कार्यान्वित करें।

रबड़ के बागान

8295. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवी योजना के दौरान रबड़ उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना अवधि के दौरान किन-किन राज्यों में रबड़ बागान लगाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन राज्यों में कितनी अतिरिक्त हैक्टेयर भूमि पर रबड़ के बागान लगाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (घ) बागान फसलों और कृषि निर्यात सम्बन्धी एक कार्य दल का गठन किया गया है जोकि आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए प्रस्ताव बनाएगा, उक्त फसलों में अन्य बातों के साथ-साथ रबड़, काफी, चाय, इलायची, तम्बाकू आदि शामिल हैं। इस कार्यदल के निर्धारित कार्यों में शामिल हैं; उत्पादन, उत्पादकता बढ़ाने के उपाय, साथ ही विशिष्ट क्षेत्रों के संदर्भ में सम्बन्धित फसलों की दीर्घकालीन अपेक्षाओं और आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना।

मध्य पूर्व के देशों को लौह अयस्क और स्टील पाइपों का निर्यात

8296. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य पूर्व के देशों में भारत के लौह अयस्क, स्टील पाइप तथा ट्यूबों की भारी मांग है;

(ख) क्या सरकार ने उन देशों को इन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने की सम्भावनाओं का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं और वर्ष 1989-90 में मध्य पूर्व के देशों को इन वस्तुओं के निर्यात की क्या सम्भावनायें हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) मध्य पूर्व के देशों को स्टील पाइप तथा ट्यूबों का निर्यात लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इन देशों में लौह अयस्क की मांग सीमित है।

(ख) और (ग) इन्जीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा मध्य पूर्व के देशों में स्टील पाइप तथा ट्यूब के विस्तृत बाजार सर्वेक्षण के अलावा, इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए गए उनमें शामिल हैं : सरकारों के बीच विचार-विमर्श, व्यापार मेलों में भाग लेना, केवल भारतीय माल की ही प्रदर्शनियों का आयोजन, व्यापार प्रतिनिधि मंडलों का आदान-प्रदान, आदि।

चाय बोर्ड की राज सहायता योजना

8297. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चाय बोर्ड की ऋण और राजसहायता योजनाओं का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) चाय बोर्ड विभिन्न विद्यमान योजनाएं चलाता रहा है—जैसे चाय बागान वित्त योजना, चाय मशीनरी और सिंचाई उपस्कर की किराया—खरीद योजना, पुनर्रोपण तथा पुनरुद्धार उत्पादन योजना, बैंक ऋण सम्बन्धी उपदान योजना, गैर परम्परागत क्षेत्रों के लिए उपदान योजना तथा छोटे चाय उपजकर्त्ताओं के विकास की योजना ।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने चाय अनुसंधान क्षेत्र में अर्थोपाय सम्बन्धी सुझाव देने के लिए "चाय अनुसंधान पर स्थाई समिति" स्थापित की है । नाबार्ड और चाय उद्योग से समान अंशदान लेकर 10 करोड़ रु० की निधि बनाई जा रही है । इसके साथ ही चाय सम्बन्धी दीर्घावधि नीति और योजना बनाने के लिए भी एक समिति स्थापित की गई है। सभी चाय बागानो से कहा गया है कि वे अगले सात वर्षों के लिए अपनी विकास योजनाएं बनाएं ।

(ग) और (घ) सरकार, विकासात्मक कार्य-कलापों की बढ़ी हुई लागत के आधार पर समय-समय पर विभिन्न सतत योजनाओं के अन्तर्गत वितीय सहायता बढ़ाती रही है। हाल ही में, चाय रोपण वित्त योजना के अन्तर्गत ऋण की सीमा तथा गैर परम्परागत क्षेत्रों के लिए नयी चाय एकक वित्त पोषण योजना की राशि में नाबार्ड के लागत विश्लेषण के अनुसार पर्याप्त वृद्धि की गयी है ।

बंगलौर में अपीलीय न्यायाधिकरण

8298. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियन्त्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण का एक खंडपीठ बंगलौर में स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दू विवाह अधिनियम में संशोधन

8299. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या **विधि और न्याय मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हिन्दू विवाह अधिनियम, 1956 के उपबन्धों में विधि आयोग द्वारा इसकी एक रिपोर्ट में की गई एक सिफारिश के अनुसार कोई ऐसा संशोधन करने का विचार है जिससे

उसमें यह उपबन्ध किया जा सके कि यदि पति-पत्नी दोनों तलाक चाहते हैं तथा पिछले दो से अधिक वर्षों से अलग-अलग रह रहे हैं, तो न्यायालय इन दोनों में से किसी भी एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत तलाक के आधारों की जांच किए बिना केवल इस आधार पर कि विवाह-सम्बन्ध टूट चुका है तलाक की डिक्री का निर्णय देगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम

8300. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चाय उत्पादक राज्यों के नाम क्या हैं और प्रत्येक किस्म की चाय का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या सरकार ने अन्य राज्यों में चाय का उत्पादन करने के लिए कोई प्रयोग किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) क्या आगामी वर्षों में चाय की अपने देश की मांग को पूरा करने और उसका निर्यात बढ़ाने के लिए चाय का उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई विशेष उपाय किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक देश के प्रमुख चाय उत्पादक राज्य हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय का क्वालिटी-वार वार्षिक उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(मात्रा—मिलियन टन में)

	1986	1987	19888
सी० टी० सी०	456.4	508.4	433.7*
परम्परागत	156.4	155.0	87.8*
अन्य	8.0	10.9	7.8*

*केवल उत्तर भारत का उत्पादन।

(ख) और (ग) जी, हां। उड़ीसा में 170 हैक्टेयर भूमि को चाय रोपण को अन्तर्गत लाया गया है तथा अप्रैल, 1987 से चाय का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है। मणिपुर में 96 हैक्टेयर भूमि को चाय रोपण के अन्तर्गत लाया गया है।

(घ) सरकार ने चाय के लिए लम्बी अवधि की रणनीति तथा योजना तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है। इसके अतिरिक्त सभी बागानों से कहा गया है कि वे 1988

से शुरू करके अगले साल वर्ष के लिए अपनी विकास योजनाएं तैयार करें। काफी बड़ी संख्या में बागानों ने चाय बोर्ड को अपनी योजनाएं प्रस्तुत कर दी हैं। चाय बोर्ड ने इन योजनाओं का विश्लेषण करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है।

वेतन में संशोधन करने के लिए स्थायी निकाय की स्थापना

8301. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथे वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि करने तथा सेवा शर्तों की पुनरीक्षा करने के लिए एक स्थायी वेतन संशोधन निकाय की स्थापना करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो इन्हें कब तक कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) आयोग की उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी कार्यान्वित किया जाना है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) आयोग ने सुझाव दिया था कि सरकार एक ऐसे निकाय का गठन करे जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों सम्बन्धी बुनियादी आंकड़े रखने और उन्हें अद्यतन बनाने के लिए और वेतनमानों तथा भत्तों की दरों और अन्य सम्बन्धित मामलों की समीक्षा के लिए जिम्मेदार हो।

(ख) सभी पहलुओं पर समुचित विचार करने के पश्चात् सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के आधारभूत आंकड़े रखने और उन्हें अद्यतन करने तथा अन्य सम्बद्ध मामलों के बारे में वित्त मंत्रालय में एक लघु संहत एकक स्थापित किया जाए। इस सम्बन्ध में 26-5-1988 को आदेश जारी किए गए थे।

(ग) वेतनमानों, महंगाई भत्ते, मकान किराया भत्ते, नगर प्रतिपूरक भत्ते तथा सेवा-निवृत्ति लाभों इत्यादि में संशोधन सम्बन्धी चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की मुख्य सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी हैं। तथापि, कुछ सिफारिशों पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में कार्यवाही की जा रही है। वेतन आयोग की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें, जिन पर कार्यवाही चल रही है, नीचे दी गई हैं :—

(1) वर्ष में एक बार आधे महीने के मूल वेतन के बराबर बिना ब्याज के अग्रिम की मंजूरी।

(2) पेंशन-निधि का सृजन, "परिवार" की परिभाषा में एकरूपता, पेंशन के सारांशीकरण के लिए नई योजना तथा पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा स्कीम।

हीरों का निर्यात

8302. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश को हीरों के निर्यात से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान हीरों के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान हीरों के निर्यात में कमी हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 1989-90 के दौरान हीरों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरों के निर्यात से अर्जित कुल विदेशी मुद्रा नीचे दी गई है :

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1986-87	1960
1987-88	2440
1988-89	4230*

*स्रोत : रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ।

(ग) जी. नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सतत आधार पर निर्यात सुकर बनाने के उद्देश्य से सरकार ने तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरों के निर्यात के संवर्धन के लिए कुछ उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं : प्रतिपूर्ति की संशोधित दरें, बैंक ऋण सुविधा में सुधार, आयकर अधिनियम की धारा 80 एच० एच० सी० के तहत छूट, आदि ।

उड़ीसा की सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

8303. **श्री राधाकान्त डिगाल : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं योजना के दौरान उड़ीसा राज्य में सिंचाई परियोजनाओं हेतु उड़ीसा सरकार को वर्षवार कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है और सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : उड़ीसा राज्य को दी गई केन्द्रीय सहायता निम्नवत् है :

(करोड़ रुपए में)

सहायता के लिए मदें	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5
(क) राज्य सरकार को व्यय की प्रतिपूर्ति				
(i) पोट्टेरू	4.48	2.49	—	—

1	2	3	4	5
(ii) भास्कल बांध	0.20	0.70	0.10	—
(ख) सूखा राहत के अन्तर्गत बृहद, मध्यम तथा लघु सिंचाई स्कीमें	—	—	5.50	5.00
(ग) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत बृहद और मध्यम सिंचाई, टैंक सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	—	—	—	18.78
(घ) महानदी डेल्टा परियोजना के अंतर्गत वितरण प्रणाली को पूरा करना	—	—	1.50	—
(ङ) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए	1.21	2.76	2.90	4.91
कुल	5.89	5.95	10.00	28.69

फर्रूखाबाद-सिकोहाबाद रेल लाइन पर कि० मी० 1317/4-5 पर रेलवे फाटक

[हिन्दी]

8304. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे को फर्रूखाबाद-सिकोहाबाद रेल लाइन पर कि० मी० 1317/4-5 पर नव निर्मित बाईपास के लिए एक रेलवे फाटक का निर्माण करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) कि० मी० 1317/4-5 पर पहले ही एक समपार मौजूद है। तथापि, राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कि० मी० 1316/12-13 पर दूसरे समपार के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है ।

(ख) नियमों के अनुसार यह कार्य रेलवे द्वारा निक्षेप शर्तों पर किया जाना है। तदनुसार, राज्य लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित प्रभार जमा करने के लिए कहा गया है और इसे जमा कर देने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी ।

ग्रेड "बी" अधिकारियों के लिए पदोन्नति अवसर

[अनुवाद]

8305. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल विभाग का कनिष्ठ वेतन ग्रेड, ग्रेड "बी" अधिकारियों के सहायक ग्रेड से अधिक है;

(ख) क्या दोनों ग्रेडों में, उत्तरदायित्वों के स्तर में अन्तर है; और

(ग) यदि नहीं, तो वेतनमानों में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) तृतीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 13, जिल्द-1 में उल्लिखित विशिष्ट सिफारिशों के आधार पर सहायक अधिकारी श्रेणी-II को निचला वेतनमान आबंटित किया गया है। समुचित योग्यता वाले उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए कनिष्ठ वेतनमान में श्रेणी-I के अधिकारी को उच्चतर वेतनमान आबंटित किया गया है। श्रेणी-I के अधिकारियों के लिए सेवा-कालीन प्रशिक्षण पर जाने तथा संवर्ग में उच्च पदों को सम्हालने के लिए अनुभव प्राप्त करने के लिए कनिष्ठ वेतनमान के पद पर होना अनिवार्य है। कार्यकारी पद की ड्यूटियां तथा जिम्मेदारियां एक जैसी हैं और ये पद पारस्परिक अदल-बदल के हैं। चौथे वेतन आयोग ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इन दोनों कोटियों के अधिकारियों के वेतनमान में एकरूपता की सिफारिश नहीं की है।

बड़ी रेल लाइन को गुवाहाटी से तिनसुकिया तक बढ़ाना

8306. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने बड़ी रेल लाइन को गुवाहाटी से तिनसुकिया तक बढ़ाने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर सीमांत रेलवे ने केन्द्रीय सरकार को कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट भेजी थी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) परियोजना का निर्माण न करने का विनिश्चय किया गया था।

सरायघाट से गुवाहाटी और नुनामाटी तक रेल लाइन का विस्तार

8307. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान सरायघाट-नुनामाटी बड़ी रेल लाइन का राष्ट्रीय राजमार्ग उप-मार्ग के साथ गुवाहाटी तक बिस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में पंजाब नेशनल बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

8308. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त मंत्री** बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के बारे

में 3 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1307 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान हिमाचल प्रदेश में पंजाब नेशनल बैंक के एक क्षेत्रीय कार्यालय को, जिसका मुख्यालय हमीरपुर में होगा, मंजूरी देने तथा खोलने से सम्बन्धित कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्रीय कार्यालय के सम्बन्ध में निर्णय कब लिया गया था और इसकी अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस क्षेत्रीय कार्यालय को कब तक मंजूरी दी जाएगी और इसे कब तक खोला जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फ़लीरो) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने पंजाब नेशनल बैंक को दिनांक 12 अप्रैल, 1989 को हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी है। पंजाब नेशनल बैंक इस कार्यालय को खोलने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

लाटूर-मीरज रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

8309. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लाटूर मीरज छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम कब से आरम्भ किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) से (ग) मीरज-लाटूर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा इसे लाटूर तक बढ़ाने के लिए 1975-76 में सर्वेक्षण किया गया था। परियोजना वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद पायी गयी थी। अतः इस आमान परिवर्तन के कार्य को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नई दिल्ली और मद्रास के बीच राजधानी एक्सप्रेस चलाना

8310. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नई दिल्ली और मद्रास के बीच "राजधानी एक्सप्रेस" चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) फिलहाल नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राजधानी ग्रुप की गाड़ियां मुख्यतः रात्रिकालीन सेवाओं के रूप में चलायी गई थीं । मद्रास से दिल्ली के लिए रात्रिकालीन गाड़ी चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

कोपरगांव और शिरडी के बीच रेल लाइन का निर्माण

8311. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोपरगांव से शिरडी तक एक नई रेल लाइन का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) नयी लाइनों के लिए संसाधनों की तंगी और पहले की भारी वचनबद्धताओं के कारण ।

मानखुर्द-बेलापुर सेक्शन को कसैरा घाट तक बढ़ाना/विस्तार करना

8312. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बम्बई और पूने के बीच की दूरी पर्याप्त रूप से कम करने के उद्देश्य से प्रस्तावित मानखुर्द लाइन को कसैरा घाट तक बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कठिनाइयां हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) संसाधनों की तंगी और नयी लाइनों के लिए पहले की गयी भारी वचनबद्धताएं होने के कारण ।

साइप्रस के साथ आर्थिक सम्बन्ध

8313. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का साइप्रस के साथ आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों द्वारा इस बारे में किन-किन क्षेत्रों का पता लगाया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) साइप्रस के राष्ट्रपति की हाल ही की यात्रा के दौरान भारत-साइप्रस अधिकारिक स्तर की वार्ताएं हुई थीं । चर्चा किए गए विषयों में शामिल हैं, व्यापार तथा वाणिज्यिक सहयोग, दोनों देशों के उद्यमों के बीच संयुक्त

उद्यमों की स्थापना आदि । आर्थिक, व्यापार, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा औद्योगिक सहयोग पर एक करार पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दोनों देशों के बीच एक संयुक्त समिति स्थापित करने की भी व्यवस्था है ।

रेलवे कर्मचारियों के लिए आवास-सुविधाएं

8314. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रेलवे कर्मचारियों को अपेक्षाकृत अच्छी आवास-सुविधाएं प्रदान करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का रेलवे कर्मचारियों को ऐसी सहायता प्रदान करने का भी विचार है, जिससे सेवानिवृत्ति के पश्चात् अपना मकान बना सकें;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या योजना तैयार की है; और

(घ) उपर्युक्त प्रस्तावों को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) कर्मचारी कल्याण के उपाय के रूप में रेलवे कर्मचारियों को रियायती दर पर मकान उपलब्ध कराये जाते हैं । कर्मचारी क्वाटरों के निर्माण के लिए आबंटन प्रति वर्ष उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है ।

(ख) से (घ) कार्यरत और सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को स्ववित्त आधार पर अपना मकान बनाने में सहायता देने के लिए एक स्वतंत्र शीर्षस्थ निकाय का गठन किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

दक्षिण रेलवे द्वारा माल की ढुलाई

8315. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न रेलवे जोनों में कितना-कितना माल ढोया गया; और

(ख) शेष योजना अवधि में दक्षिण रेलवे द्वारा माल वहन का क्या लक्ष्य रखा गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रारम्भिक राजस्व उपार्जक माल यातायात का लदान जोन-वार नीचे दिया गया है :—

(मिलियन टन में)

रेलवे	1986-87	1987-88	1988-89
1	2	3	4
मध्य	25.86	27.78	28.71
पूर्व	59.87	63.00	67.49

1	2	3	4
उत्तर	26.77	27.81	23.35
पूर्वोत्तर	4.31	4.35	4.47
पूर्वोत्तर सीमांत	5.09	5.42	5.02
दक्षिण	13.91	14.18	16.80
दक्षिण मध्य	27.75	27.79	30.90
दक्षिग पूर्व	89.56	95.31	98.67
पश्चिम	24.63	24.57	25.65

(ख) दक्षिण रेलवे के लिए वर्ष 1989-90 यानि सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में राजस्व उपार्जक प्रारम्भिक माल यातायात के लदान का लक्ष्य 17 मिलियन टन रखा गया है।

जी ए टी टी के अन्तर्गत पेटेन्टों के बारे में विचार-विमर्श

8316. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से सम्बन्धित सिद्धान्तों और मानकों के बारे में जी ए टी टी (टेरिफ और व्यापार का सामान्य करार) के अन्तर्गत बातचीत करने के लिए सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो गत दिसम्बर में मांट्रियाल में हुई बैठक में भारत द्वारा अपनाए गए इस रुख में परिवर्तन आने का क्या कारण है कि इस विषय पर चर्चा जी ए टी टी में न होकर डब्ल्यू आई पी ओ (विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन) में होनी चाहिए ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) पंट डेल ऐस्टे घोषणा, जिसके अर्न्गत उरुग्वे वार्ता दौर शुरू किया गया था, उसमें बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार सम्बन्धी पहलुओं के क्षेत्र में बातचीत करने की व्यवस्था थी, इन पहलुओं में नकली माल का व्यापार भी शामिल है। इसका उद्देश्य गाट प्रावधानों को स्पष्ट करना तथा यथा आवश्यक नए नियमों और सिद्धान्तों को परिभाषित करना था।

2. मांट्रियल में औद्योगीकृत देश तथा साथ ही अनेक विकासशील देश इस बात पर सहमत थे कि बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से सम्बन्धित व्यापारिक पहलुओं के अन्तर्गत मानदंडों और मानकों सहित बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के मूलभूत पहलुओं को शामिल किया जाए। लेकिन भारत और अनेक अन्य विकासशील देशों ने यह मत व्यक्त किया कि वे गाट के अन्तर्गत मूलभूत मानदंडों और मानकों पर विचार करने की बात को स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त, यह आवश्यक था कि इन मूलभूत पहलुओं पर होने वाले किसी भी विचार को, उस विचार-विमर्श के साथ सन्तुलित भी रखा जाए जो लोकहित के निहित नीतिगत उद्देश्यों के बारे में और विकासशील देशों की विकासात्मक और प्रौद्योगिक आवश्यकताओं के बारे में किया जाए। मांट्रियल में इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं हो पाया।

3. जेनेवा में 5-8 अप्रैल, 1989 के दोरान आयोजित व्यापार वार्ता समिति की बैठक में इस

बात पर सहमति थी कि बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार सम्बन्धी पहलुओं पर की जाने वाली वार्ता में, व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की उपलब्धता, उनके अनेक कार्य-क्षेत्र तथा उपयोग से संबद्ध पर्याप्त मानकों तथा सिद्धान्तों पर भी विचार किया जाएगा; वार्ता में इस विचार-विमर्श को शामिल करने का सहभागी देशों के अन्तर्राष्ट्रीय कार्यान्वियन के संस्थागत पहलुओं से संबद्ध विचारों पर तथा इस क्षेत्र में वार्ता के परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

4. इस क्षेत्र में इन वार्ताओं के परिणाम का गाट के साथ क्या सम्बन्ध होगा, इस मुद्दे को उरुग्वे दौर की समाप्ति पर मंत्रियों के निर्णय के लिए ही छोड़ दिया गया है। व्यापार वार्ता समिति ने भी इस बात पर सहमति प्रकट की कि इन वार्ताओं में सहभागी देशों की उन चिंताओं पर भी विचार किया जाएगा जो वे बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण के लिए अपनी-अपनी राष्ट्रीय प्रणालियों के निहित लोक नीति उद्देश्यों के सम्बन्ध में व्यक्त करेंगे—इन उद्देश्यों में विकासात्मक और प्रौद्योगिक उद्देश्य भी शामिल हैं। इस प्रकार इन वार्ताओं में भारत की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित ही रही है।

5. उरुग्वे दौर में इन वार्ताओं तथा साथ ही अन्य मुद्दों के सम्बन्ध में भी, भारत का प्रयास यही रहा है कि बहुपक्षी प्रणाली को सुदृढ़ करने की दृष्टि से वार्ता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए किन्तु इस सबमें विकासशील देशों के हितों पर कोई आंच नहीं आने दी जाए।

वाघा के निकट अटारी पर सीमा शुल्क कार्यालय (कस्टम हाउस) की स्थापना

8317. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में वाघा सीमा के निकट अटारी पर सीमा पर तस्करी रोकने हेतु सीमा-शुल्क कार्यालय (कस्टम हाउस) की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सीमा-शुल्क कार्यालय (कस्टम हाउस) की स्थापना के बाद के अधिकारियों पर आतंकवादी हमलों सहित आतंकवादी गतिविधियों में भारी वृद्धि हुई है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) सरकार ने हाल ही में भारत-पाक सीमा के पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर सेक्टरों में सीमा शुल्क निवारक तन्त्र को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है।

(ख) से (घ) चूंकि तन्त्र को अभी सुदृढ़ किया जाना है, अतः ये प्रश्न नहीं उठते।

पश्चिम जर्मनी के साथ समझौता

8318. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन संघीय गणराज्य के साथ हाल ही में एक वित्तीय सहयोग समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते के अन्तर्गत कितनी धनराशि की सहायता मिलने की आशा है और तत्संबंधी शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) वित्तीय करार में कुल 37.50 करोड़ ड्यूश मार्क (लगभग 312 करोड़ रुपए) की नरम-ऋण सहायता की व्यवस्था है।

(ग) इस ऋण राशि पर 0.75 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा और इसकी वापसी 10 वर्ष की रियायती अवधि सहित 40 वर्षों में की जा सकेगी।

भुवनेश्वर स्थित भारतीय रिजर्व बैंक में अनियमितताएं

8319. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 13 अप्रैल, 1989 के 'स्टेट्समैन' नई दिल्ली में 'प्रोब इन्टू करेंसी रेकेट डिले" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक को नष्ट करने के लिए भेजे गए गंदे करेंसी नोटों के पुनः परिचालन की कार्य प्रणाली क्या है;

(ग) इस धोखा-धड़ी में संलग्न व्यक्तियों का पता लगाने में असामान्य विलम्ब होने और नोट बदलने वाले दोषी एजेंटों के विरुद्ध कार्यवाही करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं जो ऐसे नोटों को भुवनेश्वर वापस लाकर और उन्हें अपने स्थानीय एजेंटों के माध्यम से पुनः जारी कराने के दोषी हैं;

(घ) रामानुजम समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इस धाखाधड़ी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, जबकि रिपोर्ट में बहुत पहले, वर्ष 1973 में, भारतीय रिजर्व बैंक में आन्तरिक सुरक्षा प्रबन्धों की समुचित व्यवस्था न होने का उल्लेख किया गया था; और

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक में मेले करेंसी नोटों की धोखाधड़ी को रोकने के लिए कोई सुस्पष्ट प्रणाली अपनाने का सुझाव दिया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) निर्धारित कार्य प्रणाली के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक को लौटाए गए कटे-फटे करेंसी नोटों की अधिकारियों के एक दल द्वारा जांच की जाती है। इनकी अधिकारियों के एक अन्य दल द्वारा और जांच-पड़ताल (सत्यापन) की जाती है और अन्ततः इन्हें विकृत करके (अर्थात् नोटों के पैकटों में पंच के सुराख करके) नष्ट कर दिया जाता है और जलाकर भस्म कर दिया है। ऐसा संदेह है कि कुछ विकृत नोट जिन्हें भस्म करने से पूर्व पंच करके विकृत किया गया था, भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ कार्यालयों से उठा लिए गए/चुरा लिए गए थे, नोटों से पंच के निशानों को जानबूझकर बदलने के बाद, ताकि वे खराब नजर आएं, उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के भुवनेश्वर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया और उनका भुगतान ले लिया गया।

(ग) फरवरी, 1988 में भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर को यह सन्देह हुआ कि 100 रुपए मूल्यवर्ग के कुछ खराब नोट, जो पहले ही कुछ अन्य कार्यालयों में रद्द किए जा चुके थे, उक्त कार्यालय में प्रस्तुत किए गए थे और उनका धोखाधड़ी से भुगतान ले लिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के सभी कार्यालयों को तत्काल यह सलाह दी गई थी कि यदि उन्हें इसी प्रकार के नोट प्राप्त हों तो वे इन्हें प्रस्तुत करने वाले से इनके खराब होने के कारण पता करें और उसे केन्द्रीय कार्यालय को भेज दें याकि मामले की जांच की जा सके। बाद में, जुलाई, 1988 में, भुवनेश्वर कार्यालय के ध्यान में फिर

यह बात आई थी कि इसी मूल्यवर्ग के अनेक नोट जिन पर पहले ही पंच के निशान थे, काउन्टर पर प्रस्तुत किए गए थे और उनका भुगतान ले लिया गया था। मामले की तत्काल (अगस्त, 1988 में) जांच की गई और भारतीय रिजर्व बैंक के ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध, जिन पर इस धोखाधड़ी में शामिल होने का सन्देह था, विभागीय कारवाई की गई। इसमें शामिल कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया। इस मामले के सम्बन्ध में तत्काल केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भी सूचित किया गया ताकि जांच की जा सके।

(घ) रामानुजम समिति की मुख्य सिफारिश यह थी कि पहचान पत्र और सुरक्षा क्षेत्र पास जारी किए जाएं। समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के तत्काल बाद, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस सिफारिश को कार्यान्वित कर दिया। बैंक में सुरक्षा प्रबन्ध कड़े करने के लिए विगत में और भी अनेक अन्य उपाय किए गए थे। इसके अतिरिक्त, डा० एम० वी० हाटे, जो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे, की अध्यक्षता में भी बैंक के आन्तरिक सुरक्षा प्रबन्धों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। इस समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को भी कार्यान्वित किया गया।

(ङ) वर्तमान कार्य-प्रणालियां उपयुक्त रूप से सुदृढ़ हैं। उपर्युक्त घटना स्पष्टतया कुछ लोगों द्वारा नियमों में धोखा देकर अपराधों में सहायक होने तथा अन्य कुछ लोगों द्वारा कार्यप्रचालन का पर्यवेक्षण करने में की गई लापरवाही के कारण घटित हुई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्तमान जांच-प्रथा व सावधानियों का सतर्कता से पालन करने के सम्बन्ध में अपने सभी कार्यालयों से आग्रह किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सभी कार्यालयों का अचानक जांच दौरा करने के लिए एक विशेष दल भी गठित किया है ताकि निर्धारित कार्य-प्रणालियों का सख्ती से पालन किया जा सके।

शेयर बाजारों के निरीक्षण के लिए सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया की संहिता

8320. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि मन्त्रालय ने शेयर बाजारों के निरीक्षण के लिए सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड आफ इण्डिया द्वारा प्रस्तुत संहिता मसौदा "गैर-सेवित" मान कर लौटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शेयरों के दलालों को कानून अथवा अन्य प्रकार से नियमानुसार कार्य करने के लिए बाध्य करने हेतु और क्या कदम उठाने का विचार किया गया है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और स्टाक एक्सचेंजों के नियमों, उनकी उप-विधियों और विनियमों में स्टाक एक्सचेंजों के सदस्यों को विनियमित करने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रावधान है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों की गिरफ्तारी

8321. **श्री आर० एम० भोये** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग में विभिन्न पदों के कितने अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया, कितनों पर मुकदमा चलाया गया तथा कितनों को सजा दी गई;

(ख) इन अधिकारियों से कितनी नकदी तथा अन्य सामान बरामद किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने अधिकारियों ने स्वैच्छिक अथवा अवधि-पूर्व सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने से पहले सेवानिवृत्ति का अनुरोध किया है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1986, 1987 और 1988 में विभिन्न ओहदों वाले सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 113 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, 89 पर मुकदमा चलाया गया था और 6 को सजा हुई।

(ख) 5.09 लाख रुपए नकद, 850 अमरीकी डालर, एक रंगीन टेलीविजन, एक रेफ्रीजिरेटर, 26.600 ग्राम सोना और 18.89 लाख रुपए मूल्य का अन्य माल बरामद हुआ था।

(ग) शून्य।

व्यापार नीति सम्बन्धी गैर-सरकारी दल के गठन हेतु प्रस्ताव

8322. **श्री आर० एम० भोये** : या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योग के प्रतिनिधियों सहित एक छोटे दल का गठन करने का निर्णय किया है जो व्यापार नीति पर सरकार के साथ लगातार परस्पर अपने विचार रख सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को पेंशन भुगतान के लिए भारतीय स्टेट बैंक की शाखा

8323. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर० के० पुरम, नई दिल्ली स्थित वेतन तथा लेखा अधिकारी-तीन (पेंशन) के माध्यम से पेंशन के भुगतान के लिए विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों जिनमें उक्त अधिकारी नियुक्त थे और जिन्होंने भारतीय स्टेट बैंक की दिल्ली/नई दिल्ली स्थित विभिन्न शाखाओं से पेंशन लेने का विकल्प भेजा था, दिल्ली/नई दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक की किस शाखा को यह जिम्मेदारी सौंपी है;

(ख) इन मामलों को निपटाने के लिए बैंक औसतन कितना समय लगाता है;

(ग) क्या बैंक द्वारा ऐसे मामलों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है; और

(घ) यदि कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है तो क्या प्रभावित व्यक्तियों की असुविधा दूर करने के लिए ऐसा किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी बाग, दिल्ली ।

(ख) सम्मान्यत: ऐसे मामलों में बैंक द्वारा औसतन तीन दिन का समय लिया जाता है ।

(ग) नामित बैंक द्वारा जिन्हें लिंक ब्रांच के नाम से जाना जाता है, भुगतान ब्रांच को पी० पी० ओ० (पेंशन अदायगी आदेश) भेजने के लिए निर्धारित समय-सीमा तीन दिन है ।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

शुल्क मुक्त केन्द्रों से निर्यात करना

8324. **श्री प्रकाश को० पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शुल्क मुक्त निर्यात संवर्धन क्षेत्र/मुक्त व्यापार क्षेत्र केन्द्रों से किए गए निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक शुल्क मुक्त केन्द्र से पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए औद्योगिक निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक तटवर्ती राज्य में ऐसे केन्द्रों की स्थापना की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे केन्द्र कब तक स्थापित किए जाएंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) निर्यात संसाधन जोनों के निर्यात निष्पादन नीचे दिए गए हैं :—

(निष्पादन निर्यात)
(करोड़ रुपये)

	1986-87	1987-88	1988-89
1	2	3	4
1. कांडला मुक्त व्यापार जोन, गांधीधाम, कच्छ	236.26	185.05	271.59
2. सान्ताक्रुज इलेक्ट्रानिक्स निर्यात संसाधन जोन, बम्बई	102.36	110.14	185.19
3. मद्रास निर्यात संसाधन जोन, मद्रास	10.04	16.45	24.04
4. फाल्टा निर्यात संसोधन जोन, फाल्टा	3.18	1.86	8.11

1	2	3	4
5. नोएडा निर्यात संसाधन जोन, नोएडा	7.01	16.05	21.34
6. कोचीन निर्यात संसाधन जोन, कोचीन	0.94	3.94	6.25
7. विशाखापट्टनम निर्यात संसाधन जोन, विशाखापट्टनम			

(ग) और (घ) नोएडा निर्यात संसाधन जोन को छोड़कर सभी निर्यात संसाधन ज़ोन/मुक्त व्यापार जोन, तटवर्ती राज्यों में स्थित हैं। अधिक निर्यात संसाधन जोन स्थापित करने पर तभी विचार किया जा सकता है, जब सरकार इस काम के लिए अरिरिक्त स्रोत प्राप्त कर पाने से समर्थ हो और अधिक निर्यात संसाधन जोन स्थापित करने की आवश्यकता भी महसूस हो।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमाराशि और अग्रिम

8325. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि की वृद्धि दर क्या थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऋण वितरण वृद्धि दर क्या थी; और

(ग) अन्य राज्यों की दरों की तुलना में उपर्युक्त दर कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सकल जमा राशियों में वृद्धि की दर दिसम्बर, 1986 के अन्त में 12.8 प्रतिशत, दिसम्बर, 1987 के अन्त में 12.3 प्रतिशत और दिसम्बर, 1988 के अन्त में 17.5 प्रतिशत थी।

(ख) महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया अग्रिमों में वृद्धि की दर दिसम्बर, 1986 के अन्त में 7.5 प्रतिशत दिसम्बर, 1987 के अन्त में 2.5 प्रतिशत और दिसम्बर, 1988 के अन्त में 14.4 प्रतिशत थी।

(ग) महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया ऋणों में वृद्धि की तुलना में दिसम्बर, 1988 को समाप्त अवधि के दौरान 22 राज्यों में वृद्धि की दर अधिक तथा तीन राज्यों में कम थी। अलबत्ता, दिसम्बर, 1988 के अन्त में महाराष्ट्र में अग्रिमों की बकाया राशि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल अग्रिमों का 20.1 प्रतिशत थी।

मसालों की खेती

8326. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न प्रकार के मसालों का राज्यवार कितना उत्पादन होता है; और

(ख) मसाला बोर्ड ने और अधिक क्षेत्र पर मसालों की खेती करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) मसाला बोर्ड काली मिर्च के लिए विस्तार समर्थन, जड़युक्त कलमें और अधिकांश मसालों के उत्पादन हेतु सामान्य प्रोत्साहन प्रदान करता है जिसके लिए नोडीय मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय है। जहां तक इलायची का सम्बन्ध है, चूंकि मसाला बोर्ड पर इसके उत्पादन का दायित्व है, अतः यह इलायची के विकास के लिए सभी प्रकार का समर्थन प्रदान करता है। इलायची के सम्बन्ध में इसका प्रयास है कि इलायची के अधीन क्षेत्र में वृद्धि करने की बजाए उसकी उत्पादकता में और अधिक वृद्धि की जाए।

विवरण

महत्वपूर्ण मसालों के उत्पादन-प्राक्कलन-राज्यवार

काली मिर्च

राज्य	उत्पादन (हजार मे० टन) 1987-88
कर्नाटक	0.70
केरल	48.28
तमिलनाडु	0.24
पांडिचेरी	0.01
अखिल भारत	49.23

लाल मिर्च

राज्य	उत्पादन (हजार मे० टन) 1987-88
1	2
आंध्र प्रदेश	261.4
अरुणाचल प्रदेश	0.7
असम	6.7
बिहार	9.3
गुजरात	7.1

1	2
हरियाणा	4.6
हिमाचल प्रदेश	0.2
जम्मू और कशमीर	0.4
कर्नाटक	37.4
केरल	1.0
मध्य प्रदेश	10.7
महाराष्ट्र	71.1
मणिपुर	3.7
मेघालय	1.1
मिजोरम	3.3
नागालैंड	0.2
उड़ीसा	58.1
पंजाब	5.2
राजस्थान	20.9
तमिलनाडु	23.9
त्रिपुरा	0.7
उत्तर प्रदेश	16.0
पश्चिम बंगाल	30.7
दिल्ली	नगण्य
पांडिचेरी	नगण्य
अखिल भारत	574.6

अबरक

राज्य	उत्पादन (हजार मे० टन) 1987-88
1	2
आंध्र प्रदेश	8.57
अरुणाचल प्रदेश	3.60

1	2
बिहार	1.18
गुजरात	0.34
हरियाणा	0.06
हिमाचल प्रदेश	0.30
कर्नाटक	3.48
केरल	42.98
मध्य प्रदेश	3.44
महाराष्ट्र	0.59
मणिपुर	0.60
मेघालय	30.40
मिजोरम	4.50
नागालैंड	0.07
उड़ीसा	7.77
राजस्थान	0.56
सिक्किम	12.60
तमिलनाडु	0.81
त्रिपुरा	1.19
उत्तर प्रदेश	5.26
पश्चिम बंगाल	7.46
अखिल भारत	135.46

हल्दी

राज्य	उत्पादन (हजार मे० टन) 1987-88
1	2
आन्ध्र प्रदेश	115.2
अरुणाचल प्रदेश	0.5
असम	5.6

1	2
बिहार	5.6
कर्नाटक	18.4
केरल	6.2
मध्य प्रदेश	0.4
महाराष्ट्र	7.2
मेघालय	1.8
उड़ीसा	28.9
राजस्थान	0.2
तमिलनाडु	91.7
त्रिपुरा	1.9
उत्तर प्रदेश	0.6
पश्चिम बंगाल	10.7
अखिल भारत	294.9

धनियां

राज्य	उत्पादन (हजार मे० टन) 1987-88
आंध्र प्रदेश	28.2
बिहार	3.6
हरियाणा	0.2
कर्नाटक	1.7
मध्य प्रदेश	17.8
उड़ीसा	8.3
राजस्थान	166.7
तमिलनाडु	13.4
उत्तर प्रदेश	3.1
अखिल भारत	243.0

लहसुन

राज्य	उत्पादन (हजार मे० टन) 1987-88
आंध्र प्रदेश	1.3
बिहार	6.5
गुजरात	4.7
हरियाणा	23.8
जम्मू और कश्मीर	0.1
कर्नाटक	2.1
मध्य प्रदेश	123.4
महाराष्ट्रा	30.5
नागालैंड	0.1
उड़ीसा	54.9
पंजाब	11.0
राजस्थान	4.1
तमिलनाडु	4.9
उत्तर प्रदेश	19.3
अखिल भारत	286.7

स्रोत :—आर्थिक तथा सांख्यिकीय निदेशालय, कृषि मन्त्रालय

छोटी इलायची

राज्य	उत्पादन (हजार मे० टन) 1987-88
केरल	2.05
कर्नाटक	0.90
तमिलनाडु	0.25
अखिल भारत	3.20

बड़ी इलायची

राज्य	उत्पादन (हजार मे० टन) 1987-88
सिक्किम	2.75
पश्चिम बंगाल	0.50
अखिल भारत	3.25

स्रोत :—मसाला बोर्ड

पश्चिम बंगाल को भूक्षरण रोधी कार्यों हेतु आर्थिक सहायता देना

8327. **श्री सनत कुमार मण्डल :**
श्री पी० एम० सईद :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बैराज के कारण पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर भूक्षरण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार गंगा के किनारे-किनारे भूक्षरण रोधी कार्यों के लिए धन जुटाने में असमर्थ है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के और यहां की रेल पटरियों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 तथा फरक्का बराज की पोषक नहर के संरक्षण हेतु एक संशोधित योजना प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से भूक्षरण रोधी कार्यों पर प्रतिवर्ष आने वाले खर्च को समानता के आधार पर वहन करने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है; और

(च) यदि नहीं, तो राज्य सरकार को अब तक इस कार्य हेतु कितनी धनराशि दी गई है और इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) गंगा नदी के दाएं तट पर सांकोपारा, दुर्गापुर तथा बजीतपुर मौजा के सुभेद्य पहुंचों की सुरक्षा के लिए लगभग 17 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की स्कीम को नदी कटाव की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए संशोधन हेतु पश्चिम बंगाल सरकार को लौटा दी गई थी। तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के प्रमाणित हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार को राज्य योजना में उपयुक्त प्रावधान करके इस स्कीम को क्रियान्वित करना है।

बुक स्टालों के आबंटन के लिए सहकारी समिति

8328. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या **रेल मंत्री** रेलवे स्टेशनों पर ठेके आबंटित करने के लिए सहकारी समितियों के बारे में 7 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न सं० 5393 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विक्रेता सहकारी समिति के लिए सदस्यता के बारे में सिफारिश प्राप्त होने के बावजूद बुक स्टालों के लिए सहकारी समिति के मामले में सदस्यों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करने हेतु कृषि मन्त्रालय से परामर्श न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) विक्रेताओं की सहकारी समिति को बुक स्टालों के आबंटन के लिए अपनाए जाने वाले मानदण्ड क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) इस सम्बन्ध में कृषि मंत्रालय से परामर्श करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अध्ययन दल ने बुक स्टालों के लिए सम्बन्धित सहकारी समितियों के बारे में कोई सिफारिश नहीं की थी।

(ख) बुक स्टाल के ठेकों के आबंटन के लिए सहकारी समितियों को जो शर्तें पूरी करनी चाहिएं उनमें से कुछ शर्तें इस प्रकार हैं कि सहकारी समितियों के सम्बन्धित रजिस्ट्रार के पास ये समितियां पंजीकृत होनी चाहिएं, समिति के प्रत्येक सदस्य स्नातक और बेरोजगार होने चाहिए और गाड़ी की ओर विक्रय सहित बुक स्टाल के प्रबन्ध से सम्बन्धित सभी कार्य स्वयं समिति के सदस्यों द्वारा किए जाने चाहिएं।

दक्षिण रेलवे में बुक स्टालों पर स्टेशनरी की बिक्री के ठेके

8329. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या **रेल मंत्री** बुक स्टाल ठेकों के बारे में 7 अप्रैल, 1989 के तारांकित प्रश्न संख्या 532 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे द्वारा बुक स्टालों के ठेकेदारों को स्टेशनरी बेचने की अनुमति देने के विशेष कारण क्या हैं; और

(ख) बुक-स्टाल अनुबन्ध के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने का क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) करारों में इसकी व्यवस्था बहुत पहले की गयी है।

(ख) क्षेत्रीय रेलों को करारों की शर्तें निर्धारित करने की शक्तियां प्रदान की गयी हैं, और इस प्रकार इनमें कुछ भिन्नताएं हैं।

दिल्ली डिवीजन में बुक स्टालों के ठेके

8330. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली डिवीजन में किन-किन रेलवे स्टेशनों पर गत दो वर्षों के दौरान बुक स्टालों के आबंटन हेतु आवेदन-पत्र आमन्त्रित किए गए थे;

(ख) इन आवेदकों को, नीति के अनुरूप किस-किस तारीख को स्टालों का आबंटन किया गया; और

(ग) किन-किन रेलवे स्टेशनों के सम्बन्ध में अभी निर्णय लिया जाना है और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) पिछले दो वर्षों अर्थात् 1987 और 1988 के दौरान निम्नलिखित स्टेशनों पर बुक स्टालों के आबंटन हेतु आवेदन-पत्र आमन्त्रित किए गए थे :—

तिलक ब्रिज, मेरठ सिटी, मेरठ कैंट, करनाल, मोदीनगर, जाखल, नरवाना, देवबन्द खतौली और मानसा।

(ख) आबंटनों की तिथियां नीचे दी गयी हैं :

मेरठ सिटी मेरठ कैंट	22-7-1988
जाखल	26-7-1988
मोदी नगर	1-7-1988

(ग) अभी करनाल, मानसा, नरवाना, देवबन्द तथा खतौली स्टेशनों के लिए आवेदन-पत्रों की संवीक्षा समिति द्वारा संवीक्षा की जानी है। तिलक ब्रिज के मामले में आवेदन-पत्रों की संवीक्षा कर ली गयी है लेकिन अभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

आन्ध्र प्रदेश में रेलवे स्टेशनों पर दूषित जल की सप्लाई

8331. **श्री सोडे रमैया** : क्या **रेल मंत्री** आन्ध्र प्रदेश में रेलवे स्टेशनों पर सफाई तथा पेयजल की व्यवस्था के बारे में 7 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5390 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में रेलवे स्टेशनों पर संक्रमित और दूषित जल की सप्लाई किए जाने के बारे में, पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे किए गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार स्वास्थ्यकर स्वच्छ पेयजल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण और जांच आरम्भ करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चिकित्सा अधिकारियों द्वारा अचानक निरीक्षणों के अलावा, अवशिष्ट क्लोरीन तथा जीवाणुओं की जांच करने के लिए समय-समय पर पानी की नियमित जांच की जाती है। यदि कोई नमूना असन्तोषजनक पाया जाता है तो उपचारात्मक कार्रवाई करने हेतु तन्त्र मौजूद है।

नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्रबन्ध

8332. **श्री सोडे रमैया** : क्या **रेल मंत्री** नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ के बारे में 7 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5377 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्रबन्ध के सम्बन्ध में गत तीन वर्षों में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

अभ्यावेदन में उल्लिखित समस्याएं तथा दिए गए सुझाव	रेलवे द्वारा की गयी कारंवाई
(क) जन उद्‌घोषणा प्रणाली का ठीक से काम न करना ।	(क) जन उद्‌घोषणा प्रणाली के कार्य पर निगरानी रखी जा रही है ।
(ख) दलालों की गतिविधियां तथा आरक्षित टिकटों की अवैध रूप से खरीद तथा बिक्री ।	(ख) इस समस्या की रोकथाम के लिए नियमित रूप से जांच की गयी । अप्रैल, 1989 में 6 दलालों को पकड़ा गया ।
(ग) प्लेटफार्मों पर भीड़-भाड़ ।	(ग) नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों पर यात्रियों को विदा करने तथा लेने के लिए आने वाले रिश्तेदारों तथा मित्रों के प्रवेश पर रोक लगाई जा रही है ।
(घ) बुकिंग खिड़कियों तथा प्रतीक्षालयों में भीड़-भाड़ ।	(घ) अनारक्षित टिकटें तीव्र गति से जारी करने हेतु स्वतः टिकटें मुद्रित करने वाली मशीनें स्थापित की गयी हैं ।
(ङ) अन्तिम क्षणों में प्लेटफार्मों का बदला जाना ।	(ङ) अपरिहार्य होने पर ही प्लेटफार्म बदले जाते हैं ।

दिल्ली में रेलवे स्टेशनों का प्रबन्ध

8333. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली स्थित तीन रेलवे स्टेशनों के कार्यकरण की समाचार पत्रों में कड़ी आलोचना की गई है, और जिसमें कुप्रबन्ध, घटिया सूचना प्रणाली, दलालों द्वारा शोषण, परिवहन, विशेष रूप से सार्वजनिक परिवहन, आदि की पर्याप्त व्यवस्था न होने जैसे विभिन्न दोषों का उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने हेतु उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को उनके सम्बन्धियों द्वारा विदा करने अथवा उन्हें

लेने जाने की अनुमति न दिए जाने की स्थिति में कुलियों द्वारा यात्रियों के शोषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) हाल ही में एक समाचार-पत्र में कुछ लेख प्रकाशित हुए हैं जिनमें दिल्ली, नयी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों पर यात्रियों को हो रही समस्याओं का उल्लेख किया गया है।

(ख) और सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

(1) सीटें/शायिकाएं हथियाने के काम में संलिप्त दलालों और असामाजिक तत्वों को पकड़ने के लिए जांचों की संख्या में वृद्धि।

(2) जन उद्घोषणा प्रणाली के कार्य पर निगरानी।

(3) पार्सलों के ढेर आदि के कारण प्लेटफार्मों पर होने वाले संकुलन को कम करने के लिए अध्ययन किया जा रहा है।

(4) आगन्तुकों को परामर्श दिया जा रहा है कि अति आवश्यक कार्य के सिवाय प्लेटफार्मों पर प्रवेश न करें तथा प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री नियन्त्रित की जा रही है। प्रवेश द्वारों पर जांच गहन कर दी गयी है।

(5) नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन के दूसरे प्रवेश द्वार की ओर वाहन खड़े करने के स्थान में वृद्धि की जा रही है।

(6) सुविधाओं का विकास करने के लिए दिल्ली क्षेत्र में अन्य स्टेशनों पर टर्मिनल सुविधाओं के विकास हेतु एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है।

(ग) जरूरमन्द यात्रियों के साथ सहायतार्थ आने वाले व्यक्तियों को प्लेटफार्मों पर प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए जांच भी की जा रही है कि लाइसेंसधारी भारिक उचित ढुलाई प्रभार ही वसूल करें।

बड़े व्यापारियों द्वारा आयकर की चोरी

8334. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में बड़े व्यापारियों की कितनी कम्पनियों द्वारा वर्ष 1988-89 में आयकर की चोरी की गई है;

(ख) 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार उनकी ओर आयकर की कुल कितनी राशि बकाया है;

(ग) उनके द्वारा आयकर का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) कितने मामलों में ऐसे व्यापारियों के विरुद्ध मुकदमे दायर किए गए; और

(च) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) तथाकथित बड़ी-बड़ी व्यापारिक कम्पनियों के नामों का पता नहीं चल सका है। प्रत्येक बड़े-बड़े व्यापारिक घरानों की

अपनी अनेकों ऐसी कम्पनियां हो सकती हैं, जिनका समूचे देश में भिन्न-भिन्न स्थलों पर कर-निर्धारण किया जा सकता है; और आंकड़े प्राप्त करने की वर्तमान प्रणाली इस तरह की है कि मांगी गई जानकारी को आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में किए जाने वाले प्रयासों पर आने वाली लागत तथा इस पर लगने वाला समय प्राप्तव्य परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

(ख) से (च) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए इनके प्रश्न ही नहीं उठते हैं।

डीजल लोको शेड, खड़गपुर में रिक्त पद

8335. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में खड़गपुर में नवनिर्मित डीजल लोको शेड में अनेक पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या संगठित श्रमिकों ने इस मामले को सम्बन्धित अधिकारियों के समक्ष कई बार उठाया है यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) और (ख) 182 पद रिक्त हैं जिसका कोटि-वार ब्यौरा इस प्रकार है :

फोरमैन ए० एवं बी०	8
फिटर ए० एवं बी०	9
मैकेनिक ग्रेड I, II एवं III	74
खलासी/हैल्पर/खलासी	29
एन्सिलियरी	33
प्रयोगशाला सहायक	4
कैमिस्ट	3
कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन	1
ओ० एस० जी० I एवं II	3
प्रधान लिपिक	3
वरिष्ठ लिपिक	4
कनिष्ठ लिपिक	1
कांटेवाला	8
चपरासी	2
जोड़ :	182

(ग) सीधी भर्ती, पदोन्नति और स्थानान्तरण द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(घ) जी नहीं। तथापि श्रमिक संगठनों ने केवल वरिष्ठता का मुद्दा उठाया है।

तिरूपति रेलवे स्टेशन का विकास और वहां पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण की सुविधा

8336. **श्री श्रीहरि राव :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में तिरूपति रेलवे स्टेशन के विकास के लिए आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : तिरुपति रेलवे स्टेशन के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित की गयी धनराशि नीचे दी गयी है :—

1986-87	कुछ नहीं
1987-88	9.52 लाख रुपये
1988-89	19.84 लाख रुपये

आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

8337. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के पिछले और जनजातीय क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां बैंक शाखाओं को खोलने का विचार है; और

(ग) बैंक शाखाएं कब तक खोल दी जाएंगी ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत जनसंख्या मानदण्ड में जो प्रत्येक विकास खण्ड के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रति बैंक कार्यालय औसत 17,000 है, पहाड़ी छिट-पुट बसे और आदिवासी क्षेत्रों के विकास खण्डों के सम्बन्ध में ढील देकर 10,000 कर दिया गया है। ये मानदण्ड आन्ध्र प्रदेश सहित सारे देश पर लागू हैं।

आन्ध्र प्रदेश में शाखाएं खोलने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को जो केन्द्र आबंटित किए गए हैं उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

जिले का नाम	केन्द्र का नाम
1	2
आदिलाबाद	थाम्सी (मंडल मुख्यालय) भीमपुर
चित्तूर	अरमेंनीपेंटा

1	2
रंगारेड्डी	बर्वाद मोखुक्पल्ली दादापुर
विजयनगरम	दोंकीनवालसा थाडीपुडी पंचाली थोनम
विशाखापत्तनम	अनन्तवरम मंगमरीपेठ (हमलेट आफ कौपला उप्पडा)
वेस्ट गोदावरी	डोराममिडी

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि उन गिने चुने मामलों को छोड़कर जहां आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, आवंटित सभी केन्द्रों में वे जून, 1989 के अन्त तक शीघ्र ही अपनी शाखाएं खोल दें।

आन्ध्र प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सहायता

8338. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और ये कहां-कहां स्थिति हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक बैंक द्वारा ग्रामीण लोगों को गत छः माह में कितनी राशि के ऋण तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) इस प्रकार की सहायता/वित्तीय सहायता ग्रामीण लोगों के लिए कितनी सहायता सिद्ध हुई है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हैदराबाद ने सूचित किया है कि इस समय आन्ध्र प्रदेश में 16 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। इन बैंकों का कार्य क्षेत्र तथा जुलाई से दिसम्बर, 1988 के छः महीनों की अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक बैंक द्वारा संवितरित ऋणों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) बताया जाता है कि इन बैंकों द्वारा दी गई ऋण सहायता से ग्रामवासियों को काफी मदद मिली है।

विवरण

क्रम सं०	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	शामिल जिले	शाखाओं की संख्या	कुल संविरित शक्ति (लाख रुपये)
1	2	3	4	5
1.	नागार्जुन ग्रामीण बैंक	खम्मम नलगोंडा	148	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5
2.	रायलसीमा ग्रामीण बैंक	करनूल कुडप्पा प्रकाशम का भाग	142	8917.67
3.	श्री विशाखा ग्रामीण बैंक	श्रीकाकुलम विजियानगरम विशाखापतनम	168	3857.99
4.	श्री आनन्था ग्रामीण बैंक	अनन्तपुर	68	2056.52
5.	श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक	चित्तूर	71	2319.29
6.	संगमेश्वर ग्रामीण बैंक	महबूबनगर	65	529.68
7.	मंजीरा ग्रामीण बैंक	मेंढक	64	2829.54
8.	श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक	आदिलाबाद	69	364.19
9.	पिनाकिनी ग्रामीण बैंक	नैल्लौर और प्रकाशम का भाग	83	3002.22
10.	काकतीय ग्रामीण बैंक	वारंगल	43	556.82
11.	चैतन्य ग्रामीण बैंक	गुंटूर	43	690.37
12.	श्री सतवाहन ग्रामीण बैंक	करीमनगर	42	1097.82
13.	गोकुण्डा ग्रामीण बैंक	रंगारेड्डी	20	403.40
14.	श्री राम ग्रामीण बैंक	निजामाबाद	24	416.09
15.	कनकदुर्गा ग्रामीण बैंक	कृष्णा	13	332.00
16.	गोदावरी ग्रामीण बैंक	ईस्ट और वेस्ट गोदावरी	9	87.24

आन्ध्र प्रदेश को विश्व बैंक द्वारा ऋण

8339. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा आन्ध्र प्रदेश को पिछले दो वर्षों के दौरान दिए गए ऋण का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) यह ऋण किन-किन शर्तों पर दिया गया;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऋण की किस्तों की अदायगी में छूट दिए जाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में विश्व बैंक से बातचीत की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ आधारों के रूप में सहायता देने की वचनबद्धता की है।

	सहायता की राशि (अमरीकी डालर लाखों में)
1. राष्ट्रीय जन प्रबंध परियोजना (यह एक बहुराज्यीय परियोजना है, जिसमें आंध्र प्रदेश एक भागीदार राज्य है)	150
2. तृतीय राष्ट्रीय बीज परियोजना (यह एक बहुराज्यीय परियोजना है, जिसमें आंध्र प्रदेश एक भागीदार राज्य है)	140

भारत सरकार को दी जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय दिवस संघ सहायता उधार के रूप में है। जून, 1987 से पूर्व वचनबद्ध किए गए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के उधारों की वापसी अदयगी 50 वर्ष में की जानी है, जिसमें 10 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है, इसके बाद के उधारों की वापसी अदायगी 10 वर्षों की रियायत अवधि सहित 35 वर्षों में की जानी है। उधार के संवितरित भाग सं० 0.75 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार लगाया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा

8340. **श्री सोडे रमैया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को दिया जाने वाला मुआवजा विश्व में सबसे कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का मुआवजा राशि में वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) से (ग) विश्व की अन्य रेलों द्वारा किये गए क्षतिपूर्ति के भुगतान से सम्बन्धित सूचना रेल मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण

8341. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश में स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण के बारे में 21 अप्रैल, 1989 के तारांकित प्रश्न संख्या 692 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15,000 रुपये से अधिक और 25,000 रुपये से कम राशि के तथा 25,000 रुपये से अधिक और 35,000 रुपये से कम राशि के ऋण पाने वालों की संख्या पृथक-पृथक क्या है;

(ख) औद्योगिक, सेवा और व्यापारिक उद्यमों हेतु ऋण लेने वालों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) 1.35 लाख लाभार्थियों को वास्तविक रूप से कुल कितनी राशि के ऋण दिए गए हैं;

(घ) इन 1.35 लाख लाभार्थियों द्वारा 1 अप्रैल, 1989 तक वास्तव में कितनी इकाइयों की स्थापना की गई है; और

(ङ) बिहार के मामले में इसी प्रकार की जानकारी का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे बताया है कि उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1983-84 से 1987-88 की अवधि के दौरान शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बिहार में लगभग 90,000 (नब्बे हजार) हिताधिकारियों को 182.97 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए गए।

जनपथ होटल के बिना दावा किए गए लाकरों से नकदी और आभूषणों का पता लगाया जाना

8342. **श्री नारायण चौबे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनपथ होटल के बिना दावे के लाकरों में काफी नकद धनराशि और आभूषण पाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) क्या अखिल भारतीय भारत पर्यटन विकास निगम की कर्मचारी यूनियन और जनपथ होटल के कर्मचारी इस मामले की उच्च स्ततरीय जांच करने की मांग कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी मांग पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) आयकर विभाग ने दिनांक 3 रार्च, 1989 को जनपथ होटल, नई दिल्ली के परिसर में के एक लाकर से 2.50 लाख रु० अभिगृहीत किए थे। उक्त लॉकर लुधियाना के किसी व्यापारी के नाम में था। प्रत्यक्ष कर अधिनियमनों के प्रावधानों के अध्यधीन समुचित अनुवर्ती कार्यवाही की गई है।

(घ) और (ङ) अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ ने दिनांक 20 फरवरी, 1989 के अपने एक पत्र के द्वारा जनपथ होटल, नई दिल्ली में के कतिपय लाकरों के कर अपवंचन के उद्देश्य से तथाकथित दुरुपयोप के बारे में आयकर विभाग को सूचना दी थी। जहां तक आयकर विभाग का सम्बन्ध है, ऊपर भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर में यात्रा-विनिर्दिष्ट आवश्यक कार्यवाही की गई है।

वालटेयर रेलवे स्टेशन के निकट रेलगाड़ी को चेन खींचा जाना

8343. **श्री सोडे रमैया** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हैदराबाद-विशाखापत्तनम गोदावरी एक्सप्रेस और मद्रास हावड़ा मेल रेलगाड़ियों की प्रतिदिन अकारण चेन खींच कर वालटेयर रेलवे स्टेशन के बाहर रोक दी जाती है; और

(ख) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) वाल्तेरू रेलवे स्टेशन के बाहर हैदराबाद-विशाखापत्तनम गोदावरी एक्सप्रेस और मद्रास-हावड़ा मेल में खतरे की जंजीर खींचने के कुछ मामले नोटिस में आए हैं। इस समस्या पर काबू पाने के लिए टिकट जांच दस्ते द्वारा घात लगाकर जांच की जा रही है और ये जारी रहेंगी।.

भारत में आस्ट्रेलियाई निवेश को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना

[हिन्दी]

8344. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-आस्ट्रेलिया संयुक्त व्यापार परिषद का आस्ट्रेलियन मंडल भारत में निवेश की संभावनाओं के बारे में उद्योग को अवगत कराने के लिए एक स्थानिक कार्य योजना कार्यान्वित कर रहा है;

(ख) क्या इसका स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और स्वदेशी उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) भारत और आस्ट्रेलिया की एक संयुक्त व्यापार परिषद है जिसके तत्वावधान में दोनों देशों के व्यापारी परस्पर क्रियाकलाप करते हैं। भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ (फक्की) से प्राप्त जानकारी के अनुसार आस्ट्रेलियाई पक्ष आस्ट्रेलिया में एक "कार्यवाही कार्यक्रम" चला रहा है जिससे कि तकनीकी अन्तरण के साथ-साथ व्यापार के लिए भारत की संभाव्यताओं और क्षमताओं के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा की जा सके।

(ख) और (ग) नीति के रूप में सरकार भारतीय उद्योगों को आधुनिक बनाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अन्तरण में सभी मित्र देशों के साथ सहयोग का स्वागत करती है ताकि भारतीय उद्योगों की उत्पादकता में सुधार लाया जा सके तथा उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय रूप में प्रतियोगी बनाया जा सके। बशर्तें कि पेश की गई शर्तें हमारे नीति परिमापों के भीतर हो।

7/8 तिनसुकिया मेल का नाम बदल कर डिब्रूगढ़ मेल करना

[अनुवाद]

8345. **श्री राज करन सिंह** : क्या **रेल मंत्री** तिनसुकिया मेल का डिब्रूगढ़ तक विस्तार के बारे में 25 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5044 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मूल प्रस्ताव के अनुसार 7/8 तिनसुकिया मेल का नाम बदलकर डिब्रूगढ़ मेल करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का लोगों की आम मांग और अधिकांश यात्रियों की सुविधानुसार इसे बरास्ता-नई दिल्ली चलाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) मोजूदा नाम लोकप्रिय है और इसे बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) टर्मिनल की तंगियों के कारण ।

टायरों का आयात

8346. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989 के दौरान टायर आयात किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकारी एजेंसियों ने सामान्य खुले लाइसेंस के अन्तर्गत कितने टायरों का आयात किया; और

(ग) वर्ष 1989 की शेष अवधि के दौरान कितने टायर आयात किए जाने का अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) वर्ष 1986-87 के बाद के आयात आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) टायरों के आयात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

पश्चिम बंगाल में आरक्षित डिब्बों, पर्यटक कारों तथा सैलूनों इत्यादि के किराया दरों में संशोधन

8347. **श्री रेणु पद दास** : क्य **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें रेलवे बोर्ड द्वारा आरक्षित डिब्बों, पर्यटक कारों, सैलूनों इत्यादि के किराया दरों तथा अन्य प्रभारों में किए गए संशोधन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे पश्चिम बंगाल यात्रा आयोजक संघ, कलकत्ता से दिनांक 20 फरवरी, 1989 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) इन दरों में संशोधन करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या संशोधन से पर्यटन पर प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(क) रेलवे के परिचालन की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इन दरों में संशोधन किया गया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

सातवीं योजना के लिए धनराशि की व्यवस्था

8348. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए धनराशि की व्यवस्था के लिए बाजार से लिए गए ऋणों, अन्य पूंजीगत प्राप्तियों, सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों से लिए गए ऋणों और घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा कुल परिव्यय का कितने प्रतिशत संसाधन जुटाने का अनुमान है;

(ख) क्या इस योजना के पहले और चौथे वर्ष के बीच ऋण से जुटाए गए संसाधनों के स्तर का वर्तमान अनुमान और वित्त पोषण व्यय 15 प्रतिशत तक बढ़ गया है; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं कि चालू योजना के अन्तिम वर्ष के दौरान ऋण संसाधनों द्वारा वित्त व्यवस्था के स्तर में कमी आए जिससे इस मूल अनुमानों के स्तर तक लाया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) सरकार ने राजस्व प्राप्तियों में सुधार करने, आयोजना-भिन्न व्यय में कमी करने और अनावश्यक तथा निम्न प्राथमिकता व्यय को समाप्त करने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं और इनके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार की आयोजना के वित्त पोषण के लिए वर्ष 1989-90 में उधारों पर निर्भरता के कम होने की आशा है ।

विवरण

सातवीं योजना, 1985-86, 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के उधार लिए गए संसाधनों के अनुमान

(करोड़ रुपए)

क्र० सं०	मदें	सातवीं योजना (1984-85 के मूल्यों पर मूल अनुमान)	वर्तमान मूल्यों पर			
			1985-86 (अद्यतन अनुमान)	1986-87 (अद्यतन अनुमान)	1987-88 (अद्यतन अनुमान)	1988-89 (वार्षिक योजना अनुमान)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आयोजना परिव्यय (केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)	180000	34580	40817	44792	49818

1	2	3	4	5	6	7
2. उधारों के स्वरूप						
2.1	बाजार उधार (निवल)*	30:62	6691	7098	9124	9500
2.1.1	सरकारी उद्यमों द्वारा बांड जारी करना	—	315	1364	2108	2039
2.2.	अल्प बचतें	17916	4800	4900	4200	4600
2.3.	भविष्य निधियां	7327	1276	1550	2070	2295
2.4	वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण	4639	814	887	1029	1151
2.5	विविध पूंजी प्राप्तियां (निवल)	12618	3750	3095	8471	6824
2.6	विदेशों के निवल पूंजीगत प्राप्तियां	18000	3271	2580	3762	4351
2.7	घाटे की वित्त व्यवस्था	14000	4490	8285	6080	7484
	जोड़-उधार	105062	25407	30759	36844	38244
2.8	कुल आयोजना परिव्यय की तुलना में प्रतिशत	58.4%	73.5%	75.4%	82.3%	76.8%

*सरकार, सरकारी उद्यमों और स्थानीय निकायों के बाजार उधार।

स्रोत : सातवीं योजना दस्तावेज, खण्ड-I और वार्षिक योजना दस्तावेज, योजना-आयोग।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक रुग्णता

8349. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में, विशेष रूप से कलकत्ता में औद्योगिक रुग्णता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जून, 1987 के अन्त में पश्चिम बंगाल में रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की संख्या 18129 थी जिनके नाम 167.37 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी। जून, 1986 में रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की संख्या 24200 थी तथा उनके नाम 173.99 करोड़ रुपए की राशि बकाया

थी । जून, 19ं 6 के अन्त में एक करोड़ रुपए से अधिक की बैंक ऋण सीमा वाले अन्य रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या 150 थी जिनके नाम बैंकों की बकाया राशि 738.22 करोड़ रुपए थी । जून, 1987 के अन्त में रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1985 में दी गई परिभाषा के अनुसार रुग्ण गैर लघु औद्योगिक एककों की संख्या 146 थी जिनके नाम बैंकों की बकाया राशि 374.91 करोड़ रुपए थी । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केवल कलकत्ता से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते ।

(ख) से (घ) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1985 के अन्तर्गत औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को रुग्णता की सूचना देने का दायित्व, अन्य बातों के साथ-साथ सम्बन्धित कम्पनी पर है । औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1988 के अन्त में उसके पास रजिस्टर किए गए मामलों में पश्चिम बंगाल के 82 मामले थे। इसके अलावा, 31-3-89 की स्थिति के अनुसार, बोर्ड ने पश्चिम बंगाल के तीन औद्योगिक एककों को पुनरुज्जीवित करने/उनका पुनरुद्धार करने के लिए योजनाओं की मंजूरी दी है । इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने पश्चिम बंगाल से सम्बन्धित 8 मामलों में निर्णय लिया है कि इन कम्पनियों के लिए उपयुक्त समय के अन्दर अपनी शुद्ध मालियत को सकारात्मक बनाया जा सकता है तथा बोर्ड ने इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 17(2) के अन्तर्गत आदेश पारित कर दिए ।

"पैलेस आन व्हील्स" रेलगाड़ी

8350. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : **क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "पैलेस आन व्हील्स" रेलगाड़ी ने वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान कितना लाभ अर्जित किया है;

(ख) क्या इस रेलगाड़ी के रेक्सों की आयु बहुत कम है और इसीलिए उनकी तुरन्त मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) 1987-88 में पूर्ण वितरित लागत के आधार पर रेलवे को लगभग 22.51 लाख रुपए की हानि हुई थी। तथापि, बढ़ी हुई लागत के आधार पर लगभग 27.99 लाख रुपए का लाभ हुआ था । 1988-89 के परिणाम अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) और (ग) अधिकांश सवारी डिब्बे गतायु हो गए हैं। समय-समय पर आवश्यक मरम्मत की जाती है ।

बल्लालपुर में सड़क ऊपरी पुल

8352. **श्री आयनल अबेदिन** : **क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे में बल्लालपुर में सड़क ऊपरी पुल का निर्माण कार्य कब आरम्भ हुआ था;

(ख) इस पर अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है;

(घ) इस योजना की अनुमानित मूल लागत क्या थी;

(ङ) क्या यह सच है कि लागत बढ़ जाने के कारण अत्यधिक धनराशि खर्च करनी पड़ेगी;

(च) यदि हां, तो इसकी लागत में अनुमानतः कितनी वृद्धि हुई है; और

(छ) इसके निर्माण कार्य को पूरा करने में यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) सितम्बर, 1980 में।

(ख) रेलपथ पर पुल खास पर रेलवे का हिस्सा	60 प्रतिशत
पुल पहुंच मार्गों पर राज्य सरकार का हिस्सा	85 प्रतिशत

(ग) रेलवे के हिस्से का कार्य कुछ ही महीनों में पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(घ) 18.66 लाख रुपए।

(ङ) जी हां।

(च) 33 लाख रुपए (अनुमानित)।

(छ) ठेकेदार द्वारा कार्य की असन्तोषजनक प्रगति के कारण ठेका समाप्त करना पड़ा था और शेष कार्य को पूरा करने के लिए एक नई एजेंसी निर्धारित की गई थी।

भूमिहीन श्रमिकों के लिए सामूहिक बीमा योजना

8353. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **वित्त मंत्री** भूमिहीन श्रमिकों के लिए सामूहिक बीमा योजना के बारे में 10 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2083 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना से दिसम्बर, 1988 तक जिन भूमिहीन श्रमिकों को लाभ प्राप्त हुआ है उनकी संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्राप्त हुए कुल लाभ तथा प्रति श्रमिक औसत लाभ का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम के पास 1 जनवरी, 1989 की जिन श्रमिकों के मामले लम्बित पड़े हुए थे उनकी संस्था का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राय मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना से 31-12-1988 तक जिन भूमिहीन कृषि श्रमिकों को लाभ प्राप्त हुआ है, उनकी संख्या का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

1	2
(1) आन्ध्र प्रदेश	2802
(2) बिहार	6
(3) चण्डीगढ़	2
(4) गोआ	135
(5) गुजरात	2489
(6) हरियाणा	329

1	2
(7) जम्मू और कश्मीर	13
(8) कर्नाटक	1394
(9) केरल	1403
(10) मध्य प्रदेश	402
(11) मणिपुर	10
(12) उड़ीसा	2767
(13) पंजाब	359
(14) पांडिचेरी	70
(15) राजस्थान	480
(16) तमिलनाडु	7607
(17) त्रिपुरा	34
(18) उत्तर प्रदेश	698
जोड़ :	21,000

(ख) कुल प्राप्त लाभ 2.1 करोड़ रुपए का है। प्रति श्रमिक बीमित राशि 1000 रुपए है।

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम के पास 1-1-1989 को जिन श्रमिकों के मामले लम्बित पड़े हुए हैं, उनकी कुल संख्या का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) आन्ध्र प्रदेश	447
(2) हरियाणा	59
(3) कर्नाटक	377
(4) मध्य प्रदेश	45
(5) पंजाब	28
(6) राजस्थान	24
(7) तमिलनाडु	925
(8) उत्तर प्रदेश	24
(9) पांडिचेरी	4
जोड़ :	1933

धनबाद-पाथरडीह रेलगाड़ी को भोजूडीह तक बढ़ाना

8354. श्री रेणुपद दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, भोजूडीह पिछड़े क्षेत्र की जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए पाथरडीह और धनबाद के बीच चलने वाली यात्री रेलगाड़ी को भोजूडीह तक बढ़ाने के अपने पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार करेगी;

(ख) यदि हां, तो निर्णय कब तक लिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो जनता की काफी समय से लम्बित पड़ी मांग को पूरा करने में क्या अड़चनें आ रही हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) पाथरडीह-भोजूडीह खण्ड यात्री गाड़ियां चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है ।

दिल्ली में मतदाता सूचियां

8355. श्री बी० एम० सईद : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मतदाता सूचियों को अद्यतन बना लिया गया है;

(ख) मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के कारण कितने नए मतदाता, मतदाता सूचियों में शामिल किए गए हैं; और

(ग) इस समय दिल्ली में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य 1 फरवरी, 1989 से आरम्भ कर दिया गया है और 22 मई, 1989 को अन्तिम रूप से नामावलियां प्रकाशित करके यह कार्य पूरा हो जाने की आशा है ।

(ख) और (ग) मतदाताओं की संख्या में हुई वृद्धि और उनकी कुल संख्या का पता तभी लगेगा जब नामावलियां अन्तिम रूप से प्रकाशित हो जाएंगी ।

वाणिज्य पत्र जारी करना

8356. डा० बी० एल० शैलेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य पत्र जारी करने की योजना शुरू करने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इनके लिए ब्याज दर कैसे तय की गई है;

(ग) इससे निर्बाध हस्तांतरण में तथा लचीली मुद्रा-व्यवस्था लाने में किस हद तक सहायता मिलेगी; और

(घ) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा डिपोजिट सर्टीफिकेटों पर प्राप्त की जा सकने वाली राशि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या सीमा निर्धारित की है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) बहुत अच्छी साख वाले निगमित ऋणकर्ताओं को अल्पकालीन ऋणों के वास्ते उपलब्ध साधनों में विविधता प्रदान

करने तथा निवेशकों को अतिरिक्त लिखत उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में वाणिज्यिक पत्र (कर्मशियल पेपर) जारी करने के निर्णय की घोषणा की है।

(ख) ये वाणिज्यिक पत्र अंकित मूल्य पर बट्टे पर जारी किए जाएंगे और बट्टा दर निर्बाध रूप से तय की जाएगी।

(ग) वाणिज्यिक पत्र अल्पकालिक लिखित हैं जिनकी परिपक्वता अवधि 91 दिन से 6 महीने तक होगी। जिस बट्टा दर पर वाणिज्यिक पत्र जारी किये जाएंगे वह निर्बाध रूप से मुद्रा बाजार की शक्तियों द्वारा तय की जायेगी। ये वाणिज्यिक पत्र पृष्ठांकन और सुपुर्दगी द्वारा निर्बाध रूप से हस्तांतरित किए जाएंगे। कोई कम्पनी उसे अनुमत अधिकतम बैंक वित्त के 20 प्रतिशत तक की राशि के वाणिज्यिक पत्र जारी कर सकेगी।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि किसी एक बैंक द्वारा किसी एक समय में जारी किए गए सभी जमा पत्रों की कुल बकाया रकम 1988-89 के वित्त वर्ष के दौरान उसकी पाक्षिक औसत जमा राशि के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वुलर बैराज टुलबाल नेवीगेशन परियोजना के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत

8357. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने वुलर बैराज टुलबाल नेवीगेशन परियोजना के सम्बन्ध में पाकिस्तान के साथ कितने दौर की बातचीत की थी;

(ख) भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुद्दे पर अन्तिम दौर की बातचीत कब और कहां हुई थी; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय समझौता हुआ है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) टुलबुल नौवहन परियोजना पर भारत सरकार तथा पाकिस्तान के बीच अब तक सचिव स्तर पर बातचीत के छः दौर आयोजित किए गए हैं।

(ख) आखिरी दौर 29 तथा 30 मार्च, 1989 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

(ग) जी नहीं।

पेंट्री-कार ठेके

[हिन्दी]

8358. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा 115/116 अप और 933/934 अप रेलगाड़ियों में पेंट्री-कार के ठेके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को ही दिए जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका पालन किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सहकारी समितियों को पेन्ट्री-कार के ठेकों के आवंटन के मानदण्ड

[अनुवाद]

8359. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या रेल मंत्री** यह बताने की **कृपा करेंगे कि :**

(क) सहकारी समितियों को ठेके देने के नियम/मानदण्ड क्या हैं और क्या समिति के "संचालन क्षेत्र" को समुचित महत्व दिया जाता है;

(ख) क्या ठेके देने में निर्धारित नियमों/मानदण्डों का पालन किया गया है और क्या सम्पूर्ण रेल प्रशासन अथवा समिति के कार्यों के संचालन हेतु किसी स्थानीय समिति के "संचालन क्षेत्र" के बारे में विचार किया जा रहा है; और

(ग) उक्त समिति के संचालन क्षेत्र का किन परिस्थितियों के अन्तर्गत विस्तार किया गया है और क्या इसके लिए पंजीयक, सहकारी समिति, बिहार सरकार अथवा रेलवे के विधि सैल से विधिवत सलाह ली गई थी, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) रेलों पर कार्य के आबंटन के लिए सामान्य मानदण्ड यह है कि उसे पंजीकृत, यथार्थ और वास्तविक सहकारी समिति होना चाहिए। समिति के उपनियमों में व्यवस्था के अनुसार संचालन क्षेत्र को भी सत्यापित किया जाना है।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रबड़ उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय

8360. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार देश में रबड़ का कितना वार्षिक उत्पादन हुआ और इसकी कितनी मांग थी;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्राकृतिक रबड़ का वर्ष-वार कितनी मात्रा में आयात किया गया और किस किस देश से आयात किया गया;

(ग) बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इनसे कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान

प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन तथा खपत का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(मी० टन)

वर्ष	उत्पादन	खपत
1986-87	219,520	257,305
1987-88	235,197	287,480
1988-89	260,000 (अ)	312,000 (अ)

(अ) अनन्तिम)

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक रबड़ के देशवार आयात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(टन में)

देश	1986-87	1987-88	1988-89
मलयेशिया	31950	36734	47468
थाईलैंड	8030	5150	3770
इंडोनेशिया	—	100	—
श्रीलंका	228	—	125
योग :	40228	41984	51363 (अ)

(ग) और (घ) प्राकृतिक रबड़ की खेती/उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए रबड़ बोर्ड द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(1) रबड़ रोपण विकास योजना;

(2) गैर-परम्परागत क्षेत्रों में विकास में तेजी लाने की योजना;

(3) नर्सरियों की स्थापना तथा रोपण सामग्री का वितरण;

(4) छोटे धारकों को रियायती दरों पर इंस्टेट निवेशों का सप्लाई;

(5) सलाहकार तथा प्रशिक्षण सेवाएं;

(6) रबड़ बागानों में सिंचाई में वृद्धि करने की स्कीम; तथा

(7) सामुदायिक विपणन तथा संसाधन।

इन उपायों के परिणामस्वरूप ही प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन 1977-78 में 146987 टन से बढ़कर 1987-88 में 235,197 टन हो गया तथा प्रति हैक्टेयर उपज 770 कि० ग्रा० से 944 कि० ग्रा० प्रति हैक्टेयर तक बढ़ी है।

रेलवे कालोनी, धनबाद में दुकानदारों से कब्जे खाली करवाना

8361. **श्री रेणुपद दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद के ओल्ड स्टैशनि रैलवे कालीनी में सड़क के किनारे पर अपनी जीविका कमाने के लिए शिक्षित बेरोजगारों द्वारा बहुत समय से चलाए जा रहे स्टालों/गुमटियों को धनबाद के रेलवे प्राधिकारियों द्वारा तोड़ा जा रहा है;

(ख) क्या कुछ लाइसेंसधारी दुकानदारों को भी वैकल्पिक व्यवस्था के बिना बेदखल किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इन व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) पुरानी रेलवे स्टेशन कालोनी, धनबाद में सड़क के किनारे बाहरी व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत तौर पर 47 गुमटियों का निर्माण किया गया है। चूंकि इस भूमि की कतिपय स्वीकृत विकास निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यकता है इसलिए इन्हें हटाना अपेक्षित है।

(ख) जी नहीं। रेल प्रशासन ऐसे लाइसेंसधारी दुकानदारों को भी वैकल्पिक स्थल देने के लिए तैयार है, जिन्हें उक्त भूमि से हटाया जाना आवश्यक है।

(ग) इस मंत्रालय की वह नीति नहीं है कि ऐसे अनधिकृत कब्जेदारों को वैकल्पिक आवास प्रदान किया जाए जिन्हें रेलवे भूमि से हटाया जाता है।

खड़गपुर में यार्ड और टिकियापाड़ा कारशेड की चार दीवारी

8362. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि खड़गपुर (दक्षिण पूर्वी रेलवे) यार्ड और टिकियापाडा कारशेड (दक्षिण पूर्व रेलवे) की चार दीवारी कई जगह से ढह गई है;

(ख) यदि हां, तो यह दीवार कब और कैसे ढह गई;

(ग) क्या इस दीवार के ढहने के बाद से चोरियां बढ़ गई हैं; और

(घ) इस दीवार की कब तक मरम्मत की जाएगी और क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित करेगी ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जैसा देखा गया है खड़गपुर यार्ड के चारों ओर एक अविच्छिन्न चार दीवारी नहीं है परन्तु इसमें कोई टूट-फूट नहीं हुई है। टिकियापाड़ा कारशेड की चार दीवारी पर कुछ स्थानों में टूट-फूट हुई है।

(ख) टिकियापाड़ा की चार दीवारी में प्राकृतिक और गुण्डागर्दी के मिश्रित कारणों से पिछले 5 वर्षों से टूट-फूट होने की रिपोर्ट मिली है।

(ग) जी नहीं।

(घ) मरम्मत कार्य अक्तूबर, 1989 तक पूरे हो जाने की आशा है जिसके लिए ठेके को पहले

ही अन्तिम रूप दे दिया गया है। कोई जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि दीवार की टूट-फूट का कारण रेल प्रशासन के नियन्त्रण से बाहर था।

रेलवे प्रौद्योगिकी का विकास

8363. **श्री एस० एस० गुरवड़ी :**
श्री पीयूष तिरकी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अर्थोपाय जुटाने हेतु रेलवे में विशेष क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसन्धान और उद्योग के केन्द्रों से विशेषज्ञ लेकर कार्य दलों को गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन दलों द्वारा अपनी सिफारिशे कब तक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) रेलवे को बढ़ावा देने के लिए रेलवे तकनीक का दर्जा बढ़ाने के लिए बल देने हेतु नई योजना का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय के राय मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) नौ प्रौद्योगिकी विकास समूहों का कार्य लगातार चलने वाला कार्य है जिसमें परियोजनाओं का पता लगाना तथा उनके सफलतापूर्वक पूरा होने तक उनकी आवधिक रूप से समीक्षा करना शामिल है।

(ग) यात्री और माल गाड़ियों की रफ्तार में सुधार लाने, भारी कर्षण वाली माल गाड़ियां चलाने, मीटर लाइन प्रणाली को उन्नत करने और पता लगाई गयी भावी प्रौद्योगिकियों के समाहन के लिए क्षमता का विकास करने से सम्बन्धित पांच मिशनों के कार्यान्वयन हेतु प्रौद्योगिकी विकास योजना संघटित की गयी है।

स्पेन के साथ व्यापार वार्ता

8364. **श्री शांतिलाल पटेल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और स्पेन के बीच व्यापार में सुधार लाने के लिए स्पेन के पन्द्रह सदस्यों का एक उच्च स्तरीय शिष्टमण्डल ने भारत का दौरा किया था;

(ख) बातचीत का तत्सम्बन्धी निष्कर्ष और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) हाल ही में स्पेन के एक प्रतिनिधि मण्डल ने भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान जिन विषयों पर चर्चा की गई उनमें शामिल हैं :—

व्यापार और वाणिज्यिक सहयोग, दोनों देशों के उद्यमों के बीच संयुक्त उद्योग की स्थापना आदि।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे कार्यालयों में धनराशि का दुरुपयोग

8365. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान रेलवे की किन-किन प्रशासनिक/डिवीजनल कार्यालयों से धनराशि के दुरुपयोग और प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकारों के उल्लंघन के मामलों का पता लगा है;

(ख) क्या इन मामलों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जड़ी बूटियों से गंजेपन का इलाज

8366. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अप्रैल, 1989 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि केरल में हुए एक अनुसंधान के अनुसार जड़ी-बूटी से तैयार अर्क और नारियल के तेल के मिश्रण से गंजेपन का इलाज किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस औषधि की स्वदेश में तथा निर्यात हेतु अच्छी सम्भावनाओं को देखते हुए इसकी एक फैक्टरी की स्थापना करने का तथा अनुसंधानकर्ता को उसके अनुसंधान के लिए पुरस्कार के रूप में पर्याप्त रायल्टी देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विकसित की गई कथित हर्बल उत्पाद के विनिर्माण के लिए कोई फैक्टरी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव अथवा इस सम्बन्ध में अनुसंधानकर्ता ने कोई रायल्टी देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं हैं।

जड़ी-बूटी उत्पादों के निर्यात की सम्भावनाएं

8367. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक पृथक निर्यात संवर्धन परिषद लघु औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए धन-

राशि की व्यवस्था करेंगी जो जड़ी-बूटी से तैयार पदार्थों/उत्पादों और स्थानीय उत्पादन सुनिश्चित करने की व्यवस्था करेंगी ताकि जड़ी-बूटियों को विलोप होने से बचाया जा सके, जैसाकि कई मामलों में होता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नेपाल के साथ व्यापार

8368. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान भारत और नेपाल के बीच हुए व्यापार का ब्यौरा क्या है और नई संधि/संधियों के अन्तर्गत कितना व्यापार होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत तथा नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़े नीचे दिए गए है :

(करोड़ रु० में)

वर्ष	नेपाल को निर्यात	नेपाल से आयात
1986-87	102.83	64.36
1987-88	93.68	44.66
1988-89 (दिसम्बर, 1988 तक)	75.2[illegible]	25.03

भारत-नेपाल व्यापार को संचालित करने वाली किसी नई संधि/संधियों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

बीड़ियों का निर्यात

8369. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान बीड़ी निर्यात से वर्ष-वार और देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : पिछले तीन वर्षों के दौरान बीड़ियों का वर्ष-वार और देश-वार निर्यात नीचे दिया गया है :—

(लाख रु०)

देश	1986-87	1987-88	1988-89
1	2	3	4
आस्ट्रेलिया	0.18	—	0.40
बहरीन	22.76	23.09	10.12

1	2	3	4
जापान	0.63	0.81	1.12
कुवैत	15.37	10.02	5.32
मलेएशिया	10.05	15.67	6.30
नीदरलैंड	0.49	0.18	0.28
न्यूजीलैंड	0.08	—	—
ओमान	23.20	38.12	22.22
कतार	35.99	10.33	21.79
सिंगापुर	5.82	11.23	2.96
सऊदी अरब	11.49	77.89	76.84
संयुक्त अरब अमीरात	33.13	28.54	57.75
यू० एस० ए०	2.47	1.24	0.65
पश्चिमी जर्मनी	5.25	6.86	7.68
हांगकांग	—	0.27	—
श्रीलंका	—	—	0.05
इग्लैंड	—	—	0.20
कनोडा	—	—	0.03
अफगानिस्तान	—	—	11.06
कुल योग	166.71	224.25	228.77

केरल में बैंक शाखाएं खोलना

8370. **श्री के० मोहन दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में नई बैंक शाखाएं खोलने के लिए कितने आवेदन पत्र भारतीय रिजर्व बैंक के पास निर्णयाधीन पड़े हैं;

(ख) नई बैंक शाखाएं खोलने के लिए आवेदन करने वाले बैंकों के क्या नाम हैं और किन-किन स्थानों पर शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल में कितनी नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस जारी किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत

शाखायें खोलने के लिए बैंकों को केन्द्रों का आबंटन साधारणतया राज्य सरकार से प्राप्त पता लगाए गए केन्द्रों को सूची के आधार पर किया जाता है न कि अलग-अलग बैंकों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर। केरल में नई बैंक शाखायें खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास कोई आवेदन लम्बित नहीं है।

(ग) जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है, वर्ष 1989 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को केरल में शाखायें खोलने के लिए 22 ग्रामीण तथा अर्ध शहरी केन्द्र आबंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने कैथोलिक सीरियन बैंक लि० को त्रिचूर के विस्तार काउण्टर का दर्जा बढ़ाकर पूर्ण शाखा बनाने को अनुमति प्रदान की है।

विवरण

वर्ष 1989 की अवधि के दौरान केरल में शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को आबंटित 22 ग्रामीण तथा अर्ध शहरी केन्द्रों के नाम, जिले-वार तथा बैंक-वार

जिले का नाम	केन्द्र का नाम	आबंटिती बैंकों का नाम
1	2	3
कन्नानूर	1. कुट्टियातूर	सिंडिकेट बैंक
	2. पराट	—तदैव—
अलप्पी	3. अन्थकरनाई	टेटट बैंक आफ त्रावणकोर
	4. आराट्टुपुझा	कारपोरेशन बैंक
वायनाड	5. अप्पापारा	केनरा बैंक
मालापुरम	6. पांग	केनरा बैंक
क्विलोन	7. क्लपन्ना	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर
	8. भारतीपुरम	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
एरनाकुलम	9. पायंवाड	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर
	10. पोलपुल्ली	बैंक आफ इण्डिया
कसरगोड	11. कुन्तर	सिंडिकेट बैंक
त्रिवेन्द्रम	12. विला वूरकल	इण्डियन ओवरसीज बैंक
त्रिचूर	13. पेरूमपिलाऊ	केनरा बैंक
	14. मूरकनिकरा	पंजाब नेशनल बैंक
	15. वनियमपारा	—तदैव—
इदुक्की	16. कल्लारकुटी	यूनियन बैंक आफ इण्डिया

1	2	3
	17. वट्टावाडा (अनुषंगी कार्यालय)	यूनियन बैंक आफ इण्डिया
	10. मुल्लारिंगढ़	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर
	19. पासुपाड़ा	फैडरल बैंक लि०
कोझीकोड	20. मेलडी	केनरा बैंक
	21. पवानगाड	भारतीय स्टेट बैंक
	22. चेल्ललनूर	केनरा बैंक

नीलांचल ग्रुप की रेलगाड़ियों का समय

8371. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नीलांचल ग्रुप की रेलगाड़ियों को उनके पूर्व निर्धारित समय पर ही चलाने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या इस निर्णय से यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन रेलगाड़ियों के कोई ऐसे समय निर्धारित करेंगी जो पुरी जाने और पुरी से आने वाले यात्रियों के लिए सहायक होंगे; और

(घ) यदि हां, तो समय के बारे में अन्तिम निर्णय लिए जाने तक वर्तमान समय ही बरकरार रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी हां, मई, 1988 की अनुसूची के पैटर्न पर।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राजस्थान में जल संसाधनों का पता लगाना

[हिन्दी]

8372. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत वर्ष राजस्थान में बाड़मेर ज़िले में जल संसाधनों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में इनके द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) भूजल अन्वेषणों हेतु भू-भौतिकी उपकरण "हाइड्रोस्कोप" के प्रयोग का मूल्यांकन करने के लिए बाड़मेर में वैज्ञानिकों द्वारा प्रायोगिक अध्ययन किए गए। यह पाया गया कि हाइड्रोस्कोप को साफ्ट

चट्टानों में उच्च दक्षता के साथ और कठोर चट्टानों में आपेक्षित रूप से कम दक्षता के साथ प्रयोग किया जा सकता है।

बाड़मेर जिले के 142 हार्ड कोर गांवों में राष्ट्रीय पेय जल मिशन के तहत वैज्ञानिक ढंग से स्रोतों का पता लगाने का काम भी पूरा किया गया।

———

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

(**व्यवधान**)

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : महोदय, कुछ दिन पूर्व जब कर्नाटक में जनता पार्टी सत्ता में थी तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध कई गम्भीर आरोप लगाए थे···(**व्यवधान**)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : शान्ताराम जी, यह तो बाहर की बात है, बाहर कीजिए, यहां नहीं।

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक : उन्होंने आरोप यहां पर लगाए थे। आपने भी सुने थे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह तो बाहर कीजिए।

(**व्यवधान**)*

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, वह क्या कह रहे हैं? वह भद्दी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। अनुमति नहीं दी जाती।

(**व्यवधान**)*

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : उन्हें अपनी टिप्पणियां वापस लेने के लिए कहिए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी बात की अनुमति नहीं दी है।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें अपनी टिप्पणी वापस लेने को कहा जाए। (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें अपनी अनुमति नहीं दे सकता।

(**व्यवधान**)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि हम किसी भी अपमानजनक या आरोपजनक बात की अनुमति नहीं देते।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, उन्हें अपनी टिप्पणी वापस लेनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है और न ही मैं इसकी अनुमति दूंगा।

श्री राजकुमार राम (घोसी) : उन्हें अपने शब्द वापस लेने को कहा जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें ननुमति नहीं दी है।

प्रो० मधु दण्डवते : आपने श्री तिवारी को अपने शब्द वापस लेने को कहा था और यदि वह वापस नहीं लेते तो आपको उन्हें कहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी बात की अनुमति नहीं दी है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, उन्हें यह बात बताई जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें किसी बात की अनुमति नहीं दी है। यदि रिकार्ड में कुछ दें, तो वह निकाल दिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री राजकुमार राय : आप उन्हें सदन से बाहर चले जाने को कहें।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे कुछ कहने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे सुनने तो दीजिए। मैं कुछ कर रहा हूं, तो मुझे करने क्यों नहीं देते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे अन्दर स्टेन्ड तो करने दीजिए।

[अनुवाद]

मुझे कुछ पूछने दीजिए।

श्री राजकुमार राय : हर एक ने सुना है। प्रेस वालों ने भी सुना है। आपका कर्त्तव्य है कि आप उन्हें अपने शब्द वापस लेने को कहें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ पूछने दें, समझने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सुनने तो दें। आप 50 आदमी बोलें, तो मैं कैसे सुन सकता हूं। न तो मैंने उनकी बात सुनी और न मैंने एलाऊ किया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी बात कर रहा हूं, सुनने तो दो। आप सुनने नहीं देते और जोर से बोले जा रहे हैं। मैंने उनकी बात नहीं सुनी।

श्री राज कुमार राय : इतनी खराब बात ये कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते नहीं। आप भी वही कह रहे हैं।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि उन्होंने कुछ अपमानजनक कहा है, तो उन्हें उसे वापस लेना होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने नहीं सुनी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने नहीं सुनी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुछ नहीं सुना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं तो कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये सुनने नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने नहीं सुनी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं प्रोफेसर साहब का जवाब दे रहा हूं। प्रोफसर साहब, आप जैसा कहते हैं, अगर वह रिकार्ड पर है।

[अनुवाद]

तो उन्हें इसे अवश्य वापस लेना चाहिए ।

प्रो० मधु दण्डवते : आप उन्हें वापस लेने को कहिए ।

(व्यवधान)*

उन्होंने वही बात फिर दोहराई है । (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : क्या आप उन्हें वापस लेने को कह रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : यदि वह अपने शब्द वापस नहीं लेते तो उन्हें सदन से बाहर निकाल दीजिए । (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : आप रिकार्ड देख सकते हैं । श्री नायक ने कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है । (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने जो कुछ कहा है उसे उचित न ठहराएं । (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे फैसला तो करने दीजिए ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री शान्ताराम नायक, क्या आपने वे शब्द कहे हैं ?

श्री शान्ताराम नायक : मैं जानना चाहता हूं कि मैंने कौन-से शब्द कहे हैं । वे शब्द कौन-से हैं जिसके लिए वे मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, ताकि मैं उन्हें सुन सकूं ? (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या वह चाहते हैं कि मैं उन भद्दे शब्दों को फिर से दोहराऊं, जो उन्होंने यहां कहे हैं ? (व्यवधान)

श्री शांताराम नायक : अन्यथा मैं कैसे जान सकता हूं कि वे मुझ पर क्या आरोप लगा रहे हैं । (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि बताता हूं......

अध्यक्ष महोदय : नहीं ।

(व्यवधान)*

श्री शांताराम नायक : मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैंने कोई अपमानजनक बात नहीं कही है । (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने ऐसा कहा है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक बात बहुत ही स्पष्ट है । यह बात याद रखनी चाहिए कि संसद की अपनी संसदीय भाषा होती है और आप बहस के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं । यदि आप कोई अशिष्ट बात कहें तो यह संसदीय परम्परा अथवा शिष्टाचार के विरुद्ध जाता है ।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

प्रो० मधु दण्डवते : इसे स्वीकार करने का साहस होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने वे शब्द कहे हैं, तो कृपया अपने शब्द वापस लीजिए ।

श्री शांताराम नायक : मैंने कोई अशिष्ट बात नहीं कही है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि उनके शब्द रिकार्ड किए गए हैं, तो उन्हें अपने शब्द वापस लेने होंगे । यही बात मैंने उनसे कही है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने ऐसा कहा है, तो आप अपने शब्द वापस लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक : मैं जानना चाहता हूं कि मैंने क्या कहा है और वे मुझ पर क्या आरोप लगा रहे हैं । **(व्यवधान)**

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : मैंने उनका भाषण सुना था । मैं उनके पास ही बैठा हुआ था ।

श्री शांताराम नायक : यह एक राजनैतिक टिप्पणी है । इसका अशिष्टता से कुछ सम्बन्ध नहीं है । यह एक राजनैतिक गठजोड़ है ।

श्री हरुभाई मेहता (अहमदाबाद) : यह राजनीतिक भाषा है । वह व्यक्तिगत चरित्र के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं । **(व्यवधान)**

श्री जी० जी० स्वैल : मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना था ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : आप अपना निर्णय स्वयं लीजिए । इसका व्यक्तिगत पहलू नहीं है । केवल राजनैतिक पहलू है । **(व्यवधान)**

आप कृपया जांच कीजिए कि उन्होंने क्या कहा था और तत्पश्चात् अपना निष्कर्ष निकालिए ।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलप्पी) : वे कहते हैं कि इन्होंने कुछ आपत्तिजनक बात कही है । वह इस बात से इंकार करते हैं । आप रिकार्ड देख सकते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : आप उन्हें सदन से निष्कासित कर दीजिए । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शांताराम जी, आप अपने शब्द वापस लीजिए ।

श्री शांताराम नायक : मैं, आपकी भावनाओं का आदर करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसे वापस ले रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : संसदीय कार्य मन्त्री एक महिला हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी टिप्पणी को वह उचित समझती हैं ? यदि किसी कांग्रेसी सदस्य के बारे में भी ऐसा कहा गया होता तब भी मैं इसका विरोध करूंगा ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : यह कहा गया है कि वह रिकार्ड हो गया है । अतः हमारा आपसे यह निवेदन है कि जो कुछ असंसदीय है, उसे रिकार्ड में से निकाल दीजिए ।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने यह कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें वापस लेने के लिए कहा है ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : यह एक सदस्य की मान-मर्यादा का प्रश्न है। यदि अन्य किसी सदस्य द्वारा किसी कांग्रेसी सदस्य के खिलाफ भी ऐसे शब्द कहे गए होते, तब भी मैंने इसका विरोध किया होता। यह सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा का सवाल है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनेक बार दोनों तरफ से इस गरिमा को बनाए रखा है और मैं इसे बनाये रखने की पूरी कोशिश करता हूं। चाहे सत्तारूढ़ पार्टी के किसी सदस्य ने अथवा विपक्ष के किसी सदस्य ने यदि असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, तो मैंने उसे उन शब्दों को वापस लेने अथवा यहां तक कि उसे सदन से बाहर चले जाने को भी कहा है। अतः शांताराम जी, आप अपने शब्द वापस ले लीजिए।

(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक : मैं वापस लेता हूं। मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब यह आपका कार्य नहीं है। आप बैठ जाइए। अब यह मेरा काम है।

(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक : मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक : आपके निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, यद्यपि मैंने कोई अशिष्ट बात नहीं कही है परन्तु फिर भी मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। **(व्यवधान)**

श्री हरुभाई मेहता : महोदय, मैंने अहमदाबाद विमान दुर्घटना के सम्बन्ध में, जोकि 19 अगस्त को हुई थी, अदालती जांच रिपोर्ट के बारे में एक नोटिस दिया है और रिपोर्ट सभा के समक्ष रखी जानी चाहिए। समाचार-पत्रों ने इसके बारे में लिखा है।

[हिन्दी]

जल्दी पेश करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप करवा दीजिए। आप कहें मैं करवा देता हूं।

[अनुवाद]

श्री हरुभाई मेहता : महोदय, यह दुःख की बात है कि समाचार-पत्रों ने लिखा है कि इसमें विमान चालक की गलती थी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं करवा दूंगा, आप कह दीजिए।

[अनुवाद]

श्री हरुभाई मेहता : आपको उन्हें तुरन्त रिपोर्ट पेश करने के लिए कहना चाहिए। वस्तुतः प्रेस ने ऐसा छापा है। हमारे पास यह नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने काफी समय पहले सरदार बूटा सिंह के विरुद्ध एक विशेषाधिकार का नोटिस दिया था। माननीय गृह मन्त्री सरदार बूटा सिंह जानबूझकर ऐसा कह कर सभा को गुमराह कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मुझे सूचना मिली है। उन्होंने इसे पुनः दोहराया है। सूचना का मतलब परामर्श नहीं है। यह विशेषाधिकार का प्रथमदृष्ट्या मामला है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। हम इसे देखेंगे। आप कृपया मुझे पुनः लिखें।

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने पहले ही आपको लिखा है। लेकिन आपने अपना विनिर्णय नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें समय लगता है। मैं इसे उनके पास भेज दूंगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : सभा के 10 तारीख को स्थगित होने से पहले आप कृपया अपना विनिर्णय दे दें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात भी सुनिए। हम एक दफा भेज देते हैं उनको जवाब लिखकर।

श्री बसुदेव आचार्य : हमने भी आपको लिखा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों शोर कर रहे हैं, बैठ जाइए। हाउस मैं चला रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : महोदय, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि संसदीय संस्था का प्रत्येक दिन महत्व कम हो रहा है। सभी प्रकार के लेख समाचार पत्रों में छप रहे हैं। दुर्भाग्य से वे बहुत गम्भीर स्वरूप के हैं। यह हम सबके लिए चिन्ता की बात है कि संसद को संदेहास्पद स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए। मैंने इसे दो दिन पहले उठाया था। परन्तु माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने उन टिप्पणियों को निकाल दिया था। मैंने अध्यक्ष पीठ के प्रति कोई आरोप नहीं लगाए थे। परन्तु यह हमारी चिन्ता का विषय है कि अध्यक्ष पीठ के विरुद्ध आरोप लगाए जाते हैं। हम इस सभा के सदस्य हैं। मैं समझता हूं कि संसद की गरिमा एक ऐसी चीज है जिससे आप भी सम्बद्ध हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बात यह है कि इसका एक सिलसिला है, एक डेकोरम है करने का। मैं उसको क्रास नहीं करना चाहता, न मैं यह चाहता हूं कि आप करें। मैं आपका स्वीकार हूं।

[अनुवाद]

मुझसे कोई भी स्पष्टीकरण मांगने के लिए आपका स्वागत है, आप मेरे आप आइए या कोई और रास्ता आप जानते हों तो। यह बहुत सीधी बात है। मैंने एक बार आपके नेताओं को कहा है और यदि वे सन्तुष्ट नहीं हैं तो वे मेरे पास पुनः आ सकते हैं। मैं उन्हें यह सब स्पष्ट कर दूंगा। तथ्य आपके सामने होंगे। आप मेरे मालिक हैं और आप मेरे निर्णायक हैं। मैं कुछ भी नहीं हूं......

(व्यवधान)

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : मुझे इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है। (व्यवधान)

श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट) : महोदय, केरल में मार्क्सवादी साम्यवादी दल की सरकार द्वारा मतदाता सूची में कई परिवर्तन किए गए हैं। यह लिखित साक्ष्य है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया चुनाव आयोग को लिखें।

(व्यवधान)

डा० कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के लोगों को विशेष रूप से लोक-दल कार्यकर्ताओं को यहां हरियाणा के संसद सदस्यों विशेष रूप से कांग्रेसी सदस्यों का घेराव करने के लिए भेजा जाता है। यह राजनैतिक अनैतिकता का मामला है। यह सभा की अवमानना है। आपको संसद सदस्यों की रक्षा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह जानता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी बात का जवाब दे रहा हूं। मुझे यह देने दीजिए।

[हिन्दी]

काम कर लेने दो, आप बीच में क्या कर रहे हैं।

[अनुवाद]

मेरे साथ ऐसा कुछ समय पहले भी हुआ था जब कुछ सदस्यों ने हमारी राज्य सभा के सदस्यों के विरुद्ध प्रदर्शन का सवाल उठाया था। वही बात अब यहां हो रही है। मैंने पहले भी इसकी निन्दा की थी। मैंने पहले भी इस सभा में इसकी निन्दा की थी। मैं अब भी इसकी निन्दा करता हूं। ये तरीके लोकतान्त्रिक नहीं हैं। मैं समझता हूं कि यह एक विशेषाधिकार का मामला है। मुझे इस पर गौर करना है। परन्तु मैं समझता हूं कि यह हम सबके लिए लाभकारी होगा कि कोई दल इसका सहारा न ले। यह नकारात्मक रवैया है। यह आत्म पराजय करना है। यह अलोकतांत्रिक है।

डा० कृपासिंधु भोई : महोदय, आप कृपया गृह मन्त्रालय को निर्देश दें। (व्यवधान)

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : महोदय, केरल में हजारों नकली मतदाताओं को

मतदाताओं के रूप में नामांकित किया गया है। कार्यकर्ताओं पर साक्ष्य देते हुए मार्क्सवादी लोगों द्वारा नृसंश रूप से हमला किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा कार्य नहीं है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : यह एक गम्भीर मसला है। माननीय अध्यक्ष को चुनाव आयोग के साथ-साथ गृह मन्त्री को वक्तव्य देने के लिए कहना चाहिए। हजारों कार्यकर्ताओं को साक्ष्य देने से रोका गया है। यह एक गम्भीर बात है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बता दिया कि यह मेरा काम नहीं है।

[अनुवाद]

यह मेरा काम नहीं है। मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा कि यह मेरा काम नहीं है। मैं नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : लोकतन्त्र को ठीक ढंग से चलाना आपका काम है। यह इस सभा का काम भी है। कितनी ही संख्या में नकली मतदाओं को राज्य सरकार और पुलिस की सांठगांठ से नामांकित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। रद्द किया जाता है।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह हम सबकी चिन्ता का विषय है। आप यह सुनने के लिए गृह मन्त्री को निदेश क्यों नहीं देते हैं। आप उन्हें निदेश दीजिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें निदेश नहीं दे सकता हूं। आप उन्हें मिलिए। आप संसद सदस्य हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

(व्यवधान)*

श्री अमल दत्ता : कल जर्मनी की पनडुब्बियों का मामला उठाया गया था। उस समय आपने कहा था कि आप अपना विनिर्णय तथ्यों को देखने के बाद देंगे। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में आपने कहा था कि आपको घटित हुई बात का पता नहीं है। इसी के संदर्भ में कल मैंने आपको इस बात को स्पष्ट करने वाला पत्र दिया था कि लोक लेखा समिति द्वारा रिपोर्ट स्वीकार क्यों नहीं की जा सकी। मैंने आपको स्पष्ट किया था कि मामला अब लोकलेखा समिति के सामने कैसे नहीं है। इस पर सभा में चर्चा की जानी चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री दत्ता कृपया नियम 285 देखें। इसमें कहा गया है :

"कोई समिति जो अपना कार्यकाल पूरा होने या सभा के विघटन के पहले अपना कार्य

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूरा न कर सके, सभा को सूचित कर सकेगी कि समिति अपना पूरा काम नहीं कर सकी है। कोई प्रारम्भिक प्रतिवेदन, ज्ञापन या टिप्पणी जो समिति ने तैयार की हो, या कोई साक्ष्य जो समिति ने लिया हो, नई समिति को उपलब्ध किया जाएगा।"

यह समस्या है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्ता : समिति अपना कार्य समाप्त कर चुकी थी। लेकिन कांग्रेस दल के सदस्यों को विप जारी करने के कारण······(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : अध्यक्ष जी, श्री अमल दत्ता ने पी० ए० सी० का चेयरमैन होने के नाते, अपने पद की गरिमा नष्ट करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ स्ट्रिक्चर पास करने की जरूरत है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं होगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायें।

12.22 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अन्तर्राज्यिक जल विवाद (संशोधन) नियम, 1988

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : श्री बी० शंकरानन्द की ओर से मैं अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अन्तर्राज्यिक जल विवाद (संशोधन) नियम, 1988, जो 18 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ 547 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7834/89]

राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवां निर्गम) नियम, 1989, सरकार बचत पत्र अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, डाक-घर बचत लेखा (दूसरा संशोधन) नियम, 1989 आदि

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवां निर्गम) नियम, 1989 जो 1 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 496 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7835/89]

(2) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि 497 (अ), जो 1 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 के उपबन्ध राष्ट्रीय बचत पत्रों (आठवां निर्गम), पर लागू होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7836/89]

(3) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाक-घर बचत लेखा (दूसरा संशोधन) नियम, 1989, जो 6 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 430 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7837/89]

(4) लोक भविष्य-निधि अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 279 (अ) जो 12 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें वर्ष 1989-90 के दौरान लोक भविष्य-निधि में किये गए अभिदान तथा अभिदाताओं की जमा शेष राशि के लिए ब्याज की दर अधिसूचित की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7838/89]

आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत अधिसूचना, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के 13 फरवरी, 1986 से 31 मार्च, 1987 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : मैं श्री प्रिय रंजन दास मुंशी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 299 (अ), जो 21 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1988 की खुली सामान्य अनुज्ञप्ति संख्या 4/88 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7939/89]

(2) (एक) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के 13 फरवरी, 1986 से 31 मार्च, 1987 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के 13 फरवरी, 1986 से 31 मार्च, 1987 तक की अवधि के वार्षिक लेखाओं की एक प्रवि (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के 13 फरवरी, 1986 से 31 मार्च, 1987 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7949/89]

(4) (एक) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7941/89]

(6) (एक) चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7842/89]

12.23 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है :—

"मुझे लोक सभा को सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा ने 4 मई 1989 को हुई अपनी बैठक में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 1987 को सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है :—

"कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 1987 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाकर राज्य सभा के 151वें सत्र के तीसरे सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ा दिया जाए।"

12.23½ म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही-सारांश

श्री एम० तम्बि दुराई (धर्मपुरी) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चालू सत्र के दौरान हुई 59 से 60वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.24 म० प०

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

23वां प्रतिवेदन

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 23वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.24½ म० प०

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करती हूं कि सत्र की शेष समयावधि के दौरान लोक सभा में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

(1) आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

(2) पंजाब में राष्ट्रपति शासन आगे और लागू रखने का अनुमोदन करने वाले संकल्प पर चर्चा।

(3) निम्नलिखित पर विचार एवं पारित किया जाना :—

(क) चण्डीगढ़ विक्षुब्ध क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 1989।

(ख) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 1989।

(ग) संविधान (तिरसठवां संशोधन) विधेयक, 1989।

(घ) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में संविधान (इकसठवां संशोधन) विधेयक, 1988।

(4) राष्ट्रीय आवास नीति पर चर्चा।

डा० प्रभात कुमार मिश्र (जंगगीर) : अगामी सप्ताह की कार्य सूची में कृपया निम्नलिखित को भी सम्मिलित किया जाए :

गैर-योजनाबद्ध औद्योगिक विकास से पानी की कमी हो रही है।

औद्योगिक विकास के कारण नदियों का जल और हवा प्रदूषित हो रहे हैं। इससे निर्धन किसानों को वित्तीय कठिनाई हो रही है। मध्य प्रदेश में बिलासपुर में, विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र जयगिर में सिरगिट्टी औद्योगिक कस्बा जिसमें विकास हो रहा है और केरल जो कि पूरी तरह से विकसित औद्योगिक कस्बा है, सिरगिट्टी में आसपास के गांवों का पानी संयंत्रों में ले जाया जाता है और गांव वाले पीने के लिए पानी और नहाने के लिए पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। इन संयंत्रों में छोड़ी जाने वाली जहरीली गैसों के कारण वे अपने खेतों से पूरी उपज नहीं ले पाते।

उद्योग के लिए भूमि अर्जित करने की आज्ञा देने से पहले उचित योजना बनाई जाए और सर्वेक्षण होना चाहिए और उद्योग के लिए केवल गैर-उपजाऊ भूमि ही निर्धारित की जानी चाहिए जिससे कि कृषि उत्पादन पर उसका प्रभाव न पड़े।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को ह्विप जारी करने में यह विशेषाधिकार का प्रश्न बन गया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ह्विप जारी किया गया है अथवा नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यहा पर सबूत है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास कोई सबूत नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री झिकराम जो कुछ कहेंगे, वही कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री एम० ए० शिकराम (माण्डला) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि मेरे निम्नलिखित विषय को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाए—

"पानी के पानी की समस्या दिनों दिन भीषण रूप धारण करती जा रही है। विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों की जल-समस्या और भी भयंकर है। इस क्षेत्र में नलकूप प्रायः असफल रहते हैं, क्योंकि वर्षा के अभाव में जमीन में जल का स्तर प्रति वर्ष नीचे होता जा रहा है। अतः निवेदन है कि देश के सभी पहाड़ी क्षेत्रों को पेय जल समस्या के निवारण हेतु "टैक्नोलोजी मिशन" के अन्तर्गत देने का कष्ट करें।"

श्री राम प्यारे सुन (अकबरपुर) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिलिख विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने की कृपा करें :—

"विकास की गति तेज करने, प्रशासनिक पकड़ को अधिक मजबूत करने, क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने एवं ग्रामीण अंचल के बहुमुखी विकास हेतु जिलों की सीमा भौगोलिक व क्षेत्रीय स्थिति को देखकर निर्धारित की जाए। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में वर्तमान समय में 62 जिलों का सृजन किया जा चुका है और कई जिलों में नवीन जनपद के सृजन की बराबर मांग तेजी के साथ उठ रही है।

इसलिए मेरी भारत सरकार से यह मांग है कि वह उत्तर प्रदेश में प्रत्येक संसदीय क्षेत्र की एक जिले के सृजन की आवश्यकता को स्वीकार करने हेतु निर्देश जारी करें जिससे पिछड़े जिलों का सर्वांगीण विकास हो सके।"

[अनुवाद]

श्री नित्यानन्द मिश्र (बोलनगीर) : निम्नलिखित को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :

बोलनगीर जिले में 1982 और 1985 के दौरान आई विनाशकारी बाढ़ में जिले में बहने वाली पांच नदियों के किनारों पर 800 स्थानों पर कटाव पड़ गए हैं। मानसून के दौरान बाढ़ का फालतू पानी इन कटावों के माध्यम से किनारों के बाहर चला जाता है और लगभग 15000 हेक्टेयर अत्यन्त उपजाऊ कृषि जमीन पर रेत जमा करता है जिसके परिणामस्वरूप वह जमीन बेकार हो गई है। जो किसान इसके कारण बर्बाद हो गए हैं उन्होंने सरकार से बार-बार अनुरोध किया है कि उनकी जमीन को रेत से बचाने के लिए कटावों की मरम्मत की जाए। केन्द्रीय सरकार को मरम्मत के लिए बाढ़ राहत कार्यों के लिए पर्याप्त धन आबंटित करना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मेरे विचार से यह एक अभूतपूर्व स्थिति है और आपको इसका कोई हलखोजना होगा। (**व्यवधान**)

मेरी जानकारी में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ओर लोक लेखा समिति के भूतपूर्व सभापति तथा दूसरी ओर लोक लेखा समिति के भूतपूर्व सदस्यों द्वारा एक दूसरे पर गम्भीर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आपस में आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं इन आरोपों की विवेचना नहीं करूंगा।

लोक लेखा समिति के भूतपूर्व सभापति जो कह रहे हैं यदि यह सिद्ध किया जा सके तो यह

अत्यन्त्र गम्भीर मामला है। भूतपूर्व सदस्य, भूतपूर्व सभापति के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं। मेरी जानकारी में इस सदन में इतने वर्षों में ऐसी स्थिति कभी नहीं उठी है। मैं यहां पर इतने समय से हूं किन्तु मैं नहीं जानता। वह समिति, सदन की सर्वाधिक प्रतिष्ठित समितियों में एक है। सदन में बार-बार यह मामला दोहराए जाने की अनुमति देने का कोई लाभ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं, मैंने अनुमति नहीं दी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको इसे हल करने का कोई तरीका खोजना होगा। किसी भी सक्षम व्यक्ति, जिसे आप उचित समझें, को इस मामले की जांच करनी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि क्या इन आरोपों और प्रत्यारोपों को सिद्ध किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा किया जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किन्तु आप हर रोज इसकी अनुमति नहीं दे सकते। इससे सदन की अवमानना हो रही है।

प्रो० मधु० दण्डवते : विशेषाधिकार समिति एक अच्छा मंच हो सकती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसकी जांच किसी ऐसे मंच से हो जो सभी को स्वीकार्य हो।

श्रीमती शीला दीक्षित : महोदय, मैं जानना चाहती हूं कि श्री इन्द्रजीत गुप्त के इस कथन का क्या अर्थ है कि लोक लेखा समिति के कार्यपालन की जांच किसी अन्य समिति द्वारा की जाए। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह नहीं कहा।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आरोप समिति के विरुद्ध नहीं है। एक ओर के कुछ लोगों का यह कहना है कि सभापति ने लोक लेखा समिति की मर्यादा की अवमानना की है··· (**व्यवधान**)

श्रीमती शीला दीक्षित : मैं सही तरीके से बात बताना चाहती हूं। किसी भी सदस्य द्वारा कोई आरोप नहीं लगाया गया। सदस्यगण इस सदन में तभी उठे जब लोक लेखा समिति के माननीय सभापति ने कुछ मुद्दे उठाए और आरोप लगाए और यहां तक कहा कि पार्टी ने ह्विप जारी किया है। यह बात बिल्कुल गलत है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह सच है।

श्रीमती शीला दीक्षित : यह बात बिल्कुल असत्य है। इसमें सच्चाई नहीं है। समिति के सदस्य जानते हैं कि उन्हें अपनी भूमिका किस प्रकार निभानी है। वह समझदार हैं। (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : दस सदस्यों ने प्रतिवेदन से सम्बन्धित नोट पर संयुक्त हस्ताक्षर किए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन समितियों में कोई भी पार्टी के आधार पर काम नहीं करता। एक समिति सम्पूर्ण सभा का प्रतिनिधित्व करती है। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो आपको इस बारे में विचार करना चाहिए कि इस मामले को कैसे हल किया जा सकता है। इस सदन में आरोप लगाने का क्या फायदा।

श्री कृष्ण० वाई० घोरपड़े (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। कोई खास बात नहीं हुई है। मैं आपको तथ्य बताता हूं। प्रारूप प्रतिवेदन सदस्यों को 18 तारीख को

उपलब्ध कराया गया था। इस बात में कोई खराबी नहीं है कि सदस्यों ने मिलकर इस प्रतिवेदन पर विचार किया और उसमें कुछ संशोधन करने के लिए सुझाव दिया। यही हुआ था (**व्यवधान**)। इसलिए, हमने उन्हें संशोधन के लिए कुछ सुझाव दिए। 21 तारीख को इस प्रतिवेदन पर विचार किया गया। सभापति की इच्छा का सम्मान करते हुए इसे स्थगित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा था "मुझे, आप अपने सुझावों पर विचार करने का समय दें।" तत्पश्चात् लोक लेखा समिति के सभी सदस्य कुछ अन्य प्रतिवेदनों पर विचार करने को सहमत हो गए और उनके ही कहने पर रिपोर्ट स्थगित की गई।

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : नहीं नहीं… (**व्यवधान**)

श्री एम० वाई० घोरपड़े : जैसाकि आपने ठीक ही कहा है कि यदि वह अभी इस रिपोर्ट पर विचार नहीं करना चाहते क्योंकि वह हमारे द्वारा दिए गए कुछ सुझावों पर विचार करना चाहते हैं, तो यह ठीक ही है कि अगली समिति इस पर विचार करे। हमने यह लिखित रूप में इसलिए दिया था क्योंकि हम अपने सुझाव और टिप्पणियां स्पष्ट रखना चाहते थे ताकि समय व्यर्थ न हो और आपकी हिदायतों के अनुसार हमने उनका ध्यान इस बात की ओर भी दिलाया कि इस प्रकार की महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर पैरा-वार विचार होना चाहिए और यदि उसमें कोई संशोधन किए जाने हैं तो वह भी पैरा-वार किए जाने चाहिए और तत्पश्चात् समिति द्वारा स्वीकार किए जाएं। इसलिए, मेरा यह नम्र निवेदन है कि कुछ भी अनियमित नहीं हुआ है।

श्री अमल दत्ता : समिति में श्री घोरपड़े ने इसकी जिम्मेदारी ली थी।

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मेरे विचार से उन्होंने यह नहीं कहा है कि लोक लेखा समिति के कार्यचालन की जांच दूसरी समिति द्वारा की जानी चाहिए। वह तो आपसे केवल यह अनुरोध कर रहे हैं कि आप जैसा भी उचित समझें इस समस्या का हल निकालें। उन्होंने केवल यही सुझाव दिया है… (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं उनके सुझाव पर विचार करूंगा।

श्री जी० जी० स्वैल : महोदय हम यहां पर आरोप तथा प्रत्यारोप नहीं सुनना चाहते। कृपया कोई हल ढूंढिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा करूंगा। मैं उन्हें निदेश दूंगा।

(**व्यवधान**)

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : अगली लोक लेखा समिति इस पर विचार कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अगली लोक लेखा समिति से कहूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : इस बारे में आपका क्या निर्णय है? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अगली लोक लेखा समिति इस पर विचार करेगी।

12.37 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, क्या आप इस बारे में विचार करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष का ही प्रतिरूप हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, मैं उपाध्यक्ष हूं। मैं इस पर विचार कर सकता हूं। किन्तु अध्यक्ष महोदय, पहले ही अपना निर्णय दे चुके हैं। अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि अगली लोक लेखा समिति इस पर विचार करेगी ?

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, क्या आप इस पर विचार कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, अभी नहीं। जब अध्यक्ष महोदय ने अपना विनिर्णय दे दिया है, तो मामला समाप्त हो गया। अगली लोक लेखा समिति इस पर विचार करेगी ? यही विनिर्णय दिया गया है।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : इसीलिए, मैंने, अगली लोक लेखा समिति की सदस्यता के लिए चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि अगली लोक लेखा समिति का भी यही हश्र होगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इस पर सदन में विचार करना होगा···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अब निवेदन प्रस्तुत किए जाएं। श्री राजकुमार राय।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय (घोसी) : कृपया निम्नलिखित को आज की कार्य सूची में शामिल करने का कष्ट करें।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के 16-17 जिले औद्योगिक शैक्षिक, आवागमन व दूरसंचार साधनों से पिछड़े हैं। साथ ही केन्द्र और राज्य सरकार की उपेक्षा भी बढ़ती जा रही है। पटेल आयोग की संस्तुतियां लागू नहीं हुई। आबादी और बढ़ती जा रही है। यहां के लोगों की यहां के बैंकों में और अन्य जगहों के बैंकों में बहुत भारी रकम जमा है। लेकिन अनुपात में न तो यहां के लोगों को ऋण मिल रहा है और न ही विकास हो रहा है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का बैंकों में जितना धन जमा है, उसके अनुपात से यहां के लोगों को विकास के लिए कर्ज दिया जाए।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : पंजाब में आगामी 4 मई, 1989 यानी कल को भारतीय किसान यूनियन के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रदेश का किसान सरकार को अनाज खरीद नीति के विरुद्ध अपना रोष प्रकट करने के लिए अनाज मण्डियों में अपनी फसल न लाकर बहिष्कार दिवस मना रहा है। सरकार ने गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष मात्र 10 रुपया क्विंटल गेहूं की खरीद में बढ़ोतरी की है जबकि तेल, खाद, कीटनाशक, खेती के काम में आने वाले औजार व मशीनें भारी मात्रा में महंगे हुए हैं। किसान के आम उपयोग में आने वाली सामान्य चीजों के दामों में भारी वृद्धि हुई है जो सर्वमान्य है। किसान की आय का केवल उसकी फसल ही स्रोत है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसान को फसल का मूल्य लाभकारी तथा अन्य राहत सुविधाएं देने की घोषणा करे।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश के सीमावर्ती जिले के मुख्यालय जैसलमेर में रेडियो स्टेशन स्थापना की स्वीकृति को हुए तीन वर्ष हो चुके हैं परन्तु रेडियो स्टेशन निर्माण की प्रगति बड़ी धीमी है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा निवेदन है कि जैसलमेर में रेडियो स्टेशन की स्थापना सन् 1989-90 में की जाए, ताकि जैसलमेर जिले की जनता रेडियो की सुविधा प्राप्त कर देश की खबरों की जानकारी प्राप्त कर सके।

2. पश्चिमी राजस्थान एवं गुजरात में जीरे की खेती होती है। जब किसानों ने जीरा बोया था, तब जीरे के भाव 3300 रुपया प्रति क्विटल थे, जो अब घट कर 1400 से 1600 रुपए प्रति क्विटल हो गए हैं, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है।

अतः केन्द्र सरकार से पुरजोर निवेदन है कि जीरे की फसल को निर्यात किए जाने का आदेश फरमायें ताकि किसानों को जीरे की फसल का उचित मूल्य मिल सके।

[अनुवाद]

श्री कृष्ण सिंह (भिण्ड) : मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित विषय को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :—

मध्य प्रदेश के भिण्ड, मोरेना और दतिया जिलों में चम्बल और उसकी सहायक नदियों के साथ-साथ प्रति वर्ष बड़े पैमाने पर उपजाऊ खेती योग्य भूमि का कटाव हो रहा है और वहां तंग घाटियां बन रही हैं। प्रतिवर्ष ऐसी घाटियों की संख्या बढ़ने के कारण वहां के निवासी मजबूर होकर ऊंचे स्थानों पर चले जाते हैं जिसके कारण उन्हें भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वनस्पति क्षेत्र कम हो जाने से वहां का पारिस्थितिकीय संतुलन भी बहुत बिगड़ गया है। सरकार को आठवीं योजना में इन जिलों में बांधों का बड़े पैमाने पर निर्माण करके, वनरोपण और घाटियों को सही करके भूमि कटाव को रोकने की एक महत्वाकांक्षी योजना शामिल करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शान्ति धारीवाल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र के बूंदी जिले में सिर्फ एक उद्योग सीमेंट बनाने का 60 साल पहले स्थापित किया गया था, उसके बाद कोई मध्यम व बड़ा उद्योग स्थापित नहीं किया गया। खनिज व कृषि की दृष्टि से बूंदी जिला काफी मजबूत है। अच्छे ग्रेड का चूने का पत्थर भारी मात्रा में निकलता है उसके दोहन के लिए वहां पर सीमेंट के कारखाने लगाये जा सकते हैं।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि बूंदी जिले को "नो इण्डस्ट्री डिस्ट्रिक्ट" घोषित कर वहां भारी व मध्यम उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए।

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : कृपया निम्नलिखित विषय को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए :

दिनांक 28-4-89 को उड़ीसा राज्य के बालासोर और मयूरभंज जिलों में तेज रफ्तार के चक्रवात और भारी वर्षा के कारण लाखों एकड़ भूमि में धान और रबी की अधिक उपज वाली विभिन्न फसलें नष्ट हो गईं। हजारों मकान ढ़ह गए, अनेकानेक मकानों की छतें उड़ गईं। 12 व्यक्ति मर गए और हजारों लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए। हजारों पशु मर गए और लाखों व्यक्ति बेघर हो गए। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार को राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिए।

2. धार्मिक महत्व के अलावा तुलसी के पौधे का चिकित्सा की दृष्टि से भी महत्व है क्योंकि इससे ज्वर, खांसी, आंत्रिक कीड़ों, चर्मरोग, मुर्दा रोग का निदान होता है और इससे मूत्रादि सम्बन्धी अवरोध दूर हो जाते हैं और सूजन समाप्त हो जाती है। इससे कीड़े और मच्छर दूर रहते हैं इसलिए दक्षिण अफ्रीका में इसे "मच्छर-पौधा" कहा जाता है। हमारी जलवायु के लिए यह पेड़ बहुत उपयुक्त है। परन्तु दुर्भाग्यवश, इतना लाभप्रद पौधा उपयुक्त ध्यान के बिना लुप्त होता जा रहा है। समय की मांग है कि तुलसी के पौधे लगाने के लिए एक अभियान चलाया जाना चाहिए।

श्रीमती शीला दीक्षित : माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए प्रस्तावों को कार्यमंत्रणा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

12.44 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

अखबारी कागज तथा छपाई के कागज की कमी तथा उनके बढ़ते हुए मूल्य का समाचार

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर उद्योग मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

"अखबारी कागज तथा छपाई कागज की कथित कमी तथा उनकी बढ़ती हुई लागत के परिणामस्वरूप क्रमशः प्रेस तथा पुस्तक प्रकाशन उद्योग को हो रही कठिनाई तथा इस बारे में सरकार द्वारा किए गए उपाय।"

[अनुवाद]

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : महोदय, देश में अखबारी कागज की आवश्यकता को स्वदेशी उत्पादन तथा आयात दोनों के जरिए पूरा किया जाता है। वर्ष 1988-89 के दौरान इसका स्वदेशी उत्पादन 2.76 लाख टन था और 1989-90 के दौरान लगभग 3.00 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान है। स्वदेशी उत्पादन और मांग के अन्तर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है, जो विदेशी मुद्रा के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

2. अखबारी कागज का आयात एस० टी० सी० के माध्यम से किया जाता है। एस० टी० सी० द्वारा वसूल किया जाने वाला अखबारी कागज का बिक्री मूल्य अखबारी कागज के मूल्य निर्धारण संबंधी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर प्रत्येक तिमाही में तय किया जाता है जिससे अखबार उद्योग के प्रतिनिधि सम्बद्ध हैं। अप्रैल, 89-जून, 89 की तिमाही के लिए आयातित मानक अखबारी कागज का मूल्य 12715 रु० प्रति मी० टन निर्धारित किया गया है, जिसमें सीमा शुल्क शामिल नहीं है।

3. स्वदेश में निर्मित अखबारी कागज पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं है। तथापि सरकार द्वारा समय-समय पर औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो (बी० आई० सी० पी) की सिफारिशों पर स्वदेशी अखबारी कागज के निर्माताओं द्वारा लिया जाने वाला मिल-बाह्य अधिकतम मूल्य बताया जाता है। पिछली बार स्वदेशी अखबारी कागज का मूल्य जनवरी, 1988 में संशोधित किया गया था, जो बी०

आई० सी० पी० द्वारा किए गए विस्तृत अध्ययन के उपरांत समीक्षा किए जाने की शर्त पर है। इस बीच अखबारी कागज के स्वदेशी निर्माता यह अभ्यावेदन करते रहे कि उनको जिस मूल्य की अनुमति दी जा रही है, वह पूर्णतया अलाभकारी है जिसकी वजह से उन्हें भारी हानि होती है। जब तक कीमत में यथोचित संशोधन नहीं किया जाएगा तब तक स्वदेशी अखबारी कागज निर्माता एककों की वित्तीय जीव्यदा प्रतिकूलतः प्रभावित होती रहेगी। जिसके परिणामस्वरूप देशी अखबारी कागज के उत्पादन में कमी होगी और इस उद्योग में आधुनिकीकरण अथवा अतिरिक्त क्षमता के सृजन हेतु और अधिक निवेश किए जाने में अड़चन आएगी।

4. कागज और गत्ते के बारे में, सातवीं पंचवर्षीय योजना का पूर्वानुमान है कि 1989-90 तक इसकी मांग 18.00 लाख मी० टन हो जाएगी। तदनुसार, 1989-90 के लिए कागज और गत्ते की अधिष्ठापित क्षमता का लक्ष्य 27.00 लाख मी० टन और उत्पादन का लक्ष्य 18.00 लाख मी० टन निर्धारित किया गया है। इसकी तुलनी में 1988-89 के अन्त तक कागज और गत्ते की अधिष्ठापित क्षमता लगभग 30.00 लाख मी० टन और उत्पादन 17.20 लाख मी० टन पहले ही हो चुकी है। वर्ष 1989-90 के लिए उत्पादन का अनुमान 18.00 लाख मी० टन है। इस प्रकार मांग को पूरा करने के लिए देशी उत्पादन पर्याप्त है और देश में कागज व गत्ते की कमी नहीं हैं। थोड़ी-सी मात्रा में कुछ विशेष किस्म के कागज का ही आयात किया जा रहा है, क्योंकि इसका उत्पादन देश में नहीं होता।

5. कागज और गत्ते की कीमत पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं है। मिलों द्वारा कीमत समय-समय पर उनकी उत्पादन लागत, कागज की किस्म और विद्यमान बाजार स्थिति के अनुसार वसूल की जाती है।

6. पिछले लगभग एक वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार के कागज की कीमतों में जो वृद्धि हुई है उसके बारे में सरकार को जानकारी है। मूल्य में वृद्धि मुख्यतया उन विभिन्न निविष्टियों के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि हो जाने के कारण हुई है जिनसे कागज तथा गत्ते का उत्पादन होता है।

7. शिक्षा क्षेत्र के लिए कागज की मांग के एक पर्याप्त भाग की आपूर्ति केन्द्रीय सरकार का सार्वजनिक प्रतिष्ठान हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन द्वारा रियायती दर पर की जा रही है। हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन द्वारा शिक्षा क्षेत्र को जिस कागज की आपूर्ति की जा रही है उसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि यह योजना 1987 में लागू हुई थी।

8. कागज एवं अखबारी कागज की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की दृष्टि से, सरकार ने ईस दिशा में कई कदम उठाए हैं। इसमें अतिरिक्त क्षमता की स्वीकृति, विद्यमान कागज मिलों को अखबारी कागज का उत्पादन करने के लिए लचीलेपन की अनुमति कृषि अवशिष्टों रद्दी तथा खोई पर आधारित बने लिखाई, छपाई और लपेटने के कागज के उत्पादन को लाइसेंस मुक्त करना; लुगदी, लठ्ठों, लकड़ी के चिप्स तथा रद्दी कागज का खुले सामान्य लाइसेंस के तहत आयात करने की सुविधा, कार्य-संचालन के लिए न्यूनतम आर्थिकमान और कागज उद्योग का विशद-वर्गीकरण (ब्रांड-बैंडिंग) सम्मिलित है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि माननीय मंत्री जी जो युज़अल स्टैप्स जिनका जिक्र सरकार बार-बार करती रहती है, उसके अलावा क्या एक्स्ट्रा-आर्डिनरी स्टैप्स

न्यूज-प्रिन्ट की बढ़ती हुई कीमत को देखते हुए और देश में उसकी शार्टेज को देखते हुए, उठाने जा रही है, उसके विषय में कुछ बतायेंगे, लेकिन मुझे दुःख है कि इस रिप्लाई से वह बात साफ नहीं है।

माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि इन्स्टाल्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की दिशा में सरकार कुछ कदम उठाएगी। मैं समझता हूं कि इस बात को सरकार करीब छः साल से कहती चली आ रही है कि इन्स्टाल्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए वह कदम उठाएगी। लेकिन आज भी यह हकीकत है कि 60 परसेन्ट भी, जितनी इन्सटाल्ड कैपेसिटी है, यूटीलाइज नहीं हो पा रही है और इन 6, 7 सालों में हार्डली कोई बढ़ोतरी हुई है बल्कि हालत इतनी बुरी है कि इसमें जो आपका प्रीमियर आर्गेनाइजेशन हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का है, उसकी स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि उसका लास करोड़ों और अरबों रुपयों में पहुंच चुका है। तो मैं नहीं समझता कि पालियामेंट में कुछ बातों की रिपोर्ट करने से सिचुएशन में कोई फर्क आने वाला है या इन्सटाल्ड कैपेसिटी यूटीलाइजेशन में कोई फर्क आने वाला है। यदि गवर्नमेंट निश्चित तौर पर यह चाहती है कि स्वदेशी कागज का निर्माण ज्यादा से ज्यादा हो, तो उसके लिए अलग से कोई कमेटी नियुक्त करके, सरकार को जितनी पेपर मिलें, चाहे वे पब्लिक सेक्टर में हों या प्राइवेट सेक्टर में हों, उनकी स्टडी करवानी चाहिए और यह देखना चाहिए कि उनकी क्या प्राब्लम्स हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं और उनका समाधान निकालने की चेष्टा करनी चाहिए। जब तक गवर्नमेंट कोई पालिसी इस विषय में नहीं बनाएगी और इनकी प्राब्लम को देखने की चेष्टा नहीं करेगी, मैं नहीं समझता कि यह प्राब्लम हल होने वाली है। बर्षों से पुरानी मशीनरी पड़ी है, लेबर प्राब्लम अलग से है और दुनिया भर की जिसरी प्राब्लम हो सकती हैं, सारी पेपर इन्डस्ट्री में इस समय मौजूद हैं। हम करोड़ों रुपया इसमें व्यय कर रहे हैं इम्पोर्ट करके। मैं समझता हूं कि इस बात को एकदम हम नहीं रोक सकते और एकदम वी कान्ट डू एवे विद इम्पोर्ट्स, वह तो करना ही पड़ेगा मगर हमारी लोकल इण्डस्ट्री की जो प्राब्लम हैं, पेपर इण्डस्ट्री की जो प्राब्लम हैं, बुक बाईंडिंग इण्डस्ट्री की जो प्राब्लम हैं, उनको घटाया जा सकता है। इनको घटाने के विषय में गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं उठाया है। मैं समझता हूं कि 35 प्रतिशत आयातित पेपर और 65 प्रतिशत स्वदेशी पेपर है, जिसके मूल्य में इस समय भारी अन्तर पैदा हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे इस दिशा में क्या कदम उठाने जा रहे हैं। केलकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है और उसमें उसने बहुत सारे सुझावों का जिक्र किया है। उन सुझावों के ऊपर सदन में चर्चा करना आवश्यक है। सदन के बाहर तो उसके विषय में बहुत कुछ निकला है और हम इन्ट्रेस्टेड ग्रुप अपने-अपने व्यूज को रेप्रेजेन्ट करने की कोशिश में हैं मगर पालियामेंट का काम्प्रीहैंसिव व्यू क्या हो सकता है, लेजिस्लेचर का उसके विषय में क्या व्यू हो सकता है, उसके विषय में सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए और मैं समझता हूं कि उद्योग मन्त्री जी केलकर कमेटी की रिपोर्ट पर इस सदन में चर्चा करवाना चाहेंगे।

आपने 5 पेपर यूनिट्स को 10 से लेकर 20 प्रतिशत तक कीमत बढ़ाने की इजाजत दे दी, जबकि इस सदन के पटल पर आप स्वयं और आपके पूर्ववर्ती मंत्री यह आश्वासन दे चुके थे कि न्यूजपेपर इंडस्ट्री से बातचीत करने के बाद ही स्वदेशी पेपर की कीमत बढ़ाने के विषय में जो मिलों की रेप्रेजेन्टेशन है, उस पर विचार किया जाएगा लेकिन आपने न्यूजपेपर इंडस्ट्री के लोगों से बात नहीं की, आपने बुक बाईंडिंग इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत नहीं की। आपने उस फैक्टर को ध्यान में नहीं रखा कि इसका असर जो कागज पढ़ाई-लिखाई के लिए बनता है, उस पर क्या पड़ेगा और आपने एकतरफा कीमत बढ़ाने की इजाजत दे दी केवल इस आधार पर कि इनपुट्स की कीमतें बढ़ गई हैं। इनपुट्स की कीमतें किस रेशों में बढ़ी, उसके विषय में आज तक विचार नहीं हुआ और इस बात को देखने की कोशिश

नहीं की गई कि जो प्राइस स्ट्रक्चर है और बहुत दिनों से जो न्यूजपेपर इंडस्ट्री की सोसाइटी है, वह इस बात को रेप्रेजेन्ट कर रही है कि जो प्राइस स्ट्रक्चर है मिलों का, उसके विषय में वे बात करना चाहते हैं। उनका जो रेप्रेजेन्टेशन था, उस पर आपने कोई कदम नहीं उठाया है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आप किसी स्वतन्त्र आर्गेनाइजेशन को, किसी इन्डिपेंन्डेंट आर्गेनाइजेशन को इस बात की जांच करने का मौका देंगे, जो इन सारी न्यूजपेपर मिल्स के प्राइस स्ट्रक्चर की जांच कर सके और उसकी कास्ट स्ट्रक्चर न्यायसंगत है या नहीं, उसके विषय में कोई जानकारी दे सके। यदि आप यह नहीं करने जा रहे हैं, तो क्या आपने गवर्नमेंट की तरफ से कभी इसकी जांच करवाई है और अगर करवाई है, तो इस विषय में क्या फाइंडिंग्स हैं, यह जानकारी आप सदन को देने की कृपा करें। इस समय जो न्यूज प्रिंट की कीमत है, मैं समझता हूं कि वह हिन्दुस्तान में दूसरे देशों के मुकाबले में सब से ज्यादा है। हम हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा अखबार पढ़ते हैं। अभी जो और प्राईस इंक्रीज हुआ है उसका असर न्यूज पेपर इंडस्ट्रीज पर नहीं पड़ने जा रहा है। उसका असर उन पर, स्माल पेपर्स पर पड़ेगा जो वीकली निकलते हैं, गांवों और देहातों से निकलते हैं। उन पर पड़ेगा। उनमें से बहुत सारे तो मर जाएंगे।

जब केलकर कमेटी ने रिपोर्ट दी थी तो उसने सुझाव दिया था कि जो इम्पोर्टेड पेपर की मात्रा है, उसके आवंटन को घटा दिया जाए। फिर तो उनके सरवाईव करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं मंत्री जी, आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस न्यूज प्रिंट की प्राइसिज में जो वृद्धि हुई है, उसका असर न्यूज पेपर इंडस्ट्री पर नहीं पड़े और जितना पड़े उसको दूसरे तरीके से कम्पेनसेट कर दिया जाए, स्माल पेपर्स पर असर बिल्कुल न पड़े इसके लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वह है कि हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन बुक्स और कापियों के लिए कागज सप्लाई करता है। लेकिन उनको कितना मिल पाता है ? जितना उनका कोटा निर्धारित होता है उसका बहुत कम प्रतिशत उनको मिल पाता है। उसके लिए भी कई-कई बार जाना पड़ता है। उसका तरीका इतना कम्पलीकेटिड है कि सामान्य व्यक्ति तो उसका लाभ उठा ही नहीं पाता। ट्वन्टी प्वाएंट प्रोग्राम में हमने वादा कर रखा है कि हम सस्ती किताबें और कापियां देंगे। आज स्थिति यह है कि बच्चों के पढ़ने की जो बुक्स हैं उनकी कीमतें बहुत बढ़ गयी हैं। जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, जो किताबों और कापियां बनाते हैं उनको कुछ मदद मिल सके इसके लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

सर, छोटे-छोटे प्रिंटर्स जो कांट्रेक्ट बेसिस पर काम लेते हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। आखिर उनकी दिक्कत के समाधान के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। उनकी मदद करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? इस स्थिति का स्पष्टीकरण करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : सरकार को मालूम है कि कागज की आपूर्ति, उपलब्धता एवं मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में अत्यन्त गम्भीर संकट पैदा हो गया है। मैं केवल अखबारी कागज की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं उस कागज की बात कर रहा हूं जो प्रकाशक तथा मुद्रक विभिन्न प्रयोजनार्थ—अखबार प्रकाशित करने से लेकर बच्चों की पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन तक—इस्तेमाल करते हैं।

इस प्रस्ताव को रखने का हमारा उद्देश्य यह जानना था कि हम सरकार से इस विषय में स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि इस वर्तमान कमी और मूल्य वृद्धि का मूल कारण क्या है। पिछले कुछ

महीनों में मूल्यों में कम से कम 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका क्या कारण है? कौन सी नई एवं असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे इस प्रकार का संकट पैदा हुआ है?

यह सच है कि अनुमानित मांग और उपलब्ध आपूर्ति में अन्तर है, स्वदेशी आपूर्ति—जिसके लिए सरकार कहती है : 'हां, हम आयात द्वारा अन्तर को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। (**व्यवधान**) परन्तु इसमें कहीं भी···

श्री एम० अरुणाचलम : अन्तर केवल अखबारी कागज में है, कागज और कागज से बनी अन्य मदों में नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है; परन्तु इस वक्तव्य में भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि आप कितनी मात्रा में आयात कर रहे हैं।

(**व्यवधान**)

श्री एम० अरुणाचलम : यह सच नहीं है।

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : नहीं, उन्होंने बताया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं वक्तव्य की बात कर रहा हूं। इसमें यह नहीं बताया गया कि अनुमानित अन्तर के मुकाबले कितनी मात्रा में कागज का आयात किया गया है।

1.00 म० प०

श्री एम० अरुणाचलम : हम बताएंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने वक्तव्य में यह नहीं दिया। हम उस काल में रह रहे हैं जिसे देश में आर्थिक नीति को उदार बनाए जाने का काल कहा गया है। गत चार-पांच वर्षों से अनेक वस्तुओं के बारे में उदार आयात नीति लागू है। सैकड़ों वस्तुओं को खुले सामान्य लाइसेंस की श्रेणी में डाल दिया गया है। हमारे विचार में इससे देश को लाभ होने की आशा नहीं है। परन्तु सरकार की नीति है कि अनेकानेक वस्तुओं का खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत मुक्त रूप से आयात हो। अतः सर्वप्रथम मैं पूछना चाहता हूं कि अखबारी कागज के आयात के मामले में, शेष वस्तुओं के लिए लागू खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की अनुमति की भांति इसे भी अनुमति क्यों नहीं दी गई। इसके बजाय इसका वितरण सरकार द्वारा करने के उद्देश्य से इसे सरणीबद्ध करके राज्य व्यापार निगम के नियंत्रण में क्यों रखा गया है? सरकार अप्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर नहीं अपितु अखबारी कागज को विभिन्न समाचारपत्रों के प्रकाशकों के वितरण के मामले में नियंत्रण रख रही है और इस नियंत्रण का दुरुपयोग होने की सम्भावना है अर्थात् सरकार इसका इस्तेमाल दबाव के रूप में, पक्षपात के रूप में, कुछ समाचारपत्रों को प्रोत्साहन देने और अन्य कुछ को हतोत्साहित करने के लिए कर सकती है। मैं पूछना चाहता हूं कि जबकि कुल मूल्य विदेशों से आयातित कुल मूल्य के एक प्रतिशत से भी कम है—एक प्रतिशत भी नहीं—तो प्रकाशकों अथवा समाचारपत्रों को अखबारी कागज को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात किए जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती जैसी कि अन्य उद्योगों को दी गई है; सरकार ऐसा करके अखबारी कागज की उपलब्धता के आधार पर प्रेस पर कुछ नियंत्रण रखना चाहती है। अखबारी कागज का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत करने में क्या कठिनाई है? दूसरी बात यह है कि क्या यह सच नहीं है कि इस आयातित अखबारी कागज का मूल्य देश में बने अखबारी कागज से बहुत अधिक

नहीं है ? आयातित अखबारी कागज के मूल्य कौन निश्चित करता है। जब तक सरकार अपने अनुकूल समाचारपत्रों का विकास रोकना नहीं चाहेगी तब तक आयातित कागज का मूल्य स्वदेशी कागज से इतना अधिक क्यों होगा ? क्या यह अखबारी कागज और अन्य किस्म के कागजों के स्वदेशी उत्पादन का प्रश्न है जिसके बारे में आपने इस वक्तव्य में भी स्वीकार किया है कि सातवीं योजना में 18-9-1990 तक 18 लाख टन कागज की मांग दर्शायी गई है और इस चालू वर्ष में 27 लाख टन की अधिष्ठापित क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परन्तु 27 लाख टन की अधिष्ठापित क्षमता के मुकाबले उत्पादन केवल 17.20 लाख टन है। अधिष्ठापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन के बीच इतना अन्तर क्यों है ? इसका अर्थ हुआ कि अधिष्ठापित क्षमता का कम उपयोग हो रहा है। प्राइवेट क्षेत्र की भांति सरकारी उपक्रमों में भी यह स्थिति है। मेरे विचार से 15,000 टन अखबारी कागज के आयात से थोड़े समय के लिए यह समस्या हल हो सकती है। मैं आयात बढ़ाने और आयात पर निर्भर रहने के पक्ष में नहीं हूं ' परन्तु फिलहाल थोड़े समय के लिए, स्वदेशी उत्पादन में हुई कमी के कारण उत्पन्न इस संकट को दूर करने के लिए कम से कम 50,000 टन की आवश्यकता होगी। स्वदेशी उत्पादन को क्या हो रहा है ? मैं सरकार से इस बारे में पूछना चाहता हूं क्योंकि समाचारपत्र और पत्रिकाएं लिख रही हैं कि पेपर मिलों ने कृत्रिम कमी पैदा कर दी है ताकि सरकार पर स्वदेशी अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए दबाव डाला जा सके। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है अथवा नहीं।

मैं किसी अन्य समाचारपत्र से नहीं बल्कि इंडियन एक्सप्रेस से उद्धृत कर रहा हूं जोकि सरकारी उपक्रमों का नहीं बल्कि गैर-सरकारी उपक्रमों का हमदर्द है। इस समाचारपत्र को भी मजबूर होकर अपने सम्पादकीय में लिखना पड़ा है। मैं उद्धृत करता हूं :

> "शायद यह संयोग की बात नहीं है कि पिछले छह महीनों से पेपर मिलें इस तर्क के आधार पर सरकार पर 3000 रु० प्रतिटन की दर से अखबारी कागज के मूल्य बढ़ाने के लिए दबाव डाल रही हैं कि सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान मूल्य अत्यन्त अलाभप्रद हैं। इससे संतोष न करते हुए, तमिलनाडु पेपर मिल ने इसकी आड़ लेते हुए कि इसके अखबारी कागज की मांग नहीं है, अचानक ऐसा प्रिंटिंग पेपर तैयार करना शुरू कर दिया है जिसकी कीमत बहुत अधिक है।"

इस प्रकार यहां यह कहा जा रहा है कि पेपर मिलें दबाव डालने की नीति अपना रही हैं और जहां तक पुस्तक उद्योग का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने कहा था, वहां प्रयुक्त कागज की कीमतें पिछले कुछ महीनों में 40 से 50 प्रतिशत बढ़ चुकी हैं।

मुझे याद है कि श्री वेंगल राव ने ऑटोमोबाईल टायरों की कीमतों के लिए इस सभा में अनेकों बार इस बात पर अफसोस जाहिर किया था कि टायरों का विनिर्माता एकाधिकारिक संघ, जो कि गैर-सरकारी उत्पादकों का एक समूह है, संगठित होकर कीमतों में वृद्धि कर रहे हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार कुछ नहीं कर सकी है। विदेश की एक अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनी से भी उन्होंने सीमित मात्रा में टायरों का आयात किया है।

जहां तक कीमतों में वृद्धि करने के लिए सरकार पर दबाव डालने वाली कागज मिलों का सम्बन्ध है, यदि सरकार सहमत नहीं होती है और यदि उन्होंने अपने उत्पादन में कमी करके कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर दिया है तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या करने का प्रस्ताव है ? अन्य बातों के अतिरिक्त, करीब 70 से 75 कागज मिलें ऐसी हैं जो बन्द पड़ी हैं। वे बन्द पड़ी हैं। यदि उनमें से कम से कम आधी भी उत्पादन करने लगें तो यह कमी पूरी तरह दूर हो सकती है। लेकिन इसके लिए कोई प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। ढिटलागढ़ पेपर मिल तथा रानीगंज पेपर मिल जैसी बहुत ही

प्रतिष्ठित कम्पनी तथा कागज की अन्य मिलें वर्षों से बन्द पड़ी हैं। क्या इन मिलों को पुनः शुरू करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है ?

महोदय, कागज एक आवश्यक वस्तु है। इसे एक आवश्यक सामग्री समझा जाना चाहिए। हमारी नई पीढ़ी की शिक्षा ऐसी पुस्तकों के प्रकाशन पर निर्भर करती है जिन्हें वे आसानी से खरीद सकें। साक्षरता कार्यक्रम और अन्य सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सरकार बहुत अधिक चर्चा कर रही है। यदि अपेक्षाकृत निर्धन परिवार के बच्चों को ये प्रस्तकें आसानी से उपलब्ध करांनी है, यह बात अलग है कि कागज की कमी के कारण पुस्तकों का प्रकाशन अभी नहीं हो रहा है, तो इस सम्बन्ध में सरकार की असफलता का अर्थ यह है कि वास्तव में वह हमारे बच्चों के ज्ञान अर्जन पर रोक लगा रही है और यह सभी प्रकार की शिक्षा तथा ज्ञान विस्तार पर लगाया गया अवरोध है। अतः सरकार की क्या राय है ? इस बात के सिवाय, कि चालू पेपर-मिलों की कुछ अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने की अनुमति वे दे रहे हैं तथा कुछ कच्चे माल के लिए लाइसेंस समाप्त करने का वे उपाय कर रहे हैं; इस वक्तव्य से हम कुछ भी निष्कर्ष निकालने में असमर्थ हैं।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि विदेशों से आयात किए जाने वाले कागज की कुल मात्रा कितनी है, यह किस किस्म का है, इसका लागत मूल्य क्या है और स्वदेश में इसके उत्पादन की समस्या का निदान करने के बजाए वे कब तक इस तरह से आयात करते रहेंगे ? जहां तक वितरण का सम्बन्ध है राज्य व्यापार निगम द्वारा इसे नियन्त्रण और दबाव डालने के शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करने की अपेक्षा आप इसके सीमित आयात को भी ओ० जी० एल० के अन्तर्गत करने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं ? और इन बन्द पेपर मिलों को फिर से शुरू करने के लिए आपके पास क्या कोई योजना है ?

अन्त में गैर-सरकारी क्षेत्र के उत्पादकों द्वारा कीमतों में, जिन्हें वे अलाभप्रद मानते हैं, वृद्धि किए जाने के लिए सरकार पर डाले गए दबाव के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपना रही है तथा कीमतों में वृद्धि करने का विचार कर रही है ? यह मैं जानता हूं कि कोई भी वैधानिक मूल्य नियन्त्रण नहीं है। लेकिन मुद्रण और प्रकाशन उद्योग में मूल्यों को विनियमित करने के सम्बन्ध में उनका क्या प्रस्ताव है ? मैं बड़े अखबारों के लिए अफसोस नहीं प्रकट कर रहा हूं क्योंकि उनके लिए अपने मूल्यों अथवा बिक्री मूल्यों में वृद्धि करना सम्भव है। वे ऐसा करते भी हैं। अपनी विज्ञापन दरों में वृद्धि करना भी उनके लिए सम्भव है। बड़े समाचारपत्र ऐसा कर सकते हैं। लेकिन छोटी श्रेणी के अखबार, छोटी-मोटी पत्रिकायें, देश के अनेक जिलों से प्रकाशित होने वाले छोटे स्थानीय अखबारों का क्या होगा ? अतः इस सम्बन्ध में आपका क्या करने का विचार है ? आप सप्लाई तथा कीमतों को कैसे नियोजित करेंगे ? और कैसे आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि विद्यालय जाने वाले बच्चों को कम कीमतों वाली पुस्तकें उपलब्ध हों जो कि सरकार की नीति का एक आवश्यक भाग है ?

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगी क्योंकि आपके भोजन का समय हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे भूख नहीं है क्योंकि आपसे मुझे अनेक विचार मिल रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं भूख की बात कर रही हूं, क्रोध की नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : न तो मैं भूखा हूं और न ही क्रोधित।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह अच्छी खबर है कि आपको भूख नहीं है ।

महोदय, पहले ही कही जा चुकी बातों को मैं नहीं दोहराऊंगी। मैं कुछ बातों को जानना चाहती हूं । इसके पहले मुझे एक सामान्य टिप्पणी अवश्य करनी है कि ऐसे संवेदनशील विषय के बारे में इस प्रकार का आत्म सन्तुष्टिपरक वक्तव्य वास्तव में मंत्री महोदय की एक उपलब्धि है । मैं नहीं जानती हूं कि उन्हें बधाई देनी चाहिए या उनकी निन्दा करनी चाहिए लेकिन स्थिति यही है ।

अनेक बातों की चर्चा यहां की गयी है। एक-एक कर मैं उनकी चर्चा करूंगी। जहां तक आयात का प्रश्न है, मैं उस पर विस्तृत चर्चा करने नहीं जा रही हूं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानना चाहती हूं कि क्या यह भी सच है कि अखबारी कागज के आयात मूल्यों में 1989 में 213.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं । मैं यह भी जानना चाहूंगी कि क्या यह आयात हम उन देशों से ही कर रहे हैं जिनसे हम बराबर करते आये हैं और क्या हम नए देशों जैसे बंगलादेश के साथ आयत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि अखबारी कागज और कागज विलासिता की सामग्री नहीं है । आप 'ग्लेजड पेपर' में कटौती कर सकते हैं लेकिन अन्य में नहीं । अत: आयात करना आवश्यक है । मैं यह जानना चाहूंगी कि अन्य देशों के साथ हम क्या कर रहे हैं ? मैं यह भी जानना चाहूंगी कि आयात कोटे को 300 टन से घटाकर 50 टन करने के सम्बन्ध में केलकर समिति की सिफारिशों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है । मेरी राय में यदि इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे छोटे और मध्यम श्रेणी के अखबार अधिक प्रभावित होंगे और उन्होंने पहले ही इसका विरोध किया है । इस सिफारिश के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अखबारी कागज के मूल्य के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1986 और अप्रैल, 1989 के बीच अखबारी कागज के मूल्य को 7,837 रुपए से बढ़ाकर 14,597 रुपए करीब-करीब दुगना कर दिया गया है ।

वक्तव्य के पैरा 3 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बात यहीं समाप्त नहीं होती है। यहां बताए गए सभी कारणों से यह बात स्पष्ट है कि वित्तीय क्षमता आदि का विवरण देते हुए सरकार फिर से मूल्य वृद्धि करने का विचार कर रही है। क्या यह सच है कि उन्होंने जितनी मूल्य वृद्धि की है, उससे भी अधिक वृद्धि करने जा रहे हैं ?

छोटे और मध्यम श्रेणी के अखबारों के सन्दर्भ में मैं कुछ अन्य बात भी कहना चाहती हूं। उनकी कठिनाई यह नहीं है कि उन्हें सिर्फ यह कीमत ही चुकानी पड़ती है बल्कि उन्हें एक ऐजेंट के माध्यम से इसे खरीदना भी पड़ता है । एक एजेंट के माध्यम से 000 रुपए से 1500 रुपए प्रतिटन के हिसाब से उन्हें यह खरीदना पड़ता है । अतः मूल्य वृद्धि में यह ऐजेंसी लागत भी जोड़ी जाती है। और यह फिर बहुत अधिक हो जाती है । अतः वे वास्तव में कठिनाई में हैं । अतः इस कोटे में उनके हिस्से में और वृद्धि की जानी चाहिए । इस सन्दर्भ में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

कागज और गत्ते के सन्दर्भ में में यह पैरा देखकर वास्तव में आश्चर्यचकित हो गयी हूं जहां पहले ही श्री गुप्त ने क्षमता के उपयोग के सम्बन्ध में यह प्रश्न किया है । मैं इसे दुहरा नहीं रही हूं । मैं सिर्फ इसका समर्थन कर रही हूं। मुझे आश्चर्य है कि इसमें इस सम्बन्ध में इतना विश्वास प्रकट किया गया है कि मांग की पूर्ति के लिए स्वदेशी उत्पादन ही पर्याप्त है और देश में पेपर तथा पेपरबोर्ड की कमी नहीं है । मैं 15 अप्रैल को प्रकाशक उद्योग की संयुक्त कार्यकारी समिति के कार्यवाहक चेयरमैन श्री एस० एन० मेहता द्वारा दिए गए वक्तव्य को पढ़ रही थी । वे कहते हैं कि वर्तमान मांग करीब

30 लाख टन की है। यह सही प्रतीत होती है; अन्यथा यदि यह पर्याप्त होता और सभी कुछ सही रहता तो पिछले छः माह के दौरान कागज के मूल्य में 40 प्रतिशत की वृद्धि क्यों की गई होती? अतः यह कहना, कि हमारे यहां मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त उत्पादन हो रहा है, मैं समझती हूं कि यह मंत्रालय का भ्रम है। मैं उन्हें यह बात स्पष्ट करना चाहती हूं।

मैं एक अन्य बात भी कहना चाहती हूं। यदि यह वर्ष चुनावी-वर्ष होने जा रहा है तो इस वर्ष कागज की मांग के लिए और अधिक दबाव रहेगा। क्या यह ठीक है या नहीं? यदि हां, तो इसके लिए किसमें से कटौती की जाएगी—साहित्यिक कार्यक्रम में से या छात्रों की पाठ्यपुस्तकों में से, क्योंकि इस पैराग्राफ में कहा गया है कि पाठ्य-पुस्तकों को पर्याप्त कागज मिल रहा है?

श्री जे० वेंगल राव : चुनावी कार्य के लिए भी कागज पर्याप्त मात्रा में है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह काला बाजार में अत्यधिक मूल्य पर उपलब्ध है जिसे केवल सत्ताधारी दल ही वहन कर सकता है।

श्री जे० वेंगल राव : यह आपकी पार्टी के लिए भी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या चुनाव के लिए कागज का प्रावधान किया गया है?

श्री जे० वेंगल राव : कागज का पर्याप्त उत्पादन हो रहा है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं जानना चाहती हूं कि क्या मंत्री महोदय अपनी बात को ही ठीक माने बिना यह स्पष्ट रूप से बताएंगे कि मूल्य, छोटे और मध्यम समाचार पत्रों को अधिक कोटा देने, बन्द मिलों को खोलने, प्रकाशकों को साधारण कागज की सप्लाई के विषय में वह क्या करने जा रहे हैं ताकि हम इस क्षेत्र में थोड़ा और आगे बढ़ सकें क्योंकि हमारे देश का स्थान प्रकाशन जगत में पहले ही कम होकर 17वां हो गया है।

श्री जे० वेंगल राव : मैं पहले अखबारी कागज के सम्बन्ध में उत्तर दूंगा और फिर लेखन के लिए कागज तथा गत्ते के बारे में उत्तर दूंगा।

हमारी अखबारी कागज की कुल मांग लगभग 5 लाख टन है। स्वदेशी उत्पादन 2.75 लाख टन है और हम लगभग 2 लाख 5 हजार टन आयात कर रहे हैं। 1988 में अखबारी कागज के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जनवरी-मार्च, 1987 के दौरान आयातित मानक अखबारी कागज का बिक्री मूल्य 6,195 रुपए प्रति टन था जो बढ़कर 12,715 रुपए प्रति टन हो गया और इस पर 550 रुपए प्रति टन आयात शुल्क भी है। अब आयातित अखबारी कागज का मूल्य 13,265 रुपए है। यह राज्य व्यापार निगम का मूल्य है। इससे हमारे विभाग का कोई सरोकार नहीं है। राज्य व्यापार निगम एक स्वतन्त्र निकाय है। इस अखबारी कागज का वितरण भी हमारे अन्तर्गत नहीं है, यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लेकिन यह सरकार के अन्तर्गत है।

श्री जे० वेंगल राव : जी हां, यह भारत सरकार के अन्तर्गत है।

महोदय, तीनों माननीय सदस्य श्रमिक नेता हैं। एक तरफ तो वे श्रमिकों के लिए अन्तरिम राहत और अधिक मजदूरी की बात करते हैं और दूसरी तरफ वे बड़े बहुराष्ट्रीय समाचार पत्रों की तरफ से जिरह कर रहे हैं। हमारा अखबारी कागज का स्वदेशी मूल्य बहुत कम है। यह लगभग

10,000 रुपए हैं। बी० आई० सी० पी० की रिपोर्ट के अनुसार हमें इसे बढ़ाकर लगभग 13,000 रुपए करना है ताकि यह आयातित अखबारी कागज के मूल्य के बराबर हो सके, लेकिन हमने अभी इसमें वृद्धि नहीं की है। अखबारी कागज की एक फैक्ट्री को छोड़कर बाकी सभी फैक्ट्रियां सरकारी क्षेत्र में हैं। एक तरफ तो वे यह कहकर सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन की आलोचना कर रहे हैं कि वे घाटा उठा रहे हैं और दूसरी तरफ वे श्रमिकों की अन्तरिम राहत तथा मजदूरी को बढ़ाना चाहते हैं। और इसके साथ-साथ वे बड़े समाचारपत्र घरानों की तरफ से भी बोल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : छोटे और मध्यम समाचारपत्रों के बारे में क्या कहना है?

श्री जे० वेंगल राव : उनका हिस्सा तो बहुत कम है। महोदय, ये माननीय श्रमिक नेता तो पूंजीपतियों की तरफ से बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पहले मद्रास से प्रकाशित '**हिन्दू**' समाचार-पत्र की एक प्रति का क्या मूल्य था और आज इसका क्या मूल्य है। वे इसकी अदायगी अपनी जेब से नहीं बल्कि पाठकों से लेकर कर रहे हैं। अब स्वदेशी फैक्ट्रियों को घाटा हो रहा है। ये सरकारी क्षेत्र के उद्यम हैं और इसीलिए बी० आई० सी० पी० ने अपनी रिपोर्ट दी है। हमें स्वदेशी अखबारी कागज का मूल्य भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जैसाकि मैंने कहा है अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बहुत अधिक है। उत्पादन के बारे में भी में यह कहूंगा कि जब मैं आन्ध्र प्रदेश का मुख्य मंत्री था तब हम कागज मिलों से रायल्टी एकत्र करते थे। एक समय तो यह सिर्फ तीन रुपये प्रति टन थी।

एक माननीय सदस्य : ऐसा था।

श्री जे० वेंगल राव : जी हां। बिरला ने तीस वर्षों तक 3 रुपए प्रति टन की दर से अदायगी की। मैंने इसे 30 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए कर दिया। अब आन्ध्र प्रदेश में बांस पर प्रति टन रायल्टी 536 रुपए तथा सख्त लकड़ी पर 331 रुपए हैं। फिर कोयले के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है? हाल ही में कोयले के मूल्यों में वृद्धि हुई थी। रेलवे के माल-भाड़े में भी वृद्धि हुई है? हाल ही में बजट में रेलवे के माल-भाड़े में वृद्धि की गई। इन सभी कारणों से कागज के दाम तो बढ़ेंगे। महोदय, ये सदस्य श्रमिक नेता हैं और वे यह अच्छी तरह जानते हैं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : लेकिन रेलवे के मालभाड़े में वृद्धि किसने की?

श्री जे वेंगल राव : महोदय, इसलिए इन कारणों से कागज तथा अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि हुई है। मैं यह इसलिए बता रहा हूं कि इन सबसे मूल्य में वृद्धि होती है। महोदय, लेखन का कागज और गत्ता हमारे पास अतिरिक्त मात्रा में है। हमारे पास अतिरिक्त क्षमता भी है। हमने इन कागज निर्माता इकाईयों को आशय पत्र दिए हैं। दो वर्ष पहले तक कागज उद्योग अत्यधिक घाटे में चल रहा था। इसलिए हमने दो वर्ष पहले कागज पर से नियन्त्रण हटा लिया। अब लेखन के कागज, गत्ते और अखबारी कागज पर भी कोई वैधानिक नियन्त्रण नहीं है। फिर भी क्योंकि हम इन सरकारी क्षेत्र की इकाईयों पर नियन्त्रण रखे हुए हैं, उन्हें घाटा हो रहा है। कल भी आप कहेंगे कि आपके सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यम अत्यधिक घाटे में चल रहे हैं। अब आप हमें कह रहे हैं कि मूल्यों में वृद्धि न करें। यह कैसे सम्भव है? इसीलिए अखबारी कागज के क्षेत्र में भी हमें पहले स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन देना है। मैं श्रीमती गीता मुखर्जी, श्री इन्द्रजीत गुप्त और अपनी पार्टी के सदस्य श्री हरीश रावत को बता दूं कि हमने अन्तरिम राहत की अदायगी कर दी है। वह इसके लिए लड़े और मेरे निवास पर एक जलूस के साथ आए थे और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के श्रमिकों के लिए अन्तरिम राहत की मांग की थी। मैं इसके लिए धनराशि कहां से प्राप्त करूंगा? ये सारे व्यय वहन करने के लिए हमें मूल्यों में वृद्धि करनी पड़ेगी, इसका और कोई विकल्प नहीं है।

महोदय, हाल ही में हमने सीमेंन्ट पर भी नियन्त्रण हटा लिया है। पश्चिम बंगाल के लोग अब आंध्र प्रदेश से सीमेंट आयात करना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश में यह बहुत सस्ती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आंध्र प्रदेश में सीमेंट अतिरिक्त मात्रा में है। आप इसे हमें क्यों नहीं देते ?

श्री जे० वेंगल राव : कच्चे माल, मालभाड़ा तथा रसायनों के मूल्यों के कारण भी लागत बढ़ गयी है। सरकार के पास इन पर नियन्त्रण रखने की कोई शक्ति नहीं है।

महोदय, अब बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों और अभ्यास पुस्तिकाओं के सम्बन्ध में, इस पर विचार करना मानव संसाधन विकास मन्त्रालय का कर्त्तव्य है। यदि मैं एक उद्योगपति हूं तो मुझे अपने उद्योग से लाभ तो मिलना ही चाहिए। यदि वे सस्ती दर पर कागज चाहते हैं तो उन्हें हिन्दुस्तान कागज निगम को सहायता देनी चाहिए। हम उन्हें कागज सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन उन्हें धनराशि देनी पड़ेगी। उनकी आवश्यकता 1.5 लाख टन है। वे 80,000 टन के लिए धनराशि की अदायगी करने में असमर्थ हैं। यह मामला अब मन्त्रिमण्डल के सम्मुख है। उन्हें अवश्य ही बाजार भाव पर हिन्दुस्तान कागज निगम को अदायगी करनी चाहिए। हम केवल तभी उन्हें इसकी सप्लाई कर सकते हैं। महोदय, मैंने वास्तविक स्थिति बताई हैं। यह सरकार का दोष नहीं है। मूल्यों में वृद्धि सभी क्षेत्रो में हुई है। इसी प्रकार कागज के मूल्य भी बढ़े हैं। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है और 2.30 म० प० पर पुनः समवेत होगी।

1.29 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.30 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.35 म० प०

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.35 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक स्थिति—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया द्वारा देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में 24 अप्रैल, 1989 को उठाई गई चर्चा पर आगे चर्चा करेंगे। श्री आरिफ मोहम्मद खां अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल जब मैंने यह कहा कि मुख्य समस्या साम्प्रदायिक दंगे नहीं बल्कि वह साम्प्रदायिक विचारधारा है, जो साम्प्रदायिक दंगे को जन्म देती है, जिसके कारण इस देश के विभाजन का जख्म अपना सीने पर झेलना पड़ा, जिसके

कारण शहर सूनसान हो जाते हैं, वाहनों के सुहाग लुट जाते हैं और बच्चे यतीम हो जाते हैं। चिन्ता उस साम्प्रदायिक विचारधारा के बारे में करनी चाहिए। और उस वक्त जब मैंने यह प्रश्न किया कि अगर हम इस बीमारी का उपचार चाहते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि साम्प्रदायिकता है क्या। साम्प्रदायिक दंगे मात्र लक्षण है अलामत की, उस बीमारी की, जिसका नाम है फिरकेवाराना जहनीयत। जिसका नाम साम्प्रदायिक विचारधारा है। जब मैं यह कहने जा रहा था तो माननीय सदस्य, राबर्ट्सगंज ने खड़े होकर पिछले इलाहाबाद के उपचुनाव के संदर्भ में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के ऊपर आरोप लगाते हुए साम्प्रदायिकता को परिभाषित करने की कोशिश की।...(व्यवधान)

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरा नाम लिया है। इन्होंने कहा है साम्प्रदायिक विचार और भावा क्या है।

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, मैं उन्हें बोलने का अवसर नहीं दे सकता। मेरे पास अधिक समय नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं आरोप वापिस लेता हूं, जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा। श्रीमन्, मैं यह मानता हूं कि यह साम्प्रदायिकता की समस्या बहुत गम्भीर समस्या है। पिछले दो सालों में इस सदन ने, बल्कि मैं यह कहूं कि पूरे देश ने बहुत से आर्थिक घोटालों के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की, बराबर चर्चा हुई। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं कि वह बेईमानी का पैसा किसके पास गया लेकिन अगर बेईमानी हुई, तो बोफोर्स जैसे कांड में ज्यादा से ज्यादा...

[अनुवाद]

श्री मुरलीधर माने (नासिक) : हम साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। वह बोफोर्स के बारे में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप विषय पर बोलिए। आप स्वयं को विषय तक ही सीमित रखें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मुझे विश्वास है कि यदि मैं अंग्रेजी में बोल रहा होता तो आप यह समझ जाते।

उपाध्यक्ष महोदय : आप द्वारा हिन्दी या उर्दू में बोलने पर भी समझ रहा हूं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इन सभी कांडों को मिलाकर देश को कुल घाटा 300 करोड़ या 400 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरी ओर, जब 1985 में अहमदाबाद में साम्प्रदायिक दंगे हुए तो वे लगभग तीन महीने चलते रहे। अहमदाबाद के प्रबन्ध संस्थान ने एक अध्ययन के लिए एक दल गठित किया और इस अध्ययन दल के विषय क्षेत्र के अन्तर्गत तीन महीने तक अहमदाबाद शहर में चले साम्प्रदायिक दंगे के फलस्वरूप गुजरात राज्य को हुए आर्थिक नुकसान का उन्हें जायजा लेना था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रबन्ध संस्थान का अध्ययन दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा

कि इन साम्प्रदायिक दंगों के कारण गुजरात की अर्थ-व्यवस्था को 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की हानि हुई। मैं यह बहुत स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा था कि साम्प्रदायिकता हमारे राष्ट्र, हमारी व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

[हिन्दी]

क्योंकि समय की समस्या हो रही है, इसलिए अगर आप इजाजत दें, तो मैं लौटकर हिन्दी से बात करूं। ···(**व्यवधान**)···आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन जिस भाषा को समझने में आसानी हो, मैं उसे बोलूंगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप किसी भी भाषा में बोलिए।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि मैं इस मामले को बहुत गम्भीर समझता हूं और मैं यह मानता हूं कि साम्प्रदायिकता के ऊपर चर्चा करते समय, हमें इस चुनौती का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की कोशिश करने के लिए राष्ट्रीय सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए और इसका इस्तेमाल राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप के लिए नहीं करना चाहिए लेकिन क्योंकि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम लिया गया, इसलिए इतना स्पष्टीकरण देना जरूरी है कि इलाहाबाद न जाने का फैसला मेरा अपना फैसला था और वह फैसला इसलिए था, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि चुनाव प्रचार में कुछ ऐसे लोग मौजूद थे, जिनसे साम्प्रदायिकता के प्रश्न पर मेरे गहरे मतभेद थे और हैं। ···(**व्यवधान**)···मैं अपनी बात कह रहा हूं और मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मेरे उनसे गहरे मतभेद थे और इस कारण मैं उनके साथ चुनाव प्रचार की साझीदारी नहीं करना चाहता था। ये मतभेद सार्वजनिक हुए और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक बार नहीं बल्कि दो, दो बार सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त किया और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यह घोषणा की कि चुनाव प्रचार में चाहे जो हिस्सा लेने आया हो, साम्प्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में किसी किस्म की ढील नहीं बरती जाएगी। एक तरफ श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का यह शालीन और शराफतपूर्ण रवैया और दूसरी तरफ इसकी तुलनी कीजिए उस रवैया से कि इस साम्प्रदायिकता के प्रश्न पर मैंने इस सरकार से इस्तीफा दिया और मेरे इस्तीफा देने के बाद मेरे ऊपर और मेरे घर के ऊपर एक नहीं, दो दो बार हमले कराए गए और हमला करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाए, उनको एक घंटे के अन्दर थाने में विठा कर, थाने से छोड़ दिया गया। लेकिन मैं इस विवाद को नहीं बढ़ाना चाहता हूं, मैं विषय की तरफ लौट कर आना चाहता हूं। मैं उसी के बारे में फिर इस बात को कहता हूं श्रीमन यह विषय ऐसा नहीं है। सरकार में जो साम्प्रदायिक तत्व हैं, साम्प्रदायिकता के बारे में उसकी जो नीति है, मेरा उससे सबसे ज्यादा मतभेद है। इसीलिए मैंने सब से पहले इस्तीफा दिया। लेकिन मैं उन लोगों में नहीं हूं कि मैं यह कहूं कि साम्प्रदायिकता इस सरकार ने पैदा की है। मेरी यह भी गलतफहमी नहीं है कि अगर यह सरकार बदल जाए।

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : एक प्रश्न है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं उन्हें यह अवसर नहीं दे सकता। मैं कोई विवादास्पद बात नहीं कह रहा हूं और माननीय मन्त्री मुझसे सहमत लगते हैं। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्रीमन् मैं यह बात कह रहा था ।

[अनुवाद]

श्री राम प्यारे पनिका : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : भाषण के बीच में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

[हिन्दी]

वास्तविक समस्या दंगे नहीं हैं, बल्कि वास्तविक समस्या (**व्यवधान**) सर थोड़ा मुझे बोलने दिया जाए ।

[अनुवाद]

मन्त्री महोदय ने कहा है : "मुझे कट्टरपंथी होने पर गर्व है ।" यह कार्यवाही वृत्तांत में है ।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है कि कुछ तत्व विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रचार में लगे हुए थे जो साम्प्रदायिक थे, इसीलिए मैं वहां नहीं गया, तो उससे क्या मैं यह मान लूं कि वहां साम्प्रदायिक प्रचार करने वाले लोग भी थे ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इसी सदन में कहा है ।

[अनुवाद]

श्री राम प्यारे पनिका : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : सर मुझे बोलने दिया जाए ।

[हिन्दी]

मैं बार-बार कह रहा हूं कि मैं आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता ।

[अनुवाद]

वे एक ऐसे दल का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके एक मन्त्री ने कहा है कि "मुझे अपने कट्टरपंथी होने पर गर्व है ।" आप रिकार्ड देखें तो आपको मालूम होगा कि किस मन्त्री ने ऐसा कहा है ।

[हिन्दी]

सर जैसा मैंने पहले कहा, असल समस्या साम्प्रदायिक दंगे नहीं हैं । साम्प्रदायिक दंगे केवल बीमारी का लक्षण हैं । साम्प्रदायिकता कहां पैदा होती है ? यह साम्प्रदायिकता की परिकल्पना क्या है ? मैं समझता हूं कि इस साम्प्रदायिकता की परिकल्पना वह आधारहीन बात है जहां यह कहा जाता है कि एक धर्म के मानने वाले न केवल उनकी धार्मिक शास्त्राएं बल्कि बुनियादी मफाद, भौतिक हित भी एक हैं ।

[अनुवाद]

"न केवल यह कि उनके धर्म-निरपेक्ष हित समान है अपितु उनके धर्मनिरपेक्ष हित अन्य धार्मिक समुदायों से अलग हैं। और वे अलग ही नहीं परस्पर विरोधी हैं।"

[हिन्दी]

सारी समस्या यहां से, इस प्रीजम्पशन, इस सपोजीशन से उत्पन्न होती है। समस्या यहां पैदा होती है। मेरा कहना यह है कि मैंने जो भाषण सुने, बहुत से माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की, बहुत सारे सुझाव दिए लेकिन चाहे वे सुझाव पुलिस फोर्सिज के बारे में विभिन्न सम्प्रदायों का जो प्रतिनिधित्व है उसके बारे में हो, या दूसरे बारे में हो, मैं बहुत अदब के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि जब हम यह कहते हैं कि मिक्सड फोर्स होनी चाहिए तो क्या इसका मतलब यह है कि जो हमारी फोर्सिज है उसमें रिप्रेजेन्टेशन मिक्सड नहीं है? इससे मुझे लगता है कि यह बड़ी जघन्य बात है, गम्भीर बात है।

श्रीमन मैं बुनियादी तौर पर इस बात के खिलाफ हूं कि साम्प्रदायिकता के आधार पर, किसी खास सम्प्रदाय के नाम पर कोई रिक्रूटमेंट किया जाए; किसी सेवा में भर्ती की जाए। मैं निश्चित तौर पर इसके खिलाफ हूं। लेकिन किसी को इस कारण से सेवा में भर्ती न किया जाए कि किसी का ताल्लुक किसी सम्प्रदाय से है, इसका विरोध ही नहीं, इसकी निन्दा होनी चाहिए। कोई खास फोर्स क्रियेट करने की जरूरत है। निश्चित तौर पर यदि कुछ खास परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए लेकिन उस खास फोर्स में हो सिर्फ प्रतिनिधित्व होगा तो फिर यह मान लिया जाएगा कि जो जनरल फोर्स है उसमें जो छोटे समुदाय हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, जैसे हमने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया है। बहुत नेकनीयती से सुझाव दिए गए। यह उसी तरह है जैसे बुखार का इलाज थर्मामीटर को ठण्डा करके करने की कोशिश की जाए। थर्मामीटर पर पानी डालने से बुखार नहीं जाएगा, बीमारी का इलाज करना ही होगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे कुछ और समय दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में कहें। आप पहले ही 15 मिनट ले चुके हैं। कल आपने 5 मिनट लिए थे। अतः आप कुल 20 मिनट ले चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह जो स्थिति आज पैदा हो गई है, जिस तरह हम रोजाना अखबार पढ़ते हैं, जिस तरह साम्प्रदायिक दंगों और तनावों की खबरें आती हैं, ऐसे लगता है जैसे हम एक राष्ट्र न होकर विभिन्न समूहों का महासंघ हों जहां हर समुदाय अपने लिए विशेष अधिकार प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा में दौड़ रहा है जिन अधिकारों से वह दूसरों को वंचित रखना चाहता है। हमारा संविधान कानून के समक्ष समता, समान अवसर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी भी विभेद को निषेद करता है। इसी के साथ धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित की गई है तथा धर्म, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। संविधान सभा में यह आशा व्यक्त की गई थी कि न्यायिक रूप से परिवर्तनीय ज्युडिशियल एनफोरसिएवल

राइट्स जो प्रोवाइट किए गए हैं, इनके रहते अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा हो सकेगी और राजनैतिक तथा शासकीय स्तर पर जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का भेद है, यह गुजरते हुए वक्त के साथ मिट जाएगा। इसीलिए जो हमारा संविधान बना, उसके अन्दर जो उपनिवेशी प्रावधान थे जिनसे साम्प्रदायिकता बढ़ती थी और पैदा होती थी जैसे सैपरेट इलेक्टोरेट, अलग चुनावी व्यवस्था, उनको संविधान से अलग कर दिया गया। उस वक्त जो आशा की गई थी, हमारी बदकिस्मती है कि वह आशा पूरी तरह फलीभूत नहीं हुई है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, जो यह कहूं कि स्थिति तभी से खराब हुई है, निश्चित तौर पर नहीं। हमने यकीनन उस स्थिति में सुधार किया है जो स्थिति गुलामी के दिनों में थी। लेकिन रह-रहकर यह खतरा इतने खतरनाक तरीके से अपना सिर उठाता है, कभी-कभी यह लगने लगता है कि कहीं यह खतरा हमारी पूरी व्यवस्था को खा तो नहीं जाएगा या व्यवस्था को खत्म तो नहीं कर देगा। माननीय सदस्यों द्वारा दूसरी बात कही गई है। अब सवाल यह है कि यह जो साम्प्रदायिक विचारधारा है, यह जो साम्प्रदायिकता है, इसकी जड़ में क्या है। यह सोच कि मुसलमान के हित हिन्दू या सिख या ईसाई के हितों से भिन्न है या विभिन्न समुदायों के हित भिन्न हैं, इसका कारण क्या है। क्या इसका कारण है धर्म, मजहब जिसके कारण यह अलगाव और दूरी पैदा होती है। यह सवाल और भी माननीय सदस्यों ने उठाया है। मेरा मानना है कि धर्म और साम्प्रदायिकता का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। धर्म, मजहब का उद्देश्य आदमी को इन्सान बनाना है जबकि साम्प्रदायिकता आदमी को हैवान बनाती है। धर्म दूसरे को सम्मान, दया और करुणा जैसी भावना जगाता है। साम्प्रदायिकता उसे नफरत करना सिखाती है, हिंसा के लिए उकसाती है। मजहब का मकसद क्या है :

"दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इन्सान को,
वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करों बंया।"

इसको इस प्रकार भी कहा गया है :

"कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर,
जो पर पीर न जानिए, सो काफीर बे पीर।"

संसद की एक दीवार पर लिखा हुआ है :

"वैष्णव जन ते तेने कहिए, जो पीड़ पराई जानी रे।"

मैं समझता हूं, धर्म का मकसद यही है इसलिए स्वामी विवेकानन्द ने धर्म को परिभाषित करते हुए कहा कि हर मनुष्य के अन्दर जो दैविक तत्व और भावनाएं पहले से ही मौजूद रहती हैं, उनका विकास और उनका प्रकटीकरण होना ही अपने आप में धर्म है। इसी सन्दर्भ में मैं एक उद्धरण और देना चाहूंगा। मशहूर सूफी सन्त हजरत निजामुद्दीन औलिया को उनके मुरीद ने उन्हें कैंची का तोहफा पेश किया। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उसे कैंची लौटा दी और कहा कि मियां हम जोड़ने के लिए आए हैं काटने के लिए नहीं आए हैं। हमें कैंची मत दो, हमें देना है तो सुई दो। उसके बाद उन्होंने शेर पढ़ा :

"मा वराय वसल गरदन आम देन,
न वराये वसल गरदन आम देन।"

उनके ही शिष्य हैं हजरत अमीर खुसरो, जिन्हें तूतिये हिन्द कहा जाता है। इसी दिल्ली के पास महरौली से गुजर रहे थे, वह बहुत बड़े सन्त थे। वहां के गांव वालों का जुलूस गाजे-बाजे के साथ देवी के मन्दिर में जा रहा था और उसमें शामिल कुछ लोग भक्ति से भाव-विभोर होकर मस्ती के साथ

नाच रहे थे । उनकी भक्ति का भाव देखकर हजरत अमीर खुसरो से न रुका गया और उनके साथ शामिल हो गए और नाचने लगे । अमीर खुसरो के साथ जो लोग थे उन्होंने कहा कि हुजूर यह तो मूर्ति पूजक हैं, देवी के मन्दिर में जा रहे हैं आप इनके साथ कहां शामिल हो गए । हजरत अमीर खुसरो ने कहा कि हर कौम रास्त राहे, हर दिल किबला गाहे । यानि जो भी व्यक्ति अपने धर्म के साथ आचरण करता है वह सही रास्ते पर है । इसी बात को हिन्दुस्तान की पुरानी पुस्तकों में इस तरह से कहा है कि एकतम सत वियरात सत बहु दन्ति ।

[अनुवाद]

सत्य एक है, सन्त इसे भिन्न नामों से पुकारते हैं ।

[हिन्दी]

मेरे कहने का मकसद यह है कि मजहब नफरत करना नहीं सिखाता । यह बात तब पैदा होती है जब मजहब का नाजायज इस्तेमाल किया जाए सियासी मकासित को भड़काने के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जब स्वार्थ के बाजार में राजनीतिक माल बेचने के लिए उस पर धर्म का आकर्षक लेबिल लगाया जाता है, तब वहां पर साम्प्रदायिकता फैलती है । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मुझे बोलने दीजिए, महोदय । मैं अधिकतर नहीं बोलता ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही 25 मिनट का समय ले चुके हैं । अनेक सदस्यों ने अभी बोलना है । और 3.30 बजे हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आप उनसे पूछ सकते हैं······**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह उनका काम नहीं है । 3.30 बजे हमें गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करना है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : ठीक है, महोदय । मैं केवल पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा ।

[हिन्दी]

जैसा मैंने पहले कहा साम्प्रदायिकता विचारधारा है तो फिर यह भी स्पष्ट कहना चाहिए कि किसी भी विचारधारा को ताकत के बल से नहीं दबाया जा सकता । उस विचारधारा को एक उससे ज्यादा बेहतर विचारधारा के द्वारा ही बदला जा सकता है । इसीलिए धर्म-निरपेक्षता का आदर्श हमारे संविधान निर्माताओं ने स्थापित किया था जिससे हमें साम्प्रदायिकता के जहर से, इस खतरे से मुक्ति मिल सके । साम्प्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो मैं यह कहना चाहूंगा और खासतौर से आपके माध्यम से सरकार का गौर चाहूंगा कि साम्प्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष किसी भी दूसरे संघर्ष से भिन्न है । जब हम वर्ग संघर्ष में लगते हैं तो हम वर्ग शत्रु के खिलाफ लड़ते हैं और वर्ग शत्रु हमारा सम्बन्धी, हमारा मित्र या हमारा रिश्तेदार नहीं होता । उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने में परेशानी नहीं होती । लेकिन जब हम साम्प्रदायिकता के खिलाफ लड़ते हैं तो न केवल

अपने सम्बन्धियों के खिलाफ लड़ना होगा, न केवल अपने मित्रों और नजदीकी लोगों के खिलाफ लड़ना होगा, बल्कि खुद अपनी उस सोच के खिलाफ भी लड़ना होगा जो सामाजिक घटनाओं से प्रभावित होती है और जहां अच्छे से अच्छा धर्म-निरपेक्ष व्यक्ति सामाजिक घटनाओं को देखकर उसके मन में भी यह भावना पैदा हो जाती है। इसलिए यह प्रसंग विशेष महत्व का है और इस संघर्ष में ध्यान रखना होगा कि इसमें जरा सी ढिलाई आती है तो उसका फायदा साम्प्रदायिक तत्व उठाते हैं। बाज वक्त हमें उनके आन्दोलनों से परेशान होकर वक्ती तौर पर शान्ति खरीदना चाहते हैं, उनके साथ समझौता करते हैं, वक्ती तौर पर सुकून हो जाता है। लेकिन उसका इस्तेमाल साम्प्रदायिक तत्व अपनी विश्वसनीयता और साख बढ़ाने के लिए करते हैं। मैं हाल की घटना की बात नहीं करना चाहता। इतिहास में जाइए 1916 में लखनऊ में पैक्ट हुआ था, तिलक जैसे व्यक्ति ने पैक्ट होने के बाद कहा।

3.00 म० प०

जिस समय 1916 में मुस्लिम लीग की सारी मांगें मान ली गयी थीं, लखनऊ पैक्ट हुआ था, उस वक्त यह कहा गया था कि अब भारत की साम्प्रदायिक समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो गया, लेकिन आने वाले वक्त ने यह साबित कर दिया कि वह समस्या का समाधान नहीं था बल्कि 1916 में उस दिन साम्प्रदायिकता के आधार पर इस देश के विभाजन के बीज बोये गए थे। वह समझौता विभाजन के खतरे की घण्टी थी। इसलिए समझौते कभी-कभी बहुत खतरनाक सिद्ध होते हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य में, मैं आखिरी बात यह कहूंगा, क्योंकि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद से सम्बन्धित इस चर्चा के दौरान अनेक बातें कही गयीं, माननीय इन्द्रजीत गुप्त जी ने बड़ा प्रभावी भाषण दिया, उन्होंने कहा कि इस देश में एक पार्टी यह कह रही है कि हम न्यायालय के फैसले को नहीं मानेंगे। मैं यह समझने में बिल्कुल असफल हूं कि सरकार को न्यायालय का फैसला लागू कराने में अभियुक्त की सहमति लेने की जरूरत कब से पड़ने लगी। यह काम सरकार का है कि अगर दो पक्षों के बीच कोई विवाद है तो चाहे दोनों पक्ष आपस में बैठकर, बातचीत के जरिए उसे तय करें, यदि बातचीत के जरिए तय करने में असमर्थ रहते हैं तो न्यायालय के जरिए उस विवाद का फैसला कराया जाए। न्यायालय जो फैसला करे, उसे लागू कराने की जिम्मेदारी सरकार पर है, वह इससे कैसे बच सकती है। श्रीमन्, यह कैसी अजीब बात है कि राम जन्म भूमि में अगर किसी अवतार के अवतरण की बात हो तो मैं नहीं जानता, अगर वहां दशरथ-नन्दन राम की बात है, तुलसी और बाल्मीकि के राम की बात है या कबीर और गांधी के राम की बात है, वे राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने अपने अधिकार तो क्या अयोध्या तक को छोड़ दिया था। लेकिन आज अयोध्या में जिस तरह का नाटक हो रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सारी राष्ट्रीय मर्यादाओं को तोड़ दिया जाएगा। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो इस सदन के अन्दर धर्म-निरपेक्षता की दुहाई देते हैं, कभी स्वतन्त्रता दिवस के बाईकाट का आह्वान करते हैं। कभी अयोध्या मार्च का आह्वान करते हैं। श्रीमन्, सबसे अजीब बात यह है कि जिस दिन वे काल देते हैं, उससे एक दिन पहले काल को वापस ले लेते हैं। उनकी काल तो वापस हो जाती है लेकिन इस बीच में जो तनाव या नफरत पैदा होती है, वह वापस नहीं होती। एक मौका भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि काल दी गयी हो और उसके बाद किसी न किसी शहर में दंगे न भड़क उठे हों, चाहे वह 15 अगस्त के बाईकाट की काल थी या कोई और। मैं मानता हूं दोनों कॉल्स को वापस लिया गया लेकिन दोनों कॉल्स के बाद मुख्तलिफ शहरों में दंगे हुए और भयंकर दंगे हुए। श्रीमन्, यह चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है कि अगर यह कोई धार्मिक मामला है, जिस दिन से यह विवाद शुरू हुआ है, चाहे बाराबंकी हो, मुजफ्फरनगर हो, अलीगढ़ हो,

फैजाबाद हो, या वे शहर हों, जहां हाल में साम्प्रदायिक हिंसा हुई है, उसके बाद न जाने कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं, यदि यह कोई धार्मिक विवाद है तो राम जन्मभूमि समिति या बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का कोई लीडर क्या आज तक वीरगति को प्राप्त होता सुना गया। क्या स्वर्ग पाने का अधिकार, कुरबानी देने का अधिकार, सिर्फ रिक्षा-तांगे वालों का ही है, क्या गरीब और मजदूर लोग ही इसमें कुरबानी देने के लिए हैं। यदि यह धार्मिक मामला है तो दोनों पक्षों के जितने नेता हैं, उन्हें आगे आकर, स्वर्ग पाने की कोशिश करनी चाहिए। आज वे पीछे क्यों हैं और गरीब तथा कमजोर लोग ही मारे जाते हैं। (**व्यवधान**)

मैं उस वक्त सरकार में था जब यह विवाद शुरू हुआ था, इसलिए ऐसी बात मत कहिए, वरना मैं बता दूंगा कि कैसे शुरू हुआ और उससे क्या फायदा हुआ।

3.05 म० प०

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : किसने ताला खोला, क्यों ताला खोला, क्या वह नहीं बताएंगे ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : किसने ताला खोला, श्रीमन्, मैं एक मिनट का वक्त लेना चाहता हूं। मैं एक बात जानता हूं कि शायद 49 या 50 में जब पहली बार मस्जिद में ताला लगा और जिस रात उस विवाद स्थल पर मूर्तियां मिली हैं और अगले दिन ताला लगा है, उसके बाद उस डिवीजन के कमिश्नर को पं० जवाहर लाल नेहरू जी, उस वक्त प्रधान मन्त्री थे, उन्होंने उसको 24 घण्टे के अन्दर मुअत्तिल किया और शायद महीने या डेढ़ महीने के अन्दर उसको सर्विस से अलग कर दिया गया। इस बार जो ताला खुला, कोर्ट के आर्डर से खुला, कोर्ट का आर्डर क्यों आया, क्योंकि जिला अधिकारी ने जो अफेडेविट दिया, पुलिस ने जो अफेडेविट दिया, उसमें कहा गया था कि ताला खुलने के बाद यहां पर शांति और व्यवस्था भंग होने का कोई खतरा नहीं है। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, इसलिए कि पीछे से सवाल करने वाले, इत्तिफाक से आजकल दोस्ती बहुत है, मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं कि कभी यह पूछा कि वे अफेडेविट देने वाले अधिकारी कौन थे, क्या उनसे आज तक कोई पूछताछ की गई कि उन्होंने यह अफेडेविट क्यों दिया ? अगर इस बात की जानकारी कर ली जाए, तो मैं समझता हूं कि सारे रहस्यों की गुत्थी खुल जाएगी। (**व्यवधान**)

मेरा पहला सुझाव यह है—मैं बहुत विनम्र निवेदन कर रहा हूं सरकार से, श्रीमन् आरोप की बात नहीं है, इस देश के संविधान बनाने वालों ने साम्प्रदायिकता के खतरे को 1946 में ही महसूस कर लिया था। फरवरी, 1946 में संविधान द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें राजनीति और धर्म को अलग करने के लिए कहा गया और जब मैं धर्म की बात कह रहा हूं, तो मैं सिर्फ उस धर्म की बात कर रहा हूं, जो धर्म का दुरुपयोग है, राजनीति उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, उनको अलग करने के लिए, संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया। मैं समझता हूं कि आज इसकी जरूरत है, सरकार की तरफ से आह्वान होना चाहिए, उस प्रस्ताव पर एक बार फिर न केवल इस सदन में, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होनी चाहिए। हम श्रीमन्, भागकर साउथ अफ्रीका जाते हैं और बिलकुल सही जाते हैं, रंगभेद की नीति के खिलाफ और दुनिया में जनमत बनाते हैं। अगर हम रंगभेद की नीति के खिलाफ हैं, तो धर्म के आधार पर जो विभेद होता है, उसके खिलाफ हमें अपने यहां कार्यवाही करनी चाहिए। इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए कि धर्म के आधार पर मासूमों की जान जाए, औरतें बेवा बनें, बच्चे यतीम हों। इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर हम अपार्थहीड के खिलाफ लड़ रहे हैं और वहां पर हम इकनौमिक सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, आर्थिक प्रतिबन्ध की बात कर रहे हैं, तो यहां पर साम्प्रदायिक

शक्तियों के खिलाफ, राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिबन्ध लगाने चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रधान मन्त्री जी ने अपने भाषण में राजनीति और धर्म को अलग करने की बात कही है। अगर वाकई सरकार चाहती है कि इस पर कोई कार्यवाही हो, तो आप राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा कराईए। उसके बाद आप कदम उठाएंगे तो आपको पूरे देश में उसके लिए समर्थन भी मिलेगा।

मेरा अगला सजैश्चन यह है कि धर्म या जाति के नाम पर जो राजनीतिक दल काम कर रहे हैं और खासतौर से जब आपने रिप्रजैंटेटिव पीपुल्स एक्ट में अमेंडमेंट किया है। यकीनन बम्बई के वे जज काबिले तारीफ और काबिले मुबारकबाद हैं जिन्होंने अभी यह फैसला किया है कि उन पार्टियों पर पाबन्धी लगनी चाहिए और जब तक उन पर पाबन्दी न लगे, तब तक सरकारी पक्ष और विपक्ष की सारी पार्टियां, जो राष्ट्रीय पार्टियां होने की बात करती हैं, उनके बीच में सहमति होनी चाहिए कि चाहे जो साम्प्रदायिक राजनीतिक दल हो, हम उसके साथ किसी किस्म का चुनावी तालमेल नहीं करेंगे, कोई राजनीतिक सम्बन्ध उनके साथ नहीं रखेंगे। यह तो लांगटर्म सजैश्चन हैं···(**व्यवधान**) मेरा आखिरी सुझाव यह है कि दंगों के बीच मरने वाले लोग, जिनका नुकसान होता है, वे कोई दैविक विपदा का शिकार नहीं हैं, क्या आप उनके लिए राहत का इन्तजाम करेंगे ? यह उन्हीं के खिलाफ अपराध नहीं है, यह राष्ट्र के खिलाफ अपराध होता है, उनका जितना नुकसान होता है, उसकी पूर्ति सरकार को करनी चाहिए, चाहे आप अपने कोष से करें, चाहे दंगाग्रस्त इलाकों में जो प्यूनिटिव टैक्स होता है, जो दंड के तौर पर टैक्स लगाया जाता है, वह लगाकर करें लेकिन उनकी क्षतिपूर्ति का इन्तजाम आप करें। इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में राष्ट्र के अन्दर हो रही साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा हो रही है और खासतौर पर ऐसे अवसर पर जबकि पूरा देश अपने देश की दो महान हस्तियों, राष्ट्र निर्माता और राष्ट्रनायक पं० जवाहर लाल नेहरू और राष्ट्र की एकता और सद्भावना के प्रतीक मौलाना अब्बुल कलाम आजाद की जन्म शताब्दी मना रहा हो, उस समय सदन में इस गंभीर राष्ट्रीय मसले पर चर्चा होना अपने आप में एक अहमियत रखता है।

हमारे देश के निर्माताओं ने, और आज के आधुनिक भारत के निर्माताओं ने देश की आजादी के साथ ही जो देश में लोकतंत्र की बुनियाद रखी, उसमें धर्म-निरपेक्षता और समाजवाद जैसे महान आदर्श और सिद्धान्त की आधारशिला रखी, जिसके आधार पर धर्मनिरपेक्ष आजाद भारत मजबूती से दुनियां में अपना दृष्टिकोण अपनाए हुए है। पं० जवाहर लाल नेहरू ने आज से 41 साल पहले इसी सदन में साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा करते हुए स्पष्ट रूप से अपना विचार रखा था कि धर्म को राजनीति से अलग रखना हमारे राष्ट्र के लिए नितान्त आवश्यक है। जब धर्म राजनीति से जुड़ जाता है या धर्म का राजनीतिक स्वार्थों के लिए गठबन्धन या गठजोड़ कर लिया जाता है तो उससे एक विस्फोटक मिश्रण तैयार हो जाता है और उससे देश की एकता और अखंडता पर आंच आती है। आज हम देखते हैं कि 40-41 वर्षों के बाद उनके विचार और दृष्टिकोण तथा दूरदर्शिता उतनी ही सामयिक और उतनी ही जरूरी हमारे देश में बनी हुई हैं जिसके ऊपर आज सदन में हमारे सभी साथी पक्ष और विपक्ष के सभी विचार कर रहे हैं।

धर्म निरपेक्षता के मायने सर्वधर्म समभाव है और हमारे संविधान के निर्माताओं ने, आधुनिक आजाद हिन्दुस्तान के बनाने वाले रहनुमाओं के समभाव की भावनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के रूप में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्तों को हमारे संविधान में रखा। सर्वधर्म समभाव की बात आज से नहीं, हजारों वर्षों से से चली आ रही है और भारतवर्ष में सभी धर्मों के अनुयायी और अपनाने वाले

लोग अपनी-अपनी भावनाओं और श्रद्धा के अनुसार अपने धर्म का पालन करते हैं और उसके अनुसार अपने समाज और राष्ट्र को एकता के सूत्र में ढालने का प्रयास करते हैं।

इन्हीं सब बातों के बीच में कुछ ऐसी शक्तियां, कुछ ऐसी पार्टियां, जो धर्म की आड़ लेकर साम्प्रदायिक भावना और विचारधारा के जरिए देश में एक ऐसा गन्दा वातावरण बनाकर अपने राजनीतिक स्वार्थों को हल करने की कोशिश करती हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाना जरूरी है। इन्हीं के कारण देश में समय-समय पर कठिनाइयां आई हैं, दंगे हुए हैं और हजारों लोगों का नुकसान हुआ है, जान-माल का नुकसान तो हुआ ही है पर एक सबसे बड़ी बात, जो साम्प्रदायिक सद्भावना हमारे राष्ट्र के अन्दर इन 40-41 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से देश के विभिन्न अंचलों में पहुंची है, उसको नुकसान पहुंचाने का एक असफल प्रयास समय-समय पर किया गया है।

हम यह गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, पं० जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री और हमारी राष्ट्रीय मां इंदिरा गांधी ने समय-समय पर ऐसी साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ तेजी से राष्ट्र को जागृत किया, और अपने प्रयासों के माध्यम से ऐसे तत्वों को कुचलने में पूरा-पूरा प्रयास करते हैं। जब भी किसी क्षेत्र या किसी प्रान्त में साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं या साम्प्रदायिकता की आड़ लेकर अपने राजनीतिक स्वार्थों को हल करने का किन्हीं ने प्रयास किया है तभी हमारे राष्ट्र की सद्भावना और राष्ट्र की एकता की आंच आई है। हमने यह भी देखा है कि वह लोग जो सदन के अन्दर बढ़-चढ़ कर बातें कर रहे हैं और खुद साम्प्रदायिक होने के बावजूद भी अपनी इस बात को स्वीकार नहीं करते। कहीं वह हिन्दू महासभा के नाम से, कहीं वह विश्व हिन्दू परिषद के नाम पर, कहीं वह शिव सेना के नाम से इस काम में जुटे हुए हैं और उससे अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यदि हम पुरानी भारतीय जनसंघ पार्टी कहें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके मुंह से साम्प्रदायिक सद्भावना की बात या साम्प्रदायिकता के खिलाफ सुझाव हास्यास्पद लगते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हत्या से जिनके हाथ रंग हुए हों और आज जिस तरह से वह देश में धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं और देश को मजबूत बनाने के लिए एक साम्प्रदायिक सद्भावना बनाने की वह जो बातें करते हैं वहां वे एक प्रकार से साम्प्रदायिक सद्भावना की पीठ में छुरा भोंकते हैं। जहां इन्होंने हमेशा साम्प्रदायिक शक्तियों से तालमेल करके और गठजोड़ बनाकर देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास किया हो वहां उनके मुंह से यह बात···(**व्यवधान**)···

श्री० सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : यह बातें बाहर जाकर कहो। इसे सदन के अन्दर ही क्यों कहते हो। महात्मा गांधी जी की आप लोगों ने हत्या करायी थी···(**व्यवधान**)

श्री प्रताप भानु शर्मा : आप क्या राष्ट्र की बात करेंगे। आप तो हिन्दू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : आप ऐसी गलत बातें क्यों कर रहे हैं। 40 साल की आजादी के बाद भी ऐसी बातें करनी अच्छी नहीं लगती हैं।

श्री प्रताप भानु शर्मा : आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आप राजनीतिक स्वार्थों के लिए हिन्दू भावना को भड़काते हैं और देश में एक विस्फोटक स्थिति पैदा करते हैं। जंगा रेड्डी जैसे लोगों को देश की जनता ने तिरस्कृत कर दिया है। भारत की जनता ने यह फैसला किया है कि एक मजबूत राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष भारत हो सकता है और एक सैकुलर राष्ट्र ही मजबूत राष्ट्र हो सकता है। जैसे

भारत में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग मान-सम्मान के साथ रह सकते हैं और अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। आज हमें स्वार्थी राजनीतिक गठजोड़ों से सावधान रहने की आवश्यकता है···
(व्यवधान)

महात्मा गांधी के हत्यारों की इनकी जमायत है। ऐसी जमायत का समर्थन करके यह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि ऐसी साम्प्रदायिक राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए—चाहे वह जमायते इस्लामी हो, चाहे आर० एस० एस० हो, चाहे बी० जे० पी० हो या चाहे दूसरे साम्प्रदायिक दल हों। राष्ट्र की राजनीति में इनका कोई स्थान नहीं है और राष्ट्र की राजनीति में आने के लिए इनको कोई महत्व नहीं मिलना चाहिए।

हम यह भी देख रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय राजीव गांधी जी ने पिछले चार-साढ़े चार सालों में इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया है और देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए काम किया है। जो मुद्दे और जो विचारधारायें हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने इस हिन्दुस्तान के निर्माण के लिए दी थीं राजीव गांधी जी ने हैंडर्ड परसेंट उन विचारधाराओं को लागू किया है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे नेता ने देश की एकता और अखण्डता में व देश में साम्प्रदायिक सद्भावना को मजबूत बनाने में जो मेहनत की है, जो योजनायें दी हैं उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। एक तरफ वह लोग हैं जिन्होंने चार-साढ़े चार साल कोई काम नहीं किया है, जनता के दुख-दर्दों में नहीं गए, राष्ट्र की एकता और अखण्डता में कोई सहयोग नहीं दिया और आज कहीं हिन्दू सम्मेलन के नाम से, कहीं बाबरी मस्जिद के नाम से, कहीं रामजन्म भूमि का नारा देकर जनता की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं, उनके सैण्टीमैण्ट्स को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ऐसे तत्वों से सावधान होना पड़ेगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राम जन्म भूमि की जो बात शुरू की है, जो पुराने गड़े हुए मुद्दों को उखाड़ा है, वह ऐसी ही साम्प्रदायिक ताकतों ने उखाड़ा है। पूरा भारतवर्ष भगवान राम की जन्म भूमि है और भारत में महात्मा गांधी, गुरू नानक देव, भगवान महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध जैसी हस्तियां हुईं जिन्होंने दुनियां को, दूसरे धर्म के लोगों को चिन्तन दिया, आदर्श दिए और पूरे समाज को एक नई दिशा दी, ऐसी महान हस्तियों का देश भारतवर्ष है।

अन्त में मैं एक बहुत ही ज्वलन्त मुद्दे की ओर होम मिनिस्टर साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आजादी से लेकर अब तक करीब 200 ऐसे प्रमुख दंगे हुए हैं, जिन्हें गृह मंत्रालय ने साम्प्रदायिक दंगे के रूप में समझा है या जिनको रीकग्नाइज किया है और उन दंगों के बाद उनको शान्त करने के लिए, उनमें प्रभावित लोगों की राहत देने के लिए भारत सरकार ने और हमारे विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों ने बहुत मेहनत की है और एक साम्प्रदायिक सद्भावना उन क्षेत्रों में स्थापित की है, जो दंगे से प्रभावित ने। मैं चाहूंगा कि भारतवर्ष में इन स्थानों का गहराई से अध्ययन किया जाए और राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बने और उन दंगों के कारणों की जांच करे। दंगों में जाकर आग बुझाना या फायर ब्रिगेड का काम करना सरकार का मकसद नहीं होना चाहिए, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि उस दंगे के पीछे कारण क्या है, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, धार्मिक कारण है या राजनैतिक स्वार्थ उसके पीछे काम कर रहे हैं, उनका विश्लेषण करके, उनका अध्ययन करके पूरे राष्ट्र की ऐसी नीति तैयार होनी चाहिए कि भारतवर्ष के उन क्षेत्रों में, उन नाजुक इलाकों में दोबारा कभी दंगे न हो सकें और इतने अधिकार वहां के प्रशासन को, वहां के राजनेताओं को, वहां के समाजसेवी लोगों को दिए जाने चाहिए कि इन दंगों

पर कड़ाई से प्रतिबन्ध लगाया जा सके और साम्प्रदायिक सद्भावना का वातावरण वहां पर पैदा किया जा सके।

अन्त में मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का ध्यान उस तथ्य की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक शीघ्र बुलाने की बात की है, यह एक बहुत सूझ-बूझ भरी पहल है और इस पहल का पूरे हृदय से स्वागत किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय एकता परिषद् राष्ट्र की अनेकता को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक ऐसी राष्ट्रव्यापी मजबूत संस्था है जिसके विचारों का फायदा और जिसका संदेश देश के कोने-कोने तक पहुंचेगा, देश के हर वर्ग तक पहुंचेगा, देश के हर प्रान्त तक पहुंचेगा क्योंकि भारतवर्ष अनेक धर्मों का देश है, अनेक धर्मों से जुड़ी हुई अनेक संस्कृतियों का देश है और अनेकता में एकता हमारे भारतवर्ष का चरित्र है और इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से, आदरणीय राजीव जी के नेतृत्व के माध्यम से हम इसको एकता के सूत्र में बांध कर रख सकते हैं। सी० पी० आई० के आदरणीय गुप्ता जी ने बहुत अच्छे विचार दिए, उनकी हम प्रशंसा करना चाहेंगे और हम अपेक्षा रखते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों पर, धर्मनिरपेक्षता के मुद्दों पर समाजवाद के मुद्दों पर, धार्मिक सद्भावना के मुद्दों पर, राष्ट्रीय एकता के मुद्दों पर हमारी सभी सैकुलर फोर्सेज एक होकर हम लोगों को सहयोग करेंगी, राष्ट्र के प्रधान मंत्री आदरणीय राजीव गांधी को सहयोग करेंगी।

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, साम्प्रदायिक स्थिति के सम्बन्ध में वार्ता चल रही है। अभी आरिफ मोहम्मद साहब कुछ बोल रहे थे, वह चले गए। मैं अनेक नेता को एक शेर प्रजेण्ट करना चाहता हूं :

"लिबासे रहबरी में यों चलेगी रहजनी कब तक,
दगा देती रहेगी दोस्ती को दुश्मनी कब तक।"

यह तो एक उर्दू का एक शेर हुआ। मैं हिन्दी में उनको एक सुना देना चाहता हूं, उनके नेता के लिए। दिनकर जी का एक संदर्भ है :

"आनन सरल वचन मधुमय है, तन पर शुभ्र बसन है,
बचो युधिष्ठिर, इस नागिन का विष से भरा बदन है।"

दांवपेच में जो बहुत कुशल लोग हैं, तबदील करके एक ऐसी ऊंचाई पर सप्तम-सुर में बोलना शुरू करते हैं। लेकिन जो सत्य है, उसको अपनी आवाज की करकशता में डुबा देना चाहते हैं। सच्चाई छुपती है नहीं कभी, चाहे बनावट के उसुलों से या गांधी जी के उन उसुलों से :

[अनुवाद]

"यदि विश्व सत्य के विरुद्ध चलेगा तो मैं विश्व के विरुद्ध चलूंगा।"

[हिन्दी]

एक प्रसंग था जामिया-मिलिया विश्वविद्यालय में, जो कि हुबलेवतनी के प्रतीक के रूप में थे, वहां भी पहले हिन्दू विद्यार्थी पढ़ते थे। मैं आपको एक प्रसंग आनन्दशंकर माधोन का बता देना चाहता हूं, जो बिहार में ही बस गए और वहां विद्यापीठ चला रहे हैं। उन्होंने एक संस्मरण सुनाया, जब मैं विद्यार्थी था, तो मैं महात्मा गांधी के पास गया। उन्होंने कहा—वहां तो बहुत से मुसलमान विद्यार्थी हैं और तुम लोग भी हो। मुसलमान विद्यार्थी लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा—बापू, कुछ

मुसलमान तो आपकी बड़ी आलोचना करते हैं। गांधी जी ने पूछा—तुम्हें कैसा लगता है, जब वे हमारी आलोचना करते हैं ? उन्होंने कहा—मुझे बड़ा बुरा लगता है। फिर गांधी जी ने कहा—यही है साम्प्रदायिकता और यही है कम्यूनलिज्म। किसी को कुछ कहने का और अपने सैन्टीमैंट्स को व्यक्त करने का अधिकार है। भला तुम्हें क्यों बुरा लगता है। इसलिए कि तुम हिन्दू हो, इसलिए तुम्हें इन भावनाओं से चोट लगी है। इसी को साम्प्रक्षयिकता कहते हैं। इस तरह की साम्प्रदायिक भावनाओं में बहना नहीं चाहिए। गांधी जी ने साम्प्रदायिकता को सूक्ष्म ढंग से माननीय मूल्यों की स्थापना की दृष्टि से, जितनी सूक्षमता से उसका अध्ययन किया था, उतना शायद किसी ने उसका अध्ययन नहीं किया है। अभी आरिफ मोहम्मद जी बड़ी लम्बी चौड़ी बात कर रहे थे। कल ही हमारे नेता, राजीव गांधी जी, ने कहा, इतनी बात शायद किसी देश के नेता ने कहने की हिम्मत नहीं की होगी। उन्होंने कहा—

"एन इंडिया हू इज ए कम्यूनल हैज नो राईट टू सरवाईब।"
"भारत को टिके रहने का कोई अधिकार नहीं है जो साम्प्रदायिक भारत हो।"

हिन्दुस्तान को अगर साम्प्रदायिक होना ही था, तो वह जमाना टल गया। उपाध्यक्ष महोदय, भारत में साम्प्रदायिक तनाव नहीं है। आज हिन्दुस्तान में हिन्दू-मुसलमान—सिक्ख-ईसाई सभी लोग रहते हैं। किसी भी प्रकार से, किसी भी क्षण और किसी भी स्तर पर वे साम्प्रदायिक दंगों के लिए तैयार नहीं हैं। मानसिकता काफी ऊंची हो गई है, लेकिन राजनीतिक कुण्ठा और दांव-पेंज तथा पराजित शक्तियां प्रतिशोध की भावना से तड़पने लगती हैं, जिसको फासिज्म कहते हैं, प्रतिशोध की भावना से जिसका तारतम्य है, जब वे अपनी सफलताओं और विफलताओं पर तड़पने लगती हैं, तो ये साम्प्रदायिकता, धार्मिकता और रीजनलिज्म व भासायी कटुताओं का आधार लेती हैं। आजादी की पूर्व संध्या पर साम्प्रदायिकता तो एक बार उठी, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने उस वक्त साम्प्रदायिकता का जहर घोल दिया था, विष को मन में उतार दिया था, इसलिए साम्प्रदायिक दंगे हुए और नतीजा यह हुआ कि भारत बंट गया। उसके बाद हिन्दुस्तान के अन्दर हजारों बार साम्प्रदायिक दंगे हुए, हिन्दू और मुसलमान आपस में लड़े, लेकिन कहीं पर भी साम्प्रदायिक चीज नहीं बढ़ी। कन्टीन्यू नहीं की, क्यों नहीं की ? क्योंकि साम्प्रदायिकता के लिए कोई तैयार नहीं है। आज हिन्दू और मुसलमान उन साम्प्रदायिक संकीर्णताओं से ऊपर उठ गया है। मैं लम्बी-चौड़ी बात कहने वालों से कहना चाहता हूं कि बाबर ने हुमाऊं को लिखा था—खुदा ही रहमत है तुम्हारे ऊपर कि तुमको हिन्दूओं के देश में हिन्दुस्तान की ऊंची कुर्सी मिली है। तुम्हारे हाथ से ऐसी कोई हरकत नहीं चाहिए जिससे अवसरियत का दिल दुखता हो। मुगलिया सल्तनत के अन्दर बड़ी उदार विचारधारा के लोग थे। इसलिए यह बाबरी मस्जिद और राम-जन्म भूमि के बारे में विवाद पैदा करना एक बड़ी विश्वासघातक चीज होगी। रांची में, हजारीबाग में, अहमदाबाद और हैदराबाद में जो भी दंगे हो रहे हैं, जो भी दंगे हुए, यह कोई नेशनल मुद्दा नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर दंगे नहीं किए गए, लेकिन इस बाबरी मस्जिद और रामजन्म भूमि को एक राष्ट्रीय इशू बनाया जा रहा है। दंगे और साम्प्रदायिकता का जहर ऐसे विषाक्त वातावरण का भण्डार बनता जा रहा है, जिसको समूल नष्ट करने की आवश्यकता है। इसको कभी भी हल्के ढंग से लेने की जरूरत नहीं है। मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में अगर कहीं दंगे हो रहे हैं, तो उनसे वहां की पुलिस और वहां के हिन्दू और मुसलमान आपस में मिलकर निपट लेंगे लेकिन यह जो बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि का मसला है, यह एक भयंकर विवाद का विषय बन रहा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण सोमवार को जारी रख सकते हैं। अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार करेंगे।

3.30½ म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

66वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राम अवध प्रसाद (बस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 3 मई, 1989 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 66वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

"कि यह सभा 3 मई, 1989 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 66वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.31 म० प०

वृद्धावस्था पेंशन विधेयक*

श्री एस० एम० गुरड्डी (बीजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ व्यक्तियों को पेंशन का संदाय तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन का संदाय तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस० एम० गुरड्डी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.31½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 340 का संशोधन)

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

*दिनांक 5-5-89 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

3.32 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 51क का संशोधन)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री शांताराम नायक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

3.32½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नए अनुच्छेद 347 क का अन्तःस्थापन)

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

---

*दिनांक 5-5-89 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित ।

3.33 म० प०

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक*

(धारा 323 का संशोधन)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दंड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री शांताराम नायक : मैं विधेयक पुनःस्थापित करता हूं ।

3.33½ म० प०

उचित दर दुकान (विनियमन) विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री जी० एस० बासवराजु द्वारा 21 अप्रैल, 1989 को प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे अर्थात् :

"कि उचित दर दुकानों के कार्यकरण को विनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित मामलों के विधेयक पर विचार किया जाए ।"

श्री सैयद शाहबुद्दीन :

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : आध्यक्ष महोदय, हमारे समक्ष विधेयक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण के विनियमन हेतु एक प्रणाली का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है ।

3.35 म० प०

(श्री एन० वेंकट रत्नम पीठासीन हुए)

महोदय, आज भी सरकार नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर नियन्त्रण तथा विनियमन किया जाता है । मूल अन्तर यह है कि इस विधेयक में एक केन्द्रीय बोर्ड के सृजन अथवा स्थापना की मांग की गई है जिससे राज्य बोर्ड न केवल खाद्यान्नों की खरीद के लिए बल्कि वितरण के विनियमन तथा उनकी कीमतों के निर्धारण आदि प्रयोजनों के लिए सम्बद्ध होंगे । मैं इस विधेयक के उद्देश्य से पूर्णतः सहमत हूं । पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण के प्रति असंतोष है । कभी-कभी सप्लाई बहुत कम और अपर्याप्त होती है, कभी-कभी उसकी गुणवत्ता आवेक्षित नहीं होती है तथा कभी-कभी अनियमित सप्लाई होती है । कभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं तो किसी समय उपलब्ध नहीं होती हैं । वहां ये कठिनाइयां हैं । परन्तु स्पष्ट रूप से मेरी समझ में नहीं

---

*दिनाक 5-5-89 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित ।

आता कि सरकारी विभाग के स्थान पर केन्द्रीय स्तर या राज्य स्तर पर एक बोर्ड बना दिए जाने से ये कठिनाइयां किस प्रकार दूर होंगी। उनका हमेशा निरीक्षण होती है। आखिरकार केन्द्रीय सरकार उपफोक्ताओं की शिकायतों तथा सप्लाई या मूल्य नीति सम्बन्धी कठिनाइयों की जांच कर सकती है तथा मैं समझता हूं कि जब उन्हें जनता की शिकायतें मिलेंगी तो वे उनकी उपेक्षा नहीं करेंगे, वे उन पर गौर करेंगे और स्थिति को यथा सम्भव सुधारने का प्रयास करेंगे।

इसलिए यह मेरी समझ के बाहर है कि इस भारी ढांचे को बराबर कौन-सा उद्देश्य पूरा होगा। मैं चाहता हूं कि प्रणाली को विकेन्द्रित कर दिया जाए, मैं सरकार के समक्ष उसके विचार हेतु यह विचार प्रस्तुत करता हूं कि हमें वितरण प्रणाली को विकेन्द्रित कर देना चाहिए तथा स्थानीय उचित दर की दुकान पर स्थानीय तथा सामाजिक नियन्त्रण स्थापित करना चाहिए। जहां तक ग्रामीण इलाकों का सम्बन्ध है, उचित दर की दुकान पर ग्राम पंचायत का नियन्त्रण होना चाहिए। वास्तव में प्रत्येक ग्राम पंचायत की यह कानूनी जिम्मेदारी बनाई जानी चाहिए कि वह जहां कहीं भी आवश्यक हो, एक या अधिक उचित दर की दुकान खोले। इसी प्रकार कस्बों और शहरी इलाकों में बार्ड समिति या बार्ड आयुक्तों के बीच कुछ सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए तथा उन्हें वितरण प्रणाली की देख-रेख हेतु कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए। मेरे विचार से सार्वजनिक वितरण की दुकानों को जनता के नजदीक लाया जाना चाहिए ताकि वे उनकी देख-रेख व नियंत्रण में चल सकें। हम तभी इस सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में सुधार की आशा कर सकते हैं, दिल्ली या राज्य की राजधानियों जैसे पटना में नया बोर्ड बनाकर ऐसा करना सम्भव नहीं है।

यह मेरी बुनियादी आलोचना है। मैं प्रणाली की दिक्कतों के, जो विद्यमान हैं, बारे में प्रश्न नहीं कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि वे सरकार को मालूम हैं तथा मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय हमें बताएंगे कि वह इस कमी का किस प्रकार मुकाबला करने का प्रयास कर रहे हैं और वितरण प्रणाली को सुधारने का क्या प्रयास कर रहे हैं। परन्तु इन कमियों को, जो मुझे मालूम हैं, प्रणाली को केन्द्रित करके नहीं सुधारा जा सकता। उन्हें प्रणाली को विकेन्द्रित करके सुधारा जा सकता है। मेरा मन्त्री महोदय से, जिन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है, अनुरोध है कि इस पर पुनः विचार करें कि प्रणाली को किस प्रकार विकेन्द्रित किया जाए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किस प्रकार स्थानीय और सामाजिक नियंत्रण के अधीन रखा जाए।

जिस दूसरे पहलू को ध्यान में रखा जाए वह यह है कि आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जनता की उपभोग सम्बन्धी आवश्यकताओं का केवल 10 प्रतिशत सप्लाई किया जाता है, यही स्थिति खाद्यान्नों के सम्बन्ध में है। कपड़ा और जन उपभोग की अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में सप्लाई अब भी कम होती है। परन्तु हमें खाद्यान्नों की, 10 प्रतिशत, सप्लाई के बारे में सोचना चाहिए। इस देश में 90 प्रतिशत खाद्यान्न अभी भी निजी खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से बेचे और खरीदे जाते हैं। कभी-कभी मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सरकार और खुदरा विक्रेता की तुलना क्यों की जाती है। खुदरा विक्रेता की कोई विशेष भूमिका नहीं है। खुदरा विक्रेता जनता का शोषण नहीं कर सकते। वह माल का संचय नहीं कर सकता। उसके पास आधारभूत ढांचा नहीं होता है। वह लघु सीमांत लाभ पर निर्भर रहता है यदि उसे एक रुपए में से दस पैसे मिलते हैं तो उसे बड़ी खुशी होती है। इससे अधिक कुछ नहीं मिलता है। वह मुनाफा खोर नहीं है। वह जमाखोर नहीं है। वह जनता का दुश्मन नहीं है, वह उनका दुश्मन नहीं है जिनसे हमें लड़ना चाहिए और उन्हें परास्त करना चाहिए। जनता के असली दुश्मन जमाखोर, मुनाफाखोर और थोक विक्रेता हैं। थोक विक्रेता के पास धन और संसाधन हैं, उसके

पास शक्ति है और उसका उस संगठन से सम्बन्ध है जिसके द्वारा उसे कमी का पता लग जाता है तथा वह पहले से व्यवस्था कर लेता है और खाद्यान्नों तथा जन उपभोग की वस्तुओं को सस्ती खरीद कर संचय कर लेता है और तब तक रखता है जब तक कि कमी नहीं हो जाती है, वह कृत्रिम रूप से कमी पैदा करके भी जनता का शोषण करता है। यह वास्तव में राजनैतिक रूप से आश्चर्यजनक बात है कि देश के सभी राजनैतिक दल खुदरा विक्रेता को ही दोषी ठहराते हैं परन्तु थोक विक्रेता को कोई दोषी नहीं ठहराता है।

सामान्यतः यह मेरी समझ में नहीं आता है। जब तक थोक विक्रेता पर नियंत्रण नहीं तब तक मूल्य कम करना कठिन है। थोक विक्रेता के समान्तर व्यवस्था कायम की जानी चाहिए। थोक विक्रेता द्वारा मूल्य बढ़ाने और संचय करने की स्थिति में उस पर नियंत्रण रखने के लिए किसी सामाजिक या सरकारी एजेंसी को खुदरा विक्रेता को सप्लाई करनी चाहिए ताकि दाम कम किए जा सकें। यदि थोक विक्रेता मूल्य बढ़ाकर खुदरा विक्रेता को अधिक मूल्य में बेचता है तो खुदरा विक्रेता को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है।

हमें व्यापक दृष्टिकोण से इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या है। खुदरा व्यापार से अधिकतम स्वरोजगार मिलता है। हमें इन छोटी-छोटी तथा खुदरा दूकानों की जो लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तथा समाज में स्व-रोजगार देने में सहायता देती हैं, अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक दूकान का एक मालिक होता है। वह स्वयं श्रमिक है, वह अपने हाथों से कार्य करता है और वह किसी का भी शोषण नहीं करता है। मेरे विचार से खुदरा व्यापारी समाज की समाजवादी विचारधारा में बिल्कुल ठीक बैठता है, वह किसी पर भी निर्भर नहीं हैं, यहां तक कि श्रमिक पर भी नहीं, वह अपने कार्य में अपने लड़के को भी लगाये हुए है। मुझे विश्वास है कि समाजवादी व्यवस्था में भी यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाती है। इसलिए यदि हम इस विधेयक के द्वारा सार्वजनिक विवरण प्रणाली में सुधार करना, खुदरा व्यापारियों को समाप्त करना तथा उचित दर की दूकानों द्वारा जनता को सप्लाई करना चाहते हैं तो इसे इस बोर्ड अर्थात राज्य बोर्ड या केन्द्रीय बोर्ड द्वारा संचालित करना पड़ेगा, यह दूसरी बात है कि हमें सफलता मिले या न मिले। यदि हमें सफलता मिल गयी तो हमें क्या मिला ? हमने सिर्फ निजी उद्योग को बिफल करने का प्रयास किया है परन्तु यह मेरी समझ में नहीं आता कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। इसलिए इन तीनों दृष्टिकोणों से, पहला आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली का हमारी वितरण प्रणाली के बहुत कम भाग अर्थात दस प्रतिशत तक सम्बन्ध है इसे निजी वितरण प्रणाली का विकल्प नहीं माना जा सकता यह निजी वितरण प्रणाली, जैसी कि आज वह विद्यमान है, को नियंत्रित और संचालित करने के लिए है, दूसरा विकेन्द्रीकरण और नियंत्रण के बारे में है, सामाजिक नियंत्रण गलत प्रवृत्तियों को, जो प्रणाली में विद्यमान हैं, रोक सकता है परन्तु केन्द्रीयकरण नहीं, यह केवल सिर्फ अधिकारी तंत्र बनकर रह जाएगा जिसका अर्थ है अधिक निरीक्षक और अधिक निरीक्षकों का तात्पर्य है अधिक रिश्वतखोरी, अधिक भ्रष्टाचार, अधिक धोखाधड़ी और अधिक रिश्वत जुटाने के लिए, जो निरीक्षक तंत्र को दी जाती है, सप्लाई को खुले बाजार से काले बाजार में ले जाने से है, तीसरे-सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि थोक व्यापार को किस प्रकार नियंत्रित किया जाए, मुझे अभी विश्वास नहीं है कि क्या थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण व्यवहारिक जवाब है। परन्तु जैसे खुदरा व्यापार के मामले में आप सार्वजनिक विवरण प्रणाली की उचित दर दुकानों द्वारा समान्तर व्यवस्था कायम करके सम्भावित दुरुपयोग को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह से सरकार को एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें खुदरा व्यापारी होना चाहिए तथा प्रत्येक जिले में थोक बिक्री डिपो बनाया जाना चाहिए, इन थोक बिक्री डिपो को बाजार में

सीधी सप्लाई करनी चाहिए, जब मूल्यों में बढ़ोत्तरी दिखायी दे तो इन्हें तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और यदि माल फालतू हो तो बाजार से खरीदना चाहिए ताकि मूल्य न बढ़ सकें। यदि थोक विक्रेता संचय करने और मूल्य बढ़ाने का प्रयास करे तो सरकारी तंत्र को थोक बिक्री स्तर पर हस्तक्षेप करके मूल्य कम करने का प्रयास करना चाहिए।

इसलिए यह मानते हुए कि माननीय सदस्य ने हमारा ध्यान उन कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया है जो हम सब सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान व्यवस्था में देख रहे हैं, और हम सब सरकार से अनुरोध करते हैं कि प्रत्येक स्तर पर जनता की शिकायतों की जांच की जाए और प्रणाली में सुधार करने का प्रयास किया जाए। मेरे विचार से हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, यह विधेयक अपने वर्तमान स्वरूप में उनका समाधान नहीं कर पायेगा। मेरे विचार से देश में, जहां 4,50,000 से अधिक गांवों में, जो अब 5,00,000 से अधिक हैं, 800 मिलियन लोग रहे रहे हैं, ऐसी प्रणाली कायम करने के लिए, और अधिक बुनियादी व्यवस्था और नयी अवधारणा की आवश्यकता है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को जन उपभोग की सभी वस्तुओं की सप्लाई मिल सके चाहे वे खाद्यान्न हों या घटिया किस्म का कपड़ा या घरेलू उपभोग की आवश्यक वस्तुयें जैसे माचिस या मोमबत्ती हों अथवा सामान्य औषधियां हों जिनकी प्रत्येक घर को आवश्यकता होती है, जहां जन उपभोग की ये सभी वस्तुयें निजी दूकानों के माध्यम से मिलती हैं जो समूचे देश में हैं, उनकी एक ऐसी प्रणाली के माध्यम से सप्लाई की जाती है जिस पर राज्य का नियंत्रण हो सकता है तथा जहां सरकार उसे संचालित कर सकती है जहां सरकार सप्लाई को नियंत्रित कर सकती है वहां खुदरा व्यापारी कम लाभ कमाकर जनता की सेवा कर सकता है।

अपने अनुभव में मैंने अपने गांव के मौहल्ले में देखा है कि जब स्थानीय खुदरा व्यापारियों को सप्लाई की जाती है तो वह छिपती नहीं है। तथ्य तुरन्त मालूम पड़ जाता है।

[हिन्दी]

आज चीनी आयी है, आज कपड़ा आया है।

[अनुवाद]

वह भले ही अन्य लोगों को सच्चाई न बताएं किन्तु वह इस सच्चाई को उन लोगों से नहीं छिपा सकते है जिनके साथ वह रहते हैं, वह इसे उस समाज से भी नहीं छिपा सकते हैं, जिसका कि वह एक हिस्सा है। सच्चाई तो सामने आ ही जाती है। यदि वह किसी व्यक्ति को उसके हिस्से से अधिक देते हैं तो वह भी पता लग जाता है, यदि वह किसी व्यक्ति को उसका हिस्सा नहीं देते हैं तो उसका भी पता लग जाता है। इसके पीछे समाज को नियंत्रित रखने की प्राचीन व्यवस्था पहले से ही कार्य कर रही है। जैसा कि मैंने कहा आवश्यकता इस बात की है कि पूर्ति के स्रोत और थोक व्यापार पर ध्यान दिया जाए और सरकार को इसे नियंत्रित करने का साहस दिखाना चाहिए।

मैं इसकी कठिनाइयों को पूर्णतः महसूस करता हूं और मैं विपक्ष के सदस्य के रूप में नहीं बोल रहा हूं किन्तु मैं समझता हूं इसमें कुछ राजनीति है। हम पिछले 40 वर्षों से षडयंत्रों, शोषण, मुनाफाखोरी और थोक व्यापार की जमाखोरी के प्रति चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, इसका कोई राजनीतिक कारण हैं। उस राजनीतिक कारण को मुझे सदन में बताने की आवश्यकता नहीं है। सच तो यह है कि फुटकर व्यापारी चुनावों के समय हमारी सहायता नहीं कर सकते हैं। उसके पास फालतू धन होता ही नहीं है जिसे वह किसी को दे सके। राजनीतिक दल चुनावों के समय भारी राशि लेने के लिए थोक व्यापारियों पर ही निर्भर करते हैं और

इसलिए हम अतिसंवेदनशील होते हैं, हम अपने पूर्ति के स्रोत को हाथ लगाने के इच्छुक नहीं होते हैं ताकि हम चुनावों के समय धन से वंचित न रह जाएं। किन्तु राष्ट्र के हित में, समाज के व्यापक हित में हमें ऐसा करना पड़ता है। उत्पादन को राष्ट्रीयकृत करना संभव नहीं है। इतने बड़े देश और भारत की विभिन्नता को देखते हुए ऐसा करना असंभव है। हम फुटकर वितरण की सम्पूर्ण प्रणाली को राष्ट्रीयकृत नहीं कर सकते हैं। किन्तु यदि हम उन स्थानों पर सामाजिक नियंत्रण लागू करें जहां वे अत्यधिक प्रभावी साबित हो सकते हैं अर्थात् थोक व्यापार स्तर पर तो मेरे विचार में हम अधिकांश जनता के लिए अत्यधिक खपत वाली वस्तुओं की पूर्ति की सुविधाजनक, नियंत्रित प्रणाली सुनिश्चित कर सकते हैं और मुनाफ़ाखोरी, जमाखोरी, अनियमित अभाव और बाधित पूर्ति के इस तत्व को समाप्त कर सकते हैं।

मैं इस विधेयक की भावना का समर्थन करता हूं किन्तु मैं विधेयक में निहित नए उच्च स्तरीय ढांचे के बनाए जाने के विचार का समर्थन नहीं करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं तथा इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : सभापति महोदय, मैं विधेयक में निहित भावना का समर्थन करता हूं।

मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए यह आवश्यक है कि उपभोक्ताओं के प्रतिरोध को प्रोत्साहन दिया जाए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए। विकासशील देश में मूल्यों में वृद्धि होना स्वाभाविक ही है।

सरकारी कर्मचारियों को प्राय: महंगाई भत्ता देकर बाजार में अधिक धन पहुंच जाता हैं जिसके परिणामस्वरूप मूल्यों में वृद्धि होती है। इसलिए यदि हम मूल्य पर नियंत्रण कर सकते हैं तो हम मुद्रा-स्फिति पर भी नियंत्रण रख सकते हैं।

इस विधेयक में यह विचार किया गया है कि वितरण प्रणाली का प्रबन्ध केन्द्र और राज्य स्तरों पर बोर्डों के माध्यम से और राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में उचित मूल्य की दूकानों के माध्यम से सरकार द्वारा किया जाना चाहिए और वितरित की जाने वाली प्रत्येक वस्तु का मूल्य तय करने का प्रबन्ध भी सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। अब हमारे पास उचित दर की दूकानें भी हैं। उन्हें कुछ व्यक्तियों द्वारा या कुछ एजेंसियों द्वारा जैसे सरकारी समितियों और ग्राम पंचायतों द्वारा चलाया जाता है। केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भाग लेने के लिए सहकारी समितियों को सुलभ (साफ्ट) ऋणों के अतिरिक्त आर्थिक सहायता के रूप में भारी मात्रा में धन देती है और ग्राम पंचायतों की सहायता भी करती है। किन्तु बहुत से राज्यों मे ऐसा देखा गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए उपयोग करने हेतु दिए गए धन या राज-सहायता का उपयोग वस्तुत: सहकारी समितियों के माध्यम से नहीं किया जाता है और दूसरी ओर इस राशि का उपयोग सहकारी समितियों को अन्यथा हुए नुकसानों को पूरा करने के लिए किया जाता है। कोई निगरानी प्रणाली नहीं है। क्रम-परिवर्तन और मिश्रण तथा समायोजन द्वारा राज्य केन्द्र को सतुष्ट कर देते हैं, और उपभोक्ताओं के लिए राज्यों को दी गई राशि का दुरुपयोग किया जाता है। राज्य स्तर पर भी कोपरेटिव विभाग द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण नहीं है और वह कुप्रबंध है।

महोदय, सरकार चाहती है कि जहां तक संभव हो लगभग सभी वस्तुओं की पूर्ति उचित मूल्य की दूकानों के माध्यम से की जानी चाहिए। आजकल उचित दर की दूकानों से केवल कुछ चुनी हुई

वस्तुओं की पूर्ति की जाती है। केन्द्र सरकार ने सात आवश्यक वस्तुओं—चावल, गेहूं, लेवी चीनी, मिट्टी के तेल, आयातित खाद्य तेल, सॉफ्ट कोक और नियंत्रित कपड़ों—की वसूली और उनके उपभोक्ताओं को उपयुक्त दरों पर वितरण की जिम्मेदारी ली है। हम देखते हैं कि देश के एक भाग में कुछ वस्तुएं कम कीमत पर बेची जाती हैं और देश के दूसरे भाग में वही वस्तुएं अधिक दरों पर बेची जाती हैं। कारण यह है कि देश के एक भाग से दूसरे भाग तक वस्तुओं को स्वतंत्र रूप से लाया ले जाया नहीं जा सकता। विभाग द्वारा चार नगरों के दिए गए थोक मूल्य सूचकांक से यही पता चलता है और इसमें यह भी दर्शाया गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर थोक मूल्य सूचकांक किस प्रकार भिन्न होता है। हमें उपलब्ध कराए गए आंकड़े यह सब जानकारी देते हैं। सरकार यह भी चाहती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए और आवश्यक वस्तु अधिनियम का तथा अन्य कानूनों का कार्यान्यिवन पालन सख्ती से किया जाए ताकि कालबाजारी करने वाले लोग और जमाखोर स्थिति का अनुचित लाभ न उठा सकें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के अतिरिक्त सरकार ने कमजोर वर्गों की स्थिति में सुधार करने के लिए विशेष योजनाओं के अधीन इमदादी दरों पर खाद्यान्नों की पूर्ति की है। वर्ष 1988-89 में 4000 से अधिक उचित दर की दूकानें खोली गई थीं। 30-9-88 को उचित दर की दूकानों की संख्या 3.5 लाख हो गई थी। किन्तु मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जमाखोरों, काला-बाजारियों और अन्य समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और इसी प्रकार के अन्य कानूनों को उतने सन्तोषजनक ढंग से लागू नहीं किया गया है जितना कि किया जाना चाहिए था।

जैसा कि पहले भी कई बार कहा जा चुका है सरकार का उद्देश्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली का निरीक्षण करने के लिए, जिला और उचित दर दुकानों के स्तरों पर निगरानी समितियों का उठन करना है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि ये जिला स्तर की निगरानी समितियां कितने राज्यों में कार्य कर रही हैं। मर राज्य उड़ीसा में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और अन्य योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्नों के उपयोग पर निगरानी रखने के लिए ऐसी एक निगरानी समिति है, जिसका चेयरमेन एक सांसद और एक विधायक, पंचायत समिति का एक चेयरमेन और दो इंजीनियर उसके सदस्य हैं तथा मुख्य परियोजना अधिकारी उसका संयोजक है। समिति का कार्य ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों के वितरण पर निगरानी रखना है। वस्तुतः मैं इनमें से एक समिति का चेयरमेन हूं। हमने देखा कि एक खण्ड विकास अधिकारी ने 'इन्दिरा आवास' के निर्माण के लिए लाभभोगियों को अनाज का एक दाना भी नहीं दिया था और इस तरह धन का दुरुपयोग किया गया था। समिति ने लिखित और मौखिक सबूत प्राप्त करने के बाद यह सुझाव दिया कि उसके खिलाफ उचित कारंवाई की जानी चाहिए तथा उसे तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। इस मामले को गंजम जिले के कलेक्टर तथा राज्य सरकार के नोटिस में लाया गया। किन्तु खण्ड विकास अधिकारी सोनाडा के खिलाफ कोई कारंवाई नहीं की गई। खण्ड विकास अधिकारी छः वर्ष से अधिक समय से लगातार वहां कार्य कर रहा है। इसलिए मात्र निगरानी समितियों का गठन करना काफी नहीं है। समिति को पर्याप्त अधिकार भी दिए जाने चाहिए। समिति द्वारा दिए गए सुझावों को भी संबंधित अधिकारियों और राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाना चाहिए। दूसरी ओर हो यह रहा है कि जिस अधिकारी को कारंवाई करनी होती है वह उस अधिकारी को बचाने का प्रयास करता है जिसने धोखा किया होता है और जिसने भिन्न-भिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अन्तर्गत जनता को उनके लाभों से वंचित किया होता है। यदि यही स्थिति रही तो सतर्कता समिति या ऐसी अन्य एजेंसी का गठन करने से कोई लाभ नहीं होगा। किए जा रहे प्रयासों के प्रति निष्ठा की आवश्यकता है और वह भी निचले स्तर से।

4.00 म० प०

जैसा कि केन्द्र सरकार ने कहा है कीमतों पर नियंत्रण रखने और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। किन्तु क्या इस बात का पर्यवेक्षण करने के लिए कोई कदम उठाये गए हैं कि क्या राज्य सरकारें केन्द्र सरकार की इच्छाओं के अनुरूप कार्य कर रही हैं या नहीं? क्या उनके कार्य निष्पादन की निगरानी करने के लिए कोई एजेंसी है? आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध लोगों की मांगें पूरी करने के लिए विभिन्न आवश्यक वस्तुओं, जो कि जीवन के लिए आवश्यक हैं, के उत्पादन में वृद्धि करना अनिवार्य है। सरकार भी कीमत स्तर बनाए रखने के लिए देश में पूर्ति हेतु कुछ वस्तुओं का आयात कर रही है और बाहर से खरीदी गई कीमत से भी कम कीमत पर उनकी पूर्ति लोगों को कर रही है।

एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने यह कहा था कि "आल इंडिया फूडग्रेन्स डीलर्स एसोसिएशन्स का फेडरेशन स्वैच्छिक रूप से कीमत कम करने पर सहमत हो गया है।" मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या आल इंडिया फूडग्रेन्स डीलर्स एसोसिएशन के उस फेडरेशन ने अपने वायदे के अनुसार कार्य किया है? दूसरी ओर मुझे यह बताया गया है कि यह एसोसिएशन यह चाहती है कि कुछ वस्तुओं को खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में से निकाला जाना चाहिए। इसलिए, आवश्यकता इस बात की है कि हम निचले स्वर के लोगों को किस प्रकार शामिल कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी करने में जनता की भागेदारी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

उचित दर दुकानों तक आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सरना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि परिवहन लागत इतनी अधिक है कि खुदरा व्यापारी द्वारा कुछ आवश्यक वस्तुएं कालाबाजार में बेच दी जाती हैं। इन उचित दर दुकानों के लाभ पर भी विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह आरोप लगाया गया है कि यह बहुत कम है।

राज्य परिषदों और जिला मंचों के गठन के लिए वर्ष 1986 में हमने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था; उसे कुछ राज्यों द्वारा अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। मानक तोल और माप (प्रवर्तन) अधिनियम को भी सही रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधार भारतीय खाद्य निगम है जिसे 1-1-1965 को स्थापित किया गया था। इसे खाद्यान्नों की खरीद और वितरण के लिए उत्तरदायी बनाया गया था। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली 20 सूत्री कार्यक्रम का भी एक महत्वपूर्ण अंग थी। सरकार की नीति उचित दर दुकानों की संख्या को बढ़ाने की है।

भारतीय खाद्य निगम के करोड़ों रुपए के भारी व्यय को राजसहायता द्वारा कम किया जा रहा है। इससे राजकोष की हानि होती है। खाद्यान्न के खरीद मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अन्तर 40 रुपए प्रति क्विटल है और परिवहन लागत 35 रुपये प्रति क्विटल आती है तथा भण्डारण, ऋण, वितरण इत्यादि की लागत सहित कुल लागत लगभग 100 रुपये प्रति क्विटल अर्थात् 1000 रुपये प्रति टन आती है। यह कहा जाता है कि खाद्य निगम द्वारा व्यवस्थित तथा उचित दर दुकानों द्वारा वितरित किए गए खाद्यान्न पर राजकोष को 600 रुपए प्रति टन की हानि होती है। भारतीय खाद्य निगम एक सरकारी क्षेत्र के व्यापार निगम के अलावा कुछ नहीं है। एक सरकारी क्षेत्र के व्यापार निगम को सरकार द्वारा राजसहायता देने का कोई औचित्य नहीं है। अतः यह उचित समय है जब सरकार को

भारतीय खाद्य निगम के इस अपव्यय को रोकने के बारे में सोचना चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि भण्डारण कार्य के लिए भी राजसहायता देने के बजाये इसके व्यय को कम किया जाना चाहिए। वस्तुओं के निर्बाध परिवहन के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए जिससे आवश्यक वस्तुएं बिना किसी कठिनाई के देश के प्रत्येक कोने में पहुंच सकें।

सभापति महोदय : अब इस विषय के लिए निर्धारित समय समाप्त हो चुका है। क्या हम इस विषय पर चर्चा के लिए समय को दो घण्टे और बढ़ायें ?

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री सोमनाथ रथ : महोदय, लोगों को इस योजना के कार्यान्वयन से बहुत आशायें हैं। वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना वांछनीय है और सभी स्तरों पर इसके ईमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन के लिए ऐसा किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति इस योजना को सही ढंग से कार्यान्वित नहीं करते, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

महोदय, इस सदन में हमने यह चर्चा की है कि फसल के समय किसान अपने उत्पाद को मजबूरी में बेचने के लिए विवश होते हैं। बिचौलिये और मुनाफाखोर व्यक्ति उनके पास जाते हैं और बहुत कम कीमत पर उनके उत्पाद को खरीद कर उसका भण्डारण कर लेते हैं। उनके पास अपनी भण्डारण क्षमता होती है और बाद में जमाखोरी द्वारा वे कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर देते हैं और उसे बहुत ऊंची कीमत पर बेचते हैं। अतः महोदय, जमाखोरों के व्यक्तिगत अनुचित लाभ को रोकने और उन्हें किसानों का शोषण करने से रोकने के लिए सरकार को फसल के समय ही उनके उत्पाद को खरीदने के लिए आगे आना चाहिए। क्योंकि अब हम पंचायत स्तर पर अपने प्रशासन को विकेन्द्रीकृत करने जा रहे हैं और हमारे प्रधानमन्त्री महोदय ने भी यह कहा है कि ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उचित दर दुकानें चलाने के कार्य में सम्मिलित करने पर बल दिया जाना चाहिए। सरकार की नीति प्रत्येक गांव में कम-से-कम एक उचित दर दुकान स्थापित करने की है। ग्राम पंचायतों को उचित दर दुकान चलाने का उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए। सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को सहकारी समितियों की भांति धनराशि दी जानी चाहिए। यदि इसे सही ढंग से कार्यान्वित किया जाये तो उचित दर दुकानें गांवों में ठीक तरह से चल सकती हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली कारगर ढंग से सफल हो सकती है।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, फेयर प्राइस शाप्स रैगुलेशन बिल, 1989 जो सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके बारे में अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

इसमें जो उद्देश्य बतलाये गये हैं, इस विधेयक के बारे में उद्देश्यों से तो मैं सहमति प्रकट करता हूं पर उद्देश्य से सहमति प्रकट करते हुए जो सुझाव प्रस्तुत किया है, सैण्ट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड्स के बारे में, उस सुझाव से मैं बिलकुल असहमति प्रकट करता हूं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली हमारे देश में, जब से हमारा देश आजाद हुआ, तब से यह प्रणाली मौजूद है और यह प्रणाली आवश्यक है। अगर यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली नहीं होती तो विशेष तौर से मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, जो अकाल से हमेशा प्रभावित रहता है, उन क्षेत्रों को तो इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बहुत ही लाभ होता है, जब उनको सस्ता गेहूं मिल जाता है, जब उनको सस्ता

चावल मिल जाता है तो हमारे लिए अकाल के समय में उससे बड़ा भारी सहारा हो जाता है। हम तो यह चाहते हैं कि ट्राइबल एरियाज के अन्दर जिस प्रकार गेहूं और चावल सब्सिडाइज्ड रेट पर दिया जाता है, मेरा क्षेत्र जो कि विशेष तौर से हर साल अकाल से प्रभावित रहता है, इस वर्ष भी अकाल से प्रभावित है, ऐसे क्षेत्रों में तो गेहूं और चावल जिस प्रकार ट्राइबल एरियाज में सब्सिडाइज्ड रेट से दिया जाता है, दिया जाना चाहिए। जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, चयनित परिवार हैं उनको तो अवश्य ही सब्सिडाइज्ड रेट से अकाल प्रभावित क्षेत्रों में गेहूं और चावल का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में मेरा सरकार से निवेदन है कि वे गौर करें तो बड़ी भारी रिलीफ मिलेगी। हमने जवाहर रोजगार योजना बनाई है, उससे इन गरीब व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा और इन गरीब व्यक्तियों को, चयनित परिवारों को विशेष तौर से जो रेगिस्तानी क्षेत्र में अकाल से प्रभावित रहते हैं, सस्ता अनाज दिला सकेंगे, ट्राइबल एरियाज की तरह सब्सिडाइज्ड रेट से मिलेगा तो उनको बड़ी राहत और सहारा मिलेगा और उन लोगों के साथ यह बहुत बड़ा न्याय होगा।

दूसरे मेरा क्षेत्र बहुत विस्तृत है, फैला हुआ है। मेरी अकेली कांसटीट्वेंसी का क्षेत्र 70,000 स्क्वायर किलोमीटर है जो पंजाब के बराबर और केरल से दोगुना है। ऐसे क्षेत्र में, उन रेगिस्तानी इलाकों में राजस्थान सरकार ने फेयर प्राइस शाप्स खोली हैं, पंचायत हैडक्वार्टर पर फेयर प्राइस शाप्स खोली हैं, इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रयास किया है परन्तु कुछ दुर्गम स्थान हैं, रेगिस्तानी इलाके हैं वहां मोबाइल शाप्स के द्वारा पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम से फेयर प्राइस शाप्स स्थापित करके व्यवस्था करनी चाहिए। अगर वहां मोबाइल शाप्स की व्यवस्था नहीं होती है तो जो बहुत ही दुर्गम स्थान हैं, दूरदराज के क्षेत्र हैं वहां के लोग इसका फायदा नहीं उठा सकेंगे। वहां अनाज बहुत ही महंगा मिलता है इसलिए उन गरीब आदमियों के लिए मोबाइल शाप्स की व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने चाहिए। हमारे यहां गांव 50-50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं, कोई-कोई गांव तो सौ-सौ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, उन अकेले गांवों के लिए अगर फेयर प्राइस शाप्स खोली जाती हैं तो वहां की जनता को बहुत ही लाभ हो सकता है। इस सम्बन्ध के अन्दर भी आपको ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रश्न यह है कि जितनी भी फेयर प्राइस शाप्स को-आपरेटिव सोसायटी चलाती हैं, ये ईमानदारी से काम करना चाहती हैं, लेकिन ये ईमानदारी से काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि फेयर प्राइस शाप के अन्दर ट्रांसपोर्ट चार्जेज बहुत ही कम है। रीयल ट्रांसपोर्ट चार्जेज तो बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन उनको 75 परसेंट या 50 परसेंट चार्जेज देते हैं। कमीशन भी उनको ठीक प्रकार से मिलना चाहिए, लेकिन यह कमीशन भी उनको ठीक प्रकार से नहीं मिलता है। इस प्रकार उनके लिए प्रोफिट की गुंजाइश नहीं रहती है। जब प्राफिट की गुंजाइश नहीं रहती है और वे ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, तो वे ईमानदारी से काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह देखने की आवश्यकता है, सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट को कि रीयल ट्रांसपोर्ट चार्जेज ही उनको मिले। कलैक्टर उसको सर्टिफाई कर दे कि ये वास्तव में ट्रांसपोर्ट चार्जेज है इन-इन क्षेत्रों के अन्दर। उस प्रमाण के आधार पर ट्रांसपोर्ट चार्जेज उनको मिल जाने चाहिए। उसका लाभ उनको मिलना चाहिए। महंगाई भी काफी बढ़ गई है, इसलिए फेयर प्राइस शाप्स में काम करने वालों को कमीशन भी ड्योढ़ा मिलना चाहिए। इस प्रकार की जब व्यवस्था होगी, तो फेयर प्राइस शाप्स का लाभ अच्छी तरह से हो सकता है।

जहां तक फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया का सवाल है, यहां इश्यू प्राइस और प्रोक्योरमेंट प्राइस, दोनों के बीच में 60 रुपए प्रति क्विंटल का डिफरेंस रहता है। इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। स्टोर करने के दूसरे चार्जेज यदि किसी व्यापारी के पास रहते हैं, तो वह पचास प्रतिशत राशि के अन्दर ही

व्यवस्था कर सकता है, स्टोर कर सकता है। प्रोक्योर करके, ट्रांसपोर्ट करके डिस्ट्रिब्यूट कर सकता है। परन्तु ये फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया वाले इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं और इसमें भी काफी करप्शन होता है। मैं अभी भी इस विचारधारा का हूं कि इनको सब्सिडी मिलनी चाहिए, लेकिन उस सब्सिडी का सही उपयोग होना चाहिए। सब्सिडी देने के बाद फेयर प्राइस शाप्स में प्राइस और कम होने चाहिए, तब तो सब्सिडी देने का लाभ है। दो हजार करोड़ रुपए आप सब्सिडी देते हैं, लेकिन इतनी सब्सिडी देने के बाद भी हमको जिस प्रकार सस्ता अनाज, गेहूं और चावल आदि, मिलना चाहिए, वह नहीं दे पाते हैं। पाम-ऑयल और कैरोसिन आयल का अभी तक इन क्षेत्रों में लाभ नहीं मिलता है। मैं यह स्थिति करीब छः महीने से देख रहा हूं। राजस्थान सरकार और सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने गेहूं और चावल जो डिस्ट्रिब्यूट किया है, 50 प्रतिशत और करके जब एलाट करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर दस किलो गेहूं प्रति व्यक्ति देना चाहिए, लेकिन पांच किलो दिया जा रहा है। आप हमारे अकाल से प्रभावित क्षेत्रों में नहीं दे सके हैं। वे मांग करते हैं कि दस किलो प्रति व्यक्ति दें, यदि पांच किलो प्रति व्यक्ति देंगे तो यह किसी भी तरीके से उचित नहीं होगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि एफ० सी० आई० के पास रिजर्व में अनाज कम है, यदि आवश्यकता पड़े तो विदेशों से अनाज आयात करके भी इस स्थिति को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आपका रिजर्व मजबूत होगा, दो करोड़ मिट्रिक टन की आवश्यकता है, तब जाकर आपकी प्राइस भी कन्ट्रोल होगी। रिजर्व हमारा अगर मजबूत नहीं होगा तो जो होल-सेलर्स हैं, वे इसका फायदा उठायेंगे और उसका दुरुपयोग करके कीमतों को बढ़ा देंगे। एसेंशियल कामोडिटीज एक्ट के तहत होर्डर्स और प्रोफिटियर्स के खिलाफ जिस प्रकार से एक्शन लेना चाहिए, राज्य सरकारें एक्शन नहीं लेती हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफीसर्स और कलक्टर्स जो हैं, वे उनसे मिले हुए होते हैं और उनसे मिले होने के कारण उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो इस प्रकार के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफीसर्स हैं, उनके खिलाफ भी कदम उठाने चाहिए और जो कलक्टर्स भ्रष्ट हैं, उनके खिलाफ भी कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस देश में ऐसे डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफीसर्स और कलक्टर्स के खिलाफ, जिन्होंने भ्रष्ट कार्यवाही की है, और जिनके कारण होडिंग को बढ़ावा मिला है और जिन्होंने होर्डर्स के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है, क्या कार्यवाही की गई है। यह जानकारी मन्त्री महोदय प्रदान करें, तो स्थिति का पता पड़ जाएगा। राजस्थान में इस प्रकार के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफीसर्स और कलक्टर्स हैं, जो करप्ट प्रैक्टिसेज में लगे रहते हैं और उनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है और मानीटरिंग करने की आवश्यकता है।

हमारे यहां विजीलेंस कमेटीज डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर फंक्शन कर रही हैं और उनका कुछ प्रभाव पड़ता है। एम० एल० एज और एम० पीज उनके सदस्य हैं और पंचायत समिति के प्रधान और जिला प्रमुख भी सदस्य हैं। ऐसी विजीलेंस कमेटीज ब्लाक भी होनी चाहिए। प्रदेश के अन्दर भी विजीलेंस कमेटी है और फंक्शन कर रही है परन्तु उनके फंक्शन करने के बाद भी उसके परिणाम अच्छे नहीं आते हैं और जनता को जो लाभ हम देना चाहते हैं, वह उसको नहीं मिल पाता है। इस तरह की स्थिति रहना उचित नहीं है।

कपड़े के बारे में मैंने देखा है कि सस्ता कपड़ा फेयर प्राइस शाप्स पर नहीं पाया जाता है और वहां पर सस्ता कपड़ा एवेलएबिल नहीं है। आप करोड़ों रुपए की सब्सीडी कपड़े के लिए देते हैं लेकिन फेयर प्राइस शाप्स पर कहीं भी सस्ता कपड़ा नजर नहीं आता है। इसको भी देखने की आवश्यकता है। या तो केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को बहुत ही कम कपड़ा देती है या फिर राज्य सरकारें जिलों के प्रशासन को बहुत कम सस्ता कपड़ा सप्लाई करती हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि उनको इतना

सस्ता कपड़ा दिया जाए, जिससे गरीब जनता को लाभ पहुंचे। आज वह लाभ हिन्दुस्तान की जनता को नहीं मिल रहा है। मैंने अपने क्षेत्र में यह लाभ मिलते नहीं देखा है। इस सम्बन्ध में भी व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि इस विधेयक पर मैंने जो प्वाइन्ट्स रखे हैं, उन पर आप ध्यान दें और जो सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड के गठन की बात है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह जो सिस्टम है, इसको सुधारने की आवश्यकता है और आवश्यकता इस बात की है कि डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफीसर्स ईमानदारी और सच्चाई से काम करें और कलक्टर्स ईमानदारी और सच्चाई से काम करें और काआपरेटिव सोसाइटीज, जिनके द्वारा यह डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनको उचित लाभ मिले और ट्रांसपोर्ट पर जो खर्च आता है, उतना उनको मिले और वे ईमानदारी से काम करके जनता को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का लाभ दें। यही मेरी इच्छा है।

[अनुवाद]

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : महोदय, मुझे भाषण देने का यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं।

इस विधेयक का उद्देश्य सम्पूर्ण देश में उपभोक्ताओ को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित दर पर आवश्यक वस्तुओं की नियमित सप्लाई को सुनिश्चित करना है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। हम काफी लम्बे समय से यह मांग करते रहे है कि आवश्यक वस्तुएं सम्पूर्ण देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से समान और उचित दरों पर सप्लाई की जायें। हम यह मांग भी करते रहे हैं कि चावल, गेहूं, खाद्य तेल, मिट्टी के तेल के अलावा कपड़ा, साड़ियां, साबुन, माचिस, नमक और कापियां आदि भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जानी चाहिएं ताकि जनता को इससे लाभ मिल सके। पश्चिम बंगाल में, इन अधिकांश वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे उचित दर दुकानों, राशन की दुकानों और उपभोक्ता सहकारी भण्डारों के माध्यम से वितरित किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम और अन्य केन्द्रीय एजेंसियों से इन वस्तुओं की सप्लाई की स्थिति बहुत ही कम है।

केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं, अपितु विरोधी पक्ष द्वारा शासित लगभग सभी राज्यों में और कांग्रेस शासित कुछ राज्यों में भी इसी प्रकार की शिकायत है। यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सफल बनाना है तो केन्द्रीय सरकार को राज्यों को आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध तथा नियमित सप्लाई सुनिश्चित करनी चाहिए। अन्यथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विफल हो जायेगी।

आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध सप्लाई के अलावा, विभिन्न राज्यों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि बाढ़, सूखे और भू-स्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय सामान्य लोगों को कठिनाई न हो। यह अत्यन्त आवश्यक है।

हमें पता चलता है कि बहुत-सी उचित दर दुकानों में गेहूं, चावल तथा अन्य चीजें बहुत घटिया किस्म की दी जाती हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों के बावजूद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। सरकार को इस मामले को गम्भीरता से लेना चाहिए और स्थिति में सुधार करने के लिए इस मामले की जांच करनी चाहिए।

हमें पता चलता है कि बहुत-सी दुकानों से मूल्य सूची नहीं दर्शाई जाती है और उपभोक्ताओं

को धोखा दिया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। अतः इस नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।

हमें स्थानीय कर के नाम पर शोषण के एक अन्य तरीके का भी पता चला है। यह बात हमारी समझ में नहीं आती कि यह स्थानीय कर क्या है। उपभोक्ताओं से 5 प्रतिशत से लेकर 15 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क वसूल किया जाता है जिसका उल्लेख कभी भी नहीं किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को यह जानकारी नहीं है कि यह अतिरिक्त शुल्क किस आधार पर, किस नियम के अन्तर्गत और कितने प्रतिशत लगाया जाता है। अतः इस प्रकार उपभोक्ताओं के अनुचित शोषण को रोकने के लिए कोई क्रिया विधि अपनाई जानी चाहिए।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए और जमाखोरों, ठगों और कालाबाजारी करने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। अन्यथा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा।

सार्वजनिक प्रणाली के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और विभिन्न स्तरों पर उसकी देखरेख करने हेतु एक समिति बनाने के लिए, हमारे कुछ माननीय मित्रों द्वारा दिए गए सुझाव का भी मैं समर्थन करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि ऐसी समितियां गठित की जायें और इन समितियों में विधायकों, सांसदों और पंचायत संगठनों को सम्मिलित किया जाए ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य भली प्रकार पूरा हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं और अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : सभापति महोदय, श्री जी० एस० बासवराजू ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और इस प्रणाली की उचित निगरानी और कुशल कार्यकरण के लिए केन्द्रीय स्तर और राज्य स्तर के बोर्ड बनाने का विधेयक प्रस्तुत किया है। विधेयक के उद्देश्य को देखते हुए, हमें प्रतीत होता है कि इसका सम्बन्ध इस प्रणाली के कुशल कार्यकरण से है जिसका आजकल बहुत महत्त्व है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त पश्चात्, इस देश में केवल कुछ हजार ही उचित दर की दुकानें थीं। किन्तु अब इनकी संख्या बढ़कर 3,50,000 हो गई है। यदि आप पिछले 10 वर्षों में हुई वृद्धि देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि इसमें एक लाख की वृद्धि हुई है। वर्ष 1979 में केवल 2,39,000 दुकानें थीं और अब पूरे देश में 3,50,000 दुकानें हैं। इन दुकानों के द्वारा जरूरतमन्द लोगों को, जनसामान्य और देश के सुदूर इलाकों में रहने वाले गरीब लोगों को वितरित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा भी बढ़ गई है। यह इस बात से स्पष्ट होगा यदि हमें इन उचित दर दुकानों द्वारा वितरित की गई मात्रा को आंकें। वर्ष 1985 में, यदि आप खाद्यान्नों की आपूर्ति को ही लें, इन उचित दर दुकानों के द्वारा 107 लाख टन खाद्यान्नों का वितरण किया गया। वर्ष 1988 में, यह मात्रा बढ़कर 181 लाख टन हो गई। यदि आप अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे मिट्टी के तेल का विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि वर्ष 1985 में यह मात्रा 57 लाख टन थी जबकि वर्ष 1988 के लिए यह मात्रा 74 लाख टन थी। इसका अर्थ यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति में अत्याधिक वृद्धि हुई। इसीलिए जनता में और सरकारी निकायों में और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बद्ध लोगों और केन्द्रीय स्तर पर भी बहुत जागरूकता है।

महोदय, बहुत पहले अर्थात् 1955 में हमने आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया था। इस

अधिनियम के अन्तर्गत लगभग 70 वस्तुएं रखी गई हैं। यह देखने के लिए कि इन आवश्यक वस्तुओं के अभाव में इनका मुनाफाखोरी, चोरबाजारी आदि के लिए दुरुपयोग न किया जाए, हमने वर्ष 1988 में एक दूसरा अधिनियम बनाया। इससे पूर्व 1981 में एक अधिनियम बनाया गया था। अतः इससे पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रति कितनी चिंतित है।

महोदय, हम इस विभाग को बहुत राज-सहायता देते हैं ताकि साधारण जनता को और जरूरतमन्द लोगों को उचित दरों पर वस्तुएं उपलब्ध की जाएं। हमने वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी बनाया था। इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से सम्बन्धित अधिसूचना जारी की जिसने विभिन्न मामलों के निर्णय का काम आरंभ कर दिया हैं। अतः इसको देखते हुए केन्द्रीय स्तर और राज्य स्तर पर भी अलग-अलग बोर्ड स्थापित जरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि सात राज्यों ने उपभोक्ता संरक्षण परिषदें गठित कर ली हैं। हम देखते हैं कि बहुत से राज्यों में खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग इसी कारण से उनके नियन्त्रण में हैं। इसलिए ऐसे बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु साथ ही हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यकुशलता बढ़ाने के उपायों पर विचार करना चाहिए। हम किस प्रकार कार्य-कुशलता बढ़ा सकते हैं? मेरे मित्र श्री व्यास ने पहले ही सहकारी समितियों के सम्बन्ध में कहा है। मैं इस पर अधिक जोर देना चाहता हूं। इस समय 28 प्रतिशत काम सहकारी समितियों द्वारा होता है। वितरण प्रणाली से सम्बद्ध अन्य काम निजी दुकानदारों अथवा ग्राम पंचायतों अथवा अन्य एजेन्सियों द्वारा किया जाता है। यदि हम अधिक से अधिक सहकारिता को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करें, तो इन सहकारी समितियों के माध्यम से लोग सीधे तौर पर अधिक से अधिक इनमें भाग ले सकेंगे। दुर्भाग्यवश सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शीर्ष निकाय सहकारिता द्वारा चलाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठन के समक्ष फिलहाल कुछ समस्याएं हैं। यह ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहा। इस पर कुछ बकाया है। राज्य उपभोक्ता सहकारी संगठन की कुछ देनदारी है। अन्य समस्याएं भी हैं। यदि हम उधार अथवा ऋण के रूप में कुछ राशि उपभोक्ता सहकारी समिति को दे सकते हैं तो हम और अधिक कुशलतापूर्वक इसकी निगरानी कर सकते हैं और सभी के हित के लिए इस शीर्ष विभाग को पुनः चालू कर सकते हैं।

हमें वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी और दूसरे प्रयोजनार्थ इस्तेमाल किए जाने की अधिक चिन्ता है। इसीलिए प्रति वर्ष बहुत से छापे पड़ते हैं। हम आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत काम कर रहे हैं जो हमने 1989 और 1981 में भी लागू किया और जो 1992 तक बढ़ा दिया गया है। हमने देखा कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत पिछले एक वर्ष के दौरान 7,635 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 5,195 पर मुकदमा चलाया गया। किन्तु वास्तविक दोषी केवल 426 व्यक्ति पाए गए। इसका अर्थ यह है कि इसमें अभी भी त्रुटियां हैं अभी भी ऐसे उपाय हैं जिनसे दोषियों को कानून के चुंगल से और दण्ड से बचाया जा सकता है। इसीलिए पकड़े गए व्यक्तियों अथवा जिन पर मुकदमा चलाया जाता हैं उनमें से 10 प्रतिशत व्यक्तियों पर भी अन्त में दोष सिद्ध नहीं होता। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि इन त्रुटियों को रोका जाए और अपराधी बरी न हों। अन्यथा, हमारे अधिनियम इतने प्रभावशाली नहीं होंगे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

हम देखते हैं कि कमी वाले ऐसे कुछ राज्य हैं जिनके लिए वस्तुओं की अधिक सप्लाई चाहिए जैसे महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान। इन राज्यों के लिए यदि खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं के भंडारण

के लिए गोदाम बनाए जाते हैं तो कमी के समय परिवहन की समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। परिवहन की गम्भीर समस्या नहीं नहीं होगी। निश्चय ही पंजाब से महाराष्ट्र अथवा अन्य स्थानों के लिए परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी। आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होने के स्थानों के इनकी आवश्यकता के स्थानों तक परिवहन की आवश्यकता होगी। किन्तु यदि यह गोदाम उचित क्षमता के बनाएं जाएं, तो यह समस्या कम होगी। हम उचित भण्डार रखने सम्बन्धी नीति के लिए सरकार को बधाई देते हैं। जब कभी सूखा पड़ता है अथवा अभाव होता है तो हमें अभाव का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए पिछले दो वर्षों के दौरान दो बार गम्भीर सूखा पड़ने के बावजूद लोगों को हमारे "बफर स्टाक" और उचित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और केन्द्रीय सरकार की आर्थिक सहायता के कारण अपने घरों के बाहर, अपने ग्रामों में पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वस्तुएं मिल सकीं। हम केन्द्रीय सरकार को धन्यवाद देना चाहते है कि हमें सुदूर क्षेत्रों में चलती फिरती दुकानें उपलब्ध कीं। हम देखते हैं कि सुदूर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 99 चलती फिरती दुकानें उपलब्ध की गई हैं।

अन्त में मैं पुनः इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सहकारिता को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इन्हें अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जैसा कि श्री व्यास ने कहा। यदि आप कुछ उपयोगी वस्तुएं उद्योगपतियों से खरीदते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से भी खरीदते हैं तो आपको सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कुछ छूट देनी चाहिए यदि वे वही आवश्यक वस्तुएं देते हैं: आप लघु उद्योगों को प्राथमिकता दीजिए यदि वे यही वस्तुएं सरकार को माध्यम तथा बड़े पैमाने के उद्योगों से अधिक देते हैं। आप लघु उद्योगों से वस्तुएं 10% अधिक मूल्य देकर खरीद सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप किसी प्रकार के उद्योगों को, कुछ उपक्रमों अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्राथमिकता देते हैं। इन सहकारी समितियों के लिए भी यदि आप अधिक प्रोत्साहन और कमीशन की थोड़ी अधिक प्रतिशतता देते हैं तो जनता का प्रोत्साहन अधिक होगा और वे लोग इसमें अधिक संख्या में भाग लेंगे जो वास्तव में इन वस्तुओं का उपयोग करते हैं और जिनके लिए यह चीजें बनती हैं। अन्ततः सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अधिक कार्य-कुशलता होगी।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर): सभापति जी, हमारे दोस्त श्री बासवराजू ने जो बिल सदन में पेश किया है, मैं उसके कई प्रावधानों का समर्थन करता हूं। यह बात जरूर है कि इस देश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सैकेण्ड वर्ल्ड वार के बाद चालू किया गया, आजादी के बाद उसे कन्टीन्यू कराया गया, लेकिन आज जितना भ्रष्टाचार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में है, शायद ही किसी दूसरे महकमे में हो। फूड कार्पोरेशन आफ इण्डिया की कार्य प्रणाली पर इस सदन में अनेकों बार चर्चा हुई, पहले श्री शिवशंकर जी इसके मिनिस्टर हुआ करते थे और यह बात सदन के रिकार्ड पर है कि उन्होंने सदन में इसे स्वीकार किया और चिन्ता प्रकट की कि फूड कार्पोरेशन में अव्वल दर्जे का भ्रष्टाचार है, उसका कहीं कोई जवाब नहीं है। फूड कार्पोरेशन में ट्रांसपोर्टेशन, शोर्टेज या स्टोरेज की मदों में इतना खर्चा क्यों होता है, यह प्योर और सिम्पल चोरी है, ऐसा कहने में मुझे कोई हिचक नहीं। इस कार्पोरेशन में भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है, समझ नहीं आता कि यह भ्रष्टाचार कहां जाकर रुकेगा। जब भी हम पब्लिक डिस्टीब्यूशन सिस्टम की चर्चा करते हैं तो हमारे सामने फेयर प्राइस शाप की तसवीर आ जाती है, जहां लोगों को न तो चीनी मिलती, न मोटा अनाज मिलता और न मोटा कपड़ा

उपलब्ध होता है। दिल्ली मे ही नहीं होता है, छोटे स्थानों की बात तो आप छोड़ दीजिए, वहां तो बहाना बना दिया जाता है कि चीनी आयी थी, समाप्त हो गयी। आप क्या कर लेंगे, कितना लड़ेंगे। इसलिए छोटी जगहों की बात तो आप भूल जाइए। बिहार जैसे प्रदेशों में फेयर प्राइस शाप्स करप्शन का अड्डा हैं। वहां डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर और डिस्ट्रिक्स मजिस्ट्रेट की मिलीभगत है। वहां जितने दुकानदार हैं, नियमित रूप से उन्हें कमीशन देते हैं। जनता मरती है, मरे, उसकी किसी को चिन्ता नहीं हैं। अतः फेयर प्राइस शाप्स की बात करने पर हमें बड़ी तकलीफ होती है।

हमारे यहां 1987 में प्रलयंकारी बाढ़ आयी, 1988 में भयानक भूकम्प आया परन्तु फेयर प्राइस शाप्स के माध्यम से लोगों को किसी तरह की सहायता नहीं मिल सकी। हमारा रोना तो तब और बढ़ जाता है जब एक तरफ हम कहते हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट्स को, खेतिहर लोगों को, कोई रैम्यूनरेटिव प्राइस नहीं दिया जाता। आज खेती करना कोई फायदेमंद बात नहीं है। जितने भी इनपुट्स एग्रीकल्चर में होते हैं—सिंचाई, फर्टिलाइजर, सीड्स, पैस्टीसाइड्स, एग्रीकल्चरल लेबर, वेजेज इन सारी चीजों को मिलाकर, लैंड की कीमत हो या रैंट हो, जो भी आप समझिए, उसकी आउटपुट जो होती है, इनपुट से कभी ज्यादा नहीं होती है। यह तो लाचारी है, जो जोग बहुत दिनों से खेती करा रहे हैं या किसी तरह से खेती करते हैं, जब सरकार उन्हें दाम देती है, जिसे आप पोक्योरमेंट प्राइस कहते हैं, वह इतनी कम होती है कि एग्रीकल्चरिस्ट रोता है। लेकिन जब एफ० सी० आई० की तरफ से, सरकार की तरफ से विक्रय प्राइस अनाउंस की जाती हैं, तो वह इतनी अधिक होती है कि कंज़्यूमर जब उसे खरीदता है, तो उसकी कमर टूट जाती है। अगर आप सस्ते में खरीदते हैं, तो एफीशिएंट मैनेजमेंट कराईए और सस्ते दाम पर दीजिए, तो लोगों को नहीं खलेगा। लेकिन आप एग्रीकल्चरिस्ट्स से खरीदते सस्ते दाम पर हैं और कंजमर को महंगे दाम पर देंगे, तो न्याय कहां है। लोगों को ब्लैक मार्कीटियर्स से, होरडर्स से, बचाने के लिए ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिसिरटम लाया गया था, लेकिन इसके अन्दर जो घुन लग गया है, उसका कोई इलाज नहीं है और इतना जबर्दस्त यह घुन फैला हुआ है कि आप इसे पिन पाइन्ट नहीं कर सकेंगे कि करप्शन कहां से शुरू होता है।

कहा जाता है कि एफ० सी० आई० के गोडाउन में सैकड़ों टन हजारों टन अनाज चूहे खा जाते हैं जब कि एक चूहा नजर नहीं आता है। ट्रासपोर्टेशन में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं जब कि एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में वर्कुअली कोई ट्रांसफर अनाज का नहीं किया जाता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो करप्शन है, उसे खत्म किया जाए।

महोदय, मुझे पता नहीं है कि यह बिल जो वासवराजू साहब द्वारा लाया गया है, इससे करप्शन समाप्त हो पाएगा या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक ट्रायल लेने में कोई नुकसान नहीं है। यदि फिर भी, सबसिडी देने के बाद भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं हुआ, तो क्यों नहीं एक दूसरा ट्रायल लिया जाए, कुछ आल्टरनेटिव के बारे में सोचा जाए। स्टेट बोर्ड्स बनाए जाएं, सेन्ट्रल बोर्ड बनें और जिसमें विजिलेंस परले दर्जे का हो। आज तो विजिलेंस के नाम पर कहीं कुछ नहीं है। तो मैं कहूंगा कि चाहे मंत्री जी, इस प्रस्ताव को, इस बिल को नहीं मानें, लेकिन एक बार नए सिरे से इस पूरे महकमे में फैले हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास करें। इस प्रयास से लोगों को फायदा होगा। जिन लोगों को फायदा होगा, वे निचले तबके के लोग हैं। पुअरक्लास पीपुल हैं, मिडिल क्लास पीपुल हैं, जो शहरों में भी रहते हैं और महंगाई की मार से पिसते हैं। देहातों में भी पिसते हैं और आशा की किरण लेकर केवल फेयर प्राइस शाप में जाते हैं जहां केवल अनफेअर काम होता है। तो मैं कहूंगा कि परी समस्या पर गम्भीरता से सोचना चाहिए और जहां पर चोरी हो रही

है जहां भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसका पता लगाना चाहिए और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने में सरकार को नहीं हिचकना चाहिए ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, हमारे संसद-सदस्य श्री बसवराजू द्वारा जो उचित दर दुकान विधेयक यहां लाया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं । जन-वितरण प्रणाली सबसे अच्छी चीज है उसके जरिए हम शहर और गांव में जो मनुष्य की आवश्यकताओं की चीजें हैं, उनको पहुंचा सकते हैं लेकिन सच्चाई है जो कि अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने अपने भाषण में बतलाई कि शायद इसमें इतनी गड़बड़ियां हैं कि जिस उद्देश्य से हमने इसको लागू किया था, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है । हमारा उद्देश्य था कि जमाखोरी करने वालों से हम बच सकें और मूल्यवृद्धि रोक सकें और इसके माध्यम से सामान को घर-घर पहुंचा सकें लेकिन सच्ची बात यह है कि यह एकदम बिल्कुल नहीं है ।

मैं देहात का रहने वाला हूं, देहात में भी जन-वितरण प्रणाली की दुकानें हैं और उन दुकानों से गरीबों को अन्य, चीनी और किरासिन तेल, जो उनके लिए जरूरी है, खासकर किरासिन तेल, जिससे उसको प्रकाश लेना है वह मिलना चाहिए । बड़े-बड़े लोगों के यहां तो गांव में भी बिजली है और वह दूसरी तरह से भी रोशनी कर लेते हैं लेकिन यह सुविधा गरीब को नहीं मिल पाती है । इसके मुख्य कारण और भी हैं । माननीय सदस्यों ने बताया कि भ्रष्टाचार इसका एक कारण है । सबसे पहली बात यह है कि भ्रष्टाचार सभी वस्तुओं को निगलने जा रहा है ।

सबसे बड़ी चीज भ्रष्टाचार है । जब सर्वोच्च जगह भ्रष्टाचार पहुंचता है तो नीचे कोई बाकी नहीं रहता है । अब सवाल है कि भ्रष्टाचार कहां पर खत्म किया जाए, नीचे से या ऊपर से ? जब तक ऊपर से भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया जाएगा तब तक नीचे का भ्रष्टाचार खत्म होने की चीज नहीं है ।

जन-वितरण प्रणाली के बारे में आपको पता ही होगा कि यहां बैठकर अफसर कोई चीज तय करता है जैसे परिवहन चार्ज । लेकिन यह इतना कम होता है कि चोरी करने के लिए मजबूर करता है, जो गल्ला जन वितरण प्रणाली की दुकान में जाता है होलसेलर के यहां से, तो उसको जितना परिवहन चार्ज मिलना चाहिए, नहीं मिलता है, नाम का मिलता है तो वह चोरी करेगा । आखिर वह माल लाए कैसे ? इसमें सभी लोग हिस्सेदार हैं । वहां पर सप्लाई इन्सपैक्टर से लेकर जो वहां पर गजेटेड आफिसर बहाल हो गए हैं, जो डी० एस० ओ० कहलाते हैं, सब इसमें शामिल होते हैं । सोच लीजिए इस तरह से क्या होता है ? यह तो वही कहावत है कि एक अफीमची नशे में रहता था, उसको एक नौकर मक्खन लाकर देता था । किसी ने शिकायत की कि यह चोरी करता है तो उसके साथ एक और नौकर बढ़ा दिया गया । तो उस अफीमची के लिए चोरी रोकने के लिए बारबार नौकर बहाल करने पड़े और अन्त में यह हुआ कि उसके अन्दर मक्खन न जाकर उसके होंठ मिश्री मिलाकर लगा दिया गया । जब वह उठता था तो नशे में कहता था कि बहुत मीठा है और यह नौकर बढ़िया है और चन्द दिन में वह समाप्त हो गया और मर गया ।

एक नौकर चुराता था थोड़ा-सा लेकिन उसके बाद 10 बढ़ा दिए गए और वह सब चोर हो गए तो सामान सब खत्म हो गया । यह स्थिति है जन-वितरण प्रणाली की ।.

जहां तक एफ० सी० आई० की बात है, एफ० सी० आई० से होलसेलर लाता है और एफ० सी० आई० के हर चीनी के बोरे में 2 किलो से लेकर 5 किलो तक चीनी कम निकलती है और होलसेलर भी कुछ निकाल कर रखता है तब माल जाता है जन-वितरण प्रणाली की दुकान पर । आप

बताइए कि गरीबों को इससे क्या मिलता है। मूल्यवृद्धि भी कर देता है और इस तरह से उन तक पहुंच नहीं पाता है।

कपड़े का जहां तक सवाल है उसमें हमने यह देखा है कि गरीबों तक वह सस्ता कपड़ा पहुंच नहीं पाता है। इनना ही नहीं इन दुकानों को कपड़ा तक कम दिया जाता है। कभी आपने इस बारे में गम्भीरता से विचार ही नहीं किया है। इस कमी को दूर करने के लिए आपको सख्य कदम उठाने चाहिए। गरीबों, किसानों और मजदूरों तक यह सस्ता कपड़ा कैसे पहुंचाया जाए इस पर आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिए। आज गांवों के अन्दर जन वितरण प्रणाली पूरी तरह से असफल साबित हुई है। आप पहले इसको गन्दगी को साफ करें। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप जन वितरण प्रणाली को समाप्त करो लेकिन इसको मजबूत बनाओ।

एफ० सी० आई० जो गेहूं और चावल वितरित करता है वह जानवरों के खाने लायक भी नहीं होता है। अगर जानवर उसको खाने लग जाए तो वह भी बीमान हो जायेगा। वह अनाज जबर्दस्ती गरीबों को दिया जाता है। दिल्ली शहर में वह सारी चीजें मौजूद हैं जिससे कि गलत काम करने वाले को पकड़ा जा सकता है। यहां पर चोरी पकड़ने वाले यन्त्र मौजूद हैं, बड़े-बड़े अफसर मौजूद हैं, देश को चलाने वाला प्रधान मन्त्री मौजूद है लेकिन फिर भी जन वितरण प्रणाली संतोषजनक नहीं है। मैं अपने पार्टी कार्यकर्त्ताओं के साथ एक दिन किदवई नगर गया था। वहां के कुछ लोगों ने मुझे वह चावल दिखलाया जो कि उन्हें वितरित किया जा रहा था। वह चावल जानवरों तक के खाने के लायक नहीं था। वह चावल जबर्दस्ती इन्सपैक्टर लोगों को दे रहा था। मैंने उस समय उनको आश्वासन दिया था कि जब कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं सरकार के नोटिस में अवश्य यह बात लाऊंगा। तो आज मुझे यह मौका मिला है तो मैं आपके सामने यह बात रख रहा हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह चावल मायापुरी गोदाम से आया था। आज ऐसी चीजें गरीबों को दी जा रही हैं। आप इस चीज की अवश्य जांच करायें कि यह सामान कहां से आया, कैसे आया और अगर यह सामान आया है तो इस सामान को रिजैक्ट क्यों नहीं किया गया।

मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जन वितरण प्रणाली एक बहुत अच्छी प्रणाली है। इस कारण इस प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसमें आज जो गन्दगी आ गई है उस गन्दगी को खत्म करना चाहिए। इसमें जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसको आप समाप्त करायें। अधिकारीगण आज जिस ढंग से पैसा कमा रहे हैं उसके लिए आपको एक जांच कमेटी बनानी चाहिए। वह जांच कमेटी इस बात की जांच कराए कि उस अधिकारी के पास इतनी दौलत कहां से आई। अगर उन अच्छी धरपकड़ होगी तो दोषी अधिकारी जल्दी पकड़ में आ जायेगा।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि जन वितरण प्रणाली को बहुत मजबूत करना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा चीजें गरीबों, किसानों और मजदूरों तक पहुंचायी जा सकें। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति जी, जो यह बिल श्री बासवराजू जी ने इस माननीय सदन में पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

मैं यह समझता हूं कि भारत सरकार का जो खाद्य व नागरिक पूर्ति विभाग है उसने सराहनीय काम किया है।

5.00 म० प०

सारे राष्ट्र में सस्ते अनाज की दुकानें खोलकर और गरीब लोगों को राहत देकर। अभी हमारे देश के अन्दर बड़ा भारी सूखा पड़ा और सूखा पड़ने की वजह से सारे राष्ट्र में अगर यह दुकानें न होतीं तो हमारे राष्ट्र को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता लेकिन हमारी सरकार ने ज्यादा दुकानें खोलकर लोगों को राहत पहुंचाई है। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार का खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग राज्य सरकारों को अनाज की सप्लाई करता है जिसकी मिलों के द्वारा पिसाई होती है लेकिन जो छोटे-छोटे लोग हैं, जिनकी गांव में चक्कियां हैं, जहां गरीब लोगों को फायदा पहुंच सकता है, वहां के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।

5.01 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

और लाइसेंस बड़ी-बड़ी मिलों को दिए जाते हैं और बड़ी-बड़ी मिल वाले अनाज की पिसाई करते हैं वह उसमें मैंदा, चोकर और सूजी सारी चीजें निकालकर फोकट आटा गरीब लोगों को पहुंचाते हैं, इस पर राज्य सरकारों की निगरानी है। कई राज्यों में तो इसका दुरुपयोग किया गया है। आन्ध्र प्रदेश में दो रुपए किलो के भाव से चावल बेचा गया जिसे यहां से भारत सरकार ने दिया था लेकिन अब उसमें क्रेडिट और डिस्क्रेडिट की बात आती है, इसका भी कई राज्यों ने नाजायज फायदा उठाया है और कई लोगों को राशन नहीं मिलता है। बंगाल के अन्दर लोगों को राशन नहीं मिलता है, जो भारत सरकार यहां से सप्लाई करती है, वहां उनके कार्ड होल्डर्स हैं उन्हीं को राशन मिलता है, कुछ सरकारें इस प्रकार से काम करती हैं, देश के अन्दर।

जहां तक आपकी लाइसेंस देने की नीति है, उसको आपने बदला है। आपने बड़ी-बड़ी आटा मिलों के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं रखी है अब कोई भी आटा मिल लगा सकता है। इसी तरह से डालडा घी बनाने के लिए लाइसेंस इश्यू होते हैं, उसमें बड़ा भारी करप्शन है। लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि आप पार्लियामेंट के मैम्बर हैं आप हमें एक डालडा घी का लाइसेंस दिलवा दो तो हम कई लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। आपमें से कई लोगों के पास भी ऐसे लोग आते होंगे। वह पैसा कहां जाता है, कौन लोग हैं जो इस तरह से काम करते हैं, आपको इसको देखना चाहिए। आपको चाहिए कि कोआपरेटिव सोसायटी के लिए लाइसेंस दें ताकि सब लोगों का उसमें भला हो।

श्री हरीश रावत : सेब के रस की भी फेयर प्राइस शॉप होनी चाहिए।

श्री के० डी० सुल्तानपुरी : आपने दो तीन बातें कहीं हैं, हमारे साथियों ने भी उस पर चिन्ता व्यक्त की है। राशन में तीन तरह से करप्शन होता है, एक तो माल बुक करने में रेलवे के भाड़े में होता है, दूसरा गोदाम में होता है और तीसरे जब आगे बिकने के लिए जाता है तो तब करप्शन होता है। आप चाहे कोयले का व्यापार लो, डालडा घी का व्यापार लो, इसमें सब लोगों की मिलीभगत रहती है और इसका मोनेटरिंग भी ठीक ढंग से नहीं होता है, न गोदाम का वैरीफिकेशन होता है कि कितना अनाज आया और न राज्य सरकार को इस बात का पता चलता है कि कौन-सी चीज बिक गई है। आप हैरान होंगे कि हमारे दूरदराज के इलाके जैसे किन्नौर है, गढ़वाल का पहाड़ी क्षेत्र है, वहां जो अनाज पहुंचता है वह कब पहुंचता है जब सारा ब्लैक हो जाता है और बच जाता है तब बहुत मामूली तौर पर पहुंचता है। उसके लिए मेरा सुझाव है कि सरकार को चाहिए कि ट्राइबल एरिया के गरीब लोगों के लिए आप गोदाम बनाएं और उसमें अनाज को जमा करें और उसका वितरण ठीक प्रकार से

करें, यह मैं मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं, आप इस तरफ तवज्जह दें। वैसे हमारे प्रदेश के भी मन्त्री हैं लेकिन वह इस समय यहां नहीं हैं, वह सुखराम हैं, आप बैठा हैं इसलिए सुख और आराम से बैठें और आप प्रदेशों की सेवा ठीक प्रकार से करेंगे, ऐसी आशा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारे हिमाचल प्रदेश का सवाल है, वहां पर अनाज की कमी पड़ती है। हमारा पड़ौसी प्रदेश पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, लेकिन हमारे यहां विपक्ष ने और एक चाल चली है। लोगों में जाकर यह कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो उस वक्त आपको डेढ़ रुपए किलो आटा देंगे और इसके अलावा 25 पैसे नमक देंगे और दो रुपए किलो चावल देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा में तो जनता पार्टी और जनता दल की सरकार है, तो वे क्यों नहीं इस चीज को वहां करते हैं। लेकिन वहां पर पहाड़ी लोगों को मिसलीड करते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम यह भाव करेंगे। न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। इस तरह की बातों से लोगों को बहकाने के सिवाय इनके पास कोई विकास का कार्यक्रम नहीं है। ऐसे लोग गलत प्रचार करते हैं और कहते हैं कि कर्जा माफ कर देंगे, अनाज सस्ता देंगे, ये कहां से देंगे। हमारा तजुर्बा है, जब यहां पर जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो हमको खेतों में गन्ना जलाना पड़ा था और आलू फेंकना पड़ा था। हमारी सरकार किसानों के लिए काम करने वाली सरकार है और ये लोग जनता में जाकर जनता को गलत तरीके से मिसलीड करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके ऊपर सरकार को निगरानी करनी चाहिए।

जैसाकि अभी कहा गया कि अनाज चूहे खा जाते हैं, गोदामों में खा जाते हैं। चूहे ही नहीं और कुछ लोग भी खा जाते हैं। उसके लिए जब तक आप ठीक से प्रबन्ध नहीं करेंगे, ठीक ढंग से मोनिटरिंग नहीं करेंगे, तो ऐसा होगा। ठीक ढंग से मोनिटरिंग करके ही हम बचा सकते हैं। सेल्समैन की बात भी कही जाती है। हर दुकान पर सेल्समैन होता है। दुकानदार अपनी दुकान भी रखता है और सरकारी डिपो भी रखता है। जब आप ऐसे लोगों को देंगे तो फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। जो दुकानदार होता है, वह ब्लैक-मार्केटिंग भी करता है और गरीब आदमी का राशन खा जाता है। यह बात मेरे देखने में आई है। राज्य सरकारों को आपको हिदायत देनी चाहिए कि जो आदमी दुकानदारी करता है और वही डिपो भी रखता है, तो उसको डिपो नहीं देना चाहिए। यह डिपो आम लोगों को मिले, तब ही लोगों को फायदा हो सकता है। मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा जिस प्रकार आप हरिजनों के लिए सीटें देते हैं उसी प्रकार 25 फीसदी कम से कम मिल लगाने के लिए, डालडा की फैक्ट्रियां लगाने के लिए उनको लाइसेंस दीजिए, ताकि वे भी कुछ आगे बढ़ सकें। पिछड़े क्षेत्र के लोगों के बारे में कम से कम आपको सोचना चाहिए। हर तरह की सप्लाई के काम में लोग ब्लैक मार्केट करते हैं। जो गाड़ी चलाता है, उसको पेट्रोल की जरूरत है, अच्छे पुर्जों की जरूरत है। इसमें भी ब्लैक मार्केट होता है। इस पर भी सिविल सप्लाई मैन को निगरानी करनी चाहिए। इन्डस्ट्री से किस भाव पर आया है और आगे क्या भाव बिक रहा है। जमीदार जो चीज पैदा करता है, उसमें अगर उसकी दीहाड़ी लगाई जाए तो कुछ नहीं उसको मिलता है। फर्टिलाइजर में चला जाता है, ट्रैक्टर में चला जाता है, पानी में चला जाता है और उसको बहुत ही मामूली मिलता है। दिल्ली या अन्य शहरों में ये जो चीजें बिकती हैं, यहां उनके भाव दुगुने हो जाते हैं और उसको कब भाव मिलते हैं। इसलिए खाद्य मन्त्रालय को चाहिए कि वह मार्केटिंग कमेटी बनाए और उसके जरिए से जो किसान पैदा करता है, उसका उसको ठीक भाव मिले और उनका शोषण न हो और वे भी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें।

जहां तक भंडारण का सवाल है, मैं यह कहना चाहता हूं कि सौ क्विंटल जमा कर सकता है

और अगर दस-दस क्विंटल अपने घर में जमा करता है, तो उस पर आपको पाबन्दी लगानी चाहिए कि वह ज्यादा स्टोर न करे तभी हमारे लोगों को फायदा हो सकता है। वे सस्ते भाव में चीजें खरीदकर अपने गोदाम भर लेते हैं और फिर एकदम से बाजार में भाव चढ़ जाते हैं। तो इसके लिए आपको उचित प्रबन्ध करना चाहिए।

इसी तरह से हमारे जो तेल हैं, खाने के पदार्थ हैं जैसे डालडा आदि, वे हर गांव में पहुंचाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि अगर यह नहीं करेंगे, और गांवों में गरीब लोगों तक ये नहीं पहुंचते हैं, लेबर तक नहीं पहुंचते हैं, तो वे समझते हैं कि सरकार की जो पालिसी है, वह तो ठीक है लेकिन जो दर्यान के आदमी हैं, जिनकी नुमायन्दगी उधर के लोग करते हैं, विपक्ष के लोग करते हैं, ज्यादातर वे लोग फायदा उठा ले जाते हैं इस बात से। इन्हीं लोगों को पेट्रोल पम्प मिलते हैं और इन्हीं लोगों को राशन के डिपो मिलते हैं। आप मानीटरिंग कर लें, चाहे आप उत्तर प्रदेश की कर लें, चाहे आप हिमाचल प्रदेश की कर लें, चाहे आप पंजाब की कर लें और चाहे कहीं की कर लें, उन्हीं लोगों को ये मिलते हैं, जो गरीब लोगों का शोषण करते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो गांवों में लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, उनके लिए कम से कम यह बात होनी चाहिए। जो आदमी ईमानदारी से काम करे, उसको ये मिलें चाहे आप पंचायतों के द्वारा करें या कोआपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा करें मगर आप यह बात छोड़ दीजिए कि उनको कोई फायदा पहुंचेगा और वे सरकार को बदनाम करेंगे और हमको बदनाम करेंगे। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आप ब्लैक-मार्केटियर्स से डिपो लेकर गरीब आदमियों को तक्सीम करने का प्रयत्न करें।

मैं समझता हूं कि यह बिल बहुत अच्छा है लेकिन इसमें जो बोर्ड की बात कही गई है, उससे कोई खास लाभ नजर नहीं आता है। उसमें गरीब आदमियों के नुमायन्दे होने चाहिएं थे, यह प्रोविजन इसमें नहीं रखा गया है। बोर्ड बनना तो अच्छी बात है लेकिन सरकार उचित कदम उठाए और इसके लिए कोई ऐसा बिल लाए, जिससे आप गरीब लोगों को, मजदूरों को, किसानों को और सभी वर्गों को फायदा पहुंचे। उसी तरह के नुमायन्दे लिए जाएं, तब राष्ट्र का काम ठीक हो सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : सभापति महोदय, मैं श्री बासवराजू को बधाई देना चाहती हूं कि वे इतना इम्पार्टेन्ट बिल इस हाऊस में डिस्कशन करने के लिए लाए। मैं मन्त्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि इस बिल की जो स्प्रिट है, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। इस बिल पर बोलने के लिए तो बहुत से प्वाइन्ट्स हैं लेकिन मैं चाहती हूं कि हर आदमी इसमें भाग ले, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती।

सबसे पहले मैं यह बोलना चाहती हूं कि फेयरप्राइस शाप्स जो गवर्नमेंट ने चालू की थी, वे इसलिए की थी कि आम जनता को एसेंशियल कामोडिटीज सस्ते दामों पर मिलें लेकिन अभी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यह प्रोपरली फंक्शन नहीं कर रहा है और जो आपने फेयरप्राइस शाप्स खोली हैं, वे अनफेयरप्राइस शाप्स हो गई हैं। मैं यह बोलना चाहती हूं कि फेयरप्राइस शाप्स पर जो 14 एसेंशियल कामोडिटीज पब्लिक को मिलनी चाहिए, वे नहीं मिलती हैं। मैं बताना चाहती हूं कि मैंने पहले भी श्री एडुआर्डो फैलीरो से इस हाऊस में बोला था और आपसे भी अनुरोध करना चाहती हूं कि आप सरप्राइज विजिट फेयरप्राइस शाप्स का कीजिए और जो सरप्राइज विजिट आप करें, उसके लिए

आप डिपार्टमेंट के लोगों को भी न बताएं। अगर आप सरप्राइज विजिट फेयरप्राइस शाप्त का करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी फेयरप्राइस शाप्स में कितनी एसेंशियल कामोडिटीज मिलती हैं और जो मिलती हैं, उनकी क्वालिटी क्या है फेयरप्राइस शाप्स पर अगर आप चीनी के लिए जाते हैं, तो बोलते हैं कि चीनी नहीं है लेकिन वह ब्लैक-मार्केट में चली जाती है। अगर आपको साड़ी चाहिए, तो बोलते हैं कि साड़ी नहीं है और वह ब्लैक-मार्केट में बिक जाती है और अगर साबुन मांगते हैं, तो वे बोलते हैं कि नहीं है और वह ब्लैक-मार्केट में बेच दिया जाता है। बात यह है कि फेयरप्राइस शाप्स में जाने से पहले वह एफ० सी० आई० के गोडाऊन और स्टेट गवर्नमेंट की जो सप्लाई एजेन्सी है, उनमें जो लोग काम करते हैं, वे दोनों मिलकर उसको खा जाते हैं। इस सिचुएशन को आपको केन्द्री में रिव्यू करना चाहिए। आज देश में ढाई लाख फेयरप्राइस शाप्स हैं। आपको यह देखना चाहिए कि कितनी फेयरप्राइस शाप्स अच्छा काम कर रही हैं और कितनी अच्छा काम नहीं कर रही हैं और आपको सरप्राइज विजिट करना चाहिए कि कौन-कौन सी फेयरप्राइस शाप्स में एसेंशियल कामोडिटीज मिलती हैं और कौन-कौन सी में ये नहीं मिलती हैं। इसी का लिस्ट होना चाहिए। अभी फेयरप्राइस शाप्स में कुछ नहीं मिलता है। गरीब आदमी का जिंदगी कितना मुश्किल हो गया है। क्योंकि प्राइस राईज इतना हो गया है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, पब्लिक सेक्टर में हैं, सेलेरीड क्लास के लोगों का, फिक्स्ड इनकम ग्रुप के लोगों को भाव बढ़ जाने से बहुत मुश्किल हो गया है।

इस पर भी आप देखिए कि बंगाल में किसी चीज का कोई भाव है, असम में उसी चीज का दूसरा भाव है। आप दिल्ली की मार्किट में चले जाइए। आपको वही चीज एक मार्किट में एक दाम पर मिलेगी, दूसरी मार्किट में दूसरे दाम में मिलेगी। दामों पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। चीजों के दाम कण्ट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को कोई मोनेटरिंग सेल बनाना चाहिए। फूड मिनिस्ट्री में इसकी देख-भाल करने के लिए कोई सेल बनाना चाहिए। जो इस पर ध्यान दे।

सरकार को देश में फेअर प्राईस शाप्स की संख्या बढ़ानी चाहिए क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या बढ़ गई है। गांव-गांव में फेअर प्राईस शाप्स की संख्या बढ़ानी चाहिए, मोबाईल वेन बनानी चाहिएं।

इसके साथ-साथ मैं कहना चाहती हूं कि मेरी स्टेट में फेअर प्राईस शाप्स का लाएसेंस सी० पी० एम० के वर्कर को ही मिलता है, किसी और को नहीं मिलता है। आप जब इनके लाएसेंस दें तो महिलाओं के लिए, एक्स सर्विसमेन और हेंडीकेप्ड, डिसेबल्ड परसंस के लिए कोई रिजर्वेशन करें ताकि उन लोगों को भी इसके लाइसेंस मिल सकें। यह मैं आप से रिक्वेस्ट करती हूं।

हमारे देश में कंज्युमर एक्ट है, असेंशल कमोडिटीज एक्ट है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपने कितने ब्लेक मार्किटियर्स को अरेस्ट किया? मेरी कांस्टीच्युएंसी में फेअर प्राईस शाप्स हैं। वहां रेपसीड आयल का एडलट्रेशन हुआ। उन दुकानों से एडल्ट्रेटिड रेपसीड आयल बिकने से 500 आदमी पेरेलाईज हो गए। उन पेरेलाइज्ड आदमियों को गवर्नमेंट को कम्पेनसेशन देना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्यों गवर्नमेंट उनको कम्पेनसेशन नहीं दे रही है? इसके लिए गवर्नमेंट की गर्जी नहीं होनी चाहिए। एक चीज गवर्नमेंट की दुकान से एडल्ट्रेटिड मिले और उससे आदमी पेरेलाईज हो जाए तो उसको कम्पेनसेशन मिलना चाहिए।

मैं आपसे कहती हूं कि आप दुकान में जाकर के देखिए कि कितनी चीजें एडल्ट्रेटिड मिलती हैं। बेबी फूड, रेपसीड आयल, पस्टर्ड आयल, मेडीसीन, ग्लुकोज सब एडल्ट्रेटिड बिक रहा है। इस एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए क्यों नहीं हमारा एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट एक्शन लेता है। उसे एडल्ट्रेटर्स के खिलाफ

एक्शन लेना चाहिए। आपको इसको देखना चाहिए। अगर पूरी चीज इस प्रकार से एडल्ट्रेटिड मिलेगा तो कैसे आदमी ठीक रहेगा।

एक बात मैं राशन कार्ड के बारे में बोलना चाहती हूं। हमारे यहां फेअर प्राईस शाप्स में जो राशन कार्ड हैं वे ठीक नहीं हैं। हमारी स्टेट में बंगलादेश से बहुत इन्फीलट्रेशन हो रहा है। वहां से लाखों-लाखों आदमी हमारे हिन्दुस्तान में आ रहे हैं। हमारी स्टेट में जो बार्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें जो सी० पी० एम० का लोकल पंचायत है, लोकल केडर है, उनका इसमें हाथ है। वहां जो फेअर प्राईस शाप्स में चीजें सप्लाई होता है वह बंगलादेश में चला जाता है। इस पर भी देखभाल करने की जरूरत है। वहां पर राशन कार्ड कौन देता है ? वहां की पंचायत देती हैं। बंगलादेश से लोग लाल झण्डा लेकर के आता है और वहां बैठ जाता है। उनका नाम वोटर लिस्ट में लिख दिया जाता है, उनको राशन कार्ड मिल जाता है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि इसकी इन्कवायरी होनी चाहिए, इसके बारे में कमीशन बनाना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि राशन कार्ड बनाने के लिए पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव्ज की रिस्पांसिब्लिटी फिक्स कीजिए कि वे लोग राशन कार्ड के लिए साईन करें। मेरी स्टेट में जिस तरह से बाहर से आकर के वोटर लिस्ट में लोगों का नाम बढ़ रहा है, उनके नाम से राशन कार्ड बन रहा है, अगर ऐसा होता रहा तो हमारे देश की इकोनोमी को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। आम आदमी के लिए पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम प्रोपरली चलना चाहिए। मैं इतना ही कह कर आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : सभापति जी, मैं इस बिल की आत्मा से तो सहमत हूं लेकिन मैं नहीं समझता कि बिल के अन्दर जिन प्रावधानों को बताया गया है उनके द्वारा हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है या हमारा मकसद हल हो सकता है। संसार का इतिहास साक्षी है कि हर जमाने में हर समय चाहे सम्राट रहे हों, शहंशाह रहे हों, डिक्टेटर रहे हों या प्रजातन्त्र जिस रूप में रहा था और कोई विचारधारा के मानने वाले रहे, इन सबका उद्देश्य यह रहा है चाहे इनके चेहरे पर नकाब कोई भी रहा हो कि जनता की अधिक से अधिक भलाई और अधिक से अधिक जनकल्याण किया जाए। इस सम्बन्ध में जब संसार का इतिहास आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि समाजवाद के नाम पर अनेक जमाने में अनेक लोगों ने जनकल्याण की बात की है और जैसा कि सी० एम० जोड ने कहा है :

[अनुवाद]

समाजवाद ऐसे हैट की भांति है जिसका स्वरूप बिगड़ चुका है क्योंकि प्रत्येक उसे पहनता है।

[हिन्दी]

समाजवाद के इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि प्राचीन समय से ही चाहे शेवेनिज्म, सिंडीकालिज्म, गिल्ड सोशलिज्म या क्रिश्चियन सोशलिज्म या सोशलिज्म आफ दी चेयर हो या उसके बाद मार्क्स द्वारा एक साइन्टिफिक ट्रीटमेंट देने के बाद जो समाजवाद का रूप हमारे सामने आया, वह रहा हो, हर समाजवाद के मानने वाले ने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग-अलग रास्तों को चुना है। लेकिन हर समाजवाद की विचारधारा का बुनियादी मकसद एक नुक्ते पर एक मत का रहा है।

[अनुवाद]

उत्पादन के सभी साधन सरकार के स्वामित्व में, नियन्त्रण में अथवा संचालन में होने चाहिएं।

[हिन्दी]

इस उद्देश्य के अन्दर बहुत कम अन्तर है जहां समाजवाद की किसी भी विचारधारा ने इस बात पर आपस में मतभेद किया हो। यह बिल जो हमारे सामने है इसको देखकर मुझे सर थामस-मोर का यूटोपिया याद आ जाता है। सर थामस मोर ने एक ख्याली जन्नत बनाया, अपनी कल्पनाओं का स्वर्ग बनाया और दिखाया कि तूफान आने के बाद एक जहाज किस तरह गुजरता है जहां कि लोग सुखी हैं, स्वर्ग में हैं और हर प्रकार की सुविधाएं उनको प्राप्त हैं। इस बिल के प्रावधान के आधार पर अगर सरकार कोई कानून बना भी दे, आपके बोर्ड बन जाएं, केन्द्र का बोर्ड बन जाए जिनके द्वारा फेयर प्राइस शाप्स को अलाटमेंट करें तो मैं अदब से पूछना चाहूंगा कि उस बोर्ड के पास उस आत्मा को लागू करने की कौन-सी शक्ति है या जो लोग उसका विरोध करने का काम करेंगे, अवहेलना करेंगे, उनको दण्ड देने की बोर्ड के पास कौन-सी शक्ति रहेगी। मैं यह कहना चाहूंगा कि सारी बातें बेकार हैं। इसके लिए सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। कुछ कड़वे घूंट पीने होंगे और यह फैसला करना होगा कि वे कौन लोग हैं जो होर्डिंग करते हैं, ब्लैक मार्किटिंग करते हैं, कम तौलते हैं, मिलावट करते हैं, जखीरान्दोज करते हैं, उनके लिए कड़े से कड़ा दण्ड देने का प्रावधान जब तक आप नहीं करेंगे बल्कि उन प्रावधानों को कड़े रूप से लागू करने के लिए अगर कहीं ढील-ढाल सरकारी कर्मचारी करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। यहां भोपाल की बात कही गई। भोपाल वह बदकिस्मत शहर है जहां यूनियन कार्बाइड की घटना के बाद लोग मच्छर और मक्खियों की तरह मर गए। जो लोग जिन्दा हैं वह भी एक मौत के साए में जीवन बिता रहे हैं। वहां सरकार की कृपा रही, माननीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी की कृपा रही और भोपाल के अन्दर उन्होंने पीड़ित जनता को फ्री राशन सप्लाई करने की व्यवस्था की जिसमें गेहूं, दूध, तेल, चीनी का प्रावधान है। उन चीजों के बांटने का माध्यम यही फेयर प्राइस शाप्स थीं जिनका जिक्र बिल में किया है। लेकिन बड़े दुःख के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शायद एक प्रतिशत उचित दर की दुकान भोपाल में ऐसी नहीं होंगी जिसने ईमानदारी से काम किया होगा। लगभग हर दुकान के अन्दर पचास प्रतिशत बोगस राशन कार्ड थे, यह सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से करप्शन के द्वारा उसका आवंटन किया गया। इसी कारण भोपाल में उचित दर की दुकानों के मालिक एक साल के अन्दर लखपति हो गए, लाशों से भी इन लोगों ने पैसा कमाया, इतनी दर्दनाक कहानी है कि इसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि सरकार कड़े कदम उठाकर कड़े कानून बनाने चाहिएं और कम से कम दवाओं को, जीवन रक्षक औषधियों की ब्लैक मार्केटिंग और ज्यादा दाम चार्ज करने वालों को मृत्यु दण्ड का प्रावधान करना चाहिए। जब तक आप इसका प्रावधान नहीं करेंगे, समाज के जख्म का इलाज करने के लिए मरहम नहीं लगाएंगे तब तक लोगों की समस्या हल नहीं होगी। इसलिए आपको बड़े आपरेशन की जरूरत है। अभी गरीबों की बात कही गई, हर नागरिक जो धरती पर पैदा हुआ है उसको कम से कम पेट भरने के लिए सूखी रोटी मिल सके, यह हमारा दायित्व है, कर्त्तव्य है। इस बात की गारण्टी जो सरकार नहीं देती उस सरकार को आने वाले इतिहास के समय मुजरिमों के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए मैं यह मांग करता हूं मन्त्री जी से और सरकार से कि इस बिल की आत्मा को देखते हुए इस बात का प्रावधान किया जाए कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले

लोगों की संख्या अधिक है, हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़ी जाति के लोगों की संख्या अधिक है उनको पेट भरने के लिए रोटी का अधिकार देना अनिवार्य है, उसके लिए सरकार व्यवस्था करे। आप आइडेंटिटी कार्ड बनाइए, राशन कार्ड बनाएं और उनको लिकुल वाजिब कीमत पर रोटी दें और जो लोग नहीं दे सकते उनको फ्री रोटी देने का अधिकार नहीं देंगे तो आपके सारे दावे और बातें बेकार साबित होंगी, रद्दी कागज की तरह होंगी। इतिहास के सामने मुझे और आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। जो लोग बूढ़े हैं, जिनके पास कमाने की शक्ति नहीं है उनको रोटी और जो बच्चे हैं उनके लिए दूध का इन्तजाम भी करना सरकार का नैतिक कर्त्तव्य है। चाहे आप यह काम इस सिस्टम से करें या और सिस्टम इन्वाल्व करें, यह आपका कर्त्तव्य है। इसी को देखते हुए मैं अपने क्षेत्र सतना की चर्चा भी करना चाहूंगा। सतना एक ऐसा क्षेत्र है जो कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहां अधिकांश आबादी मजदूरों की है, गरीबों की है, हरिजन और आदिवासियों की है और जहां हजारों-लाखों लोग आज भी चूने के भट्टों में और सीमेंट-पत्थरों की खानों में अपना खून-पसीना बहाकर काम करते हैं। लेकिन उनको आज तक इस समाज के अन्दर, इस देश के अन्दर न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पाई है। सतना के जो इलाके हैं जैसे मइहर, नागौद, रहगांव, विजयराहोगढ़, चित्रकूट, बड़वारा, अमर पाटन इन तमाम क्षेत्रों में हरिजन और आदिवासी हैं और पहाड़ी इलाका है, वहां अधिक से अधिक उचित दर की दुकानों की व्यवस्था करें ताकि उन मजदूरों को जिनका शोषण पहले सामन्तवाद के द्वारा हुआ और आज पूंजीवाद के द्वारा हो रहा है। उन पिछड़े क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जीवनयापन के लिए पर्याप्त सुविधाएं उन्हें मिल पाएं जैसे दाल, साबुन, गल्ला आदि...

अभी यहां सहकारी बाजारों की बात की गई, और बात तो आप छोड़िए, मेरा अपना अनुभव यह है कि आपके पार्लियामेंट अनैक्सी स्थित सहकारी बाजार में, कई बार जाने के बाद भी, मैं खुद गया, न मुझे पामोलीन मिला, न बटर-ऑयल मिला, इसलिए बाकी की बात तो आप छोड़ दीजिए। मैंने शिकायत भी की, लिखकर भी दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई और जो सिलसिला चल रहा है, वही चलता रहा। इसलिए सबसे पहले तो आप सड़क के उस पार पार्लियामेंट अनैक्सी में स्थित सहकारी बाजार की हालत ठीक कीजिए, फिर दिल्ली के मेन सहकारी बाजार की हालत ठीक कीजिए। सहकारी बाजारों की हालत देखकर आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि देश के साधारण नागरिकों को किन कठिनाइयों और किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हम सब समय के न्यायालय के सामने उपस्थित हैं और वक्त का हाकिम, वक्त का जज, कलम हाथ में लेकर, आपके और हमारे भाग्य का निर्णय लिखने का इन्तजार कर रहा है। जब वह हाकिम कोई निर्णय दे, मैं चाहूंगा कि आपका और हमारा मुंह काला न होने पाए, आप और हम मुजरिमों के कटहरे में खड़े न होने पाएं, वक्त का हाकिम हमारे विरुद्ध कोई फैसला न करने पाए, इसकी आप अभी से व्यवस्था करिए। ऐसा न हो कि देश मिटता रहे, लोग लुटते रहें, गरीबों का शोषण होता रहे और हम केवल भाषण देते रहें या बिल प्रस्तुत करते रहें, इस देश के गरीब इन्सान, अवाम के जख्मों पर कोई मरहम का फाया न रख पाएं। फिर तो शायद इतिहास भी हमें माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन बिन्दुओं पर आप अभी से विचार करें, कोई कानून बनाएं तभी जाकर हम दुखी इन्सान के जख्मों पर मरहम का फाया रख पाएंगे।

[منتری عزیز قریشی (ستنا): سبھاپتی جی میں اِس بِل کی آتما سے تو سہمت ہوں لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بل کے اندر جن پراودھانوں کو بتایا گیا ہے ان کے دوارا ہمارے اُدیشیوں کی پورتی ہو سکتی ہے یا ہمارا مقصد حل ہو سکتا ہے۔ سنسار کا اِتہاس ساکشی ہے کہ ہر زمانے میں ہر سمے چاہے سمراٹ رہے ہوں شہنشاہ رہے ہوں ڈکٹیٹر رہے ہوں یا پرجا تنتر جس روپ میں رہا یا اور کوئی وچار دھارا کے ماننے والے رہے۔ ان سب کا اُدیش یہ رہا ہے چاہے ان کے چہرے پر نقاب کوئی بھی رہا ہو کہ جنتا کی اُدھک سے اُدھک بھلائی اور ادھک سے اُدھک جن کلیان کیا جائے۔ اِس سمبندھ میں جب سنسار کا اِتہاس آگے بڑھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سماج واد کے نام پر انیک زمانے میں انیک لوگوں نے جن کلیان کی بات کی ہے اور جیسا کہ سی ایم جاڈ نے کہا ہے:-

"Socialism is like a hat which has lost its shape because everybody wears it."

سماج واد کے اتہاس کا جب ہم اُدھین کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پراچین سمے سے ہی چلے شیوینزم، سنڈیکالزم گلڈ سوشلزم یا کرسچن سوشلزم یا سوشلزم آف دی چیئر ہو یا اس کے بعد مارکس دوارا ایک سائنٹیفک ٹریٹمینٹ دینے کے بعد جو سماج واد کا روپ ہمارے سامنے آیا وہ رہا ہو ہر سماجواد کے ماننے والے نے اپنی منزل تک پہنچنے کے لئے الگ الگ راستوں کو چنا ہے۔ لیکن ہر سماج واد کی وچار دھارا کا بنیادی مقصد ایک نقطے پر ایک مت کا رہا ہے

All the means of production should be owned, controlled and regulated by the State.

اس ادیش کے اندر بہت کم انتر ہے۔ سماج واد کی کسی بھی وچار دھارا میں اس بات پر

آپس میں مت بھید کیا ہو۔ یہ بل جو ہمارے سامنے ہے اس کو دیکھ کر مجھے سر تھامس
مور کا یوٹوپیا یاد آجاتا ہے۔ سر تھامس مور نے ایک خیالی جنت بنایا تھا اپنی کلپناؤں کا
سورگ بنایا اور دکھایا کہ طوفان آنے کے بعد ایک جھاڑ کسطرح گذرتا ہے، جہاں کے لوگ
سکھی ہیں۔ سورگ میں ہیں اور ہر پرکار کی سودھائیں انکو پراپت ہیں۔ اس بل کے پراودھان
کے آدھار پر اگر سرکار کوئی قانون بنا بھی دے۔ آپ کے بورڈ بن جائیں کیندر کا بورڈ بن جائے
جسکے دوارا فیئر پرائس شاپس کو الاٹمینٹ کریں تو میں ادب سے پوچھنا چاہونگا کہ اس
بورڈ کے پاس اس آتما کو لاگو کرنے کی کون سی شکتی ہے۔ یا جو لوگ اسکا ورودھ کرنے
کا کام کرینگے اُدہیلنا کرینگے انکو دنڈ دینے کی بورڈ کے پاس کونسی شکتی رہے گی۔
میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ساری باتیں بیکار ہیں۔ اس کے لئے سرکار کو کچھ کڑے، قدم اٹھانے
ہوں گے۔ کچھ کڑوے گھونٹ پینے ہوں گے اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کون لوگ ہیں جو ہورڈنگ
کرتے ہیں۔ بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں، کم تولتے ہیں۔ ملاوٹ کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی
کرتے ہیں انکے لئے کڑے سے کڑے دنڈ دینے کا پراودھان جب تک آپ نہیں کرینگے
بلکہ ان پراودھانوں کو کڑے روپ سے لاگو کرنے کے لئے اگر کہیں ڈھیل ڈھال سرکاری
کرمچاری کرتے ہیں تو انکے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تب تک آپ کے ادیشں کی
پورتی نہیں ہو پائیگی۔ یہاں بھوپال کی بات کہی گئی۔ بھوپال وہ بدقسمت شہر ہے
جہاں یونین کاربائڈ کی گھٹنا کے بعد لوگ مچھّر اور مکھّی کی طرح مر گئے! جو لوگ زندہ ہیں، وہ
بھی موت کے سائے میں جیون بتا رہے ہیں۔ وہاں سرکار کی کرپا رہی ماننیہ پردھان منتری
شری راجیو گاندھی کی کرپا رہی اور بھوپال کے اندر انہوں نے پیڑت جنتا کو فری راشن
سپلائی کرنے کی ودستھا کی جیسیں گیہوں، دودھ، تیل، چینی پراودھان ہے۔
ان چیزوں کے بانٹنے کا مادھیم یہی فیئر پرائس شاپس تھیں جنکا ذکر بل میں کیا ہے،
لیکن بڑے دکھ کے ساتھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ شاید ایک پرتی شت اُچت در

کی دوکانیں بھوپال میں ایسی نہیں ہونگی جنسے ایمانداری سے کام کیا ہوگا۔ لگ بھگ ہر دوکان کے اندر ۵۰ پرتیشت بوگس راشن کارڈ تھے۔ یہ سرکاری کرمچاریوں کی ملی بھگت سے کرپشن کے دوارا اسکا آونٹن کیا گیا۔ اس کارن بھوپال میں اُچت دَر کی دوکانوں کے مالک ایک سال کے اندر لکھ پتی ہو گئے۔ لاشوں سے ان لوگوں نے پیسہ کمایا اتنی درد ناک کہانی ہے کہ اسکا ورنن کرنے کیلئے میرے پاس شبد نہیں ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکار بڑے قدم اٹھا کر کڑے قانون بنانے چاہئیں اور کم سے کم دواؤں کو جیون رکشک اوشدھیوں کو بلیک مارکیٹنگ اور زیادہ دام چارج کرنے والوں کو مرتیو دنڈ کا پراودھان کرنا چاہئیے۔ جب تک آپ اس کا پراودھان نہیں کرینگے سماج کے زخم کا علاج کرنے کیلئے مرہم نہیں لگائیں گے تب تک لوگوں کی سمسیا حل نہیں ہوگی۔ اس لئے آپ کو بڑے آپریشن کی ضرورت ہے۔ ابھی غریبوں کی بات کہی گئی ہر ناگرک کی جو دھرتی پر پیدا ہوا ہے، اسکو کم سے کم پیٹ بھرنے کیلئے سوکھی روٹی مل سکے، یہ ہمارا دائیتو ہے، کرتوے ہے۔ اس بات کی گارنٹی جو سرکار نہیں دیتی اس سرکار کو آنے والے اتہاس کے سمے مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا، اس لئے میں یہ مانگ کرتا ہوں منتری جی سے اور سرکار سے کہ اس بل کی آتما کو دیکھتے ہوئے اس بات کا پراودھان کیا جائے کہ جو ایسے چھیتر ہیں جہاں غریبی کی ریکھا سے نیچے رہنے والے لوگوں کی سنکھیا ادھک ہے نہری جنوں، آدی واسیوں اور پچھڑی جاتی کے لوگوں کی سنکھیا ادھک ہے ان کو پیٹ بھرنے کیلئے روٹی دینے کا ادھیکار انیوارئے ہے۔ اس کے لئے سرکار ویوستھا کرے۔ آپ آئیڈینٹیٹی کارڈ بنائیے راشن کارڈ بنائیں، اور انکو بالکل واجب قیمت پر روٹی دیں اور جو لوگ نہیں دے سکتے ان کو فری روٹی دینے کا ادھیکار نہیں دینگے تو آپ کے سارے دعوے اور باتیں بیکار ثابت ہوں گی، ردّی کاغذ کی طرح ہونگی۔ اتہاس کے سامنے مجھے اور آپ کو

جوابدہ ہونا پڑے گا ۔ جو لوگ بوڑھے ہیں جن کے پاس کمانے کی شکتی نہیں ہے انکو روٹی اور جو بچے ہیں ان کے لئے دودھ کا انتظام بھی کرنا سرکار کا ہی نیتک کرتویہ ہے ۔ چاہے آپ یہ کام سسٹم سے کریں یا اور سسٹم انوالو کریں ۔ یہ آپ کا کرتویہ ہے ۔ اس کو دیکھتے ہوئے میں اپنے چھیتر ستنا کی چرچا بھی کرنا چاہونگا ستنا ایک ایسا چھیتر ہے جو کہ پچھڑا ہوا چھیتر ہے ۔ جہاں ادھیکانش آبادی مزدوروں کی ہے ۔ غریبوں کی ہے ۔ ہریجن اور آدی باسیوں کی ہے ۔ اور جہاں ہزاروں لاکھوں آج بھی چونے کے بھٹوں میں اور سیمینٹ پتھروں کی کانوں میں اپنا خون پسینہ بہا کر کام کرتے ہیں ۔ لیکن ان کو آج تک اس سماج کے اندر اس دیش کے اندر نیونتم مزدوری نہیں مل پائی ہے ۔ ستنا کے جو علاقے ہیں جیسے میہر۔ ناگور ۔ رہگاؤں ۔ دجے راگھوگڈھ ۔ چترکوٹ ۔ بڑھوارا ۔ امرپاٹن ان تمام چھیتروں میں ہریجن اور آدی واسی ہیں اور پہاڑی علاقہ ہے ۔ وہاں ادھک سے ادھک اچت در کی دکانوں کی ویوستھا کریں تاکہ ان مزدوروں کو جن کا شوشن پہلے سامنت واد کے دوارا ہوا اور آج پونجی واد کے دوارا ہو رہا ہے ان پچھڑے چھیتروں میں پریاپت ماترا میں جیون دایک کے لئے پریاپت سودھائیں انہیں مل پائیں جیسے دال صابن گڑ آدی۔

ابھی یہاں سرکاری بازاروں کی بات کی گئی اور بات تو آپ چھوڑئے ۔ میرا اپنا انوبھو یہ ہے کہ آپ کے پارلیمنٹ اینکسی استھت سرکاری بازار میں کئی بار جانے کے بعد بھی میں خود گیا نہ مجھے پامولین ملا نہ بٹر آئیل ملا اس لئے باقی کی بات تو آپ چھوڑ دیجئے میں نے شکایت بھی کی ۔ لکھ کر بھی دیا ۔ لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے اور جو سلسلہ چل رہا ہے وہی چلتا رہا اس لئے سب سے پہلے تو آپ سڑک کے اس پار پارلیمنٹ اینکسی میں استھت سرکاری بازار کی حالت ٹھیک کیجئے پھر دلی کی مین سرکاری بازار کی حالت ٹھیک کیجئے ۔ سرکاری بازاروں کی حالت دیکھکر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ۔

کہ دیش کے سادھارن ناگرکوں کو کن کٹھنائیوں اور کن پریستھتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
سبھاپتی جی - میں آپ کے مادھیم سے مانیئے منتری جی سے کہنا چاہوں گا کہ
ہم سب سمے کے نیایالیہ کے سامنے اپستھت ہیں اور وقت کا حاکم وقت کا جج قلم ہاتھ میں
لے کر آپ کے اور ہمارے بھاگیہ کا نرنیہ لکھنے کا انتظار کر رہا ہے۔ جب وہ حاکم کوئی
نرنیہ دے - میں چاہوں گا کہ آپ کا اور ہمارا منہ کالا نہ ہونے پائے آپ اور ہم مجرموں
کے کٹہرے میں کھڑے نہ ہونے پائیں ۔ وقت کا حاکم ہمارے ورودھ کوئی فیصلہ نہ کرنے
پائے اس کی آپ ابھی سے ویوستھا کرتے ایسا نہ ہو کہ دیش لٹتا رہے لوگ لٹتے رہیں
غریبوں کا شوشن ہوتا رہے اور ہم کیول بھاشن دیتے رہیں یا بل پرستوت کرتے رہیں اور
اس دیش کے غریب انسان عوام کے زخموں پر کوئی مرہم کا پھایا نہ رکھ پائیں ۔ پھر
تو شاید اتہاس بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اس لئے میں چاہوں گا کہ ان بندوؤں پر
آپ ابھی سے وچار کریں کوئی قانون بنائیں تبھی جا کر ہم دکھی انسان کے زخموں پر مرہم
کا پھایا رکھ پائیں گے ۔ [دھنیے واد۔]

श्री राम प्यारे पनिका (रोबर्ट्सगंज) : सभापति जी, हमारे दोस्त बासवराजू जी जो बिल इस सदन में लाये हैं, जिस पर हमें बहस करने का मौका मिला है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं । इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 4 वर्षों में हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी हुई है, खास कर पिछले वर्ष जब शताब्दी का सबसे भयंकर सूखा देश में पड़ा, उस समय इस विभाग ने जिस चुस्ती से काम लिया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, कम है । बड़ी मुस्तैदी से इस विभाग ने देश के कोने-कोने में, कश्मीर से लेकर केरल के अन्तिम छोर तक, और इधर सेवन सिस्टर स्टेट्स से लेकर गुजरात तक, सभी इलाकों में राहत कार्य चलाए । सूखा ही नहीं बाढ़ में भी राहत के प्रशंसनीय काम किए, हम इसे नकार नहीं सकते । यदि इस विभाग ने उस मुस्तैदी से काम न किया होता तो यह लगभग निश्चित था कि काफी लोग काल के मुंह में समा गए होते। इसलिए मैं खाद्य विभाग के कार्यों की प्रशंसा करता हूं, मंत्रालय की प्रशंसा करता हूं लेकिन यहां हमारे माननीय साथियों ने जो बातें उठायीं, उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अभी तक हमारे देश के दूरदराज इलाकों में, ट्राइबल इलाकों में, डेजर्ट इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में सम्पूर्ण जनता के राशन कार्ड नहीं बन पाए हैं । इसलिए मेरी सबसे पहली मांग यह है कि माननीय मंत्री जी आप यहां से सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश भिजवायें कि 1 जून तक प्रत्येक परिवार का राशन कार्ड अवश्य बना दिया

जाए। दूसरे, हमारी स्व० प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस देश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लाभकारी बनाने के लिए, इसकी उपादेयता को बढ़ाने के लिए प्रति दो हजार यूनिट पर एक राशन की दुकान खोले जाने की बात कही थी। यद्यपि आपने साढ़े तीन लाख दुकानें खोलने की बात स्वीकार की है, लेकिन आप पूरे देश की 80 करोड़ जनसंख्या के हिसाब से देखें तो उनकी संख्या बहुत कम पड़ती है। इसलिए आज समय की आवश्यकता है कि प्रति दो हजार यूनिट पर एक राशन शॉप स्थापित होनी चाहिए।

आपने एक मोबाइल सिस्टम निकाला था, वह बड़ा लाभकारी सिद्ध हुआ है, खासकर हमारे ट्राइबल एरियाज के लिए, दूरदराज के इलाकों के लिए, डैजर्ट के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, लेकिन आपने मोबाइल वैन्स की ज्यादातर व्यवस्था शहरों के आसपास की है, वे शहरों तक ही सीमित रहते हैं, न हमारे भाई रावत जी के क्षेत्र में जाते हैं न किसी ट्राइबल इलाके में जाते हैं, न साइक्लोनिक इफैक्टिड इलाके में जाते हैं, न मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके में जाते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि चाहे सेन्ट्रल गवर्नमैंट को थोड़ी सबसिडी देनी पड़े, उसे देकर आप इन मोबाइल वैन्स की व्यवस्था देश के तमाम ट्राइबल इलाकों, सूसे से प्रभावित इलाकों, डैजर्ट इलाकों, पहाड़ी इलाकों और दुर्गम इलाकों में अनिवार्यतः करायें। मेरी मान्यता है कि वह जनता के हित में उपयोगी सिद्ध होगा।

मान्यवर, इसके अलावा मैं चाहता था कि जो आपकी राशन की दुकानों की बात है और अभी जो बिल आया है, इसमें मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं विभाग को। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में पास किया। उसका अभी परिपालन राज्य सरकारें आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं कर रही हैं। अभी तक जिला और प्रदेश स्तर पर समितियां नहीं बन सकी हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप ये समितियां बना दें, तो हमारे भाई साहब इस बिल को वापस ले लेंगे। आप शीघ्र से शीघ्र इसकी व्यवस्था करें।

मान्यवर, मैं और मेरे कई भाई बहुत समय से मांग करते रहे हैं कि ट्राइबल्स को, ट्राइबल सब-प्लान एरिया में हमें सबसीडाइज्ड राशन एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० में देते रहे हैं, लेकिन आपने इसको कनफाइन कर रखा है सिर्फ 194 ट्राइबल ब्लॉक्स में। इससे काम नहीं चलेगा। अब इन दोनों योजनाओं के स्थान पर आपने जवाहर रोजगार योजना शुरू की है। उम्मीद है कि इसमें भी वह सबसीडाइज्ड राशन मिलेगा, लेकिन मैं तो यह कहना चाहता हूं कि देश के तमाम हरिजन और आदिवासियों और बंधुआ मजदूरों को निश्चित तौर से यह सबसीडाइज्ड राशन पहुंचाया जाए। यह हमारी मांग है। इसके बाद मैं चाहता हूं कि जो हमारी रॉशन शाप्स के बारे में, निगरानी समितियां बनी हैं, वे काम नहीं कर रही हैं। इसलिए आप राज्य सरकारों को कहें कि हर ब्लॉक लैवल पर सामाजिक कार्यकर्ताओं और खासकर हम लोग जो सत्ता में हैं, मान्यवर, हमारा शर्म से सर झुक जाता है जब हम यह सुनते हैं। सी० पी० एम० गवर्नमेंट पर जब यह आरोप लगाते हैं कि कैडर को ही राशन शॉप और राशन मिलता है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने विचार के लोगों को राशन की दुकानें दिलवाएं। आर० एस० एस० के लोगों को दुकानें लेने का कोई हक नहीं है। हमने हिन्दुस्तान भर में देखा है कि ये आर० एस० एस० वाले फिरकापरस्त लोग हैं, ये राशन लेकर के अपने संकुचित दृष्टिकोण और अपनी संकुचित मनोभावनाओं का पालन करते हैं।

मान्यवर, हमने देखा कि 1977 में बहुत से आर० एस० एस० के लोगों ने राशन की दुकानें ले ली हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसका एक सर्वे कराकर के उनकी सेवाओं को मुक्त कर दीजिए, नहीं तो ये लोग राशन को देश के लोगों की बजाय अपने लोगों और अपनी पार्टी के लोगों को देंगे और अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपने जो कोआपरेटिव मूवमैंट चलाया है वह महाराष्ट्र और गुजरात में तो जो कुछ भी रिजल्ट आया है, वह आपको मालूम है, लेकिन यू० पी० में अच्छा नहीं है। हम बहुत संतुष्ट नहीं हैं इसलिए राशन की दुकानों का काम आप इनसे नहीं कराएं, यह कोई अच्छी बात नहीं है। यदि कोई अच्छी समिति आती है, अच्छी कमेटी आती है, तो उसे दे दीजिए, उसका स्वागत है, लेकिन एक आदेश पारित कर दिया जाए कि ये सारे के सारे कोआपरेटिव को दे दिया जाए, तो इसमें असामाजिक तत्व भरे हुए हैं, जो कोआपरेटिव पर कब्जा किए हुए हैं और ये लोग राशन पानी लेकर के सब चट कर जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को यह नहीं मिलना चाहिए।

मान्यवर, इसके अलावा जो सबसे जरूरी बात है वह यह है कि ऐसेंश्यल कमोडिटीज जैसे जनता क्लॉथ वगैरह को आप देखें, तो आपको पता लगेगा कि यह गरीबों को नहीं मिल पाता है। इसका आप सर्वे कराइए कि यह कपड़ा देश में किन-किन दुकानों से मिला। पॉम ऑयल, और जो एडीबल ऑयल है वह भी कम से कम गरीबों को तो नहीं मिल रहा है। आपकी जो और एसेंश्यल कमोडिटीज हैं, वे कम से कम मेरे क्षेत्र मिरजापुर और सोनभद्र, दोनों जिलों में नहीं मिल रही हैं। पिछले साल से वहां अकाल की स्थिति चल रही है और पिछले दो महीनों से राशन की दुकानों पर चावल, गेहूं और चीनी नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता है कि यह ईद का त्यौहार कैसे मनेगा। मैं कल वहां साठे जी और कल्पनाथ जी को लेकर जा रहा हूं लोग मुझसे बोलेंगे कि पनिका तुम चले आए हेलीकोप्टर से, हमारी ईद कैसे मनेगी। गर्मियों में लोगों को शिकंजी पीने के लिए चीनी नहीं है और वहां सूखा है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को एक महीने से कह रहा हूं, लेकिन अभी तक वहां पर राशन का सामान नहीं पहुंचा है। वहां भी फूड सैक्रेट्री महिला हैं और यहां भी महिला हैं। हमने सोचा कि इनमें दया का भाव होगा और एक सप्ताह में ये मिर्जापुर और सोनभद्र में राशन और सिविल सप्लाई की चीजें भेज देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश सरकार को टेलक्स करें कि एक सप्ताह में ये चीजें वहां पहुंच जाएं और अच्छा हो कि 8 को ईद हो तो 7 तारीख तक कुछ चीजें वहां पहुंचवा दीजिए तो ईद पर वहां कुछ पहुंच जाए। यही पहाड़ की बात है, यही प्रदेश की बात है।

हम पिछले सूखे से आपके कारण निपट गए, एक भी मौत नहीं हुई, मैं इस विभाग को क्रेडिट देता हूं, हम संतुष्ट हो गए। आज तीन मैट्रोलाजिकल डिवीजन में पानी नहीं बरसा, बुन्देलखंड, मध्य-प्रदेश और बनारस, उसके अलावा और भी कई जगहें हैं तो इन जगहों के लिए आपको चिन्ता करने की जरूरत है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस सिस्टम के लिए एक मानिटरिंग सैल केन्द्र सरकार में रखें। बहुत सी राज्य सरकारें राशन नहीं उठाती हैं, समय से चीनी नहीं उठाती हैं तो कौन इसको देखेगा ? आप देखें कि केन्द्र का एक मोनिटरिंग सैल हो सैंटल गवर्नमेंट की कोई टीम हो जो देखे कि कोई भ्रष्टाचार न हो, समय से चीजों का बंटवारा हो। मिट्टी के तेल की इफ़रात है लेकिन बंट नहीं पा रहा है इसी तरह डीजल है और सब चीजें हैं तो आज आप एक पालिसी बनाइए और सख्ती से इसका परिपालन कराइए। जो सरकारें असमर्थ हैं, आप अपना सैल बनाकर वितरित कराइए।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अधिष्ठिाता महोदय, यह कहना तो उचित नहीं होगा कि फेअर प्राइस शाप्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे देश में कामयाब नहीं हुआ। जिस उद्देश्य से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कायम किया गया, मैं समझता हूं कि बहुत हद तक वह अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में सफल रहा है।

मूल्यों पर नियंत्रण करने के मामले में जितना सहयोग पी० डी० एस० से मिला है, उतना और किसी से नहीं मिला। अलबत्ता इतना विस्तृत फैला हुआ देश और अचल, दूर-दूर सस्ते गल्ले की दुकानें, इन सब पर नियंत्रण रखना कोई मामूली बात नहीं है। मैं यह तो दावा नहीं कर सकता कि जितनी भी

फेअर प्राइस शाप्स हैं, उनमें जितना माल जाता है, वह लोगों तक पहुंचता है लेकिन इतना जरूर निवेदन करूंगा कि यदि फेअर प्राइस शाप्स नहीं होतीं तो हम शायद जो खुले व्यापार के व्यापारी हैं, उनके हाथों में खेल रहे होते और मूल्य आकाश को छू रहे होते और कोई भी सरकार उस पर नियंत्रण करने में कामयाब नहीं हो पाती। मैं आग्रह करूंगा कि जिन खामियों की तरफ लोगों ने ध्यान दिलाया है जो सरकार की नालेज में हैं, उन खामियों को दूर करने के लिए आप अपने पुराने अनुभव के आधार पर देखें और इस सिस्टम को और ज्यादा विस्तृत करने की जरूरत है।

आज हम 14 आइटमें फेअर प्राइस शाप्स के माध्यम से देते हैं, मैं आग्रह करूंगा कि इसमें 10, 12 आइटमें और जोड़ी जानी चाहिएं जिनसे हम ज्यादा सामान पी० डी० एस० के जरिए जनता को दिलवा सकें।

आलू एक ऐसा खाद्य है जिसका उपयोग हर कोई करना चाहता है, आज आप मार्केट में जाइए, सब्जी के दाम आसमान को छू रहे हैं। एक तरफ किसान से आलू आप 8 आने किलो पर खरीद रहे हैं और मार्केट में जाते हैं तो 3 रुपए किलो पर भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। आप आलू दिलवाएं, तेल साबुन इनके माध्यम से दिलवाएं, और भी बहुत सारी एसेंशियल कमोडिटीज हैं, उन सबको फेअर प्राइस शाप्स के माध्यम से लोगों को दिलवाएं। जब तक हम अपने देश में दोहरी मूल्य नीति नहीं रखेंगे, सामान्य जनता का कल्याण नहीं हो सकता है। सामान्य जनता खुले बाजार में हमेशा लुटती रहेगी और सीमित आय के साधन वाले लोग त्रसित होते रहेंगे।

आप कंज्युमर मूवमेंट, उपभोक्ता आन्दोलन को और अधिक प्रभावी बनाएं। सदन ने एक बिल भी पास किया था, उपभोक्ता समिति राष्ट्रीय स्तर पर बनी हैं, जिला स्तर पर बनी हैं लेकिन जिला स्तर पर जाते-जाते चीजें इतनी डाइल्यूट हो जाती हैं, इतनी इन-इफैक्टिव हो गई हैं, उनका फंक्शनिंग इतना ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो गया है, उस पर सरकारी मशीनरी इतनी हावी हो गई है, जिन उद्देश्य से इन समितियों का गठन किया गया था, वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। आप जिलों की रिपोर्ट मंगा कर देख लें शायद ही कोई जिला ऐसा होगा जहां पर यह समिति ठीक तरीके से फंक्शन कर रही होगी। वहां अधिकतर मिलावट किया हुआ सामान मिलता है और जो मिलता है वह बड़ी-बड़ी मिलों से चलकर आता है। जहां पर यह उत्पादित होता है वहां चैक करने का कोई सिस्टम नहीं है। खुदरा व्यापारी के पास जब जाता है तो उस समय यह काम होता है और हम उस समय उसको दंडित करते हैं जबकि दंडित मिल ओनर होना चाहिए। आप अपने सिस्टम को बदलें। जैसे कस्टम डिपार्टमेंट वाले चैक करते हैं वैसे ही आप अपने सिस्टम को बनाइए। जहां पर वस्तुयें बनती हैं वहां पर चैक कराने की व्यवस्था करें। यदि यह पाया जाये कि वह मिलावट वाला सामान है और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप उसको वहीं रिजैक्ट कर दें।

मैं 2-3 सुझाव आपको देना चाहता हूं। एक तो पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा गोदाम खोले जाने चाहिए। अभी गोदाम तक माल को वहन करने का खर्चा राज्य सरकारें वहन करती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में चूंकि सिस्टम फैला हुआ है और एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 10-11 किलोमीटर की होती है जिससे इसमें दिक्कत आती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, हिमाचल व जम्मू-कशमीर जहां पर गेहूं का जितना सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है उतना ही लोगों को किराये-भाड़े के रूप में देना पड़ता है। यदि हम 4-5 सस्ती गल्ले की दुकानों के बीच एक-एक गोदाम बना देंगे और उस खर्चे को सरकार वहन कर लेगी तो उन लोगों को निर्धारित मूल्य पर चीजें मिल सकेंगी जिससे उनको काफी राहत मिलेगी। यहीं पर मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि जितने पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां आवश्यक वस्तुओं को वहन करने का

खर्चा केन्द्र सरकार को उठाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा भी है कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दीजिए लेकिन आपने वह देने से इन्कार कर दिया है। इसमें केन्द्र सरकार को आगे आना चाहिए।

जनजातीय क्षेत्रों में सस्ता गल्ला देने की व्यवस्था पहले थी, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उसे डिसकंटीन्यूकर दिया है। यह यू० पी० के मामले में किया है या अन्य राज्यों के मामले में भी किया है मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्रों में जो सस्ता गल्ला मिल रहा था वह फिर से मिलना चाहिए और जनजातीय क्षेत्रों में गांव को आधार नहीं मानना चाहिए ब्लाक को आधार मान कर चलना चाहिए। जिस ब्लाक में जनजातियां रहती हैं वहां गैर जन जाति के लोगों को भी सस्ता गल्ला मिलना चाहिए नहीं तो आपस में मतभेद पैदा होते हैं। ऐसी इंस्ट्रक्शन आपकी तरफ से अभी गई नहीं हैं। हमारे यहां मुशायरी और जोशीमठ आदि जन-जातीय क्षेत्र हैं वहां आपने कहा है कि जिन गांव में जनजाति के व्यक्ति हैं वहां के गैर जनजातियों को तो हम देंगे लेकिन ब्लाक को आधार नहीं मानेंगे। इसमें आप स्थिति को स्पष्ट करें।

एक चार्ज मैं केन्द्र सरकार के ऊपर लगाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य को आप बहुत कम गेहूं, चावल, चीनी और पामोलिन देते हैं। नतीजा यह हुआ है कि सारा पी० डी० एस० सिस्टम फेल हो गया है। हम बार-बार आग्रह कर रहे हैं कि आप यू० पी० को उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार दीजिए लेकिन आप उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। एफ० सी० आई० ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है। अब भी समय है आप इसको दुरुस्त कर दें नहीं तो हमारा रिकार्ड और खराब हो जायेगा। इस समय हमारे विपक्ष के मित्र नहीं हैं इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां लोग यह कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार हस को सस्ता गल्ला नहीं दे पायी है। आप कृपया इस कमी को दूर करें।

अंत में एक बात यह कहना चाहूंगा कि जब पंजाब से या दूसरे इलाकों से दबाव पड़ता है तो वहां का जो खराब टाइप का गेहूं होता है, चावल होता है, उसको आप खरीद लेते हैं या वह आपके गोडाउंस में खराब हो जाता है उसकी एफ० पी० एस० सिस्टम से बंटवा दिया जाता है। उसकी वजह से भी केन्द्रीय सरकार की बहुत बदनामी होती है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि फेयर प्राइस शाप्स में ऐसा गेहूं दिया जाता है, लोगों को ऐसा चावल दिया जाता है जो खाने लायक नहीं होता, बहुत खराब स्थिति में होता है। मेहरबानी करके ऐसे मामलों की जांच करायें और एफ० सी० आई० के जो गोडाउंस हैं उनकी भी रैण्डम चैकिंग होनी चाहिए और वहां पर देखा जाना चाहिए कि इस तरीके का माल एफ० पी० एस० सिस्टम तक न पहुंचे।

[अनुवाद]

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं अपने देश में उचित दर दुकानों सम्बन्धी विधेयक के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। हमारे देश में दो प्रकार की कमियां हैं, पहली प्राकृतिक कमियां और दूसरी व्यवसाइयों द्वारा उत्पन्न की गई। पहली कमी सूखे और बाढ़ से उत्पन्न प्राकृतिक कमी होती है और दूसरी मूल्य-वृद्धि के कारण हुई कृत्रिम कमी होती है। सामान्यतः उचित दर दुकानें उन स्थानों पर होती हैं जहां कीमतें बहुत अधिक होती हैं और इनका उद्देश्य वहां के लोगों को इन बढ़ती कीमतों में कुछ राहत देना होता है। जब वर्ष 1977 में जनता सरकार सत्ता में आई तब वह सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को विनियन्त्रित करना चाहती थी और उसने उन्हें विनियन्त्रित किया

भी । कुछ दिनों तक तो खाद्यान्नों और आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई बहुत आराम से होती रही । छः महीने पश्चात् ही कीमतें आसमान को छूने लगीं । तत्पश्चात् गृह मन्त्री आए और पूछने लगे कि "अब क्या किया जाए ।" हमने चावल, चीनी और मिट्टी के तेल के मूल्यों को विनियन्त्रित कर दिया है और अधिकारी ने बताया कि "इन सभी आवश्यक वस्तुओं पर विनियन्त्रण के पश्चात् आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू नहीं होगा तथा हम कुछ नहीं कर सकते हैं ।" पुनः उन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम लाकर इन आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियन्त्रण किया । महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम उन व्यक्तियों को दण्डित करने के लिए है जो जमाखोरी और कालाबाजारी में लगे हुए हैं । परन्तु हम इस तरह के अपराधों में संलग्न अपने किसी भ्रष्ट व्यवसायी अथवा अधिकारी अथवा किसी व्यक्ति पर बहुत कम जुर्माना करते हैं अथवा उसे दण्डित नहीं करते हैं । अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि वह खाद्यान्नों के वितरण की जिम्मेदार राज्य सरकार को यह निर्देश दे कि ऐसे व्यक्तियों को बराबर दण्ड दिया जाए और वह यह देखें कि सब कार्य सुचारू रूप से हो । अब जैसाकि मेरे पास समय कम है, मैं केवल कुछ मुद्दों पर ही बोलना चाहूंगा ।

महोदय, मैंने एक बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में यह सुझाव दिया था कि देश में दो प्रकार के राशन-कार्डों की व्यवस्था की जाए । यद्यपि राजस्व विभाग के लिए यह एक भारी जिम्मेवारी होगी । पहला "हरा कार्ड" और दूसरा "पीला कार्ड" होना चाहिए । मेरा अभिप्राय है कि "हरा कार्ड" उन व्यक्तियों के लिए होना चाहिए जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं । "हरे कार्ड" के माध्यम से हम कम कीमत पर चावल दे सकते हैं तथा इस "पीले कार्ड" के द्वारा हम चावल और वे वस्तुएं जो सार्वजनिक बाजार में उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें उचित कीमत पर दे सकते हैं । अतः यह "पीला कार्ड" होना चाहिए । इस समय हमारी सरकार आदिवासी क्षेत्रों में कम कीमत पर चावल भेज रही है तथा वहां के लिए चलती-फिरती गाड़ियों की भी व्यवस्था की गई है । वे जनजाति के लोगों की बहुत अच्छी सेवा कर रही है । वे प्रति सप्ताह लगने वाले बाजार में आवश्यक वस्तुओं को ले जाती हैं और हर 15 दिन में जनजाति के लोगों को उन्हें बेच रही हैं । वहां इस बात का प्रचलन है कि व्यवसायी और कालाबाजारी करने वाले व्यक्ति जनजाति के उन व्यक्तियों, जिनके पास इन वस्तुओं को खरीदने हेतु पर्याप्त धन नहीं है, उनके राशन कार्डों को अपने पास जमा कर लेते हैं । वे इन कार्डों को इकट्ठा करके वस्तुएं खरीद लेते हैं जिससे कि किसी अन्य जगह इन्हें इससे अधिक कीमत पर बेच सकें । सरकार को यह देखना चाहिए कि इन कार्डों का इस प्रकार दुरुपयोग न हो । तत्पश्चात् इन उचित दर दुकानों की वस्तुओं को लाने-ले-जाने सम्बन्धी कठिनाइयां आती हैं । आजकल निजी फुटकर दुकानों में भ्रष्टाचार व्याप्त है और यही कारण है कि उड़ीसा राज्य सरकार ने निजी फुटकर विक्रेताओं को निलम्बित करके आवश्यक वस्तुओं की खरीद फरोख्त का काम सहकारी समितियों को दे दिया । परन्तु सहकारी-समितियां भी असहाय हैं क्योंकि उनको दिए जाने वाला यातायात प्रभार बहुत कम है । मान लीजिए कि एक चावल की बोरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अर्थात् 20 से 30 किलोमीटर की दूरी तक ले जाने के लिए उसे प्रति बोरी 5 रुपए से 8 रुपए देने पड़ते हैं । वह इतना प्रभार नहीं सह सकता । इसमें उसे जरा भी लाभ नहीं मिलेगा । चावल अथवा गेहूं बेचने के लिए उन्हें किसी को रखना ही होगा । परन्तु इस व्यवसाय में उन्हें ज्यादा लाभ नहीं होगा । अतः कोई भी व्यक्ति जो आवश्यक वस्तुओं की खरीद-फरोख्त करता है, वह कालाबाजारी करने के लिए बाध्य हो जाता है । अतः यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह व्यवसायी एवं फुटकर विक्रेता जो आवश्यक वस्तुओं की खरीद-फरोख्त का कार्य करते हैं, उन्हें थोड़ा लाभ मिले ।

दूसरे ही दिन, उत्तर देते हुए हमारे माननीय मन्त्री श्री सुख राम ने सदन में यह वादा किया कि

यदि राज्य सरकार और अधिक चलती-फिरती गाड़ियां चाहती हैं तो वह इस पर विचार कर सकते हैं एवं और अधिक गाड़ियां दे सकते हैं। यदि वहां गाड़ियों की कमी है तो वह पहले ही और अधिक गाड़ियां देने का वादा कर चुके हैं। मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी को याद दिलाता हूं कि वह यह देखें कि उड़ीसा को और अधिक चलती-फिरती गाड़ियां दी जाएं जिससे ये गाड़ियां हर सप्ताह, अर्थात् सात दिनों में एक बार बाजार जाएं तथा जनजाति के उन व्यक्तियों को आवश्यक वस्तुएं दें जो बहुत निर्धन हैं और जो महीने में दो बार एक साथ आवश्यक वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हैं। और वे सप्ताह में एक बार अर्थात् महीने में 4 बार खरीद सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : सभापति महोदय, उचित दर दुकान (विनियम) विधेयक जो माननीय सदस्य, श्री जी० एस० बासवराजू, द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है, यह एक बहुत ही अच्छी भावना से प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक की भावना लोगों को ठीक ढंग से, हर समय और विशेषकर कठिनाई के समय में, उचित दर पर वस्तुएं पहुंचाने की है जो कि अक्सर लोगों को नहीं मिल पाती हैं। विधेयक में कहा गया है कि ऐसा प्रत्येक राज्य में प्रावधान होना चाहिए कि उचित दर की दुकान के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ठीक किया जाए। उसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं कि कुछ बोर्ड स्थापित किए जाएं।

जहां तक बोर्डों की स्थापना का सम्बन्ध है। इस प्रबन्ध का महत्वपूर्ण सिद्ध होना प्रदेश सरकारों के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, जब तक प्रदेश सरकारें इस मुद्दे को बहुत उपयोगी समझ कर उस पर पूरी तरह से अमल न करें, चाहे आप बोर्ड बनायें, चाहे आप कमीशन बनायें और चाहे आप कुछ भी बनायें। इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या केन्द्रीय सरकार को ऐसी कोई सूचना है कि प्रदेश सरकारें पूरा सहयोग नहीं करती हैं? अगर नहीं करती हैं तो उसके क्या कारण हैं? क्या उनकी अपनी कठिनाइयां हैं और अपनी उनकी कुछ कठिनाइयां हो भी सकती हैं या वे किसी भावना से केन्द्र को सहयोग नहीं करती हैं? जैसा कि माननीय सदस्य, श्री हरीश रावत, कह रहे थे कि पर्वतीय क्षेत्रों की अपनी समस्याएं हैं और उनका समाधान भी आवश्यक है। सबसे बड़ी आवश्यकता तो भण्डारण की है। पर्वतीय क्षेत्रों में कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां बर्फ है, छः-छः महीने रास्ता नहीं मिलता है और कई ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां बर्फ अधिक हो गई तो रास्ता टूट गया, यातायात रुक गया तथा कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर जंगल से यातायात रुक जाता है और वहां जाना आसान नहीं होता है। इस संदर्भ में सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात नजर आती है, वह यह है कि सब काम छोड़ कर पर्वतीय क्षेत्रों में और जनजाति क्षेत्रों में, जिनको हमारे योजना आयोग ने विशेष केटेगिरी स्टेट माना है, स्पेशल केटेगिरी स्टेट माना है, उनमें ऐसे स्टोर और भण्डारण हेतु गोदाम बनाए जाएं, जिनमें अनाज और दूसरी उपयोगी वस्तुएं हर समय उपलब्ध हों। इसको बाकी प्रदेशों के लिए आधार भी बनाया जाए तो भी ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर यातायात की कठिनाई हो, राष्ट्रीय मार्ग न हों या इस तरह की बातें न हों, ऐसे जिले आप छांट लीजिए जहां रेलवे लाइनें न हों, वहां पर ट्रांसपोर्ट सब्सीडी देकर कोई प्रबन्ध किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं। सभा सोमवार, 8 मई, 1989 को प्रातः 11.00 म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 8 मई, 1989/18 वैशाख, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : चौधरी मुद्रण केन्द्र, साऊथ मौजपुर, दिल्ली-53